ज्ञानशौर्यम्

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Scientific Research Journal

Website : http://gisrrj.com

GYANSHAURYAM
INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Volume 5, Issue 1, January-February-2022

Email : editor@gisrrj.com   Website : http://gisrrj.com

ज्ञानशौर्यम्

Gyanshauryam
International Scientific Refereed Research Journal

Volume 5, Issue 1, January-February-2022

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Journal
Bimonthly Publication

Published By
Technoscience Academy

Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
  Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India
- **Prof. B. K. Dalai**
  Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Divakar Mohanty**
  Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Ramakant Pandey**
  Director, Central Sanskrit University,Bhopal Campus.Madhya Pradesh, India
- **Prof. Kaushalendra Pandey**
  Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Dinesh P Rasal**
  Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Parag B Joshi**
  Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India
- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
  Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University,Janakpuri, New Delhi, India
- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
  Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India
- **Prof. Manoj Mishra**
  Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
  Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**
  Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

---

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
  SST, Palamu, Jharkhand, India

Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**
  Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

---

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
  Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
- **Prof. Daya Shankar Tiwary**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Prof. Satyapal Singh**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Dr. Ashok Kumar Mishra**
  Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
- **Dr. Raj Kumar Mishra**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
- **Dr. Somanath Dash**
  Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**
  Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India
- **Dr. Rajesh Sarkar**
  Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Rajesh Mondal**
  Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
  Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**
  Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India |Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India
- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**
  Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi,Uttar Pradesh, India

International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**
  Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya
- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
  Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
  Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
  Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
- **Dr. Raja Mohammad Latif**
  Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
- **Dr. Abul Salam**
  UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar, Uttrakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
  Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar, Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
  Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
  Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**
  Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	**नारी उत्पीड़न और समाज़** डॉ प्रीतम कुमारी	01-04
2	**वर्तमान भारतीय शिक्षा में नई शिक्षा नीति- 2020 की भूमिका** डॉ रमाशंकर	05-09
3	**माहेश्वरसूत्राणां ब्रह्मवाचकत्वम्** डाॅ0 सन्तोष माझी	10-15
4	Search For Identity and Alienation in The Novels of Ruskin Bond Dr. Anita Goswami, Geetika Ahuja	16-20
5	**रूस की विदेश नीति (निरन्तरता और परिवर्तन)** मदन कुमार वर्मा	21-24
6	**वेदव्यास की रचना में स्त्री विमर्श महाभारत के सन्दर्भ में (आज के संदर्भ में)** डॉ. रमेश चन्द्र टांक	25-35
7	**कोविड-19 के खिलाफ कारगर 'योग'** डॉ. शाहेदा सिद्दीकी	36-40
8	**दलित नारीवाद और रजनी तिलक की कविताएँ** आकाश कुमार	41-45
9	**डॉ. अम्बेडकर आधारित संस्कृत ग्रंथ 'भीमाम्बेडकरशतकम्' का समीक्षात्मक अध्ययन** डॉ. दिलीप कुमार	46-52
10	**घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और सामाजिक दायित्व** डॉ. गंगा देवी बैरागी	53-62
11	Indian Social and Political Scenario in 21st Century Niranjan Kumar Mistri	63-68
12	A Geographical Study of Education and Empowerment of Weaker Section in Latehar District, Jharkhand Ramchandra Kumar, Dr. Anil Kumar Singh	69-78
13	**श्रमिक नेता के रूप में डॉ अंबेडकर** डॉ. स्वदेश सिंह	79-84

14	**स्वराद्यव्ययसञ्ज्ञाप्रबोधः** डॉ.नवीनकुमारमिश्रः	85-97
15	Phytochemical Analysis of Seeds of Cassia Bascilaria Pramod Kumar Singh, Pushkar Pratap Tiwari	98-100
16	**महाकवि हरिनारायण दीक्षित का संस्कृत साहित्य को अवदान** डॉ. देवनारायण पाठक, ऋतुराज	101-104
17	**स्वातंत्र्योत्तर जन आंदोलन और हिंदी कविता** डॉ. अर्चना त्रिपाठी	105-110
18	**साम्प्रदायिकता के संदर्भ में 'तमस' का पुनर्विश्लेषण** श्रवण सरोज	111-116
19	**महाकाव्य महाभारत में महारानी द्रौपदी** प्रिया सिंह, डाॅ.देवनारायण पाठक	117-122
20	**18वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में शाहवली उल्ला का योगदान** प्रो0 हेरम्ब चतुर्वेदी, मोहम्मद शकीम	123-127
21	**प्राचीन भारतीय इतिहास की ज्ञान परम्परा में पाण्डुलिपि - विज्ञान का स्वरुप और क्षेत्र** भॅंवरलाल कुमावत	128-142
22	**प्लेजरिज़्म एवं इसको रोकने के उपाय** अमिता कुशवाहा	143-148
23	Dietary Habits of Adolescent Girls Residing in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya of Chandauli District, Uttar Pradesh Nandita Bharti, Archana Chakravarty	149-155
24	**वैदिकवाङ्मये वायुतत्त्वविमर्शः** आचार्य (डॉ.) बृहस्पतिमिश्रः	156-161
25	Historical, Cultural and Socio - Legal Analysis of LGBTs in India Sonam Narayan	162-185
26	**शिक्षा के अधिकारः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन** सुषमा रानी, धर्म वीर सिंह	186-200

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

नारी उत्पीड़न और समाज़

डॉ प्रीतम कुमारी
विभागाध्यक्ष, गहविज्ञान विभागए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋविकेश, उत्तराखण्ड, भारत

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number: 01-04

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Jan 2022
Published : 10 Jan 2022

परिचय :–
धन्य है आज का भारत जहॉ नारी, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती , मॉ, पत्नी, पुत्री, बहन ही नहीं नानी, दादी, मौसी, चाची, अनेक विशेषणों से वही पुरूष वर्ग संबोधित ही नहीं करते वरन् पूजा भी करते हैं ।

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता''

पूरा भारत दीप जला कर देवी के रूप, साज – सज्जा से सुशोभित करता है ।बेटा जब बुलाए मॉ को आना चाहिए, तब आज का भारत पाश्चात्य परिदृश्य में निमग्न है और मातृत्व, भ्रातृत्व की गरिमा को गरक कर रहा है। वर्तमान परिवेश में होने वाली नारी उत्पीड़न घटनाएँ होने पर हमारे शासनकर्ता कहते हैं :–

– कभी उम्र बढा दो ।
– कभी उम्र घटा दो ।
–कभी महिलाओं के पोशक भाड़काऊ होने पर प्रतिबंध लगा दो।
–सजा करवा दो ।
–उसकी पढाई रोक देना चाहिए ।
–परदा में रहने दो ।
– सुरक्षा का प्रबन्ध करें ।
पुत्री को पिता, पत्नी को पति, बहन को भाई
अब बताएँ भाई कौन पति कौन, पुत्र कौन ।

नारी उत्पीड़न का मूल कारण

पुरूषत्व का अहंकार :– आज का भारत अपना पुरूषत्व का विकृत कर रहा है । अन्तर में दुरात्मा प्रवेश कर रहा है, जो उस दुराचारी बना डाला और उनके अन्तर का परमात्मा विक्षुब्ध है ।

देश की शासन सत्ता, प्रशासन वर्ग निर्बलता का भी मापदण्ड खो चुका है। तब मौन दर्शक भी नहीं बन रहा है, केवल घडियाल ऑसू बहा रहा है ।

ऐसी घटनाएँ पहले भी हुआ करती थी जैसे

- सतयुग में नारी देवी थी– ''यत्र पूज्यते नारी ,तत्र रमन्ते देवता''
- त्रेता में नारी भगिनी, भार्या,माता, जहॉ नारी उत्पीड़न की प्रकिया , तभी तो रावण सीता को हठात उठकर पंचवटी से लंका ले गया। अबला बिलाप करती परूष को सहायता हेतु एक पक्षी आया था ।
- द्वापर में रूक्मिणी हरण – महाभारत के पात्र सबल प्रमुख भीष्म पितामह जैसे योद्वा, धर्मनिष्ठा, ज्ञाता नारी हरण किया । नारी विलाप करती रही पर उनका प्रतिकार कर सकने में समर्थ पुरूष भी प्रतिवाद न कर सकी और उन्हीं के समक्ष दौपदी का चिर हरण हो गया ।
- मध्यकाल में महाराजाओं का भोग्य बनी , मनोरंजन का माध्यम बनी ।
- मुगलकाल से नारी का शोषण, हठात होना प्रारम्भ हो गया। राजा महाराजाओं के लिए शोभा, मनोरंजन के रूप में, कुछ हठात ,कुछ प्रलोभन और कुछ मनः स्थिति का विकार वश वेश्या बनी ।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

- बौद्व, जैन काल में नारी , भिक्षुण, सन्यासी, स्वेच्छा से या परूष के अत्याचारवश,मंदिरों का परिचारिका बन गयी । शनैः– शनैः गलत किया भी प्रक्रिया में तब्दील होता गया, धीरे –धीरे समाज का रूप बदलता गया और विचारधारा में पशुता आग की लै की तरह धीरे– धीरे सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाया और '' नारी तुम केवल यश हो, विशवास रजत –पट पर'' । उसके सम्बंध में महाकवि जायसी ने पद्मावती को चित्रण किया। कालीदास का मेघदूत,अभिज्ञान शकुन्तलम जैसे ग्रन्थों में नारी की अवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है ।

इन सब उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि नारी उत्पीड़न में पुरूषत्व का अहंकार बहुत बड़ी समस्या है। अन्तर यही है कि प्राचीन में एक द्रौपदि का चिरहरण से महाभारत में कौरव नाश हुए,एक सीता हरण से राक्षस कुल नाश हुआ था परन्तु आज प्रतिदिन चिरहरण हो रहा है, अनेक रावण है परन्तु एक राम, कृषण पैदा होता नहीं नजर आ रहा है। इसलिए इन मुदों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

नारियों का योगदान –व्यक्ति निमार्ण से लेकर विश्व निर्माण तक महिलाओं के महत्व और भूमिकाओं को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं । परिवार जो समाज की सबसे बड़ी इकाई है ।चाहे संयुक्त हो या एकाकी उसकी जीवन पद्वति तथा सामाजिक व्सवहार उस परिवार की प्रमुख महिला के संस्कारों से प्रतिबिम्बित होते है । परिवार के हर सदस्य के संस्कारों को परिस्कृत करने की प्रत्सक्ष या परोक्ष जिम्मेवारी उसी पर होती हैं। इतिहास साक्षी है कि विश्व के महान से महान चरित्रों चाहे महाराजा शिवाजी हो या लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गॉधी हो या लाला लजपतराय, इन सभी को गढ़ने में माताओं (महिलाओं) का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। नारी, सेवा ,ममता ,कल्याण, त्याग और उच्च मूल्यों की सजीव प्रतिमा हैं। वर्तमान दौर में उसके जीवन को यदि ध्यान साधना और अभ्यास का सम्बल देकर विकसित और परिष्कृत कर दिया जाय तो उसके स्नेह , संग में विनयशील, निस्वार्थी कर्तव्यनिष्ठा और विशाल दृष्टिकोण वाले उदारमना व्सक्ति निर्मित हो सकता है । आज इसकी आवश्यकता हैं। इसके लिए नारी का आध्यात्मिक और नैतिक सशक्तिकरण चाहिए । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सशक्तिकरण तो नैतिक सशक्तिकरण की परछाई मात्र है।

नारीशक्ति के वजाय – उसे विज्ञापन का साधन तथा उसकी शारीरिक सुन्दरता को निम्न स्तर की कमाई का साधन बना दिया हैं। उसका स्थान–स्थान पर शारीरिक शोषण होता है और वह स्वयं भी अपनी अस्मिता को भूल परूष के कामी हथकण्ड़ों का श्किार होकर वासना की गुडिया बन गई है । जब तक हमारी मान्यताएँ नहीं बदल सकती और जब तक मान्यताएँ नहीं बदलती तब तक दृष्टिकोण नहीं बदलता और जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलता तब तक सश्क्तिकरण हो नहीं सकता।

सदियों से शोषित नारी – नारी के लिए सशक्तिकरण एक प्रकार से घाव पर लगाई जाने वाली मलहम है परन्तु मलहम तभी काम करती है जब पहले घाव को पोछ दिया जाए मवाद से ढके घाव पर मलहम कोई असर नहीं करती । नारी के प्रति

अबला , भोग्य और दूसरे दर्जे की इसप्रकार का दृष्टिकोण और धर्मशास्त्रों में उसको अपमानित करने वाले निन्दा सूचक तथा अन्याकारी शब्द और वाक्य ही वह मवाद है जिसको पोछा जाना आवश्यक है । उदाहरण के लिए उसे नरक का द्वार कहना उसके साथ घोर अन्याय ही तो है जबकि नर –नारी दोनों मिलकर ही नरक का द्वार बनते है ।

पुराने मान्यताओं के साथ–साथ वर्तमान काल की भौतिकवादी ऑख ने भी नारी के ईश्वरीय गुणो को पहचानने की ज्ञान दी हैं।

नशा में शराब का सेवन कललुग में मनुष्य के प्रकृति में बदलाव हुआ ,उनकी खान–पान में भी शराब का सेवन किया जाने लगा जिससे परूषो की पुण्य आत्मा मर्ज हो गया है सभी मनुष्यों में प्रेम, आनन्द,सुख, शांति ज्ञान, पवित्रता का गुण पाया जाता हैं मनुष्य देवत्व गुणों को भूलकर आसुरी अवगुणों का धारण कर लिया हैं। जिससे पुरूषों में पुण्य आत्मा विलुप्त हो गया और पापात्मा जागृत होने में आसानी हुई और नशे के कारण पुरूष अपने पुण्यात्मा का बलिदान कर रहे हैं।

आज जितने भी नारी –उत्पीड़न संम्बंधी घटनाएँ हो रही है उसमें दोषी वयक्ति शराब के नशे में ही पाए गए है । अतः हम कह सकते है कि शराब के नशे मे वो अपना विवेक खो देते हैं और वही पूजी जाने वाली नारी को वो हवस के शिकार की दृष्टि से ही देखते हैं।जब घटनाएँ घट जाती है तब उनका नशा

टूटता है और वही इंसान न्याय दिलाने के लिए हंगमा करना चाहते है कानून बनबाना चाहते है । पहले की अपेक्षा आज जो संस्कृति भंग होती जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है ''शराब का सेवन''

पहनाबा– लड़कियों की पश्चिम प्रेरित पोशाक पर आलोचना सही है। हम सब देखते है कि ऑफिस हो या पार्टी, शहरों में पुरूषों के सूट उनके शरीर को पुरी तरह ढकते है जबकि स्त्रियों का योरोपियन सूट ठीक उल्टा होता है।मानो पोशकउनके शरीर को अधिक से अधिक खुला छोड़ने के लिए बनी है । अतः पश्चिम प्रेरित फैशन ने स्त्रियों को कम से कम कपड़े पहनाना सिखाया है यह सत्य है । इसमें अवांछित पृवृतियॉ बढती है । स्त्रियों के शरीर पर कम कपड़े उत्तेजना पैदा करता है जिसके कारण अविवेकी अपनी मर्यादा का भंग कर नारी उत्पीड़न में सहायक हो जाते हैं

अशिक्षा– आजकल शिक्षा का स्तर तो बढा हैं परन्तु यौन शिक्षा की अभी भी सही जानकारी नहीं है। विशेषकर युवा वर्ग के लोग किशोरावस्था में होनेवाले बदलाव की सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस अवस्था में होने वाले हारमोन के कारण विपरीत लिंग के प्रति होनेवाले आकर्षण के कारण उनकी जिज्ञासा यौन के प्रति बढ़ जाती है जिससे जाने – अनजाने यौन उत्पीड़न कर बैठते हैं। जिसका शिकार निर्दोष नारी हो जाती है और सजा के रूप में दर्द उम्रभर सहना पड़ता है ।

विशेषकर अशिक्षित लडकियों –महिलाओं को छल द्वारा पुरूष अपने शिकंजे में आसानी से कर लेते है।

गरीबी– गरीबी भी नारी उत्पीड़न का एक अहम कारण है। गरीबी के कारण पुरूष, महिलाओं को प्रलोभित कर दिग्भ्रमित कर देते है जैसे– नौकरी का प्रलोभन, आधुनिक रहन सहन के कारण पैसे का प्रलोभन।

आजकल की तिथि में लोगों का रहन–सहन ,दैनिक उपभोग की आधुनिक वस्तुओं की मॉग बढती जा रही है जिसकी पूर्ति के लिए पैसे की ललक में भी वो विवश होकर अपना आप खो बैठते है और नारी को उपभोग की वस्तु बना बैठते है।

मॉडलिंग– आजकल अधिकांश मॉडलिंग में स्त्रियों को ही रखा जा रहा है जिससे पुरूषों का घ्यान अकार्षित होना स्वाभाविक हो गया है, मॉडलिंग में अर्धनग्न अंगों को देखाकर वो अपना पुण्यात्मा को भूल जाते है,उन्हें नारी केवल उपभोग की वस्तु ही नजर आती है।

टेलीविजन एवम इंटरनेट का उपयोग– आजकल युवा वर्ग टेलीविजन एवम इंटरनेट का अघिक उपयोग ब्लू फिल्म देखने,अश्लील विड़ियों एवं यौन संबंधी जानकारी के लिए करने से उनकी मानसिकता विकृत हो जाती है और इन्हीं जानकारी को व्यवहार में लाने के लिए विशेष कर युवा वर्ग नारी उत्पीड़न हेतु उत्सुक हो जातं है ।

नरी उत्पीड़न के समस्यओं का समाधान

1 परूषत्व के अहंकार को दूर करने के लिए हर पुरूष को अपने पुण्यात्मा को जागृत करने की आवश्यकता है।देश की महासभा का अध्यक्ष भी नारी रही है और प्रमुख बिरोधी दल का नेता भी नारी रही है । फिर भी नारी के साथ दूराचार की घटनाएँ बंद नहीं होते दिखाई पड़ रहा हैं।गत 2012 में देश की राजधानी में घिनौना नारीत्व की घटना हुई । सारा देश उबल पड़ा ,पर शासक वर्ग मौन साधे रहा । जब स्थिति भयानक हुई तब भारत सरकार के कान पर जूॅ रेंगा ।

पश्चिमी विचारों ,संस्थाओं नारी का अंध नकल करते है, उस हद तक वे उन्ही परिणामों को लाने में सहयोग होते हैं। स्त्रियों के प्रति भोगवादी दृष्टि को समझना चाहिए और पुरूषों को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए ।

2 शराब, का सेवन बंद :– आज की जो स्थिति है लोग थकावट, गम मिटाने एवं खुशी का इजहार करने के लिए शराब को ही प्राथमिकता देते है,वो उनकी मर्यादा समझते है। उनका कहना है कि पार्टी, शादी ,पिकनिक में शराब रहना आवश्यक समझते है । अतः हमलोग की इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है।

इतना ही नहीं जो हमारे रक्षक हैं– पुलिस, नेता ,पदाधिकारी, इनलोगों को निर्णय लेना होगा कि शराब दुकान की लाइसेंस ही नं बने , साथ ही साथ हम सबों को समझने की जरूरत है कि हम सब शराब का सेवन ही न करे , क्योंकि दुकान बन्द करते –करते समय लग जाता है और तब तक घटनाऍ घट जाती है ।

3. मर्यादित पोशाक का सेवन –महिलाओं को अपने इच्छा की पूर्ति करने का अधिकार है। वो अपने मन के अनुसार पोशाक का भी उपयोग कर सकती है परन्तु उसको भी उत्पीडन से बचने के लिए वैसे पोशाकों का उपयोग करना चाहिये जो उनके अस्मत को बचा सके ।

हलांकि वैसी घटनाऍ भी देखी गई है जिसमे भारतीय पोशाक का उपयोग किया गया था,परन्तु फिर भी अपनी सावधानी स्वयं करने की जरूरत है । लड़कियॉ जिन पोशाक के द्वारा अपनी सुन्दरता बढ़ाना चाहती है, वो है उनकी शालीनता एवं भारतीय परिधानों का उपयोग ।

4 शिक्षाः– नारी उत्पीड़न की घटनाऍ केवल अशिक्षित नारी के साथ ही नही हो रही है, शिक्षित के साथ भी हो रही है परन्मु अशिक्षित नारी को प्रलोभन में लाने में आसानी होती है । जैसे – नौकरी ,पैसा , आधुनिक संसाधन हेतु आसानी से बहलाकर नारी उत्पीड़न कर बैठते है ।

अतः नारी को शिक्षित हाने की आवश्यकता है तथा अपना भला समझने की आवश्यकता है। विशेष कर यौन शिक्षा की जानकारी सबो को देना अति आवश्यक है।

5 मॉडलिग– मॉडलिग में नारी अश्लीलता को नहीं रखा जाए ।

6 टेलीविजन एवं इंटरनेट –टेलीविजन एवं इंटरनेट द्वारा ब्लू फिल्म, अश्लील विडियो को नहीं रखा जाय ।

7 सजगता :– वैसे तो उपयुक्त बातों को घ्यान देने की आवश्यकता है परन्तु फिर भी यह देखा गया है कि हर मर्ज का एक दवा है, सजगता । पुरूष या नारी अपने मन पर काबू पा ले ,अपने को सजग कर ले तो काफी हद तक नारी उत्पीड़न में कम करने में मदद मिल सकती है।

मूल्यांकन – पश्चिमी विचारों ,सस्थाओं नारी की अंध नकल करते हैं, उस हद तक वे उन्हीं परिणामों को लाने में सहयोगी होते हैं । स्त्रियों के प्रति भोगवादी दृष्टि भारत की अपनी बीमारी नहीं है, यह समझना चाहिए ।

वस्तुतः दुष्कर्म की बढती घटनाऍ किसी बड़ी गडबडी का लक्षण है ।ः दुष्कर्म हमारे जीवनमूल्यों में हो रहे क्षरण से जुड़ा हैं। आज जैसे भी हो पैसा बनाने , अधिकाधिक कमाने और फिर हर तरह से भोग विलास में लिप्त होना ही जीवन का मुख्य उदेश्य बनता जा रहा है । ऐसी स्थिति में अनाचार की घटनाओं पर अलग से चिंता करके हम कहीं नहीं पहुॅचेगे । स्त्रियों के प्रति वस्तुवादी , भोगवादी दृष्टि और नीति – अनीति के प्रति बेपरवाही मूल चिंता हानी चाहिए । शहरों में हर तरह के विज्ञापन लड़कियों का शरीर बेचते हैं। सिनेमा और टेलीविजन ने उन्हें कोने– कोने तक पहुॅचा दिया है। शहरो में शराब की दुकानें अंधाधुंध खोली गई हैं। दुष्कर्म की आधी से अधिक घटनाओं में उत्पीडन का शराब पीना हुआ पाया गया है। अतः शराबखोरी में वृद्वि का कई तरह के दुराचार से सीध संबंध हैं । यह जानते हुए भी उसे बढावा दिया जा रहा हैं।

शिक्षा को चरित्र निर्माण केन्द्रित करना अनिवार्य है । यदि धर्मचेतन जैसे उचित – अनुचित सदाचार –दुराचार,सुकर्म– कुकर्म के बोध का संचार नहीं होगा , तो किसी बहकते पुरूष को स्वतः रोकनेवाली कौन सी चीज होगी जो किसी स्त्री के साथ बलात की ओर बढ़ता है ।अपराधी को दण्ड देना एक चीज है ,किन्तु लोगो का विवेकहीन होते जाना बिल्कुल दूसरी चीज है।क्या हमारा समाज अपने प्रत्येक सदस्यको यह विवेक देने के प्रति सचेत है । हमारी वर्तमान शिक्षा की सम्पूर्ण सामग्री इसका प्रमाण है कि – उसे इस बिन्दु की समझ ही नहीं रह गई हैं।

स्रोता – टेलीविजन

समाचार पत्र

ऑखो देखी हांल

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

वर्तमान भारतीय शिक्षा में नई शिक्षा नीति- 2020 की भूमिका

डॉ रमाशंकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग,

भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 05-09

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Jan 2022
Published : 13 Jan 2022

सारांश- किसी भी राष्ट्र के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था में समय सापेक्ष परिवर्तन आवश्यक होते हैं, इसे ध्यान में रखकर 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार नवीन शिक्षा नीति के प्रारूप को श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पारित कर दिया है। जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सर्वत्र आमूलचूल परिवर्तन को स्वीकार किया गया है। बेसिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक संसाधनों के अभाव का सामना करती शिक्षा व्यवस्था में पहली बार संपूर्ण जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है कोई भी नीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वह तभी सफल हो सकती है। जब क्रियान्वयन सही से हो तदनुसार इसके लिए पठन-पाठन का उचित वातावरण बनाने को प्रथम वरीयता देने की विशेष आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बदलाव के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होना चाहिए, शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुन: स्थान देने में सहायता करनी होगी क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी। जिसके लिए उनकी आजीविका सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रिया भी स्थापित करनी होगी।

मुख्य शब्द- परिवर्तन, व्यवसायीकरण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, क्रियान्वयन, जीडीपी, पठन-पाठन, उचित वातावरण आदि।

प्रस्तावना- यद्यपि सदियों से भारत अपने ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश विश्व में चारों तरफ फैला रहा है तथा आदिकाल से ही दुनिया हमें विश्व गुरु की संज्ञा से संज्ञायित करती रही है। हमारे नालंदा तथा तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थानों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। हमारी प्राचीनतम गुरूकुल शिक्षा प्रणाली दुनिया में कौतूहल का विषय बनी रही। तमाम

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सभ्यताएं पठन–पाठन के हमारे ही बताए रास्ते पर चलती दिखीं। सदियों तक हम अपने विश्व गुरु के रुतबे पर न केवल इतराते रहे बल्कि उसे बरकरार रखने की हर संभव कोशिश भी करते रहे। धीरे–धीरे हमारी यह कोशिश क्षीण होती गई हम ज्ञानार्जन की जगह बाजारोन्मुखी एवं व्यावसायिक शिक्षा दिलाने वाले मकड़जाल में गिरकर उबर नहीं सके।धीरे–धीरे हम पर थोपी गई यह व्यवस्था हमारी शिक्षा प्रणाली को दीमक की तरह चाट दी गई। तथापि भारत की स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में कच्छप गति से सुधार किया जाता रहा, किसी भी देश को विश्व की ताकत बनाने वाला यह क्षेत्र कभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं रहा, अतः सहज अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में 34 वर्षों के पश्चात नई शिक्षा नीति लाई जा रही है।

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है। जिसे सन 1835 ईस्वी में लागू किया गया जिससे तीव्र गति से भारत के सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में आपेक्षित बदलाव आ रहा है। अतः उसे देखते हुए यह आवश्यक और महत्वपूर्ण है, कि इस देश की नई शिक्षा नीति में उसकी स्वयं की क्या भूमिका है। उक्त के परिदृश्य में पिछले तीन दशकों में देश और दुनिया में अनेकों परिवर्तन हुए हैं और फलतः देश व्यवसायीकरण, उदारीकरण और आर्थिक विस्तार के दौर से गुजर रहा, परंतु नई शिक्षा नीति का आगाज नहीं हुआ था। देश बदला दुनिया बदली किंतु शिक्षा जगत में कोई क्रांतिकारी मोड नहीं आया, और 1986 कि नई शिक्षा नीति अप्रासंगिक नजर आने लगी।

भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों की अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वर्ष 1948 में डॉ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, इसे भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया।सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षामेंयह नया परिवर्तन है अतः यह नीतिअंतरिक्ष वैज्ञानिक के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एकमात्र ऐसी नीति है जिसमें पंचायत से लेकर संसद तक, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, छात्र से लेकर अभिभावक तक, शिक्षक से लेकर शिक्षाविद् तक और गरीब से लेकर उद्योगपति तक सभी का विमर्श, सहयोग और योगदान है।यह पूर्ण रूप से एक ऐसी समावेशी शिक्षा नीति है जिसनेदुनिया के विशालतम विचार विमर्श, मंथन और चिंतन के उपरांत अपना स्वरूप प्राप्त कियाहै। यह शिक्षा नीति 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और भावनाओं को अपने अंदर समेटे स्वर्णिम भारत का स्वप्न लिए एक विजन–डॉक्यूमेंट है। नई शिक्षा नीति आने वाले समय में एक ऐसा मानव संसाधन तैयार करेगी, जो राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। जब प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, और वे सिकुड़ते भी नजर आए, तो मानव संसाधन में निवेश करना चाहिए। वस्तुतः शिक्षा में निवेश एक ऐसा प्रयोग है, जिसका लाभ हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। इस सोच को सामने रखकर भारत सरकार ने 6% जीडीपी का प्रावधान रखा है। जिससे उत्तम और गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो सके।

21वीं सदी ज्ञान की सदी है, नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हमारा राष्ट्र पुनः एक ज्ञान शक्ति का उत्कृष्ट केंद्र बने इसके लिए शिक्षा नीति के स्वरूप को समकालीन बनाने का विनम्र प्रयास किया गया है। साक्षरता के साथ कौशल का समावेश करने का प्रावधान कक्षा 6 से किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्पष्ट मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए।अतः इसी विचार को समाहित करते हुए त्रिभाषा का फार्मूला दिया गया। छात्र कोई भी भाषा चुन सके इसके लिए विकल्प खुलरहे हैं, कोई भाषा न थोपी जाए, इसे भी सुनिश्चित किया गया है।

शिक्षा केवल शिक्षित ही नहीं करती, अपितु राष्ट्र का निर्माण भी करती है। वह ऐसे चरित्र का निर्माण करती है जो जीवन मूल्यों पर टिका हो। देश को समर्पित हो, और मानवता एवं वैश्विक सोच से परिपूर्ण हो, राष्ट्रभक्त ही नहीं वैश्विक नागरिक बनाने की परिभाषा को सामने रखकर भारत सरकार ने शिक्षा नीति का स्वरूप तैयार किया है। स्टडी इन इंडिया एक ब्रांड के

रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया के 100 शीर्ष संस्थानों के लिए रास्ते खोले गए हैं। जिन्हें क्रमबद्ध और नियंत्रित तरीके से अमल में लाया जाएगा।

मैकाले ने हमें हीन भावना से ग्रसित कर पश्चिमी सभ्यता को उच्चतर बनाने का काम किया, देश की शिक्षा एवं संस्कृति का मूल ढांचा जिससे बदल गया, और ऐसे भारतीयों को तैयार किया जाने लगा जो सोच, समझ, मूल्य एवं विचारों में विदेशी परंतु रंग, रूप में स्थानीयहों। अतः इस ऐतिहासिक भूल को नई शिक्षा नीति लाकर सुधारागया है। अब हमारे युवाओं की सोच भी भारतीयहोगी और रंग भी।वस्तुत:यह शिक्षा नीति एक मील का पत्थर साबित होगी। तकनीकी के दौर में यह ऐसे योग्यनागरिकों का विकास करेगी, जो देश की चुनौतियों के मध्य समस्याओं का समाधान खोजने में अहम भूमिका निभाएंगे।

नई शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना- नियंत्रण एवं संतुलन से युक्त विविध तंत्र उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोक पाएंगे, यह नियामक अभिकरण की प्रमुख प्राथमिकता होगी, सभी शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं, संस्था पर लागू लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के मानक व्यवस्था का पालन करेंगे, यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे शिक्षा क्षेत्र में पुनर्निवेश किया जाएगा। इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा जिसमें आम जनता के लिए शिकायत निवारण तंत्र की सहायता ली जाएगी। इनके द्वारा विकसित प्रत्यायन प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जांच प्रदान करती है। और इसे अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयाम के रूप में देखेगा। सार्वजनिक और निजी सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जाएगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा सभी विधायी अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशा निर्देश होंगे, जिनसे निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी, यह सामान्य न्यूनतम दिशानिर्देश ऐसे सभी अधिनियमों को निजी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने में समर्थ बनाएंगे, और इस प्रकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं के लिए सामान्य मानकों को नियत करेंगे इन सामान्य दिशानिर्देशों में सुशासन वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा तथा शैक्षिक परिणाम एवं प्रकटीकरण की पारदर्शिता शामिल होगी। परोपकार और जनहित ऐसी मंशा रखने वाले निजी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को फीस निर्धारण के प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए उनके प्रत्यायन के आधार पर फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यद्यपि तय नियमों और वृहद नियामक व्यवस्थाओं के प्रकाश में अधिकाधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे, और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान इस शुल्क में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी, शुल्क निर्धारण की यह व्यवस्था उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ कुछ हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी।

अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना- शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तीव्रता से परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए विभिन्न स्रोतों से जिनमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अविष्कार को और उस प्रौद्योगिकी को प्रयोग करने वाले लोग सम्मिलित हैं, से प्राप्त प्रमाणिक डांटा से नियमित प्रवाह को बनाए रखेंगे और शोधकर्ताओं के विभिन्न वर्ग के साथ मिलकर इस डेटा का विश्लेषण करेंगे ज्ञान एवं उसके प्रयोग तथा इस दिशा में सतत नए सृजन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं उद्यमियों और प्रौद्योगिकी को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाएगा। प्रौद्योगिकी हस्ताक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुंच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंध एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएं आदि सम्मिलित हैं, उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर शिक्षकों

और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे। और उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे ऐसे सभी सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे, और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों तथा दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे सभी राज्यों एवं एनसीईआरटी,सीआईटी, सीबीएसइ, एनआईओएस, एवं अन्य निकायों संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित शिक्षण एवं अधिगम संबंधी e-content, दीक्षा प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाएगा। इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध ई कंटेंट का उपयोग शिक्षकों के व्यवसाय संबंधी विकास के लिए किया जा सकता है। दीक्षा के साथ-साथ अन्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों के संवर्धन एवं प्रसार हेतु सीआईटी को मजबूत बनाया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि शिक्षण अधिगम अभ्यासों में शिक्षक की सामग्री को उपयुक्त रूप से शामिल कर सकें। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्लेटफार्म जैसे दीक्षा स्वयं संपूर्ण स्कूली और उच्चतर शिक्षा में समन्वित किए जाएंगे। और इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग समीक्षाएं शामिल होंगी, ताकि कंटेंट विकासकर्ता, प्रयोक्ता अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बना सकें।

शिक्षा के क्षेत्र के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध जिला संस्थान के स्तर पर समय पर वह नहीं किया जाता जिससे उस राशि के लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है अत: आवश्यकता उपयुक्त नीतिगत परिवर्तनों द्वारा उपलब्ध बजट के उपयोग में दक्षता बढ़ाने की है वित्तीय प्रशासन एवं प्रबंधन इस बात पर ध्यान देंगे कि निधियां आसानी से समय पर एवं उचित मात्रा में उपलब्ध हों और उनका ईमानदारी से क्रियानवयन किया जाए। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संशोधित एवं सुव्यवस्थित किया जाए ताकि संवितरण तंत्र के कारण अधिक मात्रा में अपव्यय शेष न रह सके सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग और धन की पार्किंग से बचने के लिए जीएफआरपीएफएमएस एवं सही समय पर आवंटन से संबंधित प्रावधान को लागू करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए जारी किया जाएगा राज्य एवं उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण का तंत्र तैयार किया जा सकता है इसी प्रकार एसडीएसीडीसी के लिए निर्धारित धन में इष्टतम आवंटन और उपयोग के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा प्रस्तावित नवीन नियामक व्यवस्था जिसमें भूमिकाओं का विभाजन एवं पारदर्शी व प्रकटीकरण संस्थानों का सशक्तीकरण एवं स्वायत्तता उत्कृष्ट एवं योग्य विशेषज्ञों की प्रमुख पदों पर नियुक्त आदि शामिल हैं समिति के आसान तरीके पारदर्शी प्रवाह में मदद मिलेगी नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में निजी परोपकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने और समर्थन करने की अनुशंसा करती है विशेष रूप से बजटीय समर्थन के अतिरिक्त जो अन्यथा उन्हें प्रदान किया गया होता है कोई भी सार्वजनिक संस्थान शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने के लिए निजी परोपकारी धन जुटाने की दिशा में पहल कर सकता है।

जय जवान, जय किसान,जय विज्ञान, जय अनुसंधान की संस्कृति को एक नया स्वरूप देने के लिए (एन.आर.एफ) की आधारशिला रखी जाएगी।शिक्षा का आधार भारतीयता पर टिका हो।और उसका स्तर अंतरराष्ट्रीय हो।इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मजबूत कदम उठाए गए हैं। स्वायत्तता और नियमन के बीच का मार्ग चुनते हुए संस्थाओं को आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए हैं। 21 वी शताब्दी में नई शिक्षा नीति द्वाराशिक्षामें उभरती हुई प्रवृत्तियों से इन समस्त चुनौतियों को समझा और उनका समाधान किया जा सकता है।

निष्कर्ष- उक्त अध्ययन के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है।कि कोविड काल की समस्याओं और नए दौर में तकनीकी के बढ़ते उपयोग को व्यवस्थित बनाने की दिशा में भी नई शिक्षा नीति नए युग का सूत्रपात करेगी। मल्टी एंट्री एंट्री एग्जिट मॉडल शिक्षा को रोचक और लचीला बनाएगा। एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट शिक्षा में व्यापक विस्तार देगा। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ निशंक जी का कथन समीचीन एवं प्रासंगिक है-"मुझे विश्वास है कि नई शिक्षा नीति द्वारा लेह से लेकर कन्याकुमारी और कक्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और देश का हर छात्र शिक्षित मानव संसाधन के रूप में एक ताकत बनकर आत्मनिर्भर और सशक्त तथा शिक्षित भारत के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा"

संदर्भ ग्रंथ सूची

- गुप्ता,एस.पी." शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं।
- सोनी, रामगोपाल, "उदयोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक, एच.पी भार्गव बुक हाउस, आगरा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- दैनिक हिंदी समाचार पत्र अमर उजाला।
- दैनिक हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

माहेश्वरसूत्राणां ब्रह्मवाचकत्वम्

डॉ0 सन्तोष माझी
सहाध्यापक:, व्याकरणविभाग:
राष्ट्रियसंस्कृतविद्यालय:, तिरुपति: (आ. प्र.)

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 10-15

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Jan 2022
Published : 13 Jan 2022

सारांश: – नमोऽस्तु व्याकरणाचार्येभ्य:।। “अस्य महती भूतस्य निश्वसितमेतद्” इत्याम्नायवचनेन ओपौरुषेयाणां वेदवाक्यानां यथावदर्थावगमाय ऋषयो मन्त्रद्रष्टारो लोकानुग्रहपरिपूर्णान्तरङ्गा: शास्त्राणि निर्ममिरे। तेषु वेदपुरुषस्य मुखामिति जेगीयमानं व्याकरणं भुवनतले प्रथते, यच्च भगवता पाणिनिना महता तपसा शशिशेखरं भगवन्तं समाराध्य लब्ध्वा च शिवसूत्राणि निरमायि। “सर्ववेदपारिषद हीदं शास्त्रम्” इति भगवान् भाष्यकार:। आम्नायगानां निखिलानां पदनिकुरम्बाणां व्याक्रियाविषयोऽत्र। सागरोपमस्य शब्दराशे: अष्टभिरध्यायैर्लघुतमै: सूत्रै: ऋषिव्याकार्षीदिति कस्य वा चेत: तेन कर्मणा न चमत्क्रियते।

मुख्यशब्द:- माहेश्वरसूत्राणाम्, ब्रह्मवाचकत्वम्, भाष्यकार:, परमेश्वर:, निर्गुण:।

“सोऽयमक्षर समाम्नायो वाक्यसमाम्नाय: पुष्पित: फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशि:। सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति, मातापितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते” इति अक्षरसमाम्नायाधिकरणे भाष्यकार: तथा च 'वृद्धिरादैच्' सूत्रे भाष्ये भगवता भाष्यकारेणोक्तम् – "इह शास्त्रे प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणि: शुचाववकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम्, किं पुनरियता सूत्रेण” इति। तानि ऋक्तन्त्रव्याकरणे चोक्तं शाकटायनेन – “इदमक्षरच्छन्दो वर्णश: समनक्रान्तं यथाऽऽचार्या ऊचुर्ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिन्द्रायेन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्य:, ऋषयो ब्राह्मणेभ्य: तं खल्विममक्षरसमाम्नायम् इत्याचक्षते, न भुक्त्वा न नक्तं प्रब्रूयाद ब्रह्मराशि:” इति । अत्र ‘ब्रह्मराशि’रित्यस्य ब्रह्मप्रतिपादको वर्णराशिरर्थ:। तस्मान्नानर्थक्यं माहेश्वरसूत्राणाम्। नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायां ब्रह्मवाचकत्वं प्रत्यपादि शिवसूत्राणाम्। तथा हि ढक्कानिनादव्याजेन उपदिष्टानां चतुर्दशसूत्राणां अर्थविशेषमजानन्तो मुनीन्द्रवर्या:, अस्य सूत्रजालस्यार्थं नन्दिकेश्वर एव जानातीति, तं नन्दिकेश्वरं प्रणिपत्य पप्रच्छु:। तेषु पृष्टवत्सु स: कारिकारूपेण सूत्राणां तत्त्वमुपादेष्टुमैच्छत्। ततश्च मङ्गलरूपेण “नृत्तावसाने” इति प्रथमकारिकां वदति। सा च कारिका पूर्वमेव निर्दिष्टास्ति।

अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशम्।
धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्ट सिद्धये ॥

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

एषु च चतुर्दशसूत्रेषु प्रत्येकस्य सूत्रस्य अन्तिमवर्णः धात्वर्थः। धातुमूलकशब्दशास्त्र-प्रवृत्त्यर्थमिति यावत्। तथा चोक्तमिन्द्रेण – "अन्त्यवर्णसमुद्भूता धातवः परिकीर्तिताः" इति ।

अ इ उ ण्[1]

अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निर्गुणः सर्ववस्तुषु।

चित्कलामि समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः॥[2]

आद्येन सूत्रेण सर्ववर्णानां समस्तभुवनानाञ्च समुद्भवरूपं स्वात्मतत्त्वमुपदिष्टमित्याह।

एवञ्च अः – परमेश्वरः निर्गुणः, इम् – मायामाश्रित्य, उः – व्यापकः सगुणः, ण् – ईश्वर आसीत्। इति सूत्रार्थः सूचितः। अत्र प्रामाण्यम् – "असद्वा इदमग्र आसीत्। ततो वै सदजायत" इति श्रुतिः। असद्ब्रह्म वै सृष्टेः पूर्वं इदमकाररूपाक्षरात्मकमासीत्। ततोऽक्षरादसतो वै सृष्टेः पूर्वम् इदमकाररूपाक्षरात्मकमासीत्। ततोऽक्षरादसतौ वै सगुणमजायत इत्यर्थः। तदुक्तं गीतायाम् – "अक्षराणामकारोऽस्मी"[3]ति।

अकारं सन्निधीकृत्य जगता कारणत्वतः।

इकारः सर्ववर्णानां शक्तित्वात्कारणं मतम् ॥

जगत्स्त्रष्टुमभूदिच्छा यदाह्यासीत्तदाभवत्।

कामबीजमिति प्राहुर्मुनयो वेदपारगा॥

अकारो ज्ञप्तिमात्रं स्यादिकारश्चित्कला मता।

उकारो विष्णुरित्याहुः व्यापकत्वान्महेश्वरः॥

एभिः श्लोकैः अकारस्थ सृष्टिक्रियाया स्वातन्त्र्यं प्रतिपादयति ।

तथा चोक्तम् –

स्वप्रकाशपरमात्मवस्तुनो दृश्यमानजगतः सिसृक्षया।

कामतः परशिवप्रवेशनं कामबीजमिदमेव निश्चितम्॥ इति ।

बीजं बिन्दुद्वयारूढं सार्धयोनिस्वरूपकम्।

महाकामकथारूपमात्मानं चिन्तयेत्प्रिये ॥ इति च ।

उणीश्वरः इत्यस्य उः = व्यापकः ण् ईश्वर आसीदित्यर्थः॥

ऋऌक्[4]

ऋऌक् सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयत्।

तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगद्रूपमजीजनत्॥[5]

---

[1] वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

[2] काशिका

[3] श्रीमद्भगवद्गीता– 10/33

[4] वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

[5] काशिका

ननु वेदान्ते परमेश्वर एक इति निश्चिततत्त्वात् मायां किंचित्कलां समाश्रित्य जगद्रूपोऽभूदित्युक्तेः अद्वैतहानिः स्यादित्याशङ्क्य कारिकेयमुक्ता। ऋ – परमेश्वरः, ऌ – मायाख्यां मनोवृत्तिं, क् – अदर्शयत् इत्यर्थः। तामेवाश्रित्य स्वेच्छया जगज्जनयामास इति च। 'ऋ – परमेश्वर' इत्यत्र "ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्" इति श्रुतिः प्रमाणम्। ऋतं तत्पदार्थं परं ब्रह्म सत्यमित्यर्थः। तथा च श्रुत्यन्तरमपि – "सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय" इति श्रीतन्त्रेऽपि – "मम वृत्तिर्मनोरूपं ऌकारः परमेश्वरि" इति। ऋऌवर्णौ यथा तादात्म्यमापन्नौ तथा इत्यर्थः।

एओङ्[6]

एओङ्मायेश्वरात्मैक्यविज्ञानं सर्ववस्तुषु।

साक्षित्वासर्वभूतानां स एक इति निश्चितम्।।[7]

ननु जनयामास इत्युक्ते जन्यजनकभावे अद्वैतहानिरित्याक्षिप्य समाधत्ते एओङ् इति। "तत्सृष्ट्वा, तदेवानुप्राविशत्, तदनुमविश्य" इत्यादि श्रुतिरत्र प्रमाणम्। जन्यजनकत्वञ्च स्वस्यैव तद्रूपेण वर्तमानत्वादिति नाद्वैतहानिः। अकारोकाराभ्यां निष्पन्नप्रणवरूपेण ओंकारण सगुणनिर्गुणयोः ऐक्यबोधितेनैव दृष्टान्तेन सर्वत्रैक्यबुद्धौ द्वैतनाशो ध्वनितः। समष्टिव्यष्टिभेदेन पूर्ववर्णयुतद्वितीयस्य तद्युक्ततृतीयस्य च समन्वयबोधकमिदं सूत्रम्। अ – अक्षरात्मकः, इ – मायायुक्तः सन् यः स उ – ज्ञानरूपः प्रज्ञानात्मा सर्ववस्तूनामेकत्वम् अद्वैतोपपत्तिः, न नानात्वं, जन्यजनकत्वं च। स्वयं प्रविश्य तद्रूपेण वर्तत इत्यर्थः। वटबीजन्यायेन च पूर्वं सूत्रद्वयजनितं वर्णपञ्चकमेव सकलजगत्कारणमिति प्रागुक्तम्। उत्तरसूत्रवर्णानामपि तस्मादेव सम्भवः। समष्टिव्यष्टिभेदेषु पूर्ववर्णयुतद्वितीयस्य, पूर्ववर्ण–तृतीयस्य च संयोगजनकमिदं सूत्रम्। समन्वयबोधनमप्येकत्वेनोक्तम्। अत्राप्यपरत्वे सर्ववेदसंमतञ्च।

ऐ औच[8]

ऐ औच ब्रह्मस्वरूपः सन् जगत्स्वान्तर्गतं ततः।

इच्छया विस्तरं कर्तुमाविरासीन्महामुनिः।।[9]

अत स्वात्मभूतस्य परमेश्वरस्य जगत्कारणत्वं कथमित्याशङ्कायां कारिकामिमां वक्ति। ततः स्वान्तर्गतं जगद्विस्तारयितुमिच्छुः ऐ – आदिशक्तियुक्तोऽक्षर इति। पूर्वसूत्रगताकारेकारदीर्घयोगस्यैव ऐकारत्वमेकत्वञ्च। सम्यग्ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरो यः स पूर्वसूत्रगत अकारदीर्घ उकारदीर्घस्यैव योगे औकारत्वम्। यः प्रज्ञानात्मा मायाशबलित स आकारो यः स आ उ इत्याविर्भवे। उक्तं च स्वरविमर्शिन्याम् "उकारज्ञानसंयोगात्सर्वसम्भूतिरिष्यते" इति। "प्रणवेन जगद्व्याप्तं मायायामवतिष्ठते" इति च।

हयवरट्[10]

भूतपञ्चकमेकस्माद्धयवरणमहेश्वरात्।

व्योमवाय्वम्बुबह्वयाख्यभूतान्यासीत् स एव हि।।[11]

---

[6] वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

[7] काशिका

[8] वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

[9] काशिका

[10] वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

[11] काशिका

ततः पञ्चभूतानि परब्रह्मणः सकाशादुत्पद्यन्ते इत्यर्थः।

हकाराद्व्योमसंज्ञश्च यकाराद्वायुरुच्यते।

रकाराबन्हिस्तोयंतु वकारादिति शैववाक्।।[12]

“तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत आकाशादायु वायोरग्नि अग्जेरापः, अद्भ्य पृथिवी” इति श्रुतेः, एतस्मात् परमेश्वरात् भूतपञ्चकमाकाशादिकं प्रपञ्चकारणमासीत्।।

अत्रास्मिन् सूत्रे भूतपञ्चकमासीदित्युक्तम्। तत्राकाशादिभूतचतुष्टयमेवोक्तं न पृथिवीत्याकांक्षायां यदाधारस्वरूपं समस्तकारणमिति सूत्रान्तरेणावोचत्।

लण्[13]

आधारभूतं भूतानामनादीनाञ्च कारणम्।

अन्नाद्रेतस्ततो जीवः कारणत्वाल्लणीरितम्।।[14]

भूतानां प्राणिजातानामुद्भिज्जस्वेदजजरायुजाण्डजादीनां प्रधानकारणत्वादाधारभूतं पृथिवी।

ञमङणनम्[15]

शब्दस्पर्शौ रूपरसगन्धाश्च ञमङणनम्।

व्योमादीनां गुणा ह्येते जानीयात्सर्ववस्तुषु।।[16]

अन्नपानयानादीनां कारणत्वेन स्थितानां तन्मात्राणामुत्पत्तिः अनेन सूत्रेण वर्ण्यते।

झभञ्[17]

वाक्पाणी च झभञासीत् विराड्रूपं चिदात्मनः।

सर्वजन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते।।[18]

वर्गाणां तुल्यवर्णा ये कर्मेन्द्रियपदा हि ते।

घढधष् सर्वभूतानां पादपायू उपस्थकः।।

कर्मेन्द्रियगणा ह्येते जाता हि परमार्थतः।।[19]

ततो द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कर्मेन्द्रियवर्गमुद्घाटयति। परमात्मनश्चिद्रूपस्य प्राणिजातस्य च झकारभकारौ विराड्रूपं विज्ञेयमित्यर्थः।

जबगडदश्[20]

---

12 काशिका

13 वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

14 काशिका

15 वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

16 काशिका

17 वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

18 काशिका

19 काशिका

20 वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

श्रोत्रत्वङ्नयनघ्राणजिह्वादीन्द्रियपञ्चकम्।

सर्वेषामपि जन्तूनामीरितं जबगडदश्॥[21]

"वर्गाणां मध्यवर्णोत्थो ज्ञानेन्द्रियगणः स्मृतः" इति वचनात् जबगडदवर्णसम्भवः ज्ञानेन्द्रियगण इति सर्वत्र सर्वेषां प्राणिजातानामेते वर्णाः ज्ञानेन्द्रियाणां जनका इति ज्ञातव्यमित्यर्थः।

खफछठथचटतव्[22]

प्राणादिपञ्चकञ्चैव मनोबुद्धिरहंकृतिः।

बभूव कारणत्वेन खफछठथचटतव्।[23]

वर्गद्वितीयवर्णोत्थाः प्राणाद्याः पञ्चवायवः।

मध्यवर्गत्रयाज्जाता अन्तःकरणवृत्तयः॥[24]

प्रथमकारिकायां प्राणादीति – प्राणादिपञ्चकमनोबुद्ध्यहंकाराः समुन्मील्यन्ते इत्यर्थः। द्वितीयकारिकायाम् – वर्गद्वितीयेति – एतैरष्टवर्णैः प्राणादि पञ्च मनोबुद्ध्यहंकृतयश्च जगतां कारणत्वे सम्भूता इत्यर्थः।

कपय्[25]

प्रकृतिं पुरुषं चैव सर्वेषामेव निश्चितम्।

सम्भूतमिति विज्ञेयं कपाभ्यामिति निश्चितम्॥[26]

ततः सर्वप्राणिकारणत्वेनाद्यन्तवर्गदयाक्षरग्रहणेन सम्पुटीभावं प्रकृतिपुरुषाभ्यां प्रकाशयति प्रकृतिमिति। ककारपकारजातौ प्रकृतिपुरुषावित्यर्थः।

शषसर[27]

सत्वं रजस्तम इति गुणानां त्रितयं पुरा ।

समाश्रित्य महादेव शणसर् क्रीडति प्रभुः ॥[28]

शकाराद्राजसं रूपं षकारात्तामसोद्भवः।

सकारात्सत्वसम्भूतिरिति त्रिगुणसम्भवः॥[29]

आभ्यां श्लोकाभ्यां अवस्थात्रयं निरूपितम्। पुरा सृष्टेः प्राक् शषसवर्णसम्भूतान् सत्वरजस्तमोगुणानाश्रित्य परब्रह्म सर्वभूतेषु क्रीडति स्म इत्यर्थः। क्रमेण शषसवर्णैः राजसतामससात्विकगुणाः सम्भूताः॥

---

21 काशिका

22 वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

23 काशिका

24 काशिका

25 वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

26 काशिका

27 वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

28 काशिका

29 तत्रैव

हल्[30]

तत्त्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रहविग्रहः।

अहमात्मा परो हल् स्यादिति शम्भुस्तिरोदधे॥[31]

सर्वतत्त्वजनकः स्वयं तत्त्वातीत इति ज्ञापनार्थमिदं सूत्रम्॥ सर्वानुग्रहविग्रहः साक्षी तत्त्वातीतो हल् स्यादिति ढक्कानिनादव्याजेन सर्वेषां मुनिजनानां तत्त्वमुपदिशन् परमेश्वरः तिरोदधे इत्यर्थः॥

एवं च उपमन्युकृततत्त्वविमर्शिन्याख्यव्याख्यासहिता नन्दिकेश्वरकृतकाशिकान्तर्गताः कारिकाः अत्र सङ्गृहीताः। एतावता शिवसूत्राणां ब्रह्मबोधकत्वमनादित्वमपौरुषेयत्वं च सिध्यति। इदं चतुर्दशसूत्र्यात्मकं शास्त्रं वेदशास्त्रपुराणरूपायाः सकलवाचो विषयः। अतः सर्ववेदाध्ययनजन्यपुण्यफलस्य, चित्तशुद्धिरूपस्य प्राप्तिरस्य ज्ञानेऽध्ययनमात्रे भवति तस्मात् न केवलं शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहाय, अपि तु ब्रह्मज्ञानप्राप्तयेऽपि अयमक्षरसमाम्नायः उपकारको भवति तस्मान्नानर्थक्यमेतेषां सूत्राणामिति शिवम्॥

सहायकग्रन्थसूची

1. **अष्टाध्यायीसहजबोधः** – पुष्पा दीक्षित, पाणिनीयशोधसंस्थान, छत्तीसगढ, 2004.
2. **काशिका,** चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस–1, 2001.
3. **निघण्टु**, यास्कः, श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वरीकृतशब्दानुक्रमणिकया सहितः, वैदिक पुस्तकालय अजमेर.
4. **पाणिनीय अष्टाध्यायीसूत्रपाठ**: सम्पा–कृष्णदास अकादमी वारणसी,पं सत्यनारायणशास्त्री खण्डुडी, 2012
5. **प्रौढमनोरमा**, (प्रथमो भागः)भट्टोजिदीक्षित, सम्पा.–श्रीसीतारामशास्त्री, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी, वैक्रमाब्द – 2021
6. **भूषणसार-परमलघुमञ्जुषयोः सिद्धान्तानां समीक्षा**,डा.राममनोहरमिश्रः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी।
7. **लघुशब्दन्दुशेखरः**, नागेशभट्टः, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानदिल्ली – 2001.
8. **लघुशब्देन्दुशेखरः**, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन, हरिनारायण तिवारी, सम्पा. – 2014.
9. **व्याकरणमहाभाष्यम्,**चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान, दिल्ली, 2021.
10. **वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्)**, भर्तृहरिः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2006.
11. **वैयाकरणभूषणसारः**, कौण्डभट्टः, चोखम्बासंस्कृतसिरीज्, वाराणसी, 1969.
12. **वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी**, (संश्रिगिरिधरशर्मा, म. म (मोतीलाल बनारसीदास, देहली, 1997.
13. **वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीतत्त्वबोधिनीसहिता**, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2006.

30 वैयाकरमसिद्धान्तकौमुदी

31 काशिका

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

Search For Identity and Alienation in The Novels of Ruskin Bond

Dr. Anita Goswami
Assistant Professor, Department of English, IEC University Himachal Pradesh India
Geetika Ahuja
Research Scholar, Department of English, IEC University, Himachal Pradesh India

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 16-20

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Jan 2022
Published : 13 Jan 2022

ABSTRACT : - Child psychology is the field of study about the behavior, development and growth patterns of children and their problems during the adolescence phase. Psychoanalysts form opinion that the foundations of the child's personality, behavior and attitudes have their genesis in the early parent-child interaction within the home. A child being separated from the father has difficulty in establishing satisfactory social relationships and experiences high levels of anxiety. He lacks warmth and affection except for his mother. But what happens to the child who is denied the love and sympathetic concern of his mother? Bowlbey and his associate psychologists are of the view that "maternal coldness" or maternal separation based upon family conflicts or child rejection has a damaging effect on the child's psychological growth and adjustment. Ruskin Bond is a well- known Indian short-story writer in English, who wrote in the light of his own experiences and the impressions he found about things and people he came across are reflected in his works

Keywords: Psychology, Human Relationships, Interaction, Sympathetic, Rejection

The novels of Ruskin Bond in the light of psychology focuses on the fact that alienated child psychology studies require more attention to the views of child development. There are many factors are responsible to create obstacle in overall growth of a child. Because those children who live with parents, they face internal psychological problem due to lack of care and love. The issues are growing increasingly complicated. It is a matter of great importance how the difficulties have been tackled earlier and how the intending generation will face future impending and fearsome hurdles. How Ruskin Bond has narrated with these questions in his works. He is a great artist and able to draw the clear picture of those children who are deprived of love and attention. Women have played a very important role in shaping Bond's life and his works. Deserted by his mother at a very early age and divested of his father's company shortly afterwards, on account of latter's death, he was deprived of meaningful human relationships during the most crucial period of his growth and development. 32 Psychoanalysts are of the opinion that the foundation of the child's

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

personality, behavior and attitudes has their genesis in the early parent-child interaction within the home. A child being separated from the father has difficulty in establishing satisfactory social relationships and experiences high levels of anxiety. He lacks warmth and affection except for his mother. But what happens to the child who is denied the love and sympathetic concern of his mother?

Bowlbey and his associate psychologists are of the view that "maternal coldness" or maternal separation based upon family conflicts or child rejection has a damaging effect on the child's psychological growth and adjustment. Such a child becomes socially withdrawn and depressed. It is obvious that the insecurity, loneliness and the sense of isolation that Bond experienced as a child was a manifestation of his psychological frustration on account of parental deprivation. The "minimum mothering”. He received as an infant made him instinctively turn to his 'ayah' for emotional support. He made her his surrogate mother and sought from her the tender love and affectionate companionship he failed to find from his own mother. So great was his loyalty and devotion to his governess that he found virtue in everything she did and became fiercely protective towards her.

This is evident from his remarks: “when one of my parent's guests called her ugly without really taking a proper look at her, I would exclaim, 'No, she is beautiful !' The vehemence of my reply would disconcert the guests and embarrass my parents". Though only a paid servant, the ayah, a sensitive individual understood the child's dilemma. She adored him and was totally devoted to him. She treated him with such tenderness that it compensated for his mother's aloofness. She shielded him from everyone including his parents. Happy and secure in her company, he thrived in her munificence. Like a doting mother she indulged him in every possible way. Sometimes, on his insistence, she even joined him in the bathtub when his parents were not in the vicinity. This close physical proximity worked wonders for the little child's psyche as is evident from his own remarks : "We would wallow together in the long marble bath tub She scrubbed and soaped me, while I relaxed and enjoyed the sensation of her rough hands moving over my back and my tummy".

It is believed that a human being’s personality is based on his brought up and childhood environment. The importance of children's environment is undoubtedly increasing day by day. A mandatory appointment of counselors in the schools is one of the examples that support the importance of a healthy environment. In the selected works, both the protagonists Sita and Peter are found their ways of survival in the reality of their situations. On one hand, where Sita is used her reasoning to get escape from the flood and survived, on the other hand, Peter started finding his joy in the impossible imaginations of his mind. Both the characters are portrayed adjusting happily in their respective situations and by dealing with them in their ways. But the limitation of the research paper is laid on the fact where the effect of adverse situation and alienation from reality need to be studied thoroughly. Angry River by Ruskin Bond is a novel where affirmation is portrayed through the character of Sita.

The female protagonist of the novel is not literate to understand the societal norms and weakness of her role as a feminist gender. Sita is a girl who outperformed the expectations of the reader and presented in a didactic manner. Due to the absence of parents, Sita is seen living with her grandparents. There is no weakness of gender is shown in the character of Sita as she was able to do all the works of her place. Being the only girl on the island, Sita never gets the opportunity to attend school. The novel itself began with a dark and clouded monsoon which connoted the readers the horrified future of Sita.

The monsoon rain was heavy and the grandmother showed severely ill. Undoubtedly, it was difficult for the poor grandfather to take grandmother to the city hospital at Shagging, leaving Sita behind all alone. Seeing the deteriorated condition of the grandmother, it seemed necessary to take the grandmother to the hospital. Despite being the only child on the island, Sita is not afraid of the thought. But she seemed quite unsure about the weather's ferocity and river's risen level.

The novel presented a protagonist who possesses all aspects seen as a weakness in society. Sita is a girl, illiterate and poor. But contrary to its surface idea and depiction of character, she turned out as an intelligent and reasonable child. Sita's intelligence and apt use of her skills made her survive in flood all alone on the island.

Ruskin bond's novella, the blue umbrella is a story of ten years old girl Binya and her umbrella. The novella *The Blue Umbrella* is an exploration of basic human desires, yet it fulfills its journey through a simplistic discourse, deeply poignant. As Jean Mitry puts in the "Remarks on the Problem of Cinematic Adaptation" that adaptation "is a matter of passing from one form to another, a matter of transportation, of reconstruction" (Mitry 1971). While adapting any work of literature into a film, there always remain some possibilities of the distortion of message. It happens so because of the series of mutations that takes place in the process of film making at all the creative levels, starting from scripting, to narrating, to shooting, to editing - in every stage there are chances of message distortion. The novella was adapted into a film of the same name by VishalBhardwaj. As a novella, the story was popular among children for years, and as a film also it gained attention of audience and critics. But still the question arises- how far the film is faithful adaptation, all the characters are given same space or not, the message of the novella distorted or not etc.

'No room for a Leopard', is about deforestation and its accompanying aftermath. It presents the pathetic condition of the animals after deforestation. It is a very moving account of the killing of a trusting leopard by a group of shikaris. Because of deforestation taking place in the hills and surrounding areas, many animals have been driven into the valleys inhabited by human beings. This exposes them to grave risks and fatal encounters – one such encounter has been described in this story. The story also reveals the difference between the children's thinking and the adult thinking has also been brought out. Children love nature. They love all the creatures. It comes naturally to them. No ulterior consideration enters their innocent minds. They can never ever think of harming the animals or exploiting them for their personal gain or profit. But the adults are solely driven by mercenary considerations. If a leopard's skin can fetch them a good price, they would not think twice before killing him. Compassion, trust, loves… these mean nothing to them. An idyllic world stands shattered because of this selfish cruelty. Dust on the Mountain was first published in "Dust on the Mountain – Collected Stories" in 2009. The stories, 'The last Truck Ride' and 'Dust on the Mountain', have much similarity. Actually the subsection V (p 497) to VII (p502) of 'Dust on the Mountain' is almost the same as that of 'The last Truck Ride' with the notable exception of the main character's name being Nathu in the first and Bisnu in the latter.

'*Copperfield in the Jungle*', is an autobiographical story. It tells us how the young Ruskin Bond could never get interested in the hunting expeditions of his Uncle Henry and some of his sporting friends. Killing for food –most animal's die that could be a justified to an extent but killing just for the fun of it could not be justified or understood. "Copperfield in the Jungle" also reconstructs the jungle atmosphere. The young protatogonist accompanies his Uncle Henry and some of his sporting friends for on a shikar expedition in to

the Terai forests of the Siwaliks. We are not told his name but we know that he is 12 years age and have inherited his deep of hunting and killing for the fun of it from his grandfather. So, here we can see the feelings of small child for the innocent animals, and also we can see the kindness, and lovely nature of the child. 'No room for a Leopard', is about deforestation and its accompanying aftermath. It presents the pathetic condition of the animals after deforestation. It is a very moving account of the killing of a trusting leopard by a group of shikaris.

Because of deforestation taking place in the hills and surrounding areas, many animals have been driven into the valleys inhabited by human beings. This exposes them to grave risks and fatal encounters – one such encounter has been described in this story. The story also reveals the difference between the children's thinking and the adult thinking has also been brought out. Children love nature. They love all the creatures. It comes naturally to them. No ulterior consideration enters their innocent minds. They can never ever think of harming the animals or exploiting them for their personal gain or profit. But the adults are solely driven by mercenary considerations. If a leopard's skin can fetch them a good price, they would not think twice before killing him. Compassion, trust, loves… these mean nothing to them. An idyllic world stands shattered because of this selfish cruelty. Dust on the Mountain was first published in "Dust on the Mountain – Collected Stories" in 2009.

The stories, 'The last Truck Ride' and 'Dust on the Mountain', have much similarity. Actually the subsection V (p 497) to VII (p502) of 'Dust on the Mountain' is almost the same as that of 'The last Truck Ride' with the notable exception of the main character's name being Nathu in the first and Bisnu in the latter. 'Dust on the Mountain', focuses on Bisnu, a boy, whose search for job enabled him to learn the importance of trees. In this short story Ruskin Bond emerges as an environmentalist explaining the importance of trees an important characteristic of his stories dealing with environmental concern. We have already discussed above deforestation affects. Bisnu's place is shown as such to receive no rainfall as the outcome of ruthless deforestation. Other than deforestation, trees have perished and are perishing due to our carelessness, too. The campers make a fire and forget to extinguish it which sometimes becomes the cause of huge fire. Pine trees that had taken centuries to grow get now ruthlessly damaged and destroyed in the fire. There was no one to extinguish it. It takes days to die down by itself. Due to this carelessness on people's part, many valuable trees are lost. Though such incidents are common on the Himalayas yet people have not learnt the lesson and fail to do their duty without realizing that it is they who are going to be affected of such acts. At the end of the story both Bisnu and Pritam realized the importance of nature after Pritam the truck driver survived from serious accident on the mountain road due to a tree on road. They understood the significance of growing trees and safeguarding not only their own essence but also posterity.

In the autobiographical *Once upon a Mansoon Time*, he narrates an episode about the trees he planted with his father in a dry riverbed in Dehra Dun just before his father's death. When he returned to the same scene after returning from England, the trees had multiplied and seemed to whisper a greeting to him. The protagonist and his father plant trees on a rocky island in a dry riverbed, hoping that the saplings will be left alone and those floods will not wash them away. In *My Father's Trees in Dehra* , the protagonist is now an adult revisits this spot and amazed that the trees are thriving and that his father's dream has been realized. Such images of trees and creeping vines moving toward his father and grandfather in an attempt to communicate appear repeatedly in his poem, essays, and short stories. Bond believes that trees could once

walk about like people till someone cast a spell on them and rooted them in one place. He looks forward to the time when trees will be able to walk again freely. This is quite obviously a metaphor for the senseless devastation of trees in the Himalayan region. Bond pleads that trees are important to the birds and animals who live in the forests, as well as to humans for fruit and timber, for attracting rain, and for preventing soil erosion and keeping the desert away.

In The Cherry Tree Bond narrates the feeling of Rakesh as Rakesh plants a cherry tree and cares for the loving sapling through its difficult first year when a goat eats it and then a grass cutter cuts it in two; yet, the sturdy tree grows to full maturity over the year and bears fruit. Birds, cicadas, and bees visit it as often as Rakesh and grandfather do. While Rakesh is proud and amazed at his special compared with a banyan tree and the young grandson Ali with a young mimosa plant. Bond always gets fascinated by the splendor and huge size of banyan. He fools banyan is not only the biggest tree but also the friendliest of all he likes its hospitality. The large innumerable branches of banyan provide shelter to variety of animals: “Apart from boys and girls, it attracts a large number of visitors – birds, squirrels, insects, flying foxes – and many of these interesting creatures actually live in the tree which is full of dark, private corners suitable for variety of tenants”10. The tree is to Bond like a big family or a boarding house, “in which a number of different families live next door to each other without interfering very much in each other’s business”11. The other trees, about which Bond talks affectionately, are oak and deodar. The trees are considered sacred and are worshipped by Indians in different ceremonies and festivals which are a common perform in India. Bond brings forth these aspects as well in his writing.

Work Cited

1. Amirthanayagam, Guy, ed. Asian and Western Writers in Dialogue: New Cultural Identities. London and Basingstoke: Macmillan, 1982.
2. Allan, Walter The Short Story in English. Oxford: Oxford University Press. 1981. • Altenbernd, Lynn and Lewi, Lestie L, A Handbook for the Study of Fiction. London: Macmillan, 1966
3. Banerjee, Soma. "Ruskin Bond." In Reference Guide to Short Fiction, edited by Noille Watson. Detroit: St. James Press, 1994.
4. Earner, Peter, (ed.) Personal Social and Emotional Development of Children. Uk: Black well Publishers Ltd. 2002
5. Bates, H.G., The Modem Short Story Form 1809 to 1953. London: Robert Hale. 1988
6. Cudden, 3. A., A Dictionaiy of Literary Terms. New Delhi: Clarion Books, 1988
7. Das, Bijaykumar. Critical Essays on Post Colonial Literature, New Delhi: Atlantic Publishers & Distributer, 2003.
8. Gray, Martin. A Dictionaty of Literaiy Terms, Essex: Longmans York Press, 1981.
9. Hudson, H.W. An Introduction to the Study of Literature. New Delhi: Kalyani Publishers, 1991.
10. Iyengar, K.R.S., Indian Writing in English. 5' Edition, New Delhi: Sterling Publishers, 1999.
11. Melwani, Murli Das. Critical Essays on Indian Writing in English. Calcutta: Writer's Workshop, 1971.
12. Naik, M. K. A Histoiy of Indian English Literature. New Delhi: Sahitya Akademi, 1982.
13. Thompson, E. P. The Making of the English Working Class, 2nd ed.
14. Ursula, Sharma. Caste. Buckingham: Open University Press, 1999.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

रूस की विदेश नीति (निरन्तरता और परिवर्तन)

मदन कुमार वर्मा,
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र,
उपाधि (पी.जी.) महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 21-24
Publication Issue :
January-February-2022
Article History
Accepted : 15 Jan 2022
Published : 30 Jan 2022

मुख्य भाव—पुराने सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस ने नव उदारवाद के युग में पूर्णतः पुराने सोवियत संघ से भिन्न विदेश नीति अपनायी है, ताकि पाश्चात्य देशों व U.S.A. के सहयोग अपना त्वरित विकास कर सके एवं अपने यहाँ लोकतन्त्र व नव–उदारवाद को मजबूत कर सके अब यहाँ साम्यवाद बीते युग की बात हो गयी आज रूस का कोई अन्तर्राष्ट्रीय हित नही है।

मुख्य शब्द—शीतयुद्ध, द्विध्रुवीयता, एक ध्रुवीयता, ग्लोस्नोस्त, पेरेस्त्रोइका, राष्ट्रीय हित, विचारधारा इत्यादि।

7 नवम्बर 1917 को सोवियत संघ की स्थापना हुई। स्थापना के पश्चात् सोवियत संघ अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हेतू कुछ निश्चित सिद्धांतों की रचना की। लेकिन अमेरिकन गुट के साथ चलती कठोर प्रतिर्स्पधा तथा गोर्बाच्योब की ग्लोस्नास्त तथा पेरेस्त्रोइका के सिद्धांतों की वजह से अन्तोगत्वा 26 दिसम्बर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन के पश्चात् सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य रूस उसका उत्तराधिकारी बना और उसने पूर्व सोवियत संघ के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का वहन करने का निश्चय किया। इस घटना से जहाँ एक ओर विश्व से शीतयुद्ध, पूंजीवाद व साम्यवाद से प्रतिर्स्पधा, शस्त्र. —र्स्पधा एवं द्व—ध्रुवीयता खत्म हुई तो वही दूसरे तरफ इसके परिणामस्वरूप विश्व एक ध्रुवीय हुआ उदारवादी विचाराधारा को साम्यवादी विचारधारा पर विजय मिलीं इस घटना के घटने पर एक अमेरिकी ने कहा कि हमने निःसंदेह ही हमने एक बड़े अजगर का मारा है किन्तु अभी—अभी कई अजगर आसपास टहल रहे है तो दूसरी तरफ मास्को विश्व विद्यालय के प्रोफेसर दमित्रि फ्योद्रोरोव ने कहा कि 'हमें भरोसा है कि अब अपने संसाधन और ऊर्जा अमरीकी खेमे से लड़ने या तीसरी दुनिया को चलाने में बर्बाद नहीं करेंगे। हमें आत्म—निरीक्षण और कड़ा परिश्रम करना चाहिए और यूरोपीय समुदाय में शामिल होना चाहिए जहां के हम है।

वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व सोवियत संघ का भी अन्य देशों की भांति सर्वोच्च राष्ट्रीय हित अपने देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना था। इसके साथ अन्य गौण राष्ट्रीय हित निम्न था।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

1. साम्यवादी विचारधारा का वैश्विक स्तर पर प्रसार, नेतृत्व एवं वैश्विक स्तर पर पूँजीवादी गुट से उसकी रक्षा करना।
2. पूंजीवाद राष्ट्रों से स्वयं की रक्षा।
3. प्रकृति स्रोतो का विकास करना।
4. अमेरिका से आणविक क्षेत्र में बराबरी करना।
5. पूर्वी यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था करना।
6. वैश्विक स्तर पर अमेरिका विरोधी अभियान का नेतृत्व करना।
7. सामरिक हितों की पूर्ति करना।
8. अंतरिक्ष में U.S.A. से प्रतिस्पर्धा करना।
9. समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना देना एवं वैश्विक स्तर पर उसका नेतृत्व करना।

उपरोक्त राष्ट्रीय हितों के साथ वैश्विक स्तर पर कुछ अन्य राष्ट्रीय हित उभर आये जिसमें विश्व शांति एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मार्ग पर चलकर वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक हित स्थापित करना शामिल है।

उपर्युक्त राष्ट्रीय हितों को प्राप्ति के लिए 1945 से पूर्व सोवियत संघ के विघटन तक निम्न सिद्धांत अपनाये गये।

1. कठोरता, उग्रता, लौह आवरण का सिद्धांत
2. शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व का सिद्धांत
3. तनाव शैथिल्य की नीति का सिद्धांत
4. ब्रेझनेव सिद्धांत
5. गोर्बाच्योव का सिद्धांत

इन विभिन्न वैदेशिक सिद्धान्तों के माध्यम से पूर्व सोवियत संघ ने अपने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का प्रयास किया अन्तिम था गोर्वाच्योज का सिद्धांत (जो 1985 में दल के महामंत्री बने) जिन्होंने ग्लोस्नोस्त (खुलापन) और पेरेस्त्रोइका (पुन निर्माण) के सिद्धांत लागू किये। प्रतिफल यह हुआ कि दिसम्बर 1991 को सोवियत संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। 26 दिसम्बर 1991 को सुप्रीम सोवियत ने अपने अधिवेशन में स्वयं के विघटित होने की घोषणा कर दी। सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद में पुराने सोवियत संघ का स्थान रूस को दिया गया। रूस ने यह वचन दिया कि वह पुराने सोवियत संघ के सभी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करेगा। राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने परमाणु बटन (ब्रीफकेस) रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन को सौंप दिया।

26 दिसम्बर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद एक रूस एक सम्प्रभु राज्य के रूप मे ंसामने आया लेकिन मात्र दो दशक की विदेश नीति के आधार पर रूस की विदेशी नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना बड़ा कठिन है तथापि रूस ही विदेश नीति के बारे में हमारे सामने दो दृष्टिकोण आते हैं।

प्रथम दृष्टिकोण यह है रूस पुराने सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य है अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह उसी की भांति विदेश नीति अपनायेगा जो पुराने सोवियत संघ की थी।

द्वितीय दृष्टिकोण यह है कि आज का रूस पुराने सोवियत संघ से एकदम भिन्न स्थिति में है वहाँ न तो कम्यूनिस्ट पार्टी की सत्ता है और न मध्य ऐशिया के गणराज्य उसके क्षेत्र का हिस्सा है रूस तो अब एक दम भू–यूरोपीय क्षेत्र का देश है अतः विदेशनीति के क्षेत्र में उसकी सोच और रूझान एक यूरोपीय महादेश की भांति होगी अतः उसकी विदेशी नति में आमूल–चूल परिवर्तन अपरिहार्य है। इस सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण ज्यादा तर्क संगत है।

साम्यवादी युग ने जहाँ पश्चिमी देश पुराने सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने में व्यस्त थे वहीं वर्तमान समय में वे रूस की 'लोकतन्त्र एवं मुक्त बाजार व्यवस्था' को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता देने की नीति का पालन कर रहे हें आज शीत युद्ध का अंत हो चुका है अतः परिवर्तित अर्न्तष्ट्रीय परिदृश्य में रूस की विदेश नीति में आमूल–चूल परिवर्तन होना स्वाभाविक है। रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने 31 जनवरी 1992 को रूस की नई विदेश नीति को दिशा देते हुए तीन सिद्धान्तों की घोषणा की थीं जो निम्न है–

1. लोकतन्त्र को प्राथमिकता देना
2. मानव अधिकार व स्वतन्त्रता को प्राथमिकता देना एवं
3. उच्च विधि मापदंडों की रक्षा व सहयोग देनां

यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित तीनों सिद्धान्तों किसी भी रूप में पुराने सोवियत संघ के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते और न ही रूस के राष्ट्रीय हित पुराने सोवियत संघ के राष्ट्रीय हितों से मेल खाते है मात्र राष्ट्रीय हित सुरक्षा के सिद्धान्त को छोड़कर। आज के युग में रूस का न कोई अन्तर्राष्ट्रीय हित है न ही रूस किसी गुट या संगठन का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। आज लगभग दो दशकीय रूसी विदेश नीति की निम्न विशेषताएं उभरकर सामने आयी है।

1. U.N.O. के साथ सहयोग
2. U.S.A. के साथ सामान्य सहयोगी का सम्बन्ध
3. यूरोपीय राष्ट्रों विशेषकर जर्मनी के साथ घनिष्ट आर्थिक सम्बन्ध
4. नाटों के साथ शांति के लिए साझापन
5. चीन व जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति एवं
6. भारत के साथ पुनः घनिष्ट सम्बन्ध

संक्षेप में पिछले तीन दशकों में रूस ने अपनी विदेश नीति का संचालन जिस प्रकार किया है उससे उसकी विदेश नीति का रूझान स्पष्ट होता है कि आज के युग में पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस पूर्व सोवियत संघ की विदेश नीति व विचाराधारा को छोड़ चुका है उसकी विदेश नीति परिवर्तन ही परिवर्तन है

निरंतरता कुछ भी नहीं। आज रूसी विदेश नीति नव–उदारवाद से प्रेरित व प्रभावित है न कि साम्यवाद से और नव उदारवाद की प्रेरणा से आज वहां तीन नीतियों को अपनाया जा रहा है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अन्तराष्ट्रीय राजनीति – फाडिया बी.एल.
2. प्रमुख देशों की विदेश नीतियां – कोली सी.एम.
3. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध – सिंहल एस.सी.
4. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध – शर्मा, डा0 मथुरा लाल
5. विभिन्न पत्र–पत्रिकाएं

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

वेदव्यास की रचना में स्त्री विमर्श महाभारत के सन्दर्भ में (आज के संदर्भ में)

डॉ. रमेश चन्द्र टांक
शोधार्थी, सीनियर रिसर्च फेलो ,ICSSR संस्थान।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 25-35

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 07 Feb 2022

सारांश- भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रन्थों में मनुष्य के आचार-विचार, व्यवहार का जैसा सूक्ष्म विवेचन हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ है। रामायण और महाभारत इन दो ग्रन्थों में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कर्म का ही अन्तर्द्वन्द्व छाया हुआ है। केवल मुख्य कथा ही नहीं, उपकथाओं और आनुषङ्गिक वर्णनों में भी कर्म, अकर्म, विकर्म का वही द्वन्द्व तैरता हुआ नजर आता है। यथार्थ में कर्म की गहन गति का चित्रण एवं विश्लेषण महाभारत जैसे पञ्चम वेद में इतने मुखर और स्पष्ट रूप में हुआ है कि इस ग्रन्थ की तेजस्विता के सम्मुख अन्य ग्रन्थ फीके पड़ जाते हैं। महर्षि वेदव्यास की यह विशेषता रही है कि जिस विषय का भी उन्होंने स्पर्श किया है- वह चाहे कर्मफल हो, मृत्यु हो, शौच, इन्द्रियनिग्रह, सांसारिक-विषय, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, जय-पराजय, अथवा मनुष्य का प्रारब्ध, कर्मों का प्रायश्चित अथवा हत्या और आत्महत्या का विषय ही क्यों न हो-उसे अन्तिम क्षितिज तक पहुँचा दिया है। विषय की वे इतनी स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि उस विषय में पुन: कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। महाभारत में वैद व्यास द्वारा महापुरूषों की भूमिका का वर्णन सम्यक रूप से किया गया है उदाहरणार्थ श्रीकृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण के साथ-साथ पांचों पांडवों एवं कौरवों की भूमिका का वर्णन भी महर्षि वेद व्यास ने महाभारत कालीन समाज में समयक रूप से किया था इसी क्रम में स्त्री पात्रों को अन्तर्गत गांधारी, कुन्ती, माद्री, सुभद्रा, भानुमति, द्रोपति इत्यादि स्त्री पात्रों की भूमिका का सम्यक विवेचन महर्षि वेद व्यास ने तत्कालीन समाज में किया था। इसी स्त्री विमर्श को महाभारत कालीन परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत शोध आलेख में स्त्री विमर्श को व्याख्यायित किया गया है।

मुख्य शब्द- महाभारत, वेद व्यास, स्त्री, पंचमवेद, लोककल्याण।

महाभारत का परिचय- महाभारत एक महान् विश्वकोषात्मक ग्रंथ है। यह ग्रन्थ वाल्मिकि रामायण से चार गुना तथा होमर रचित इलियड एवं ओडेसी की संयुक्त काया से प्राय: आठ गुना बड़ा है। मूलकथा तो पंचमांश में ही है, अवशिष्टांश तो औपदेशिक कथाओं एवं कथनों से आपूरित है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के संबंध में जिन-जिन विषयों का समावेश महाभारत में हुआ है। वे ही अन्य ग्रंथों में प्राप्त होते है और जो विषय इसमें नहीं है, वे अन्यत्र भी नहीं उपलब्ध होते।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् ।

महाभारत की पावन कथा वेदव्यास की देन है। उपजीव्य काव्य रामायण के पश्चात् की यह कथा है, जिसमें कौरव–पाण्डवों के पारिवारिक द्वैष का वर्णन है। पर इस कथा के अतिरिक्त भी अनेक अनमोल रत्न व्यास जी ने इसमें भर दिये हैं। कथा तो ऐसी है, मानों आज की है और हमेशा आज की रहेगी। रामायण में जो पवित्रता का वातावरण था। वह वातावरण इसमें कही नहीं मिलता है। शायद इसी कारण हमारे पूजाघरों में रामायण का तो सहज प्रवेश है, पर महाभारत का नहीं। 'पंचमवेद' कहा जाने वाला महाभारत हमारेअन्त:करण को शुद्ध करता है।

हिमालय के अपने आश्रम में वेदव्यास जी ने 'महाभारत' के स्वरूप का निर्माण किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे सर्वश्रेष्ठ काव्य कहा है। वेदव्यास दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने अपनी तपस्या को सार्थक करने के उद्देश्य से इसका प्रचार–प्रसार करना चाहा।

'महाभारत' की पावन कथा उनके मानव–पटल पर अंकित हो चुकी थी पर संसार में इसका प्रचार कैसे हो, उनके शिष्य इसका अध्ययन कैसे करेंगे।

वेदव्यास के अंत के साथ इस कथा का अंत हो जाता, तो हम इस युगान्तकारी कथा से अनजान ही रह जाते। लोककल्याण के लिये उन्होंने इस महाकाव्य को लिपिबद्ध करने के लिये ब्रह्मा जी से उचित लेखक चुनने का सहयोग माँगा। ब्रह्माजी ने गणेश जी का स्मरण करने को कहा। इस प्रकार गणेश जी के द्वारा यह कथा लिपिबद्ध हुई।

वेदव्यास ने सर्वप्रथम 'जय' नाम से इसको लिखा था। 'महाभारत' के मंगल श्लोक में नारायण, नर एवं सरस्वती देवी की वंदना करते हुए 'जय' नामक काव्य के पठन का विधान है। यह नाम ऐतिहासिक है और महाभारत का मूलरूप है। कौरवों पर पांडवों के विजय के कारण ही इसका नामकरण 'जय किया गया। कुरूक्षेत्र के युद्ध के पश्चात् महर्षि व्यास ने इस आख्यान का उपदेश अपने शिष्य वैशम्पायन को दिया। इसमें 8800 श्लोक थे। इसमें शुद्ध रूप से कुरू–पांचालो का वंश–वर्णन एवं कौरव–पाण्डवों के कलह का वर्णन था।

"जय' के अनन्तर "भारत संहिता' नाम से व्यास जी ने चौबीस हजार श्लोक वाली संहिता बनाई, इसमें उपाख्यान भाग नहीं थे। यह दूसरा संस्करण था।

'महाभारत' की कथा को लोमहर्षण के पुत्र सौति उग्रश्रवा ने जनमेजय के सर्प–सत्र में सुना था। नैमिषारण्य में सौति ने यह कथा शौनक आदि ऋषियों एवं अन्य श्रोताओं को सुनाई थी। उपस्थित जनों के सहयोग से और उनके प्रश्नोत्तरो से इसके कलेवर में वृद्धि हुई। यह तीसरा संस्करण ' महाभारत' नाम से जाना गया। यह उपाख्यानों से युक्त था। इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। इसमें परिशिष्ट के रूप में 'हरिवंश' का भी समावेश हैऔर यह संयुक्त होकर ही 1 लाख श्लोकों की संख्या बनाते है।

'महाभारत' संस्कृत महाकाव्यपरम्परा में 'द्वितीय' महाकाव्य हैं। इससे पूर्व महर्षि–वाल्मिकि ने रामायण की रचना की। निश्चित रूप से रामायण को पढकर महर्षि व्यास ने प्रेरणा ग्रहण की होगी। रामायण धर्म ग्रन्थ के रूप में सम्मानित हैं। तो महाभारतकार ने अपनी भुजाएं उठाकर कहा

उर्ध्वबाहु विरोम्येष न कश्चिच्छृणोति माम् ।

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्म: किं नु सेव्यते।।

अर्थात् में भुजा उठाकर कहता हूँ, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, धर्म को अपनाओं धर्म से ही अर्थ भी प्राप्त होता हैं, और धर्म से काम भी प्राप्त होता हैं। जनहित के लिए अपने हित का बलिदान करना और अन्यायी के प्रति रोष व्यक्त करना यही धर्म का मूल है।

महाभारत तो त्यागियों और बलिदानियों की क्रीडास्थली ही है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही धौम्य मुनि के तीन शिष्यों- आरूणि, पाञ्चाल, उपमन्यु और वेद-इन तीन शिष्यों की तपस्या और त्याग का उल्लेख है। ततपश्चात महाभारत में महापराक्रमी भीष्म का चरित्र त्याग और बलिदान का अपूर्व उदाहरण है। पिता की इच्छापूर्ति के लिए युवावस्था में ही जिन्होंने सम्पूर्ण सांसारिक भोगों का सदा सर्वदा के लिए त्याग कर जीवन-पर्यन्त अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रत धारण किया। इतना ही नहीं जिन्होंने भविष्य के किसी अनिष्ट की आशंका से कुलक्रमागत राज्यसिंहासन का भी त्याग कर दिया, उन जगद्वन्द्य गङ्गानन्दन की त्यागमयी मूर्ति भारत के मानस पर अमिट रूप से सृष्टिपर्यंत अंकित रहेगी।

भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रन्थों में मनुष्य के आचार-विचार, व्यवहार का जैसा सूक्ष्म विवेचन हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ है। रामायण और महाभारत इन दो ग्रन्थों में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कर्म का ही अन्तर्द्वन्द्व छाया हुआ है। केवल मुख्य कथा ही नहीं, उपकथाओं और आनुषङ्गिक वर्णनों में भी कर्म, अकर्म, विकर्म का वही द्वन्द्व तैरता हुआ नजर आता है। यथार्थ में कर्म की गहन गति का चित्रण एवं विश्लेषण महाभारत जैसे पञ्चम वेद में इतने मुखरऔर स्पष्ट रूप में हुआ है कि इस ग्रन्थ की तेजस्विता के सम्मुख अन्य ग्रन्थ फीके पड़ जाते हैं। महर्षि वेदव्यास की यह विशेषता रही है कि जिस विषय का भी उन्होंने स्पर्श किया है- वह चाहे कर्मफल हो, मृत्यु हो, शौच, इन्द्रियनिग्रह, सांसारिक-विषय, सुख-दु:ख, पाप-पुण्य, जय-पराजय, अथवा मनुष्य का प्रारब्ध, कर्मों का प्रायश्चित अथवा हत्या और आत्महत्या का विषय ही क्यों न हो-उसे अन्तिम क्षितिज तक पहुँचा दिया है। विषय की वे इतनी स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि उस विषय में पुन: कुछ कहनेके लिए शेष ही नहीं रह जाता। अत: भगवान् कृष्ण द्वैपायन के इस महाभारत रूपी समद्र में 'कर्म' की जो लहरें तरङ्गित हो रही हैं, उन लहरों में तैरते हुये मुगों, मोतियों (सीपों) और शङ्खों को बटोरने का मैं प्रयास करूंगा। इसी क्रम में महाभारत के प्रणेता महर्षि वेदव्यास के जीवन अध्ययन के परिचय का विवरण इस प्रकार है।

महाभारतकार वेदव्यास का जीवन परिचय

पराशर पुत्र वेदव्यास महाभारत के प्रणेता और पुराणों के रचनाकार के रूप में विख्यात हैं। "देवीभागवत' में उल्लेख हैं कि कष्ण द्वैपायन वेदव्यास से पूर्व 28 व्यास थे और प्रथम व्यास स्वयं ब्रह्माजी थे। 'देवीभागवत' में इन 28 व्यासों के नामोल्लेख हैं, जो क्रमश: इस प्रकार हैं -

प्रथम द्वापर में ब्रह्माजी, दूसरे द्वापर में प्रजापति, तीसरे द्वापर में उशना, चौथे में बृहस्पति, पांचवे द्वापर में सविता, छठे द्वापर में मृत्युदेव, सांतवे द्वापर में मघवान, आठवे द्वापर में वसिष्ठ, नवें में सारस्वत, दसवें द्वापर में विधामाने, ग्यारहवें द्वापर में त्रिवृषन, बारहवें द्वापर में भारद्वाज, तेरहवें द्वापर में अन्तरिक्ष, चौदहवें द्वापर में धर्म, पन्द्रहवें द्वापर में त्रय्यारूणिन, सोलहवें द्वापर में धनजंय, सत्रहवें द्वापर में मेधातिथि, अठारहवें द्वापर में व्रती, उन्नीसवें द्वापर में अत्रि, बीसवें द्वापर में गौतम, इक्कीसवें द्वापर में हर्यात्मा ने व्यास का कार्य सम्पादन किया। वजाश्रवा वेन, आमुष्यायण सोम, तृणबिन्दु, भार्गव, शक्ति, जातुकर्ण्य और कृष्णद्वैपायन भी व्यासों में परिगणित थे। अत: स्पष्ट हैं कि 'व्यास' एक उपाधि हैं। त्रेता युग के पश्चात् द्वापर युग का प्रतिनिधित्व वेदव्यास करते हैं।[2] व्यास वाल्मिकी के पश्चात् हुए क्योंकि महाभारत के पूर्व ही रामायण की रचना हो चुकी थी और महाभारत के वनपर्व के अठारह अध्यायों में 'रामोपाख्यान पर्व हैं, जिसमें संक्षेप में राम की कथा वर्णित हैं। जिससे सिद्ध होता हैं कि महाभारत रामायण के पश्चात् लिखा गया हैं।'[3]

हम सौभाग्यशाली हैं कि वेदव्यास जी ने स्वयं महाभारत में स्वजीवन परिचय दिया हैं -

एवं द्वैपायनो यज्ञे सत्यवत्यां पराशरात्।

न्यस्तो द्वीपे स यद् बालस्तस्माद् द्वैपायन:स्मृत: ।।[4]

अर्थात् महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गये, इसलिये 'द्वैपायन' नाम से प्रसिद्ध हुए।

प्रथमत: इन्होनें अपने आप को नारायण का पुत्र कहा हैं –

तमादिकालेषु महाविभूतिर्नारायणो ब्रहा महानिधानम् ।

ससर्ज पुत्रार्थमुदारतेजा व्यासं महात्मानमजं पुराणम् ।।"[5]

अर्थात् प्राचीनकाल में उदार, तेजस्वी, महान, वैभवसम्पन्न भगवान् नारायण ने वैदिक ज्ञान की महानिधिरूप महात्मा अजन्मा और पुराणपुरूष व्यास जी को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न किया था।

किन्तु अधिकांश साक्ष्य इन्हे पराशर मुनि एवं सत्यवती के पुत्र सिद्ध करते **हैं। 'ब्रह्म पुराण[6], 'वायु पुराण'[7], 'कूर्म पुराण[8]. 'देवी भागवत[9]** में पराशर पुत्र व्यास का उल्लेख हैं।

'विष्णु पुराण'[10] 'वायुपुराण'[11]. 'पद्मपुराण, 'देवी भागवत[12] में उनके सत्यवती के पुत्र होने का उल्लेख हैं।[13]

'महाभारत' में वेदव्यास ने स्वयं अपना जीवन परिचय दिया हैं। वेदव्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। पराशर के पिता का नाम शक्ति तथा माता का नाम अदृश्यन्ती था। वशिष्ठ जी पराशर मुनि के दादा थे।[14] ऋषि पराशर मल्लाह पुत्री पर अनुरक्त हो उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट करते हैं। मल्लाह पुत्री सत्यवती और मुनि पराशर के संयोग से व्यास का जन्म हुआ।"[15]

'महाभारत' में वेदव्यास सर्वत्र दिखते हैं लेकिन एक धीवरकन्या के गर्भ से पैदा होकर इस महान् गौरव को उन्होनें कैसे अर्जित किया, इसका सुनियोजित उल्लेख नहीं मिलता हैं।"देवीभागवत' में व्यास जी का पुत्र प्राप्ति के लिये कठोर तपस्या करने का उल्लेख मिलता हैं। अरणि मंथन से उत्पन्न शुकदेव को व्यास जी भागवत की शिक्षा देते हैं, इसका उल्लेख भी हैं।[16]

महाभारत के शांतिपर्व में व्यास जी का पुत्र प्राप्ति के लिये तपस्या और भगवान शंकर से पुत्र वर–प्राप्ति का उल्लेख हैं।[17] ज्ञानी व्यास अपने पुत्र को सबसे पहले 'महाभारत' का अध्ययन कराते हैं।[18] शुकदेव की मृत्यु पर रोदन करते हुए पिता व्यास का भी उल्लेख हैं।[19]

वेदव्यास पराशर मुनि और सत्यवती पुत्र होने के साथ–साथ कौरवों–पाण्डवों के दादा भी रहे। सम्पूर्ण 'महाभारत' में व्यास जी ने एक स्नेहरत परामर्शदाता की भूमिका निर्वहन की हैं।[20] वंश नहीं बढ़ने की चिंता में सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न करने को कहा।"[21] और सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने मातृऋण चुकाया। विचित्रवीर्य की निसंतान मृत्यु हो जाने के पश्चात् सत्यवती ने व्यास जी को हस्तिनापुर बुलाया। मुनि व्यास जंगलो से महलों में आए और माता के निरंतर आग्रह के कारण वह विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ नियोग करने का तैयार हो गये –

वेत्थ धर्म सत्यवति परं चापरमेव च।।

तथा तव महाप्राज्ञे धर्मे प्रणिहिता मति:।

तस्मादहं त्वन्नियोगाद् धर्म मुद्दिश्य कारणम् ।।

ईप्सितं ते करिष्यामि दृष्टं ह्येतत् सनातनम् ।

भ्रातु: पुत्रान् प्रदास्यामि मित्रावरुणयो: समान् ।। [22]

वेदव्यास ने कहा मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूँगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिये मित्र और वरूण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूँगा।

व्यास जी की कृपा से अम्बिका से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पाण्डु और दासी से विदुर उत्पन्न हुए। व्यास जी के रूप को देखकर अम्बिका ने भयभीत होकर आँखे मूंद ली थी, जिस कारण धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। माता के आग्रह से व्यास जी ने पुन: अम्बालिका से नियोग विधि से समागम किया और डर से पीली पड़ी अम्बालिका ने अरूण और पीत वर्ण के पाण्डु को

जन्म दिया। सत्यवती ने पुन: अम्बालिका को व्यास जी की सेवा में नियुक्त किया पर उनके कुत्सित रूप को याद कर अम्बिका ने अपनी दासी को उनकी सेवा में भेजा। दासी की सेवा से संतुष्ट व्यास जी ने एक बुद्धिमान और धर्मात्मा बालक के उत्पन्न होने को भविष्यवाणी की और विदुर उत्पन्न हुए। इस तरह अपनी माता की आज्ञा का पालन कर व्यास जी पुन: अपने आश्रम में चले गये। ब्रह्मचारी होकर भी जिस सम्मान और गौरव से व्यास जी ने इस धर्म को निभाया वह स्मरणीय हैं।

समाजशास्त्र एवं संस्कृत साहित्य

सामान्य भाषा मे समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह या झुण्ड से होता है इसी अभिप्राय से आर्य समाज, बह्म समाज, प्रार्थना समाज, धर्म समाज, हिन्दू समाज, महिला समाज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज व्यक्तियों का झुण्ड नहीं बल्कि सामाजिक सम्बन्धों का जाल है। एक व्यक्ति समाज में रहकर अनगिनत सम्बधता स्थापित करता है। वह परिवार का सदस्य होकर अपने सगे सम्बन्धियों से रक्त सम्बन्ध स्थापित करता है। कही पति पत्नी का नाता तो किसी से भाई - भाई का सम्बन्ध है तो किसी से पिता -पुत्र का सम्बन्ध है कोई चाचा है तो कोई ताऊ है कोई भाई है कोई बहिन है। सबके सम्बन्ध सबके साथ अलग -अलग है। वहीं व्यक्ति जब शिक्षण संस्था का सदस्य होता है तो गुरू, शिष्य, मित्र - शत्रु के सम्बन्ध अनेक व्यक्तियों से स्थापित होते है।

इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में असंख्य सम्बन्ध स्थापित होते हैं और सम्बन्धों को एक जाल सा बिछ जाता है। कहीं रक्त का सम्बन्ध है, तो कही शिक्षा का सम्बन्ध है कही आर्थिक सम्बन्ध है तो कही धार्मिक सम्बन्ध, कहीं राजनैतिक सम्बन्ध है तो कही वैयक्तिक शत्रुता - मित्रता) सम्बन्ध है। इन्ही सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन करना समाज शास्त्र का उद्देश्य है।

समाजशास्त्र अर्थ, क्षेत्र और विषयवस्तु

मनुष्य सदियों से समाज और विभिन्न समूहों में रहता चला आया है। सर्वप्रथम उसने प्राकृतिक घटनाओं तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिकविज्ञानों का जन्म हुआ। इसके बाद मनुष्य ने स्वयं अपने समाज के अन्तर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के बारे में सोचना प्रारम्भ किया जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। मनुष्य के सामाजिक जीवन को अपनी विषयवस्तु मानकर विभिन्न सामाजिक विज्ञान विकसित हुए जिनमें से एक समाजशास्त्र है।

टी बी वोटोमोर ने लिखा है, समाजशास्त्र एक शताब्दी से अधिक पुराना नही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य की प्रगति समाज पर ही निर्भर होती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध से सम्बन्धित रहते हैं। मनुष्य के आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, कानूनी, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक आदि सम्बन्धों के आधार पर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कानूनशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र आदि विज्ञानों का विकास हुआ है। यह सभी सामाजिक विज्ञान मनुष्य के किसी विशिष्ट पक्षका अध्ययन करते हैं, इसलिए विशिष्ट विज्ञान कहलाते है।

कहाँ समाजशास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है और कहाँ अर्थशास्त्र का सिद्धान्त समाजशास्त्रीय सिद्धान्त बन जाता है अथवा जैविकीय सिद्धान्त समाज शास्त्रीय सिद्धान्त बन जाता है।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

समाज में विभिन्न प्रकार की घटनायें घटित होती रहती है। इनसे प्रभावित होकर समाज में विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। समाज में एक ही तथ्य या घटना का विभिन्न विज्ञान अध्ययन करते है, परन्तु हर विज्ञान अपनी विशिष्टता एवं अस्तित्व की रक्षा हेतु अपने नजरिये या दृष्टिकोण से अध्ययन करता है जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न प्रदर्शित करता है।

'परिप्रेक्ष्य' को शाब्दिक अर्थ में हम समझे तो यह कह सकते है कि प्ररिप्रेक्ष्य अग्रेजी शब्द Perspective का हिन्दो रूपान्तरण है। Perspective लैटिन भाषा के पसपैक्ट से बना है जिसका अर्थ है आद्योपान्त देखा गया होता है।

सरल भाषा में परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक ओर से दूसरी ओर देखना है। जबकी वैज्ञानिक अपने विषय की किसी तथ्य या घटन का विशेष उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए है।

समाजशास्त्र की परिभाषये :-

मेकाइवर एवं पेज के अनुसार - सनाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्ध अथवा सामाजिक सम्बन्धों के बारे में अध्ययन करता है, जिसे हम समाज कहते है।

वार्द के अनुसार :- "समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।"

शिलिन एवं गिलिन के अनुसार :- समाज में रहने वाले व्यक्तियों की अन्त:क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र है।

रॉस के अनुसार :- "सामाजिक तथ्यों का विज्ञान समाजशास्त्र है।"

समाजशास्त्र का क्षेत्र

समाजशास्त्र के अन्तर्गत अनेक ऐसे सिद्धान्त हमारे समक्ष आते हैं जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान प्राणिशास्त्र आदि में किया जाता है। समाजशास्त्र सम्पूर्ण समाज का अध्ययन करता है इसलिये इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों की सीमाओं में प्रविष्ट हो जाना स्वाभाविक बात है।

इस सम्बन्ध में कालबर्टन के विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते है कि चूंकि समाजशास्त्र इतना लचीला विज्ञान है, यह निश्चित करना कठिन है कि कहाँ इसकी सीमाएँ आरम्भ होती है और कहाँ समाप्त होती है।

सामजशास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और कहाँ इसकी सीमाएं सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है और कहाँ अर्थशास्त्र का सिद्धान्त समाजशास्त्रीय सिद्धान्त बन जाता है अथवा जैविकीय सिद्धान्त समाजशास्त्रीय सिद्धान्त बन जाता है।

संस्कृत साहित्य की शास्त्रीय परम्परा

संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता का प्राण तत्व है, इसी भाषा में भारत का मनन, चितंन, ग्वेषण एवं अनुभव संचित है। संस्कृत का इतिहास ही भारत का इतिहास है। वैदिक काल में अक्षुण्ण प्रवाहित इस भाषा में प्राचीन भारतीय ज्ञान का भण्डार सम्मिलित है। संस्कृत शब्द का अर्थ है - परिष्कृत, निर्दोष, निर्मल तथा शुद्ध। अपने औदात्य के कारण ही यह देवभाषा या गीर्वा वाणी के नाम से व्यक्त हुई। भारतीयों के सभी धर्मग्रन्थ, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ, दर्शन, धर्मशास्त्र महाकाव्यकाल, नाटक, गध काव्य, गीतिकाव्य, गणित, ज्योतिष नीति, काम, आयुर्वेद, कृषि अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास छन्द कोशग्रन्थ आदि सभी सस्कृत भाषा में ही उचित है।

ज्ञान विज्ञान का ऐसा कोई अंग नही जो संस्कृत में न हो। विश्व का प्राचीनतम साहित्य इसी भाषा में है। भारोपीय परिवार की यह सबसे प्राचीन व प्रमुख भाषा है जिसके बिना वैज्ञानिक अध्ययन असंभव है। संस्कृत मानवजाति की धरोहर है। इसकी व्यापकता आन्तरिक सम्भूति एवं कमनीयता एवं मूल्यावलम्बन इसके महत्त्व को बढ़ाते हैं। प्रबुद्ध भारतीय विचार दर्शन, धर्म, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान की अनुपम उपलब्धि के मर्म को समझने के लिए संस्कृत ज्ञान अपरिहा है। संस्कृत वाङमय निम्न रूपों में प्राप्त है। वैदिक साहित्य, पुराण साहित्य, आर्ष साहित्य, ललित साहित्य तथा शास्त्रीय साहित्य। शास्त्रीय साहित्य में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कामशास्त्र, वास्तुशास्त्र• नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, संगीतशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, गणितशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, कृषिशास्त्र के अतिरिक्त पशुपालन शालिहोत्र गजाश्वशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूभर्ग शास्त्र, जीव शास्त्र व 64 कलाओं से सम्बन्धित विविध शास्त्रीय साहित्य उपलब्ध होता है।

"ऋषीणांमाघानां गहनमननावाप्त सुयशाः
श्रुतीना शास्त्राणां निखिलगुण - तत्वार्थनिलया।
पुरातत्वाधारा सकलभावः ज्ञानाधिविभवा
जयेद देववाणी त्रिभुवन मनोज्ञा बुधप्रिया।।"

संस्कृत साहित्य के क्षितिजान्त प्रागंण में गघ एवं पघ की गंगा यमुना धारा सुदीर्घ काल से प्रवाहित होती रही है। यह अविरल धारा "तमसो मा ज्योतिर्गमय' अर्थात् अधकार से प्रकाश की ओर अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का प्रबल माध्यम है। इस विशाल ज्ञानरूपी सागर का प्रयोग करके अनेक विद्वान, विविध मनीषी कविवृन्द अपने प्रतिभचक्षु से स्वमनोनुकुल ज्ञान गुच्छको प्राप्त कर निःश्रेयस की प्राप्ति करते है।

साहित्य विचार अभिव्यक्ति का पावन माध्यम एवं संस्कृत साहित्य उच्च गिरिश्रृंग है जिस पर चढ़कर मनुष्य सुदीर्घ स्त्रोत से बड़ी दूर तक देख सकता है। इस महानद के तट पर मनुष्य के उत्थान व पतन के अनेक चिन्ह दिखाई देते हैं।

संस्कृत साहित्य में रामकथा, कृष्णकथा और महाभारत की कथा पर अनेक काव्यों की रचना हुई है। राम और कृष्ण जहाँ सर्वदा श्रद्धेय है वही महाभारत के पात्र एक अनुभव की वस्तु है। पाठक महाभारत की कथा को पढते - पढ़ते उसमें प्रवेश कर चुका होता है तो उसके लिए वह समय और यह समय में कोई भेद नहीं रह जाता है।

इस प्रकार विश्व में प्राचीन कला - विधान की दृष्टि से श्रेष्ठतम साहित्य का संस्कृत अक्षय कोष है। वैदिक साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र विज्ञान आदि जीवन का ऐसा कोनसा क्षेत्र नहीं है जिसका साहित्य संस्कृत में नहीं है। इसका अपार ज्ञान भण्डार हिन्द महासागर से भी गहरा भारत के भौगोलिक विस्तार से भी व्यापक एवं हिमालय के शिखरों से भी अधिक ऊँचा एवं ब्रह्मा की प्रकल्पना से भी अधिक सूक्ष्म है।

यह दिव्या वाक् संस्कृत भाषा अनादि काल से ही अनवरत रूप से सहृदयों को सानुभूति कराने में समर्थ रही है। यह सरिता प्राचीन काल से अविच्छन्न विशाल धारा के रूप में निरन्तर विद्यमान है, जिसके प्रमाण वाल्मीकि, व्यास, महारूवि भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत एवं आधुनिक अनेक संस्कृत साहित्यकार रहे हैं जिन्होनें अनेक साहित्यों का सृजनकर संस्कृत वाङ्मय में श्री वृद्धि की है।

वैदव्यास की रचना में स्त्रीविमर्श आज के सन्दर्भ में -

महाभारत के संदर्भ में

महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित आदिकाव्य महाभारत सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है, पारिवारिक विवादो से उपजी अराजकता का चित्रण सहज एवं प्रेरक तरीके से महाभारत में किया गया है। सांसारिक विद्रूपताओं से उत्पन्न अशांति एवं असतोष को महर्षि व्यास ने अपने महाकाव्य का विषय बनाकर सम्पूर्ण काव्य को प्रेरणास्पद एवं अनुकरणीय बनाया है। महाभारत के सन्दर्भ में श्लोक प्रसिद्ध है –

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्।

(महाभारत/ स्वगोरोहण पर्व /05/50)

अर्थात जो महाभारत में है वही सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त है और जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। हजारों वर्षो से पहले त्रिकालज्ञ महर्षि व्यास ने वर्तमान में उत्पन्न होने वाली स्थितियों को भापकर समाज से जुड़े उन सभी पहलुओं को अपने विशालतम् काव्य में सम्मिलित किया जो आज भी प्रेरणादायक होकर समायानुकूल प्रतीत होते हैं।

प्राचीनकाल में लिखे गये काव्य अधिकांश पुरूष प्रधान होते थे परन्तु महाभारत ऐसी रचना है जिसमें स्त्री व पुरूष को समान अधिकार दिये गये हैं। इस रचना में स्त्रियों को भोग की वस्तु न समझकर पुरूषों के समकक्ष माना गया है, और यह सिद्ध किया गया कि एक स्त्री पर ही सम्पूर्ण परिवार का उत्तरदायित्व होता है। यदि स्त्री चाहे तो परिवार को बाँधकर सभी सदस्यों का मार्ग प्रशस्त्र कर सकती है और वह चाहे तो परिवार को पतन के गर्त में डाल सकती है।

महाभारत का प्रत्येक पात्र कोई न कोई प्रेरणा अथवा सबक अवश्य देता है इन्ही चरित्रों के माध्यम से महर्षि वेदव्यास आज की नारियों को संदेश देते हुए नजर आते हैं।

गांधारी के माध्यम से आधुनिक नारी के संदेश :-

कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी, कौरवों की माता हस्तिनापुर की महारानी गांधार नरेश की पुत्री धूतक्रीडा विशेषज्ञ शकुनि की बहन इन सभी उपनामों से सुशोभित गौरवमयी गांधारी का चरित्र आज भी नारियों को कई शिक्षाएँ देता है। गांधारी को जब पता चला कि उसका पति जन्मान्ध है तब वे श्रेष्ठ पतिव्रताओं की तरह अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेती है।'[23] यह सोचकर कि जब पति ही संसार को नही देख पा रहे हैं तो में क्यों देखू? जबकि होना यह चाहिए था कि गांधारी अपने पति के नेत्रों की ज्योति बनती, पति असक्षम वे तो वे अपने पुत्रों को श्रेष्ठ व्यक्तित्व सम्पन्न संस्कारों से सुशोभित करके उन्हें प्रेम व सहयोग का पाठ पढ़ाकर उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती थी ताकि सौ पुत्रों की माता होने पर उन्हें पुत्र वियोग नहीं सहना पड़ता।[24]

व्यास जी ने गांधारी के माध्यम से आज की नारियों को यही संदेश देते है कि सहीऔर गलत के न्याय की स्थिति में निरूत्तर नहीं हो जाना चाहिए। आँखों पर पट्टी बाधने से तात्पर्य कपडे की चन्दतहों से न होकर सब कुछ देखते हुए भी समय रहते उसमें सुधार नही करने से है।

आज भी आधुनिक कहलाने वाली नारी अपने कर्तव्यों की इतिश्री गांधारी की तरह ही कर लेती है। आधुनिकता की पट्टी बाँधे वह पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा करती है। एक मशीन की तरह पैसा कमाने की दौड़ एवं हौड में अपनी परम्पराओं और संस्कारों को अनदेखा करती है। महर्षि व्यास यही संदेश देना चाहते है कि आँखों की पट्टी तो केवल प्रतीक मात्र है एक वस्तु को पाने की लालसा में यदि दूसरे दायित्वों कोअनदेखा किया जावेगा तो परिणाम दुखद एवं हृदयविदारक ही होगा। अपने पति के प्रेम की एक मात्र अधिकारिणी बनने की लालसा लिए ही गांधारी ने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली थी। इसी कारण उन्होनें अपने पुत्रों को उपेक्षित किया था कि इसका परिणाम उन्हें पुत्रशोक के रूप में भुगतना पडा। गांधारी की एक भूल यह थी किउन्होनें अपने भाई शकुनि को लम्बे समय तक अपने साथ रखा।

यधपि शकुनि अपने भांजो का बुरा नही चाहते थे, तथापि अति महत्वकांक्षा ने उन्हें धूर्त एवं षडयन्त्रकारी और चहेते भांजों को अभिमानी एवं हठी बना दिया था।[25]

इस प्रसंग के माध्यम से व्यासजी यही शिक्षा देने चाहते हैं कि जैसे सोना सुनार के घर ही अच्छा लगता है उसी प्रकार जिसका स्थान जहाँ हो वही रहे तो वह सुशोभित होता है, अन्यथा यह सब घुसपैठ की तरह हो जाता है जिससे कोई बाहरी व्यक्ति अपने घर में आकर आपसी परम्पराओं को परिवर्तित करने की कुचेष्टा करे इसके परिणाम भी दु:खमयी होते हैं। शकुनि द्वारा किये गये षड्यन्त्रों का परिणाम सम्पूर्ण विश्व जानताहै ।

अत: गांधारी के माध्यम से व्यास जी आधुनिक नारी को यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं के निर्णयों के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, सगे भाई पर भी नहीं स्वयं को इतना सक्षम व सामर्थ्यवान बनाना चाहिए कि वह स्वयं के साथ परिवार के निर्णय लेकर अपने परिवार को उन्नत्ति के मार्ग की ओर अग्रेषित कर सके।

कुन्ती के माध्यम से व्यासजी का आधुनिक नारी का संदेश

पांडवो की माता कुंती श्रेष्ठ व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। कहा जाता है कि व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है और वह गलतियाँ पुन: न हो ऐसा प्रयास करता है। कुंती द्वारा अज्ञानतावश हुई भूलों से भी वेदव्यास हमें यही संदेश देना चाहते है कि उनके साथ जो हुआ उसकी पुनरावृति न हो।

ज्ञातव्य है कि कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वशीकरण मंत्र प्रदान किया था। कुंती उस समय नवीन उत्साह सम्पन्न नवयुवती थी। महर्षि द्वारा दिये गये मंत्र की परीक्षा हेतु उन्होने भगवान सूर्य नारायण का आह्वान किया और मंत्र के प्रभाव से न चाहते हुए भी कर्ण को जन्म दिया। परन्तु लोकलाज के भय से नवजात बालक को जल में बहा दिया था।[26]

महर्षि व्यास ने कुती के चरित्र के माध्यम से आज की नारी को यह संदेश दिया है कि आधुनिकता की चादर ओढ़े कई बार युवतियां नवीन वय से सम्पन्न होने पर स्वयं के संस्कारों को भुलाकर युवावस्था में मदोन्मत होकर अनचाही भूल कर बैढती है जिसके परिणाम दु:खद होते है। या तो उन्हें समाज में अपमानित होना पडता है या अवांछित संतानों को कर्ण की तरह बेसहारा छोड़ दिया जाता है। आधुनिक युग में ऐसे किस्से देखने एवं सुनने में आते रहते है। महर्षि व्यास ने युवा वर्ग को चेताया है कि युवावस्था के मद मे अति उत्साहित होकर परिणामों को बिना सोचे विचारे कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए।

यौवन एक ऐसी अवस्था है जिसमें पथ भ्रमित होने के अवसर अधिक होते है। अत: जनसाधारण एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे आधुनिकता के चक्कर में अपनी संतानों को उतने ही भौतिक संसाधन उपलब्ध उपलब्ध कराये जितनी कि उन्हें आवश्यकता हो। आज के मोबाइल एवं इन्टरनेट के युग में वैसे ही तकनीकों का जमकर दुरूप्रयोग हो रहा है। ऐसे में आज्ञाकारी व संस्कारी संतान कब पथ भ्रमित हो जाये यह कहना मुश्किल है। दुवार्सा ऋषि द्वारा बालिका कुंती को दिये गये मंत्र के दुरूप्रयोग से ही कर्ण का जन्म हुआ था। अत: व्यासजी अपने काव्य के माध्यम से यही संदेश देना चाहते है कि संसाधनों का दुरूप्रयोग नहीं होने चाहिए। कुंती के वचनों की रक्षा के लिए युधिष्ठिर ने समस्त पाण्डवों के साथ द्रौपदी के विवाह का निर्णय लिया था। व्यासजी ने कुंती के माध्यम से एक और संदेश दिया है कि नारी में सही गलत का निर्णय चलने की क्षमता होनी चाहिए। कुंती जानती थी कि उनके पुत्र महान् पराक्रमी है तथापि वनवास एवं अज्ञातवास के पश्चात् पांडव दिशाहिन हो गये थे वे यह भीजानती थी कि पुत्रवधू द्रौपदी कभी लक्ष्यच्युत नहीं हो सकती है[27] कि उस समय कुंती अपने पुत्रों से कहती है कि तुम द्रौपदी के बताये गये मार्ग पर चलो।[28] इस प्रसंग के माध्यम से व्यास जी ने आधुनिक नारी को यह संदेश दिया कि तटस्थ भाव से प्रत्येक पक्ष का अवलोकन करना चाहिए तभी आप उचित व अनुचित का निर्णय लेने में सक्षम हो सकेगे अन्यथा मोहग्रस्त होकर अवनति की ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

सुभद्रा के माध्यम से आज की नारी को संदेश

सुभद्रा अर्जुन की पत्नी व द्रौपदी की सौतन थी तथापि सुभद्रा का चरित्र इतना दृढ व संयमित था कि उन्होने पाण्डवों और द्रौपदी की अनुपस्थिति में स्वयं के तथा द्रौपदी के पुत्रों का समुचित लालन - पालन करके उन्हें अस्त्र - शस्त्र तथा सदाचार की शिक्षा दिलाकर एक श्रेष्ठ योद्धा बनाया था।'[29]

आज वर्तमान में सुभद्रा जैसे चरित्रों की अत्यधिक आवश्यकता है। आज की नारी ही नारी की दुश्मन बनी हुई है। खुद को श्रेष्ठ साबित करने की चाह एवं अभिमान में नारी अपने समक्ष अन्य नारी को देखना भी नहीं चाहती. मैत्री भाव स्थापित होना तो दूर की बात है।

व्यासजी ने सुभद्रा के माध्यम से यह संदेश दिया की सुभद्रा ने सौतन जैसे प्रतिद्वन्दी रिश्ते को भी अत्यन्न प्रेम सहजता व जिम्मेदारी पूर्वक निभाया था वैसी ही संयम एवं दायित्व की भावना व्यासजी आज की आधुनिक नारी में भी देखना चाहते है। वेदव्यास जी यह संदेश देते है कि यदि प्रेमभाव से रहोगे तब ही अच्छे परिणाम मिलेगे, अन्यथा कौरव - पाण्डव आपस में भाई - भाई होने पर भी गृहक्लेश के कारण लड़े थे और अभिमन्यु एवं दौपदी के पाँचो पुत्र भ्रातृत्व का उदाहरण बन गये थे।[30] यह सभी परिणाम नारी के सर्मपण पर ही निर्भर करते है।

द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से व्यासजी का संदेश

आज वर्तमान युग में कन्याभूण हत्या जैसे निर्गम व घृणित कार्य के दर्शन निरन्तर होते रहते हैं। यदि समय रहते हमारा समाज नही जागृत हुआ तो द्रौपदी के पाँच - पाँच पति वाली स्थिति शीघ्र ही उत्पन्न हो जायेगी और स्त्री केवल भोग की वस्तु बनकर रह जायेगी। प्रत्येक स्त्री द्रौपदी की तरह सामर्थ्यवान् नही हो सकती जो पाँच भिन्न - भिन्न विचारो वाले व्यक्तियों के साथ सामजस्य बिठा सके।[31] आज की आधुनिक नारी तो एक पति के साथ ही वैचारिक तालमेल बिठाने में असक्षम प्रतीत होती है और स्थिति अलगाव तक पहुँच जाती हैं। एक आम नारी में द्रोपदी जैसा साहस व दृढनिश्चय होना मुश्किल है। वेदव्यासजी यही संदेश देना चाहते कि समय रहते इस कुव्यवस्था को नहीं रोका गया तो परिणाम भयानक हो सकते है।

द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से वेदव्यास जी ने कहा है कि नारी को हर स्थिति में पुरूष का साथ देना चाहिए। पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार की उन्नती के लिए आगे बढ़ना चाहिए। परन्तु आज की स्थिति थोड़ी सी अलग है आज पुरूष के साथ चल रही है तो कुछ तो आगे भी निकल चुकी है, परन्तु इस स्थिति में वे अपने पारिवारिक दायित्वों को अनदेखा कर देती है। स्मरण रहे कि द्रौपदी रण में पाण्डवों के साथ नहीं गई थी। अत: यह जरूरी नही है कि वे अपने पति का साथ देने के लिए घर से बाहर ही निकला जाये। एक आम स्त्री की तरह घर पर रहकर भी वह अपने प्रेरक मनोबल स अपने परिवार की सहायता कर सकती है। अपनी संतानों को समुचित संस्कार देकर उनकी आदर्श बन सकती है। व्यासजी यही संदेश देते है कि आधुनिकता की खीचतान में नारी अपने परिवार को कभी अनदेखा नहीं करे क्योंकि जीवन की संध्या में यही परिवार हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए खड़ा रहता है।

अन्त में वेदव्यास जी की शिक्षा और संदेशो को शब्दो से बाँधना अत्यन्न दुर्लभ है। इन्हे आत्मसात करने से ही हम भविष्य में उत्पन्न होने वाली आंशकाओ से स्वयं को व स्वय के परिवार को दूर रख सकते है।

व्यासजी के इन सभी संदेशो मे पारिवारिक एकता है। इसी एकता को बनाए रखने के लिए व्यासजी ने महाभारत का विषय पारिवारिक कलह लिया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ पारिवारिक कलहों के ह्रदय विदारक परिणामों से अवगत होकर पुन: ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देवे।

सन्दर्भ

1. महाभारत, प्रथम खण्ड, आदिपर्व. अध्याय 62, श्लोक 53, पृ. 210
2. देवी भागवत, पहला स्कन्ध,
3. उपाध्याय, बलदेव, संसा. का इतिहास, पृ. - 76-77

4. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 63. श्लोक 86
5. महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय 349, श्लोक 5
6. सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ पराशरसुतं प्रभुम । ब्रह्मपुराणम, अध्याय 1, श्लोक 29
7. पराशर सुतोव्यासः कृत्वा पौराणिकी कथाम। वायपुराणम, अध्याय 2 श्लोक 11
8. पराशरसुतो व्यासं, कृष्णद्वैपायनोऽभवत्। कर्मपुराणम अध्याय 522, श्लोक 9
9. पराशर्य महाभागम् यत्वं प्रच्छसिमामिह। देवीभागवत, अध्याय 1, श्लोक 41
10. कृतस्वन्दनांश्चाहं कुतासन परिग्रहान्। विष्णु पुराण, अध्याय 2 श्लोक 101
11. यच्दवः फलमेवेह जनुषें में कृतार्थता। वायु पुराण अध्याय 2 श्लोक 7
12. एवमुक्तं पुरा विप्रा व्यासेनामित तेजसाः। पदम पूराण अध्याय 13. श्लोक 1
13. मेरूभंगे महारम्य व्यास सत्यवती सुतः। देवीभागवत, अध्याय 1. श्लोक 11
14. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 117, श्लोक 7
15. सत्यवती दृष्टाम लब्धवा वरमनुत्तमम्। अध्याय 63, श्लोक 83-84
16. देवी भागवत, अध्याय 1, श्लोक 1.23.28
17. महाभारत, शांति पर्व, अध्याय 323, श्लोक 27
18. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 1, श्लोक 104
19. महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय 333. श्लोक 22
20. तसोरूत्पादयापत्यं समथोह्यासि पुत्रक। महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 104, श्लोक 38
21. महाभारत, अध्याय 104, श्लोक 39-41, पृ. 378
22. देवी भागवत पुराण 1/3/24-33
23. ततः वा पदृमादाय कृत्वा बहुगुणां तदा। बवन्ध नेत्रे स्वे राजन् पतिव्रतपरायणा।।
महाभारत, आदिपर्व अध्याय 109 श्लोक
24. न्यूनमाचरित पाप मया पूर्वेषु जन्मासु।या पश्यामि हतान् पुत्रान् पौत्रान् भ्रातृथ्य माधव
वही, स्त्रीपर्व अध्याय 16 श्लोक 60
25. अंह तु तद विजनामि विजोतुं येन शक्यते। युधिष्ठर स्वयं राजस्तन्तिबोध जुषरव च ।।
26. तस्याक्षसे कुशलो राजन्नादास्येदऽहम सशयम् । राज्य श्रिय च ता दीप्तां त्वदर्थ पुरुषर्षभ वही, सभापर्व 48, 17.21
27. वही, आदिपर्व 110, 6-22
28. सर्वेषामहिषी राजन् द्रौपदी नो भविष्यति।एवं प्रत्याहृत पूर्व मम मात्रा विशापते ।। वहीं, आदिपर्व 194 23
29. गत्वा बूहि महाबाहो सर्वशंस्त्र भ्रता वरम् । अर्जुन पाण्डवं वीर द्रोपद्याः पदवी चर।।वही, उधोगपर्व 90, 30
30. अभिमन्यु रिव प्रीता द्वारवत्यां रता भ्रशम । त्वामिवेषां सुभद्रा च प्रीत्या सर्वात्मना स्थितावही, वनपर्व 235, 12
31. तैष्व प्रमोदन तथा करोति तथैव भूयश्च तथा सुभद्रा ।। वही, बनपर्व 183, 27

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

कोविड–19 के खिलाफ कारगर 'योग'

डॉ.शाहेदा सिद्दीकी

प्राध्यापक,(समाजशास्त्र), शा.ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 36-40

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

सारांश– खुद को स्वस्थ रख कर बीमारियों से बचना आज दुनियां भर में इंसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। योग इस चुनौती से निपटने में हमारी सहायता करता है। यह शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मददगार है। यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का संतुलन बना कर तनाव से मुक्ति दिलाता है। योग शरीर को लचीला बना कर उसे स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। योग अपने दृष्टिकोण में संपूर्ण होने के कारण जीवन के सभी पक्षों में तालमेल लाता है। इसलिये इसे रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्द्धन और जीवनशैली से संबंधित विसंगतियों के प्रबंधन के लिए जाना जाता है।

मुख्य शब्द– संतुलन, अनुशासन, लचीला, जीवनशैली एवं विसंगतियां तथा प्रबंधन आदि।

तंदुरुस्ती और रोगों से बचाव के लिए हम सदियों से योग का अभ्यास करते आ रहे है। पिछले वर्ष जब भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, उस समय योग और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियां इससे बचाव में बहुत उपयोगी साबित हुई। देश में लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बंद लोगों ने योग को सहर्ष अपनाया। कुद समय पहले आई कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर में तो अस्पतालों और चिकित्सकों ने इलाज के साथ ही योग पर जोर देना शुरू कर दिया है। 21 जून, 2014 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के बाद इसे विश्व भर में स्वीकृत मिली है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अब स्वासयि के लिए वैश्विक आंदोलन बन गया है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी भारतीयों की जीवनशैली का हिस्सा बनी हुई है।1 इसका कारण यह है कि योग मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। योग के विभिन्न दर्शनों और गुरू–शिष्य परंपरा के कारण विभिन्न पारंपरिक स्कूलों का उदय हुआ है। प्रत्येक स्कूल का अपना दृष्टिाकोण और अभ्यास होता है। व्यापक रूप से प्रचलित योग साधनाएं हैं– यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि बंध और मुद्राएं।

सामान्य रूप में योग को आध्यात्मिक रूप में देखा जाता है या फिर स्वयं को चुस्त–दुरूस्त रखने के लिए एक व्यायाम के रूप में। इससे अलग हटकर योग का उपयोग चिकित्सा में भी है जिसे योग चिकित्सा के नाम से जाना जाता है।2 अनादिकाल से सतत अभ्यास, चिंतन–मनन के जरिए ही इस योग थेरेपी का विकास हुआ है। वर्तमान में योग थेरेपी न सिर्फ महामारी से लड़ने में मानव को सक्षम बना सकती है बल्कि स्वास्थ्य को नए आयाम में भी परिभाषित कर सकती है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

योग अनिवार्य रूप से सूक्ष्मविज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है। यह मन और शरीर के बीच तालमेल बनाने के साथ ही विचार और किया, संयम और पूर्ति, मानव और प्रकृति, स्वास्थ्य और कुशलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। प्राचीनकाल से लेकर आज तक प्रसिद्ध योग गुरुओं की शिक्षा से योग पूरे विश्व में फैल गया है। अब लोग बीमारियों की रोकथाम प्रबंध और स्वस्थ रहने के लिए योग पर विश्वास करने लगे हैं। दुनिया भर में लाखों लोग योग के अभ्यास से लाभान्वित हुए है। इसी वजह से योग का अभ्यास फल–फूल रहा है और अधिक जीवंत होता जा रहा है।

वर्तमान महामारी (कोविड–19) में योग की भूमिका– कोराना जैसी घातक महामारी से उबरने की कोशिश के संदर्भ में योग अत्यंत उपयोगी हो गया है। जन स्वास्थ्य, निवारक दवा, शारीरिक और मानसिक दोनों मोर्चों पर व्यक्तिगत देखभाल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। नियमित रूप से योग अभ्यास करने से कोविड–19 से पीड़ित उन हजारों लोगों को राहत मिली है जिन्होंने बीमारी के विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त होने में योग की सहायता ली।

प्राणायाम (नाड़ीशोधन, उज्जयी, भ्रामरी आदि) का सही संयोजन कोविड–19 संक्रमण को कम करने में एक व्यापक हस्तक्षेप का जरिया बनाता है। यहां जरूरत है सचेत रहते हुए गहरी, धीमी, लयबद्ध सांस लेने पर जोर देने की। सोने से पहले 15 मिनट गहरी सांस लेने का अीयास (अनुलोम–विलोम प्राणायाम) नींद की गहराई को बढ़ाता है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग अभ्यास को नियमित रूप से करने से लोगों को सामानय स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी और इस तरह से योग घातक बीमारियों के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में काम करेगा।

एक चिकित्सा के रूप में योग–एक चिकित्सा (थेरेपी) के रूप में योग का प्रयोग अब दुनिया के कई हिस्सों में चिकित्सा का अन्य पद्धतियों के विकल्प के रूप में किया जा रहा है। योग करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। योग अभ्यास के कई लाभ में से एक रक्तचाप नियंत्रण है जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। योग चिकित्सा से टाइप–2 मधुमेह वाले वयस्को की ग्लूकोज सहिष्णुता और इंसुलिन संवेदनशीलता, लिपिड प्रोफाइल, मानवमिति और रक्तचाप जैसे सूचकांकों में सुधार देखा गया है। इससे ऑक्सीडेंट डेमेज में कमी पाई गई है।3 यह भी पाया गया है कि योग के अभ्यास से मधुमेह के रोगियों की दवा पर निर्भरता को कम किया जा सकता है और यह मधुमेह से प्रभावित लोगों में हृदय संबंधी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए समग्र जीवनशैली अपनाना और आहार, व्यायाम आदि का पालन करना जरूरी है। आधुनिक वर्तमान समाज में जीवनशैली संबंधी विकारों की महामारी का सामना कर रहा है जिससे बचने के लिए स्वयं व्यक्तियों को सचेत रूप से खुद में बदलाव लाने होंगे। योग एक उचित और स्वस्थ जीवनशैली को बहुत महत्व देता है।
योग के मुख्य घटक–

1.आहार : योग एक स्वस्थ, पौष्टिक आहार पर जोर देता है जिसमें ताजा भोजन, हरा सलाद, अंकुरित भोजन, अपरिष्कृत अनाज और ताजे फलों के संतुलित सेवन के साथ पर्याप्त मात्रा में ताजे पानी का सेवन शामिल है। प्यार और स्नेह के साथ तैयार और परोसे जाने वाले सात्विक आहार के बारे में सजग रहना भी जरूरी है।

2.विहार : अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए उचित मनोरंजक गतिविधियां जरूरी है। इसमें उचित विश्राम, क्रिया–वाक–विचारों और सामूहिक गतिविधियों में शांति बनाए रखना शामिल है जिसमें व्यक्ति अहम की भावना खो देता है। कर्म योग अहम की भावना को खोने और सार्वभौमिकता की भावना प्राप्त करने का एक उत्कृष्टा तरीका है।

3.आचार : व्यायाम जैसी स्वस्थ गतिविधियों के महत्व पर भी योग जोर देता है और नियमित रूप से आसन, प्राणायाम और क्रियाओं की सिफारिश करता है। सांस और हृदय के स्वास्थ्य को ऐसी गतिविधियों से बल मिलता है।

4.विचार : कुशल–क्षेम के लिए सही विचार और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। नैतिक रूप से संयम और नियम (यम और नियम) का पालन करने से मन संतुलित रहता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, इस दुनिया में हर किसी की जरूरत पूरी हो सकती है लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं हो सकती''।

योग चिकित्सा के सिद्धान्त– भारतीय दर्शन में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवद् गीता आदि ग्रंथों में योग प्रक्रिया का विशेष वण्रन देखने को मिलता है बौद्ध और जैन साहित्य में भी योग पर विचार किया गया है। परन्तु योग को एक स्वतन्त्र, दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। उनके द्वारा प्रतिपादित 'योग सूत्र' योग दर्शन का सर्वप्रथम प्रमाणित ग्रन्थ है। महर्षि, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है– चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त से तात्पर्य मनुष्य के अन्तकरण (मन, बुद्धि, अहंकार) से है। मन मनुष्य का सबसे चंचल भाग है। मनुष्य जितने भी नैतिक, अनैतिक कार्य करता है उन सबका कारण चित्त अर्थात् मन ही है। चित्त को नियंत्रित करना अत्यन्त आवश्यक है।

पतंजलि के अनुसार चितवृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्तियों का निरोध अभ्यास से होता है। योग के अनुसार चित्त की पाँच अवस्थाएं होती है– मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरूद्ध। मूढ़ अवस्था में चित्त तमोगुण से प्रभावित रहता है अर्थात मन इन्द्रियों के भोग में लीन रहता है इस कारण प्राणी आलस्य और निद्रा से घिरा रहता है। क्षिप्त चित्त में रजोगुण, की प्रधानता रहती है इस अवस्था में चित्त अधिक चंचल रहता है किन्तु व्यक्ति अच्छे व बुरे परिणामों की ओर सोच नहीं पाता।4

विक्षिप्त अवस्था में रजोगुण, तमोगुण दोनों की प्रधानता रहती है इस कारण वह अपने कर्मों के परिणामों की ओर ध्यान देता है। एकाग्र चित्त में सतोगुण की प्रधानता रहती जिस कारण इस अवस्था में व्यक्ति में ज्ञान का प्रकाश देखने को मिलता है। निरुद्रावस्था व्यक्ति की पाँचवी अवस्था है इसमें वृत्तियों का सम्पूर्ण निरोध हो जाता है और उसमें स्थिरता आ जाती है।5

योग की क्रिया का तंत्र– निम्नलिखित कुछ तंत्र हैं जिनके माध्यम से योग एक एकीकृत मन–शरीर औषधि के रूप में कार्य करता है–

1.विभिन्न शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से संचित विषाक्त पदार्थों को साफ करने और सूक्ष्म व्यायाम (शरीर के सभी अंगों के लिए सहज गति) के माध्यम से सहजता के बोध का विकास होता है। यह कई संक्रमणों को रोकता है।

2.उचित पौष्टिक आहार के साथ एक यौगिक जीवनशैली को अपनाने से सकारात्मक एंटीऑक्सीडेंट की वृद्धि होती है और इस प्रकार शरीर में मुक्त कणों (रेडिकल्स) को निष्क्रिय कर देता है। सक्रिय पोषक तत्वों को एनाबॉलिक, रिपेरेटिव और उपचार प्रक्रियाओं पर काम करने में सक्षम बनाता है।

3.बिना किसी तनाव के स्थिर और आरामदायक तरीके के विभिन्न शारीरिक आसन के जरिए पूरे शरीर को स्थिर करता है। शारीरिक संतुलन और स्वयं के साथ सहजता की भावना मानसिक/भावनात्मक संतुलन को बढ़ाती है और सभी शारीरिक प्रक्रियाओं को स्वस्थ तरीके से संचालित होने में सक्षम बनाती है।

4.योग स्वायत्त श्वसन तंत्र पर नियंत्रण में सुधार करता है। यह श्वास पैटर्न ऊर्जा उत्पन्न करता है और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। मन और भावनाएं हमारे सांस लेने के पैटर्न और गति से संबंधित है और इसलिए सांस लेने की प्रक्रिया का धीमा होना स्वायत्त कामकाज, पाचन प्रक्रियाओं के साथ–साथ भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है।

5.योग सांस के साथ शरीर की गतिविधियों को एकीकृत करता है जिससे मन और शरीर का तालमेल बनता है। योग में भौतिक शरीर का संबंध अन्नमय कोष (हमारे शारीरिक अस्तित्व) से और मन का संबंध मनोमय कोष से है। प्राणायाम कोष (श्वास की ऊर्जा द्वारा कायम हमारे शारीरिक अस्तित्व) उनके बीच में है। सांसों के जरिए ही मन और शरीर के बीच संतुलन बनता है।

6.यह मन को साकारात्मक रूप से की जाने वाली गतिविधियों पर केंद्रित करता है। ऊर्जाप्रवाह को बढ़ाता है जिसका परिणाम शरीर के विभिन्न हिस्सों और आंतरिक अंगों में स्वस्थ परिसंचरण के रूप में सामने आता हैं जहां मन जाता है, वहां प्राण प्रवाहित होता है।

7.योग चिंतनशील प्रथाओं के माध्यम से एक शांत आंतरिक वातावरण बनाता है जो बदले में हीमोस्टैटिक तंत्र के सामान्यीकरण को सक्षम बनाता है। योग सभी स्तरों पर संतुलन या समतव के बारे में है। मानसिक संतुलन शारीरिक संतुलन पैदा करता है ओर इसके विपरीत भी शारीरिक संतुलन से मन भी संतुलित होता है।

8.शारीरिक और मानसिक तकनीकों के माध्यम से शरीर–भावना–दिमाग को आराम देता है जो बाहरी और आंतरिक तनावों के जवाब में मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है जैसा कि कई गंभीर रोगों के मामलों में देखा गया है जहां अन्य उपचार कोई सात्वना देने में सक्षम नहीं होते।

8.यम–नियम और विभिन्न यौगिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से जीवन और नैतिक जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण के माध्यम से आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाता है। विश्वास, आत्मविश्वास और आत्मबल ही कायाकल्प और स्फूर्ति के लिए सबसे जरूरी है।

योग से होने वाले लाभ–

1.भारतीय योग दर्शन के अनुसार सभी प्रकार के असाध्य रोगों जैसे– एड्स, कैंसर, हीमोफीलिया, डायबिटीज, टी.बी. उच्च रक्तचाप (बी.पी.) आदि समस्त शारीरिक रोगों से मुक्ति संभव।6

2.सभी प्रकार के मानसिक रोगों जैसे– तनाव, उन्माद, भय, डिप्रेशन, चिन्ता, अनिद्रा, आक्रोश आदि से मुक्त संभव।

3.सभी प्रकार के नशों जैसे– शराब, अफीम, स्मेक, हेरोइन, भाँग, तम्बाकू (जर्दा), बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि से बिना परेशानी के छुटकारा संभव।

4.आध्यात्मिकता के पूर्ण ज्ञान के साथ भूत, वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं को ध्यान के दौरान प्रत्यक्ष देखना और सुनना

संभव

1. शर्मा उर्षा, 2007 योगासन और उसके लाभ, इलाहाबाद भारतीय प्रकाशन, पृष्ठ– 48
2. मिश्रा, महेनद्र कुमार, 2011 योग द्वारा स्वास्थ्य, जयपुर इंडियन पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ– 18
3. प्रतियोगिता विज्ञान, पृष्ठ– 40
4. कुरुक्षेत्र भारत सरकार, पृष्ठ– 60 व 61
5. भारती राकेश, 2008 योगदर्शन, दिल्ली पृष्ठ–63 व 64
6. गर्ग, कुमार कृष्ण, 2000 योग विज्ञान तथा जीवन में उसकी उपयोगिता, दिल्ली प्रकाशन, पृष्ठ– 28

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

दलित नारीवाद और रजनी तिलक की कविताएँ

आकाश कुमार
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, दाउदनगर कॉलेज
(मगध विश्वविद्यालय) औरंगाबाद, बिहार।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 41-45

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोध सारांश : यह शोध पत्र दलित नारीवाद के संदर्भ में रजनी तिलक की कविताओं पर केन्द्रित है। रजनी तिलक जी जन्म 27 मई 1958 को दिल्ली में हुआ था और मृत्यु 30 मार्च 2018 को हुई। वे एक दलित नारीवादी कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक लेखिका भी थीं। इसलिए उनकी कविताएँ राजनीतिक तेवर वाली कविताएँ हैं जहाँ सीधे सीधे अपनी बातों को उन्होंने रखा है। ये कविताएँ दलित स्त्री के 'स्व' से शुरू होकर 'हम' पर जाती हैं। इन कविताओं में दलित स्त्री के शोषणमात्र को बयां नहीं किया गया है बल्कि उन शोषण के कुचक्रों की समूची संरचना की पड़ताल की गयी है। रजनी तिलक की कविताएँ दलित नारीवाद की अवधारणा को समझने के लिहाज से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। दलित विमर्श और स्त्री विमर्श से अलग दलित स्त्री के विमर्श की जरूरत क्यों पड़ी इसे ये कविताएँ बखूबी बयान करती हैं।

मुख्य शब्द : दलित स्त्री, पितृसत्ता, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, जाति, जेंडर, दलित साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य।

कविता में दलित स्त्री और उसके मुद्दों की उपस्थिति हमेशा से नहीं के बराबर रही है। दलित और स्त्रीवादी साहित्य के तहत लिखी जाने वाली कविता भी दलित स्त्री तक ठीक ढंग से नहीं पहुँच पाई। दलित साहित्य जिसपर दलित पुरुषों का ही वर्चस्व रहा उसमें थोड़े बहुत दलित स्त्री के सवाल आये भी तो उनमें पुरुष का दृष्टिकोण हावी था। दलित कविता दलित स्त्री की संवेदना से खुद को जोड़ नहीं पाई। यही हाल स्त्रीवादी कविताओं का भी रहा, दलित स्त्री से दूरी यहाँ भी बनी रही। चूंकि जिस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की बात दलित स्त्रीवाद करता है उससे मुख्यधारा के नारीवाद की लम्बे समय तक दूरी बनी रही और काफी हद तक अभी भी है, इसलिए भी स्त्रीवादी रचनाएँ दलित स्त्री के मुद्दों से अछूती रह गयीं। दलित स्त्री की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति इस स्तर पर रही नहीं कि दलित स्त्रियाँ कविताओं में अपनी बात रख पायें। तेलुगु, मराठी में तो दलित स्त्री लिखती बोलती रही है पर हिंदी में ऐसी स्थितियां कभी बन नहीं पायीं। हाल के कुछ वर्षों में जब कुछ दलित स्त्रियाँ शिक्षा की ओर बढ़ी हैं और दलित नारीवादी सिद्धांतों से उनका साबका हुआ है, हिंदी कविताओं में भी दलित स्त्री की मौजूदगी दिखाई देने लगी है। हिंदी में जो दलित स्त्रियाँ कविता लेखन में सक्रिय हैं उनमें कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं : सुशीला टाकभौरे, रजनी तिलक, रजनी अनुरागी, अनीता भारती, हेमलता महिश्वर, कुसुम मेघवाल, पूनम तुषामड़, रजतरानी मीनू, कौशल पंवार, सुमित्रा महरोल आदि हैं।

इन कवयित्रियों की कविताओं में जाति और जेंडर आधारित शोषण के सवाल, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की अलग-अलग रूपों में मौजूदगी, नारीवादी और दलित आंदोलनों में दलित स्त्री का सवाल और उन्हें चुनौती देते हुए दलित नारीवाद की

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

पहचान की जा सकती है। बहुत सी कविताएँ ऐसी हैं जहाँ दलित स्त्री सीधे-सीधे उपस्थित नहीं है लेकिन उसके जीवन को प्रभावित करने वाले सवाल मौजूद हैं। ये कविताएँ भी दलित नारीवाद से जुड़ती हैं। बहुत सी कविताएँ ऐसी हैं जहाँ दलित खुद स्त्री खड़ी है और अपने चारों ओर की दुनिया को प्रश्नाकूलता की दृष्टि से देख रही है। दलित स्त्री का रोजमर्रा का जीवन, अस्तित्व के लिए उसका संघर्ष, घर और बाहर की असुरक्षित स्थितियों में जीवन यापन और इस जीवन को बदलने के लिए उसका चेतनशील होना इन कविताओं का विषय हैं।

रजनी तिलक एक दलित नारीवादी कार्यकर्त्ता और लेखिका हैं। उनके दो काव्य संग्रह 'पदचाप' और 'हवा सी बेचैन युवतियां' प्रकाशित हैं। इनकी कविताओं में दलित नारीवाद का प्रखर स्वरूप देखने को मिलता है। रजनी तिलक शुद्ध रूप से दलित नारीवादी कवयित्री हैं। उनकी कविताओं में दलित स्त्री की पराधीनता, गैर दलित स्त्री से उसकी भिन्नता, स्त्री और दलित आंदोलनों को दलित स्त्री के सम्बन्ध में सवालों के घेरे में लाना आदि मुद्दे देखे जा सकते हैं। अपने कविता संग्रह 'पदचाप' के आत्मकथ्य में वे दलित स्त्री की सर्वाधिक दलित स्थिति बताते हुए लिखती हैं :

"आजादी की स्वर्ण जयंती और मानव-अधिकार की घोषणा के पचास वर्ष बीत जाने पर भी दलित स्त्रियों की हालत में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। शिक्षा, राजनीति, प्रशासनिक सेवा, वाणिज्यिक क्षेत्र में उसकी पहुँच नगण्य है। अगर वो कहीं है तो शहर की स्लम, धूल व् बदबूदार, दूर-दराज गाँव-देहातों के बहार बनी बस्तियों में। इन बस्तियों में शौचालय, पीने का पानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक चिकित्सालय, यहाँ तक कि गाँव को जोड़ने वाली सड़कें तक उपलब्ध नहीं हैं। टेलीफोन, बिजली की बात तो छोड़ दीजिये।"[i]

रजनी तिलक की कविता 'औरत-औरत में अंतर है' दलित स्त्री और सवर्ण स्त्री के बीच के फर्क को रेखांकित करती है। दलित नारीवाद की अवधारणाओं का बिलकुल सटीक काव्यात्मक रूप है यह कविता। वे लिखती हैं :

औरत-औरत होने में
जुदा-जुदा फर्क नहीं तो क्या?
एक भंगी तो दूसरी बामणी
एक डोम तो दूसरी ठकुरानी
दोनों सुबह से शाम खटती हैं
बेशक, एक दिन भर खेत में
दूसरी घर की चारदीवारी में
शाम को एक सोती है बिस्तर पे
तो दूसरी काँटों पर।[ii]

दलित नारीवाद इस बात को बहुत जोर के साथ कहता है कि दलित स्त्री की समस्याएँ वही नहीं हैं जो एक सवर्ण स्त्री की समस्याएँ हैं। इसी मुद्दे पर वह मुख्यधारा के नारीवाद के साथ अपनी असहमति भी व्यक्त करता है और उससे अलग अपनी राह चुनता है। दलित नारीवादी स्त्रियाँ जो पहले नारीवादी संगठनों से जुडी हुई थीं उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वहाँ सवर्ण स्त्री के मुद्दों में दलित स्त्री के मुद्दों को तिरोहित कर दिया जा रहा है और दलित स्त्री की अलग पहचान को, जाति आधारित उसकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर दलित नारीवादी आन्दोलन शुरू होता है और अपनी अलग राह बनाता है। दलित स्त्री घर से बाहर खेतों-खलिहानों, कारखानों में कठोर परिश्रम करती है, कम मेहनताना पाती है, असुरक्षित कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न का शिकार बनती है। ये सब समस्याएँ उसे एक सवर्ण स्त्री से अलग करती हैं। ज़ाहिर है अगर समस्याएँ और उन समस्याओं के कारण अलग हैं तो उनको लेकर होने वाले संघर्ष भी अलग होने चाहिए। इसी संघर्ष की बात दलित नारीवाद करता है।

यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित स्त्री पर बात करते हुए रजनी तिलक सवर्ण स्त्री की मुश्किलों, उसके संघर्षों को नजरअंदाज नहीं करतीं। ऊँची जाति की स्त्रियों को जिस तरह घरों में इज्जत के दायरे के कैद होकर जीना होता है उसे वे रेखांकित

करती हैं लेकिन दलित स्त्री के जीवन को उससे ज्यादा मुश्किल पाती हैं। इस कविता में वे और भी कई क्षेत्रों में दलित और सवर्ण स्त्री की तुलना करती हैं और दलित स्त्री को अपेक्षाकृत ज्यादा मुश्किलों में घिरा पाती हैं जहाँ उसके लिए अस्तित्व का प्रश्न भी सम्मान के सम्मान के प्रश्न के साथ जुड़ गया है। कविता के आखिर में वे साफ़-साफ़ लिखती हैं :

औरत नहीं मात्र एक जज्बात
हर समाज का हिस्सा
बनती वह भी जातियों में
धर्म की अनुयायी है
औरत-औरत में अंतर है।[iii]

स्त्रियों के बीच के फर्क को यह कविता जाति की रेखाओं से बना हुआ देखती है और समाज में जाति की निर्णायक भूमिका को भी स्वीकार करती है। इस तरह यह कविता इस बात को सामने रखती है कि अगर स्त्रियों के बीच वास्तविक समानता लानी है तो सबसे पहले जाति का उन्मूलन करना पड़ेगा। ऐसा ही स्वर उनकी कविता 'फर्क' में मौजूद है जो दलित और सवर्ण स्त्री के बीच के फर्क को सामने रखती है। दलित स्त्री के जीवन में जो अपमान, तिरस्कार, अमानवीय जीवन परिस्थितियां और अस्तित्व का संघर्ष मौजूद है उससे सवर्ण स्त्री अनजान है, ऐसे में कोई नारीवादी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता अगर वह दो भिन्न समाज की स्त्रियों के बीच के फर्क को नज़रंदाज करता है। यह दावा इस कविता में कवयित्री करती हैं।

रजनी तिलक की कविताएँ स्त्रीवादी और जाति-विरोधी तो हैं ही, बहत सी कविताएँ दलित स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गयी हैं जहाँ दलित स्त्री का जीवन, उसकी बदहाली, उसका संघर्ष मौजूद है। 'अनकही कहानियाँ', 'भंगिन', 'रोटी का मतलब' ऐसी ही कविताएँ हैं। 'अनकही कहानियाँ' दलित स्त्री के समूचे जीवन संघर्ष और उसके साथ होते आये ऐतिहासिक अन्याय की बानगी पेश करती है। यह एक कविता दलित स्त्रीवाद की पूरी अवधारणा को स्पष्ट करने में सक्षम है। जाति, पितृसत्ता, परिवार और राज्य के दलित स्त्री के खिलाफ होना, शिक्षा और सामाजिक जीवन से बहिष्कार, अपमानजनक जीवन, असंगठित क्षेत्रों में असुविधाजनक रोजगार, यौन उत्पीड़न की खुली छूट, पूंजीवादी नीतियों का दुष्प्रभाव सब इस कविता में आया है। इस कविता की कुछ पंक्तियों पर गौर करने की जरूरत है :

भंगिन ढोती है सर पर मैला..
चमारिने करती हैं बेगारी खेतों में,
शहरों में मांजती है बर्तन
ढोती है सिर पर ईंट
समझी जाती है संपत्ति
कहीं भी, कभी भी
उनका बलात्कार करना
अपराध नहीं धर्मशास्त्र में।[iv]

कविता यहाँ दलित स्त्री की स्थिति तो बयां कर ही रही है, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की जड़ों यानि धर्मग्रंथों पर भी सवाल उठाती हैं। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता दलित स्त्री को यौन दासी के रूप में दिखाती है। यह कविता इसे साफ लहजों में बयां करती है। इसीलिए अपनी अन्य कविताओं में भी तिलक धर्मग्रंथों को ख़ारिज करती नजर आती हैं। कविता 'शिक्षा का मतलब' में वे स्त्रियों से रामायण, महाभारत, मनुस्मृति पढ़ने की अपील करती हैं पर कुंती, द्रौपदी, या सीता जैसा चरित्र न अपनाने की सलाह देती हैं। वे चाहती हैं कि इन्हें पढ़ते हुए स्त्रियां ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के षड्यंत्रों को जाने समझें। 'भंगिन' कविता दलित महिला सफाई कर्मचारी के अमानवीय परिस्थितियों में काम करने को सामने लाती है। इसी तरह कंजर जाति की स्त्री के ऊपर लिखी गयी 'रोटी का मतलब' कविता इन महिलाओं के अमानवीय पेशे में होने की मुश्किलों को बयां करती हुई सभ्य कहे जाने वाले समाज खुद की सभ्यता पर सोचने पर मजबूर करती है।

रजनी तिलक की कुछ कविताएँ दलित आन्दोलन और नारीवादी आन्दोलन के अंतर्विरोधों को सामने लाती हैं। ये दोनों आन्दोलन दलित स्त्री के सवालों से दूरी बनाते रहे हैं जिन्हें लेकर दलित नारीवाद इनपर प्रश्नचिन्ह लगाता रहा है। 'बलात्कार', 'कहूँ क्या', 'कौन नाच रहा', 'योनि है क्या औरत' ऐसी ही कविताएँ हैं जो दलित स्त्री के सन्दर्भ में नारीवादी आन्दोलन की भूमिका को संदेह के घेरे में रखती हैं। 'बलात्कार' कविता दिल्ली में हुए दामिनी बलात्कार कांड की पृष्ठभूमि में दलित महिलाओं से होने वाले बलात्कार का सवाल उठाती है। हम जानते हैं कि दामिनी बलात्कार काण्ड ने राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ले लिया था जिसमें मीडिया से लेकर सिविल सोसाइटी और स्त्री संगठनों की भूमिका थी। तिलक अपनी इस कविता में दलित स्त्री से होने वाले बलात्कारों की बात करते हुए सवाल उठाती हैं कि क्या ये सारे संस्थान दलित स्त्री से होने वाले बलात्कार के बाद इसी तरह का आन्दोलन खड़ा करेंगे ? मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्त्रीवादी संगठन और गैर सरकारी संगठनों में ऊँची जाति का वर्चस्व रहा है जिन्होंने हमेशा दलित स्त्री के साथ होने वाले उत्पीड़न से आँखें चुराई हैं। यह कविता दिल्ली बलात्कार काण्ड के बरक्स उन देश की राजधानी से सुदूर प्रदेशों में अनगिनत दलित महिलाओं के साथ रोज होने वाले सांस्थानिक बलात्कारों को रखती है जिन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाता और पूछती है :

मीडिया, सिविल सोसाइटी
क्या खड़े रहो हमारे साथ भी ?
मथुरा, खैरलांजी, भंवरी
दामिनी के बलात्कारियों
को सजा दिलाओगे न ?[v]

तिलक की कविता 'कहूँ क्या' मुख्यधारा के नारीवादी आंदोलनों के भरोसे पर सवाल खड़े करती है। जब दलित नारीवादी आन्दोलनों की शुरुआत हुई तो नारीवादी आन्दोलनों की ओर से इनपर स्त्री एकता को तोड़ने का आरोप लगा। 'सिस्टरहुड' में दरार डालने का आरोप लगा। जबकि दलित नारीवाद इस तरह के सिस्टरहुड को एक मिथ्या अवधारणा मानता है। क्योंकि जब तक जाति के नाम पर स्त्रियाँ बंटी रहेंगी तब तक इस तरह की कोई भी अवधारणा झूठी ही साबत होगी। यह कविता सांसी जाति की एक स्त्री की ओर से लिखी गयी है जिसकी दुनिया शराब बनाने और बेचने में ख़त्म हो जाती है, जिनके नाम जन्मते ही अपराधी की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं, जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस जाति की महिलाओं का बहनापा उच्च जाति की नारीवादी स्त्रियों से हो भी तो कैसे जो जाति के सवाल को दरकिनार कर देती हैं ? इस कविता में यह दलित स्त्री नारीवादी आंदोलनों के इसी पहलू को उजागर करती है :

तुम्हारा बहनापा किस काम का
जिसमें मेरा दुख शामिल नहीं
तुम्हारी स्त्री मुक्ति की लड़ाई किस काम की
जिसमें मेरी लड़ाई शामिल नहीं[vi]

ठीक इसी तरह दलित नारीवाद दलित आन्दोलनों में पितृसत्ता की मौजूदगी का सवाल उठाता है। दलित आंदोलनों ने जाति आधारित भेदभावों पर सीमित रह गए और उन्होंने लैंगिक भेदभावों को अपने आन्दोलन का हिस्सा नहीं बनाया। यह अम्बेडकरवाद से भी दूर भागना था क्योंकि डा. अंबेडकर ने स्त्रियों की पराधीनता के लिए ब्राह्मणवाद को जिम्मेवार माना था। तरह दलित आन्दोलन का ब्राह्मणवाद का विरोध केवल जाति के मसले तक ही सिमट गया। उनके अपने घरों में स्त्रियाँ पितृसत्ता का शिकार रहीं। इसलिए दलित स्त्री के लिए न तो स्त्री आंदोलनों में जगह बनी न ही दलित आंदोलनों में। रजनी तिलक की कविताएँ 'आदिपुरुष' और 'मेरे भाई' दलित आंदोलनों के इसी विरोधाभास को सामने लाती है। 'मेरे भाई' कविता में वे दलित आंदोलकारियों को संबोधित करती हुई पूछती हैं :

तुम मेरे कौमी भाई!
अपनी आज़ादी मांगते हो

बताते और हमें समझाते हो
उसे पूरी कौम की आज़ादी!
कौम की आजादी
क्या औरतों की गुलामी है ?
...हम पूछते हैं तुमसे
स्वाबलंबी बन
कब लड़ोगे हमारे लिए ?[vii]

उनकी कविता 'आदि पुरुष' भी इसी मुद्दे पर लिखी गयी कविता है जिसमें वे दलित साहित्यकारों को उनके अपनी पत्नियों के प्रति पितृसत्तात्मक व्यवहार पर घेरती हैं। यह कविता ऐसे दलित साहित्यकारों को उन्हीं सवर्णों के विचारों को पोषित करने वाला मानती है जिनका वे विरोध करते है। सामाजिक न्याय के मसले पर ये साहित्यकार असफल हैं ऐसा विरोध ये कविता दर्ज करती है।

इसके अलावा रजनी तिलक की अन्य कविताओं में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करती कविताएँ भी हैं जहाँ जाति व्यवस्था के कारण अस्तित्व में रह रहे दलितों की नारकीय जिंदगी का वर्णन है, समाज के अलग-अलग हिस्सों में जाति की मौजूदगी को लेकर रोष है और इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान है। उनकी कविता 'वे बाँट देना चाहते' हैं जाति व्यवस्था की बुनियाद पर चोट करती है। जाति के अस्तित्व में रहने का एक बड़ा कारण यह है कि सारी जातियां आपस में बंटी हुई है। यहाँ तक कि हर निचली जाति भी खुद से नीचे एक जाति खोज लेती है और खुद को उससे श्रेष्ठ मानती हुई इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देती है। यह कविता दलितों के अलग-अलग उपजातियों में बंटे होने को मनुवाद का षड्यंत्र बताती है और इन सबके एक होकर जातिविहीन समाज बनाने का आह्वान करती है। रजनी तिलक की कविताएँ जाति और पितृसत्ता की एक समान आलोचना करती हुई दलित स्त्री की मुक्ति का रास्ता तलाशती हैं। दलित और स्त्रीवादी आन्दोलनों की आलोचना करते हुए वे उनके उन अंतर्विरोधों को सामने लाती हैं जिनका दूर होना जाति और जेंडर आधारित भेदभाव से रहित समाज बनाने के लिए जरूरी है।

सन्दर्भ-

[i]. रजनी तिलक, पदचाप, निधि बुक्स, पटना, 2008, पृ. xi

[ii]. रजनी तिलक, पदचाप, निधि बुक्स, पटना, 2008, पृ. 41

[iii]. रजनी तिलक, 2008, पृ. 42

[iv]. रजनी तिलक, हवा सी बेचैन युवतियां, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 57-58

[v]. रजनी तिलक, 2014, पृ. 23

[vi]. वही, पृ. 27

[vii]. रजनी तिलक, 2014, पृ. 31

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

डॉ. अम्बेडकर आधारित संस्कृत ग्रंथ 'भीमाम्बेडकरशतकम्' का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. दिलीप कुमार
पोस्ट डॉक्टरल फेलो ,डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र ,नई दिल्ली, भारत

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 46-52

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोध सारांशिका - 'डॉ. अम्बेडकर आधारित संस्कृत ग्रंथ 'भीमाम्बेडकरशतकम्' का समीक्षात्मक अध्ययन' है। शोध शीर्षक की संक्षिप्त व्याख्या निम्न है। **'सहितयोः शब्दार्थयोः भावः साहित्यम्।'** अर्थात् सहित शब्द तथा अर्थ का भाव। वाचस्पत्यम् शब्दकोश में भाव अर्थ में 'ष्यञ्' प्रत्यय करके 'सहितस्य भावः साहित्यं' निर्वचन दिया गया है। साहित्य शब्द का प्रयोग 7-8 वीं शताब्दी से मिलता है। इससे पूर्व साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। संस्कृत में जब एक ही अर्थ में साहित्य और काव्य शब्द का प्रयोग होने लगा, तो धीरे-2 काव्य शब्द का अर्थ संकुचित होने लगा। आज काव्य का अर्थ केवल कविता है और साहित्य शब्द को व्यापक अर्थ में लिया जाता है। साहित्य का तात्पर्य अब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा अर्थात् गद्य और पद्य की सभी विधाओं से है। आचार्य विश्वनाथ ने 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' कहकर रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा है। आचार्य वामन ने 'रीतिरात्माकाव्यस्य' कहकर रीति को काव्य की आत्मा माना है।

प्रमुख शब्द – डॉ. अम्बेडकर, आचार्य विश्वनाथ, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, पद्य, गद्य।

संस्कृत-साहित्य- संस्कृत साहित्य को दो भागों में बाँटा गया है- वैदिक एवं लोकिक। वैदिक साहित्य में चार वेद एवं उनकी संहिताओं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांग को शामिल किया गया है। लौकिक साहित्य में गद्य, पद्य, चम्पू, कथा, स्तोत्र, नाटक, भाष्य, टीका इत्यादि आते हैं। लौकिक साहित्य भी प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य के भेद से दो प्रकार का है।

डॉ. अम्बेडकर- भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू (युद्ध के सेना मुख्यालय) में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजीराव सकपाल एवं माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर के पिता की चौदहें सन्तानें थीं और डॉ. अम्बेडकर उनमें सबसे छोटे थे।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर के महान् जीवनचरित, महिलाओं एवं शोषित समाज के लिए किए गए कार्यों से कोई अनभिज्ञ नहीं है। अम्बेडकर मुख्य रूप से बुद्ध, ज्योतिराव फूले, कबीर, रविदास और चोखामेला जैसे सन्यासी व संतों से बहुत प्रभावित थे।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

डॉ. अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के जीवन से प्रभावित होकर यह विचार ग्रहण किया कि मनुष्य न केवल अपने शाही जन्म के कारण बल्कि अपने अच्छे कर्मों से भी महान् बनकर समाज को बेहतर रूप दे सकता है।
सन् 1990 में मरणोपरान्त डॉ. अम्बेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारतरत्न' से सम्मानित किया गया। 6 दिसम्बर 1956 को उनका देहान्त हुआ।

संस्कृत में लिखित अम्बेडकर-साहित्य

काव्यसाहित्य - भीमशतकम्, अम्बेडकरदर्शनम्, भीमायनम्, भीमरावाम्बेडकरशतकम्।

गद्यसाहित्य - डॉ. बाबासाहेब–आंबेडकराः (संस्कृतपुष्पमाला), नवभारत–निर्माता डॉ. बाबासाहेब–आम्बेडकरः (राजकीय–महापुरुषाः), राष्ट्रनायकः डॉ. अम्बेडकरः, भारतरत्नमम्बेदकरः संस्कृतभाषा च (बुद्धधम्म, बुद्धिवाद व आंबेडकर), अभिनवशुकसारिकायां डॉ. अम्बेडकरवर्णनम्।

सम्भाषण-सन्देश में प्रकाशित लेख - अम्बेडकरस्य संस्कृताभिमानः, अम्बेडकरः संस्कृतेन भाषते स्म, भारतीय संविधाने सन्ति रामकृष्णादयः अपि।
संस्कृत में लिखित उपरोक्त डॉ. अम्बेडकर–साहित्य की रचना–परम्परा का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा।

भीमाम्बेडकरशतकम् - भीमाम्बेडकरशतक की रचना सुगतकविरत्न शान्तिभिक्षु शास्त्री ने 1990 ई. वर्ष में की थी। संपादन कार्य डॉ. प्रियसेन सिंह ने किया है। इस काव्य में कुल 101 श्लोक हैं। प्रो. शास्त्री इस ग्रन्थ की पुष्पिका में वह तिथि भी दर्ज कर दी है, जिस तिथि को इस ग्रन्थ का लेखन समाप्त हुआ था और वह तिथि थी ईसवीय 21 नवम्बर 1990(21/11/1990)। प्रो. शास्त्री ने इस ग्रन्थ को बड़ी सरल संस्कृत में लिखा है, ताकि सामान्य संस्कृत से परिचित व्यक्ति भी इसका रसास्वादन कर सके। इसे प्राचीन लिपिकर परंपरा में लिखा गया है, जहाँ अनुनासिक वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। जैसे गङ्गा के स्थान पर गंगा, चञ्चल के स्थान पर चंचल, चाण्डाल के स्थान पर चांडाल, परम्परा के स्थान पर परंपरा आदि। स्थान–2 पर संयुक्त वर्णों को तोड़कर रखा गया है यथा सम्यक्तया के स्थान पर सम्यक्तया आदि। इस प्रकार के प्रयोग के पीछे एक ही उद्देश्य है और वह यह कि संस्कृत को यथा संभव सरल बना कर प्रस्तुत किया जा सके ताकि सामान्यजन भी इसे पढ़ कर समझ सकें। यह ग्रन्थ राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नवदेहली से 2012 में प्रकाशित हुआ है।
प्रो. शास्त्री ने डॉ. अम्बेडकर के अवदानों के अभिनन्दन में यह खंडकाव्य लिखा है। यही कारण ही कि बाबा साहेब के जीवन और कृतित्व के कुछ खास बिन्दुओं पर ही प्रकाश डाला गया है। प्रो. शास्त्री की दृष्टि में बाबा साहेब का त्रिरत्नशरण (बुद्ध, धम्म और संघ) ग्रहण सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसीलिये काव्य के अन्त में बाबा साहेब का जयकारा करते हुए लिखते हैं[1]–

जय भीम महाभाग त्रिरत्नशरणंगत।
जयां स्तु सततं तेषां ये भवन्ति तवानंगाः॥

लेखक भीमाम्बेडकरशतकम् के प्रारंभ में लिखते हैं कि –

सरस्यां पंकजं प्राप्त गुंजन्ति भ्रमरा भृशम्।
जगत्यां सुजनं लब्ध्वा हर्ष तन्वन्ति मानवाः॥

तालाब में कमल को पाकर भौंरे बहुत गुंजन करते हैं। दुनियां में भले लोगों को पाकर (उत्तम कोटि के) मनुष्य हर्ष का विस्तार करते हैं। भीमाम्बेडकरशतकम् की तरह ही बाबा साहब पर संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं–
भीमशतकम् कविरत्न श्रीकृष्ण सेमवाल द्वारा दिल्ली संस्कृत अकादमी से सन् 1991 में प्रकाशित खण्डकाव्य है। इस शतक काव्य में कुल 101 श्लोक हैं। इस ग्रन्थ का प्राक्कथन आचार्य सत्यव्रत शास्त्री ने तथा इसकी भूमिका डॉ. मोहनचन्द ने लिखी

[1] भीमाम्बेडकरशतकम्, प्रस्तावना, पृ. 5–9

है। भीमशतकम् कृति डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन दर्शन पर आधारित है। भारतीय संविधान के निर्माता तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के पक्षधर डॉ. अम्बेडकर ने अपना सम्पूर्ण जीवन दलित समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉ. अम्बेडकर का जन्म अछूत मानी जाने वाली 'महार' जाति में हुआ था इस कारण डॉ. अम्बेडकर को बचपन से ही सामाजिक तिरस्कार, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव व घृणा के कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा जिससे वे बहुत दु:खी हुए इस विचार का वेवेचन श्रीकृष्ण सेमवाल ने इस प्रकार किया है–

शालायां शिक्षकाणांच छात्राणामपि प्रत्यहम्।

व्यवहारं कुत्सितं दृष्ट्वा त्रस्तो बालो मुहुर्मुहुः॥[2]

समाज में फैली अस्पृश्यता रूपी बुराई को देखकर कबि श्रीकृष्ण सेमवाल का हृदय अत्यन्त दु:खी है। वे चाहते हैं कि समस्त मानव मात्र को समान रूप से मानने वाले भीमराव की चिन्तनधारा संसार में प्राणिमात्र के सुख के लिए बहती रहे–

दलितजनहिताय सर्वसौख्यं विहाय,

विकटपथविशेषस्स्वीकृतो येन भव्यः।

सकलजन समानस्चिन्तनस्यास्यधारा,

प्रवहतु भुवनेऽस्मिन् सर्वदैव सुखाय॥[3]

'भीमशतकम्' खण्ड काव्य समग्र मानव जाति की समानता का समर्थन करने वाला काव्य है। कविरत्न श्रीकृष्ण सेमवाल ने 'भीमशतकम्' में भारतीय समाज के निर्माता एवं महान राजनीतिज्ञ डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित समाज के लोगों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। 'भीमायन महाकाव्य' का प्रणयन प्रा. प्रभाशंकर जोशी के द्वारा किया गया है। यह महाकाव्य प्रथमतया पूणे नगर से प्रकाशित शारदा पत्रिका के शारदा गौरव ग्रन्थमाला के 91वें अंक के रूप में मुद्रित हुआ। सन् 2009–10 में प्रकाशित यह महाकाव्य विद्वानों में अत्यन्त चर्चित रहा। 21 सर्गों में सुगुम्फित 1600 श्लोकों में निबद्ध इस महाकाव्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन–चरित उपवर्णित किया गया है। इस महाकाव्य स्वरूप ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने 'महापुरुष–भीमाय विनयेन समर्पये' इस शीर्षक के द्वारा समर्पण तथा इसके बाद प्रस्तावना प्रस्तुत की। महाकाव्य में विवर्णित व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं आदि का वर्णन कवि ने पाद–टिप्पणियों में दिया है, यह इस काव्य की एक विशेषता है। कवि ने इस महाकाव्य में बचपन से महापरिनिर्वाण तक डॉ. अम्बेडकर के सम्पूर्ण जीवन का वर्णन अत्यन्त मार्मिकता और ईमानदारी से किया है।

आधुनिक संस्कृत–गद्य साहित्य में डॉ. अम्बेडकर का वर्णन– डॉ. बाबा–साहेबांबेडकराः नागपुर विद्यापीठ प्रकाशन के द्वारा सन् 1972 में संस्कृत–पुष्प–माला नामक ग्रन्थ बी.ए. प्रथम वर्ष के पाठयक्रम के लिए प्रकाशित हुआ था। इस ग्रन्थ में द्वितीय पाठ के रूप में 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराः' यह पाठ विलसित होता है। इस पाठ में डॉ. अम्बेडकर के जीवन तथा कार्यों को अतीव संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। इस पाठ में वर्णन किया गया है कि डॉ. अम्बेडकर के बुद्धि–वैभव को देखकर तत्कालीन राष्ट्र के अग्रणी नेताओं द्वारा वे प्रथम विधि–मन्त्री के रूप में प्रतिष्ठापित किये गये तथा डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया तथा वे समाजोद्धारक के रूप में भी अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। दलितों के सभी दु:खों को जड़ सहित समाप्त करने की मति से उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की पावन दीक्षा–भूमि पर बौद्धधर्म ग्रहण किया। यह विषय भी पाठ में अतीव संक्षेपतया वर्णित किया गया है।

नवभारत–निर्माता डॉ. बाबा–साहेबाम्बेडकरः – महाराष्ट्र के रामटेकस्थ–कवि–कुलगुरु–कालिदास–संस्क्रुत–विस्वविद्यालय के द्वारा सन् 2003–4 में केन्द्रीय–मानव–संसाधन–विकास–मंत्रालय के सहयोग से संस्कृत–बाल–साहित्य के अन्तर्गततया

[2] भीमशतकम् श्लोक सं. 23

[3] भीमशतकम् श्लोक सं. 95

तृतीय-पुष्प के रूप में 'राजकीय-महापुरुषा:' यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया। इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में बाबासाहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन-चरित के विषय में एक पाठ्यांश 'नवभारत-निर्माता डॉ. बाबासाहेबाम्बेडकर:' इस नाम से किया गया है। डॉ. नन्दा पुरी के द्वारा प्रणीत इस ग्रन्थ में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन-चरित उपवर्णित किया गया है। इस ग्रन्थ में पाठ्यांशों के साथ-2 चित्रों के द्वारा भी अतीव सुन्दरतया डॉ. अम्बेडकर के जीवन को समझाने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रनायक: डॉ. अम्बेडकर:- बेंगलोर के संस्कृत भारती नामक संगठन द्वारा सन् 2007 में 'राष्ट्रनायक: डॉ. अम्बेडकर:' (राष्ट्र के नायक डॉ. अम्बेडकर) यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ का मूल रूप में लेखन चन्द्रशेखर भण्डारी ने किया था तथा इसका संस्कृत-भाषा में अनुवाद सूर्यनारायण के. एन्. द्वारा किया गया है।

इस ग्रन्थ में प्रकाशक ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राष्ट्र-नायकत्व को अत्यन्त स्पष्टता और सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा एक ग्रन्थ 'संस्कृत-भारत की आत्मा तथा विवेक की वाणी' इस नाम से प्रकाशित किया गया है। इस ग्रन्थ के अन्तर्गततया 'भारत की राजभाषा पर अम्बेडकर के विचार' यह लेख प्रकाशित हुआ है।इस आलेख में संस्कृत ही भारत की राजभाषा होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में रखा था। 10 सितम्बर 1949 को 'अखिल भारतीय हरिजन संघ' की कार्यकारिणी में भी यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यह डॉ. अम्बेडकर का अभिमत था, किन्तु वहाँ वी.पी. मौर्य नामक दलित युवक ने इसका विरोध किया। बाद में इस संघ के द्वारा अपने विरोध के लिए खेद प्रकट किया गया। उसी खेद-प्रस्ताव को इस ग्रन्थ में 'अखिल भारतीय हरिजन संघ का अभिमत' इस शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित किया गया।[4]

सन् 2003 में जून महीने में बेंगलोर से प्रकाशित संस्कृत भारती की पत्रिका सम्भाषण सन्देश में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विषय में प्रकाशित लेख 'अम्बेडकर: संस्कृतेन भाषते स्म!' में भी लेखक चमू कृष्ण शास्त्री ने प्रमाणों के साथ इस विषय की पुष्टि की कि डॉ. अम्बेडकर संस्कृत को राजभाषा बनाना चाहते थे।

इस प्रकार इस शोध-कार्य के माध्यम से संस्कृत में डॉ. अम्बेडकर सम्बन्धी साहित्य की रचना-परम्परा का विश्लेषण करते हुए डॉ. अम्बेडकर के संस्कृत भाषा के विषय में क्या विचार थे, वो जानेंगे।

संस्कृतसाहित्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन चरित को आधार बनाकर विद्वानों ने कई ग्रन्थ लिखे। *संस्कृत में लिखित डॉ. अम्बेडकर सम्बन्धी साहित्य की रचना-परम्परा या समीक्षा' ऐसे विषयों* पर मूलकार्य नहीं हुआ है लेकिन इस विषय पर प्रचुर साहित्य अवश्य उपलब्ध होता है, जिसका संयोजन करने की आवश्यकता है। विद्वानों ने कहा है कि 'साहित्य समाज एवं राष्ट्र का दर्पण होता है।' तदनुसार आधुनिक भारत में अम्बेडकर-साहित्य शुभ, कल्याणकारी, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक चिन्तनयुक्त है। इसलिए वर्तमान में अम्बेडकर-साहित्य की अत्यधिक आवश्यकता है। अत: ऐसे शोध पत्र शोध के अलग-2 क्षेत्रों में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस शोधकार्य के माध्यम से साहित्यप्रेमियों एवं विभिन्न शोध-क्षेत्रों में कार्य कर रहे शोधार्थियों को लाभ हो, इस शोधपत्र के माध्यम से यही प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध-**पत्र में** ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक शोध-प्रविधि का सहारा लिया जायेगा।

प्रस्तावित **शोध-पत्र** में संस्कृत-लिखित अम्बेडकर-साहित्य के विभिन्न पक्षों के स्वरूप **को** बताने के क्रम में विवरणात्मक एवं विवेचनात्मक शोध-प्रविधि का उपयोग किया जायेगा।

तत्पश्चात् आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध-**पत्र** को समझने एवं उसकी समीक्षा करने हेतु समीक्षात्मक शोध-प्रविधि की सहायता ली जायेगी।

---

[4] संस्कृत- भारत की आत्मा तथा विवेक की वाणी, पृ. 4-6

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची (Bibliography)

1. अम्बेडकरदर्शनम्, बलदेवसिंह मेहरा, देवेश पब्लिकेशन्स, अर्बन इस्टेट, रोहतक, 2009
2. भीमरावाम्बेडकरशतकम्, सुगतकविरत्नम् आचार्य शान्तभिक्षुशास्त्री, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, 2012
3. भीमशतकम्, कविरत्नं श्रीकृष्णसेमवाल, दिल्ली संस्कृत अकादमी, नई दिल्ली, 2008
4. भीमायनम्, प्रो. प्रभाशंकर जोशी, झेलम, पत्रकारनगरी, पुणे, 2009-10
5. संस्कृतपुष्पमाला, नागपुर विद्यापीठ प्रकाशन, नागपुर, 1972

द्वितीयक स्त्रोत (Secondary Sources)

1. अज्ञात, डॉ. सुरेन्द्र , बुद्धधम्म, बुद्धिवाद व आंबेडकर, सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011
2. अनिल, डॉ. नलिनी, डॉ. सहारे, बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की संघर्ष-यात्रा एवं सन्देश, सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
3. उपाध्याय, बलदेव, *धर्म और दर्शन,* शारदा मन्दिर, वाराणसी, 1945
4. उपाध्याय, बलदेव, *भारतीय दर्शन,* चौखम्बा ओरियन्टालिया, दिल्ली, 1979
5. उपाध्याय, भरत सिंह, *पालि साहित्य का इतिहास,* इलाहाबाद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 2013
6. उपाध्याय, भरत सिंह, *बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन,* कलकत्ता, बंगाल हिन्दी मण्डल 1954
7. ऋषि, उमाशंकर शर्मा, *सर्वदर्शनसङ्ग्रह,* मध्वाचार्य, वाराणसी,चौखम्बा विद्याभवन, 2006
8. ओझा, भुवनेश्वर नाथ, *भारतीय दर्शन (समकालीन संदर्भ),* सत्यम् पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2013
9. ओलडनवर्ग, एच., *बुद्धा ; हिज लाईफ, हिज डाक्ट्राइन, हिज आर्डर,* सम्पादक- विलयम होये, विलियम एंड नोरगेट पब्लिशर्स, लंदन, 1882
10. कोसाम्बी, धर्मानन्द, *भगवान् बुद्ध जीवन और दर्शन,* दिल्ली, साहित्य अकादमी-लोकभारती पेपरबैक्स, द्वितीय संस्करण, 2009
11. गांगुली, एन., *दा बुद्धा एंड हिज मैसेज,* पापुलर बुक डिपो, बाम्बे, 1957
12. गोभिल, श्री नन्दकिशोर, *भारतीय दर्शन,* डॉ. राधाकृष्णन, प्रथम संस्करण, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, 1969
13. गौतम, एस.एस., *बुद्धयुगीन भारत,* दिल्ली: गौतम बुक सेन्टर, प्रथम संस्करण, 2009
14. जैन, धर्मचन्द, *बौद्ध-दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त,* बौद्ध अध्ययन केन्द्र, जोधपुर, 2009
15. देव, नरेन्द्र, *बौद्ध धर्म दर्शन,* बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 1971
16. धर्मरक्षित, भिक्षु, *पालि साहित्य का इतिहास,* वाराणसी: ज्ञानमण्डल लिमिटेड, प्रथम संस्करण, 1971, पुनर्मुद्रण, संवत 2066
17. नरसु, पी. लक्ष्मी, कौसल्यायन, आनन्द (अनु.), *बौद्ध धर्म का सार,* नागपुर, बुद्धभूमि प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, 1988

18. बापट, पी.वी., *बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष,* दिल्ली, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय संस्करण, 2008
19. भारद्वाज, मनोहर, *फिलोसाफी आफ बुद्धिज्म,* साइबर टैक पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
20. मिश्रा, महेन्द्र कुमार, *भारतीय दर्शन,* दिव्यम् प्रकाशन, दिल्ली, 2014
21. यादव, पुष्पा, *बुद्ध विचारधारा के विविध आयाम,* साहित्य निलय, कानपुर, 2013
22. राधाकृष्णन, एस., *गौतम बुद्ध (जीवन और दर्शन),* अनु राजेश्वर गुरु, राजपाल एण्ड सन्स पब्लिकेशन, दिल्ली, 2015
23. राम कृष्णन, सर्वपल्ली, *भारतीय दर्शन (भाग-1),* दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्स, 2012
24. लाल, अँगने, *बौद्ध संस्कृति के विविध आयाम,* लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, प्रथम संस्करण, 2008
25. लाल, अँगने, *संस्कृत बौद्ध साहित्य में इतिहास और संस्कृति,* लखनऊः उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, प्रथम संस्करण, 2006
26. शास्री, आचार्य चतुरसेन,*बुद्ध और बौद्ध धर्म,* भारती प्रकाशन, लखनऊ, 1964
27. सांकृत्यायन, राहुल, *दर्शन दिग्दर्शन,* किताब महल प्राइवेट लि, इलाहाबाद, 1961
28. सांकृत्यायन, राहुल, *पालि साहित्य का इतिहास,* लखनऊः हिन्दी समिति ग्रंथमाला-79, हिन्दी समिति, 1973
29. सिंह, विंधाचल, *विसुद्धिमग्ग : शील, समाधि और प्रज्ञा,* विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, 2009
30. हार्वे, पिटर,*ए इन्ट्रोडक्सन टू बुद्धिज्म,* कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली, 2004
31. Akira, Hirakawa,: A History of Indian Buddhism From Sakyamuni to Early Mahayana, Honolulu, University of Hawaii Press, 1990
32. Allen, George Francis, The Buddha's Philosophy, New York: Macmillan, 1956.
33. Dasgupta, S.N, History of Indian Philosophy (Vol. 1), Delhi: Motilal Banarsidass, 1975.
34. Radhakrishnan, S, History of Indian Philosophy (Vol. 1), London, 1929.
35. Dav, Rhys, *Buddhist India,* London, 1903
36. Davids, T. W. Rhys, *Buddhist India,* London: 1903, Reprint 2010
37. **कोश-ग्रन्थ** (Dictionares &Encyclopedias)
38. Apte, Vaman Shivaram, *The Student's English Sanskrit Dictionary,* Bhartiya Granth Niketan, New Delhi; 2011
39. Helen, Hemingway,), *Encyclopedia Britannica(Vols.-II, VIII, XXI* Publication, Benton, 15th Edition, 1973-74
40. Hestings, James, *Ecyclopedia of Religion and Ethics, Vol. -VIII,* New York, 1980
41. Ram, Munsi, Manohar Lal, *English -Sanskrit Dictionary,* Delhi, 1976

42. Williams, Monier, *A Sanskrit English Dictionary,* Bhartiya Granth Niketan, New Delhi; 2010
43. आप्टे, वामन शिवराम, *संस्कृत-हिन्दी कोश:* मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 1988
44. आप्टे, वामनशिवराम, *संस्कृत-हिन्दी कोश,* मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली; 1973
45. कौसल्यायन, भदन्त आनन्द, *पालि-हिन्दी कोश,* सिद्धार्थ बुक्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण,1975
46. पंथ,आर, *पालि-हिन्दी शब्दकोश (प्रथम भाग, तृतीय खण्ड) (उ-ओलारिक),* नव नालन्दा महाविहार, बिहार, प्रथम संस्करण, 2011
47. पंथ,आर, *पालि-हिन्दी शब्दकोश (प्रथम भाग, द्वितीय खण्ड) (इ-ईकारिका),* नव नालन्दा महाविहार, बिहार, प्रथम संस्करण, 2009
48. पंथ,आर, *पालि-हिन्दी शब्दकोश (प्रथम भाग, प्रथम खण्ड) (अ-आकारिका),* नव नालन्दा महाविहार, बिहार, प्रथम संस्करण, 2007
49. भास्कर वर्णेकर, श्रीधर,(सं.) *संस्कृत वाड्मय कोश,* भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता, 2001

अन्तर्जालीय स्त्रोत (Internet Sources)

1. http://www.ancient-buddhist-texts.net
2. http://www.jstor.org
3. http://www.paltext.com
4. http://www.tipitak.org

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और सामाजिक दायित्व

डॉ0 गंगा देवी बैरागी

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र,

शास.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली, सीधी, मध्य प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 53-62
Publication Issue :
January-February-2022
Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

सारांश– हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से सन् 1947 में आजाद तो, हो, गया, पर हमारे समाज में स्त्रियों की गुलामी की जंजीर अभी तक खत्म नही होने को आ रही है। वैसे तो कई कवियों ने नारी की महिमा मंडन में कोई कसर नहीं छोड़ी है – जैसे नारी से नर होता हैं ध्रुव, प्रहलाद समान, इस वाक्यॉश पर गौर करें तो नारी, सिर्फ इसलिए पूज्यनीय है, कि ध्रुव प्रहलाद समान उसके पुत्र हैं।

मुख्य शब्द– महिला, हिंसा, संरक्षण, अधिनियम, सामाजिक, गुलामी, अशिक्षित।

पुराने समय में नारी को हमारे भारतीय समाज मे कहा जता था कि, वो पिता, पु,त्र के अधीन रहे, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है, हम अगर पीछे आज से, सौ वर्ष पहले चले जाएॅ तो ये सच भी था। क्योकि स्त्रियॉ अशिक्षित थीं। और अज्ञानता के कारण, पर्दा प्रथा के कारण वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करती थीं। इसी से उन्हे पिता, पुत्र और पति का साथ अत्यावश्यक था।

पर भारतीय समाज के बदलते परिवेश मे अब स्त्रियॉ शिक्षित और आत्मनिर्भर हो चली हैं। पर कुछ चींजे आज भी नही बदली है, और वो है, घरेलू हिंसा, क्योकि महिलाओं पर घरेलू हिंसा, जब हद से ज्यादा होने लगी तो सरकार की आखें खुली और घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया। घरेलू हिंसा – अर्थात, घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। जैसे किसी महिला का शारीरिक,मानसिक, भावात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, या यौन, शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना, जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध हैं। अब हमे ं यहॉ यह सोचना पड़ेगा, कि आज के आधुनिक युग में जब स्त्रियॉ, पुरूषो के बराबर कधे से कधा मिलाकर काम कर रही है। डाक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक और प्रशासनिक सेवाओं में हैं। तो अब तो घरेलू हिंसा बंद हो जानी चाहिए पर दुर्भाग्यवश ऐसा न, हो सका, आज भी घरेलू हिंसा है – पर

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

स्वरूप थोड़ा बदल गया है। जैसे जिस महिला का पति उससे कमतर पद पर है तो वह ताने मारेगा कि, अब तो आप वकील साहिवा है, मेरी क्या सुनेगी। आधुनिक युग मे घरेलू हिंसा का स्वरूप बदला है। अब महिलाए मानसिक रूप से ज्यादा प्रताड़ित है, और यदि, अफिस में वो ज्यादा बातचीत करती हैं, मान – सम्मान पाती हैं तो वहॉ पुरूष सहकर्मी ये भी कहते है कि अरे महिला है, इसी से प्रमोशन मिला होगा। सभी तरह की घरेलू हिंसा से महिलाओ की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया।

घरेलू हिंसा से महिलाओ, का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 –घरेलू हिंसा से महिलाओ, का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। और 26 – 10 – 2006 से इसे देश भर में लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य घरेलू रिश्तों में, महिलाओं को विधिक संरक्षण प्रदान करना है। भारत वर्ष में लगभग 70% महिलाए किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार हैं।

1 घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा – "घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा को परिभाशित किया गया है। "प्रतिवादी का कोई बर्ताव भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना घरेलू हिंसा मे माना जाएगा।

(क) क्षति पहुॅचाना, या जख्मी करना, या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक, और भावनात्मक और आर्थिक शोषण, शामिल है।

(ख) दहेज, या अन्य संपत्ति या मलूयवान प्रति भूति की अवैध मॉग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारो को मजबूर करना।

(ग) पीड़ित् या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यॉश (क) (ख) मे सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गई धमकी का प्रभाव होना।

(घ) पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुॅचाना । शिकायत किया गया कोई व्यवहार या आचरण घरेलु हिंसा के दायरे में आते है या नही, इसका निर्णय प्रंत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है।

घरेलू हिंसा को मुख्यतः तीन भागो में विभाजित किया गया है–

(क) शारीरिक हिंसा – आरोपी का पीड़िता को शारीरिक कष्ट पहुॅचाना, मारना, पीटना, बंधक बनाना शारीरिक – शोषण करना, डराना, धमकाना, आदि।

(ख) यौनिक हिंसा – यौनिक प्रकृति का ऐसा व्यवहार, जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुॅचे यौन संबंधो के लिए दबाब डालना, पोर्न फिल्म बनाने हेतु विवश करना जबरन देह व्यापार कराना आदि।

(ग) मौखिक या भावात्मक हिंसा – अपमान करना, निः संतान होने पर बॉझ आदि की गाली देना, व्यंगात्मक टिप्पणियॉ कटाक्ष करना, आदि।

2. **भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप–** भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित है –

- **महिलओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा –** किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे–मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी बस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा विरूद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनसुार लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाऍ घरेलू हिंसा की शिकार है और भारत में 15–49 आयुवर्ग की 70प्रतिशत विवाहित महिलाऍ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार है।
- **पुरूषों के विरूद्ध घरेलू हिंसा –** इस तथ्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नही है कि, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरूषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी घीरे–घीरे बढ़ रही है। समाज में पुरूषों का वर्चस्व यह विश्वास दिलाता है कि वे घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील नहीं है। हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरूष इकठ्टा हुए, उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई थी।
- **बच्चों के विरूद्ध घरेलू हिंसा –** हमारे समाज में और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या में दूसरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की चार दिवारों के भीतर छिपा हुआ है।
- **बुजुर्गो के विरूद्ध घरेलू हिंसा –** घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है, जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशरील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गो के साथ मार–पीट करना,

उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष परिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है।

3–**घरेलू हिंसा के कारण –**

- **महिलाओं में अशिक्षा –** भारतीय समाज में महिलाएं अशिक्षित है, और उनका मानना है कि महिलाओं को पिता, पति और पुत्र के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि यही सोच उनके मन में बचपन से बैठा दी गई है कि यदि वह पिता पुत्र और पति के संरक्षण में रहेंगी तभी सुरक्षित रह सकती हैं। इसलिए पिता पुत्र और पति के द्वारा किए गए घरेलू हिंसा से अपने को कभी अपमनित महसूस नहीं करती और वह उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, और वह घरेलू हिंसा के इतने आदी हो जाते हैं, कि उनके मन की कोई बात नहीं हुई तो वह स्त्री को अपना गुलाम समझने लगते हैं। उन पर हर जायज नाजायज इच्छा को थेपने का प्रयास करते है। यदि वह इस का कभी विरोध करती है तो उसको जला कर मार डालने तक कोशिश की जाती है। इस प्रकार घेरलू हिंसा की इस दशा के लिए स्त्रियां स्वयं ही जिम्मेदार होती हैं।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव –** स्त्रियों को यह लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि वह शरीर से कमजोर हैं और अपने भाई पिता और परिवार पर निर्भर हैं वह अकेले कहीं आ जा नहीं सकती वह किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इन सब बातों का यह प्रभाव होता हैं कि, स्त्रियां मानसिक रूप से अपने आपको इस प्रकार ढ़ाल लेती है कि पुरूषों के ऊपर आश्रित रहना या उनकी हिंसा को सहना ही उनकी नियत या भाग्य है, और वे घरेलू हिंसा से लगातार प्रताड़ित होती रहती है और इसकी शिकायत कभी भी किसी से नहीं करती है। झूठी मान मर्यादा का बोझ उठाने के लिए भी वे घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होती रहती हैं और किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती हैं उनको लगता हैं कि किसी से अपनी तकलीफ बताने से उनकी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी।
- **आर्थिक रूप से आत्म निर्भर न होना –** हमारे समाज में ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नही होती, वह पिता, पति और पुत्र के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं। इस कारण व घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं, तथा वह सोचती है कि यदि इनकी शिकायत मैने कर दी तो मेरा क्या होगा, मेरा गुजारा किस प्रकार होगा, मुझे तो रहने–खाने के लाले पड़ जाएगें, ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं इसी वजह से घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं क्योंकि वह आत्मनिर्भर नहीं होती और अपने तथा बच्चों के पालन पोषण के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं, घरेलू हिंसा को अपनी नियति मानकर सहती रहती हैं।

- **अपने आप को शारीरिक रूप से अक्षम समझना –** बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में यह बात डाल दी जाती हैं कि वह शारीरिक रूप से अक्षम हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा किसी न किसी पुरूष वर्ग की आवश्यकता होती हैं चाहे वह पिता हो अथवा पुत्र हो, यही मानसिक भावना धीरे–धीरे उनके दिमाग में इस प्रकार बैठ जाती हैं कि, वह अपने आप को कमजोर समझने लगती हैं, और हमारे भारत जैसे देश में जहां पर शक्ति का रूप दुर्गा, धन का रूप लक्ष्मी तथा बुद्धि की देवी साक्षात सरस्वती हैं। यह सब जानते हुए भी स्त्रियां आपने आप को शारीरिक रूप से कमजोर समझती हैं। यह सोच उनके दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि वह लगातार घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं और उसका विरोध नहीं करती, चाहे वह शारीरिक रूप से कितनी भी सबल क्यों ना हो। उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वह लगातार घेरलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं।
- **सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग –** हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह कि कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम अपने ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा की शिकायत किसी से करते हैं तो लोग क्यो कहेंगे? वह यह सोचेंगे कि इसी में कोई ना कोई खराबी होगी, तभी उसका पति उस पर हाथ उठाता हैं। यही झूठी मान सम्मान की भावना से प्रेरित होकर महिलाएं चुपचाप अपराध को सहन करती रहती हैं, और घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर अपना जीवन तक कभी–कभी खो बैठती हैं।

अन्य कारण –

- महिलाओ के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरूषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।
- स्त्रियों के माइके से प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल हैं।
- विवाहेत्तर संबंध में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखाभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बॉझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता हैं।
- पुरूषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरूषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेत्तर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नही करना हैं। बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति–पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरूषों का बॉझपन आदि कारण हैं।

- बच्चो के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता–पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नही होना, माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकता हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिए उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिये मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकते हैं।
- गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिये माता–पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगो को बेचने की खबरें मिली है। यह घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता हैं।
- वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता–पिता के खर्चो को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे अपने माता–पिता को भावनात्मक रूप से पिड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिये उनकी पिटाई करते हैं।
- विभिन्न आवसरों पर परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरूद्ध कार्य करने के लिये उन्हें पीटा जाता हैं। बहुत ही सामान्य कारणों मे से एक संपत्ति हथियाने के लिये दी गई यातना भी शामिल हैं।

4 घरेलू हिंसा के प्रभाव –

- यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया हैं, तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता हैं। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती हैं। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह हैं कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नही आ पाता हैं। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया हैं कि, लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।
- घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति हैं कि, जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते है और जिनके साथ रहते हैं, अब वही हमें इस तरह का दुख देते है तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता हैं और वह स्वयं को अकेला कर लेता हैं। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता हैं। सीटी स्कैन से पता चलता हैं कि, जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया हैं, उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और

हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता हैं, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती हैं।

- बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इस का असर ऐसे बच्चों का अन्य कमजोर बच्चो व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता हैं।
- बालिकाएँ नाकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप–चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं, क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएँ सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं।

5 समाधान के उपाय –

- शोधकर्ताओं के अनुसार यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हैं कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नही होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकाल सकते हैं।
- भारत अभी तक घरेलू हिंसा के हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा हैं। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोंण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि, महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिये हमें पुरूषों को न केवल समस्या का एक कारण, बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।
- सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि, पुरूषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरूषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे–पिटे ढर्रो से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।
- सरकार ने महिलाओं और बच्चो को घरेलू हिंसा से संरक्षण दने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को संसद से परित कराया हैं। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना जरूरी है कि, पीड़ित कौन हैं? यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता हैं, तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया हैं, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता हैं। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने

वाले परिवारों को, पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये तंत्र विकसित करने की जरूरत हैं।

- सरकार ने वन–स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करना हैं।

महिलओं के साथ होने वाली हिंसा के बाने में जागरूकता फैलाने के लिये वोग इण्डिया ने ''लड़के रूलाते नही'' अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन ब्रेकथ्रू द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ ''बेल बजाओ'' अभियान चलाया गया। ये दोनो ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।

6 घरेलू हिंसा की शिकायत कौन–कौन दर्ज करा सकता है – उसका विवरण इस प्रकार हैं।

(क) पत्नियाँ/लिव इन पार्टनर, (ख) बहने (ग) माताएँ (घ) बेटियॉ

7 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओ का संरक्षण– घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण अधिनियम के 2005 के फार्म में रिर्पोट का स्वरूप दिया गया हैं। जिसमें पीड़िता की शिकायत मे उसकी व्यक्तिगत, जानकारी, नाम आयु, पता, फोन बच्चो की जानकारी का उल्लेख रहता हैं घरेलू हिंसा की घटना का पूरा ब्योरा और प्रतिवादी का भी विवरण दिए जाने की जरूरत होती हैं। आवेदन मे वांछित सहायता का भी उल्लेख होता हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओ का संरक्षण, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को निम्नलिखित सूची मे से एक, या एकाधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती हैं। जो इस प्रकार है –

(क) सुरक्षा आदेश – धारा (18)

घरेलू हिंसा से पीड़िता की सुरक्षा के लिए मजिरट्रेट द्वारा पारित आदेश, सुरक्षा आदेश होता है। इस आदेश के द्वारा अदालत प्रतिवादी को घरेलू हिंसा को करने, उसमें सहायता करने या हिंसा करने के लिए उकसाने, पीड़िता के काम करने या पढ़ने की जगह पर जाने, संयुक्त संपत्ति, जैसे बैंक खाते, लाकर आदि से पीड़िता के अलगाव या प्रतिवादी उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकता हैं।

(ख) आवास आदेश – धारा (1 से 7 और 19)

पारिवारिक संबंध मे महिला को उसकी निजी संपत्ति के हक या अधिकार के बाबजूद, घर के साझा उपयोग से वंचित नही किया जा सकता। प्रतिवादी या उसके परिजनों को उस साझे घर में घुसने पर रोक लगाई जा सकती हैं। और घर के किसी हिस्से में प्रवेश की मनाही की जा सकती है, जहाँ कि पीड़िता रहती हैं। प्रतिवादी को साझे घर को बेचने या दूर रहने या अपने अधिकार को छोड़ने की तब तक मनाही है, जब तक

कि वह पीड़िता के लिए आवास की दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेता। अगर वह किराए पर रहते हैं तो उसे किराए के भुगतान की भी व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिवादी को पीड़िता और उसके बच्चो केा हुए नुकसान या घरेलू हिंसा के कारण हुए खर्चे के लिए, हर्जाना भरने के लिए कहा जा सकता हैं। इस हर्जाने को किश्तों मे या एकमुस्त रकम के तौर पर भी भरा जा सकता हैं हस प्रंकार की सहायता मे आय के नुकसान, इलाज का खर्च, विद्यालय के खर्च, पीड़िता और उसके बच्चो के भरण – पोषण के लिए खर्च देने को कहा जाता हैं। प्रतिवादी को, शारीरिक हानि, भावनात्मक अवसाद और मानसिक असंतोश के लिए क्षति, पूर्ति करने के लिए कहा जा सकता हैं।

(ग) आर्थिक सहायता – धारा (20 और 22)

अदालत पीड़िता और उसके बच्चो को हुए नुकसान या घरेलू हिंसा के कारण हुए खर्चे के लिए हर्जाना भरने को प्रतिवादी को कह सकती हैं। इस हर्जाने को किस्त मे या एकमुस्त रकम के तौर पर भरा जा सकता हैं। इस प्रकार की सहायता मे पीड़िता के नुकसान इलाज का खर्च, बच्चो का खर्च भरण – पोषण का खर्च प्रतिवादी उठाता हैं।

घरेलू हिंसा के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व– घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में सरकार ने घरेलू हिंसा को रोकने के अथक, प्रयास किए हैं। पर हम सब लोग समाज में रहते हैं और घरेलू हिंसा के प्रति, हमारा कुछ सामाजिक दायित्व भी बनता है। आइए हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं।

(1) पारिवारिक दायित्व – सर्वप्रथम तो हमे अपने परिवार से ही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कुछ उपाय करने होगें। जैसे – बच्चों मे बचपन से लडक़े लड़कियों में भेदभाव न करें। अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए। बालकों को महिलाओ का सम्मान करने की शिक्षा दें। बच्चो के सामने दंपत्ति झगड़े न करें। एक दूसरे का सम्मान करें। बच्चे अपने परिवार में जो देखते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो यदि हमे समाज मे किसी भी प्रकार का सुधार करना हैं, तो शुरूआत सबसे पहले हमें अपने घर से करनी होंगी।

(2) आस पड़ोस के प्रति दायित्व – अपने आस – पड़ोस रिश्तेदारों में होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने का यथासंभव प्रयत्न अवश्य करें। यह नही कि, दूसरे के घर के मामलों में बीच मे हम क्यो पड़े। कभी – कभी हमारी थोड़ी सी सजगता से किसी का जीवन बचाया जा सकता हैं।

इसी तारतम्य मे वैश्विक मानव अधिकार संगठन द्वारा 20 अगस्त 2008 में संयुक्त राश्ट्रमहासचिव "बान की मून" ने भारत मे घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, और लोगो कें घर मे घरेलू हिंसा के शक होने पर, संदिग्ध घर की घंटी बजाने की अपील की। जिससे किसी भी पीड़िता को घरेलू हिंसा से होने वाली अप्रिय घटना से बचाया जा सके। भारत में भी यह अभियान काफी लोकप्रिय हुआ।

(3) शिक्षा को बढ़ावा देना – हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम बालिकाओ, महिलाओं को शिक्षित, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करे। जिससे वो इस अप्रिय स्थिति से अपने आपको बचाने में सक्षम हों।

(4) बच्चियों को शारिरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाऍं – हमें अपने बालकों की भॉति बालिकाओं के खान, पान का ध्यान रखकर और शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा उनका उत्साह वर्धन करके मनोबल बढ़ाए रखना चाहिए, ताकि उनमें हीन भावना व्याप्त न हो। और उनका कोई शारीरिक, अथवा मानसिक शोषण न कर सकें।

(5) आत्म निर्भर बनाना – हमारा सबसे बड़ा दायित्व यह है कि, हम अपनी, बेटियो, बहुओं को शिक्षा दें और उन्हे आत्मनिर्भर बनने हेतु तैयार करें। ताकि वो किसी भी प्रकार की विवश्ता मे घरेलू हिंसा से प्रताड़ित न हो सकें।

इस प्रकार मेरा यह मानना है कि, सिर्फ सरकार के घरेलू हिंसा अधिनियम कानून से ही हम संतुष्ट न हों, हमे अपने घर से अपने परिवार से, अपने कार्य क्षेत्र से अपने छात्राओ से लगातार यह संवाद स्थापित करते रहना चाहिए कि, घरेलू हिंसा अमानवीय है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। एवं परिवार में ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न न की, जाए कि घरेलू हिंसा हो। आपसी सामंजस्य और सूझबूझ से हर कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता हैं। क्योकि हम मानव हैं, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म हैं।

संदर्भ :–

1. **सिंह वी0एल0 और सिंह जनमेजय – आधुनिकता और नारी सशक्तीकरण।**
2. **Wikipedia – घरेलू हिंसा अधिनियम 2005।**
3. **www.drishties.com**
4. **इण्टरनेट**
5. **www.aajtak.com**
6. **www.hindustantimes.com**

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

Indian Social and Political Scenario in 21st Century

Niranjan Kumar Mistri
Ph.D. Scholar, Centre for African Studies School of International Studies
Jawaharlal Nehru University,New Delhi, India

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 63-68

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

Abstract - India is one of the largest countries of the world, such large that it imbibes the character of continent popularly known as subcontinent. The landmass provides life, liberty, property and security to the billions (1.35 billion). India is appreciated by the world for its multi-cultural, multi-ethnic and multi-lingual society where all people from different class, caste, gender and religion lives harmoniously for centuries. After the independence of India from draconian colonial rule, she became the exemplar of secularism and democracy despite having so much social cleavages. Hindus in majority and six other minority religions such as Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity, Zorastranian, Jews represents the India's religious fabric is to make this country liveable for all.

India is one of the largest and procedurally successful democracies. Indian State is characterised by welfare State. The gradually India has achieved the status of one fastest emerging mighty State of 21st century. It is not only emerging economies but entered in the most elite league of countries in the field of science and technology. India's might in science and technology move it towards digitalisation of transactions in any form. Indian governments are making relentless effort take out the millions of people from poverty and hunger by focussing on good governance, which is focussed on reducing entrenched corruption and price rise of commodities. India's development demands uninterrupted energy for which India is reducing reliance on petroleum and converging renewable energy sector to fulfil the demands. Urbanisation in India is about making cities smart but Indian Government is concentrating on making its villages smart by decentralising the development make it not vertically but horizontally. My paper is about enquiry to the relations between development of politics and politics of development. There is trend, which has been observed that India's political society is swerving from civil society. This paper is trying to enquire about this divergence.

Keywords : Multicultural, Multi-ethnic, Secular, Democracy, Welfare, Urbanization

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

India is one of the largest democratic countries of the world. This country provides life, liberty, property and security to the billions (1.35 billion). India is a diverse country. She is appreciated by the world for its multi-cultural, multi-ethnic and multi-lingual society where all people from different class, caste, gender and religion lives harmoniously for centuries. After the independence of India from draconian colonial rule, she became the exemplar of secularism and democracy despite having so much social cleavages. Hindus (more than 80 per cent) in majority and other minority religions such as Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity, Zorastranian, Jews represents the India's religious fabric is to make this country liveable for all. New kind of politics developed in 21st century due to assertion of marginalized sections of India like women, SCs, STs, OBCs and EWSs. Women are empowering after getting modern education in 21st century. They are contributing in the entire field. Someone is becoming player, actress, politician, professor, social activist, Indian Administer, Minister, pilot, police, engineer, doctors or lots of successful person in the society but if we look at the entire Indian society, it is realize that majority of this section is still in the dark or living with either with so much torture or humiliation in every area. To eliminate the exploitation, humiliation and provide accurate representation to women, the central and state government provides reservation in several fields. So that women can empower more.

In contemporary India, dalits, backward classes and economically weaker sections of our society assert in Indian society. This assertion led to the prolonged struggle to the attainment of cultural autonomy, dignity and self-respect. They have already staked their claim for political power. In several states, it is observed that they play a dominant role in politics of several states. In national politics, their participation has led to the constitution of power structure.

The untouchables of India are generally referred to as Dalits, and the constitution classify them as Schedules Castes. The category includes a large number of lower castes in Indian society. They are mostly employed in menial works like leather work, scavenging and agricultural labour. Even the land reforms could not do much to their gains. The various welfare programmes run by the government have a differential impact on them. But needless to say a mild improvement is witnessed in their condition.

There has developed a very articulate group in Dalits due to reservation in educational and political institutions. This group is now playing a vanguard role in articulating the issues of Dalits. It gives them an upward mobility; however this transition had not been uniform throughout the country. In major part of the country, Dalits continue to face humiliations. Despite constitutional safeguards, the fight against Dalit discrimination continues. Till this date Dalit continue to suffer. There has not been any obligation from the

corporate and private sector to do any social justice to Dalits. There is now a demand for the implementation of reservation of Dalits in the private sector.

The Other Backward Classes are another marginalized section of the Indian society, they are backward castes. Even constitution recognizes these social groups as Other Backward Classes, who are socially and educationally backward. However, there are groups in the Other Backward Classes which are politically and economically sound. This is the reason that a large number of Backward Castes in India are very strong in Indian politics, especially, in the states whose economy is driven by agriculture. There is also a differentiation in OBC's like Dalits. In North India, there are large number of landowning backward castes like Lodhs, Kurmies, Gujars, Jats and Yadavas. In Mahrashtras there are Marathas and Patels and Lingayats, Kammas, Reddies in South India. These castes are most assertive in the category of OBC's. They are the one who have been benefited strongly due to land reforms and green revolution.

In rural society maximum resources are owned by OBC's. Some of them have even taken to the non-agriculture based economy. They have become equally strong in the towns and villages. They are important player in the market economy based on agriculture. However, most of the people belonging to OBCs and MBCs (Most Backward Classes). The latter category still struggle for a share in power.

The groups which are stronger in Northern India are actually members of upper backward castes i.e Lodhs, Kurmies, Gujars , Yadavas and Jats in Haryana, Rajasthan and Bihar. The most backward castes are also lower backward castes. The artisan classes have not shown the kind of assertion which intermediary castes have shown. However, Karpuri Thakur, who became the Chief Minister of Bihar twice, belonged to the Barber caste. Though he belonged to the service castes, he represented the lower backward castes. The representation of backwards castes, following two decades of independence was much less significant than the following years. Since 1970s there is an upsurge of caste politics in Bihar and Uttar Pradesh. They became legislators and ministers in states, and played a crucial role in the formation of governments at the centre. Mulayam Singh Yadav, Charan Singh, Karpoori Thakur, Laloo Prasad Yadav and Nitish Kumar played an important role in mobilizing the Backward Castes.

Even Ram Manohar Lohia played an important role in mobilizing the backward castes. It was for the same reason that this combination of Ahirs, Gurjars, Jats and Rajputs in the north India came to be known as AJGAR. Similarly, KHAM in Gujrat was the coalition of Harijans, Adivasis, Khartiyas and Muslims. The merger of Sanyukta Socialist Party and Bhartiya Kranti Dal in 1974 brought Gandhian and socialist ideologies together. This provided an ideological base to the backward class mobilization and assertion in North India.

In Janata Party, Backward class formed an important section. In 1977-80, the issues related to agriculture along-with backward class issues became the main focus of Janata Party government. The pressure exerted by these groups led to the formation of Mandal Commission for recognizing the backward classes. The interest of backward class found assertion in the form of implementation Mandal Commission Report by V.P. Singh. However, the implementation led to the anti--Mandal agitation.

All these developments speak for the rise of the backward classes. There is a slow and gradual inflow of backward castes in different political parties. Parties like Samajwadi Party in Uttar Pradesh, Rashtriya Janata Dal in Bihar identified themselves with the interest of Backward Castes. The assertion of Backward Castes in Maharashtra, Karnatka and Tamil Nadu began much earlier than the North India. The roots of which are to be found in the Self-respect Movement led by E.V. Ramaswamy Naicker , who popularly came to be known as Periyar in the 1920s and 1930s. His effort led to the several other leaders following the path of social reform, like CM Annadurai and M. Karunanidhi. The ideology and aspiration of the backward classes were expressed through the political parties Anna Dravida, Munnetra Kaghgam (ADMK), DMK (Dravida Munnetra Kaghgam) and Justice Party and AIDMK. There are numerous other parties which work for the interest of the backward classes in South India.

In the south India, the assertion of the backward classes had been completely different, it was driven by the inclusion of artisan and service castes. Different political parties constitute different proportion of the backward castes. They have played a dominant role in economy and politics of the southern states. This has to an extent undermined the effect of upper castes. Therefore, unlike north India, south India never opposed implementation of Mandal Commission Report.

Post-independence, there was an emergence of different backward castes associations. There was an observation by Gallenter that there were more than 88 backward caste organizations which have expressed the interest of the backward castes. A majority of them existed in north India. The leading among them are Bihar State Backward Class Federation, Uttar Pradesh Backward Class Federation, both of which combined to form All India Backward Class Federation (AIBCF) by the efforts of Punjab Rao Deshmukh. Later, there was split in AIBCF, one of them struck to the ideology of the Congress while other to the Lohiaite socialism. The former was headed by Punjab Rao Deshmukh while the latter was led by R. L. Chandpuri. Under the leadership of R. L. Chandpuri, Indian National Backward Class Federation was formed on November 10, 1957. This organization empowered OBC's, who gained much more strength with the implementation of the land reforms. Though, AIBCF had become non-functional by 1970s, but capable backward class leaders have already risen on the scene, who asserted themselves under the Janata Party Regime (1977-80).

Under this leadership of OBC's, a second commission of backward castes was formed, known as backward class commission, under the leadership of B. P. Mandal. When Mandal Commission Report was submitted in 1989, there was a clear proposal of the implementation of 27 per cent reservation for OBC's in the government jobs. It changed the dynamics of the Indian Politics. Some backward caste movements are considered akin to freedom movement of the country. All this resulted in the appointment of Kalelkar Commission on January 29, 1953 headed by Kaka Kalelkar. The commission was to fix the criteria of identifying educationally and socially backward, so that he can formulate policies for their improvement. There were some differences in regard to the identifying the criteria of identifying the backward class community, there was a section which mentioned caste as the criteria and other mentioned it as a class. When Kalelkar report was presented to the government, it refused the implementation. However, Kalelkar proved to be one of the milestones in the assertion of the backward class interest. There was a demand for the appointment of another commission known as Mandal Commission. Under its effect, Government of India recognized National Commission of Backward Classes (NCBCs).

The current paper makes and analysis as to how OBC's have become politically dominant force in 21st century. In recent times they have become much more assertive, but the process of their gaining strength started much earlier. Their becoming conscious of the ideologies of Lohiaism, Ambedkarism can be one of the reasons of their becoming an assertive force. But, the irony is that their assertiveness has become pervasive across the country. But, there is no denying the fact that OBC's have become much stronger force in 21st century.

In the 21st century India has occupied an important position with the indigenous development of science and technology, medical science, service sector and growth in service sector. World is expecting India to play a leadership role in Asia. Nation across the globe is interested in developing friendly relation with India. Even India is seeking to develop a healthy relation with other countries of the world.

India is struggling to contain the price of all the essential commodities, at the same time there is rampant corruption in all the sectors. However, there is a great chance that India would make a rapid progress in agriculture and industry. India is expected to play a leadership role in Asia, and will be self-reliant in coming days, and is expected to leave Japan behind. India is also making progress in space technology, and is bound to launch many rockets from its own launching complex. India is developing renewable energy and searching for alternative fuel energy. India is also bound to make a great progress in cultural field. It is reflected in patronisation of dance, music, painting and sculpture. Indian artists are known everywhere.

In the 21st century India will be ahead in education. Indian youth will witness a lot of integration of vocational and technical training in their curriculum. It is least likely that there will be educated unemployed in the country. There is a going to be change in the educational policy. The country will not witness illiteracy. India wants to be reform customs in the 21st century, and society will be more tolerant to the needs of women. The crimes like throwing acid on her body would end. India will realize its entire goal, and Indians will be proud citizen in the 21st century.

Reference

1. Frankel, R. Francine, and Hasan Zoya (eds.) (2000), Transforming India: Social and Political Dynamics of Democracy, (Oxford University Press, New Delhi).
2. Gopal, Niraja Jayal and Pratap Bhanu Mehta (eds.) (2010), The Oxford Companion to Politics in India,(Oxford Press University, New Delhi).
3. IGNOU Study Material, MPSE: 008, State Politics in India.
4. Manor, James, “Parties and the Party System” in Atul Kohli., (ed.) (1990), India’s Democracy: An Analysis of Changing State Society Relations, (Princeton University Press, Princeton).
5. Narain, Iqpal (ed.) (1976), State Politics in India, (Meenakshi Prakashan, Meerut).
6. Thorner, Daniel (1980), The Shaping of Modern India, (Allied, New Delhi).
7. Web Sources.
8. http://www.indiabroadband.net/general-offtopic-discussions/15848-condition-indian-women-21st-century.html/10/02/2020.
9. http://www.shareyouressays.com/essays/475-words-article-on-india-in-the-21st century/850/16/10/02/2020
10. (https://www.ndtv.com/india-news/rajya-sabha-passes-bill-to-grant-constitutional-status-to-obc-commission-1896230/15/02/2020).

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

A Geographical Study of Education and Empowerment of Weaker Section in Latehar District, Jharkhand

Ramchandra Kumar
Research Scholar, University Department of Geography, Bindo Bihari Mahato Koyalanchal University, Dhanbad.
Dr. Anil Kumar Singh
Head, University Department of Geography, Bindo Bihari Mahato Koyalanchal University, Dhanbad

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 69-78

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

Abstract - India is a fast growing country in the world and it is often being said that 21st century is going to be the century of India. Despite of many development initiatives and efforts empowerment of the weaker section is still a big challenge to the development of this country. It seems more so in the context of Jharkhand a newly formed state which has been established with hope of better future. The weaker sections are a pampered lot in political circle but thereafter they are the most neglected and exploited social groups. Weaker section is an indicative term and includes people with poor socio-economic and political background. They include the scheduled castes, scheduled tribes Minorities, women and Other Backward Communities. Education is seen as a major vector in society. It is rightly recognized by Ravindranath Tagore that the widest road leading to solution of all existing problems is education. Geography is an interdisciplinary subject and study of education, empowerment and weaker section have been attractive issue in applied geography and planning and in social geography. Though it is much debatable among the realm of geographical research and development that how this kind of social issues can be oriented. The present research paper is basically based on observational study with the purpose of giving holistic view of educational status of weaker section, ongoing policies and schemes related to education and empowerment, challenges of empowerment and educational development of the study area and to find out suggestions for betterment.

Keywords : Geographical Study, Education, Empowerment and Weaker Section.

Empowerment has been the subject of widespread and often thoughtful and careful theorizing, study, and application in the fields of social work, community psychology, health promotion, and organizational studies. Unfortunately, it also became an overused buzz-word in consulting, self help, and policy circles. To many, its

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

frequently vague, meaningless usage (sometimes, ironically, for the purpose of co-opting or placating people) has given empowerment a bad name. [1]

The term empowerment refers to measures designed to increase the degree of autonomy and self-determination in people and in communities in order to enable them to represent their interests in a responsible and self-determined way, acting on their own authority. Empowerment as action refers both to the process of self-empowerment and to professional support of people, which enables them to overcome their sense of powerlessness and lack of influence, and to recognize and use their resources.[2]

Education is directly related to the development of an individual and the community. It is the most important single factor for economic development as well as social emancipation. For the weaker sections of society, education is most powerful instrument of empowerment.[3] **A primary role of education is to equip people with the knowledge and confidence to make a difference in the transformation of society.4** In addition to providing students with content knowledge, education helps instil values, attitudes and behaviours that align with those expected in a society. Education prepares young people for the demands of work life and mitigates the risks of poverty. Educated people also recognize the importance of social justice and sustainability and are more to apply their knowledge and skills beyond their job roles. Increased education plays a role in a person's social mobility and likelihood to remain in good health.[4]

Geographical study of education and empowerment is a very significant problem in the contemporary geographical research and development. It gives a holistic approach in investigating such issues in the geographical theory and practices that how geographical understanding of the issue of education and empowerment can play crucial role in managing such problems. Geographical understanding of region, regional characteristics, resources, its distribution and allocation, delineation of target group on spatial basis, identification of geographical factors which influences the policy and planning for education and empowerment of weaker section can be very applicable in tackling and managing of such issues.

Study Area

Latehar district has been created on 4th April 2001. Previously, it was a subdivision of old Palamau district of Jharkhand State. Latehar district is situated between 23°45'0" N latitude and 84°30'0" E Longitude. The geographical area of the district is 3,622.50 sq. Km. Latehar has been named after the village of the same name on Ranchi Daltonganj Road. It is 100 km. away by road from Ranchi, the capital of Jharkhand. Latehar is famous for its rich natural beauty, flora and fauna, forest products and huge mineral deposits. Historically the Latehar district is remained an integral part of Palamau District as a sub division since 1924. It got elevated from sub divisional status to a district on 4th April 2001 vides Jharkhand Govt. Notification No 946 dated 04.04.2001.[5]

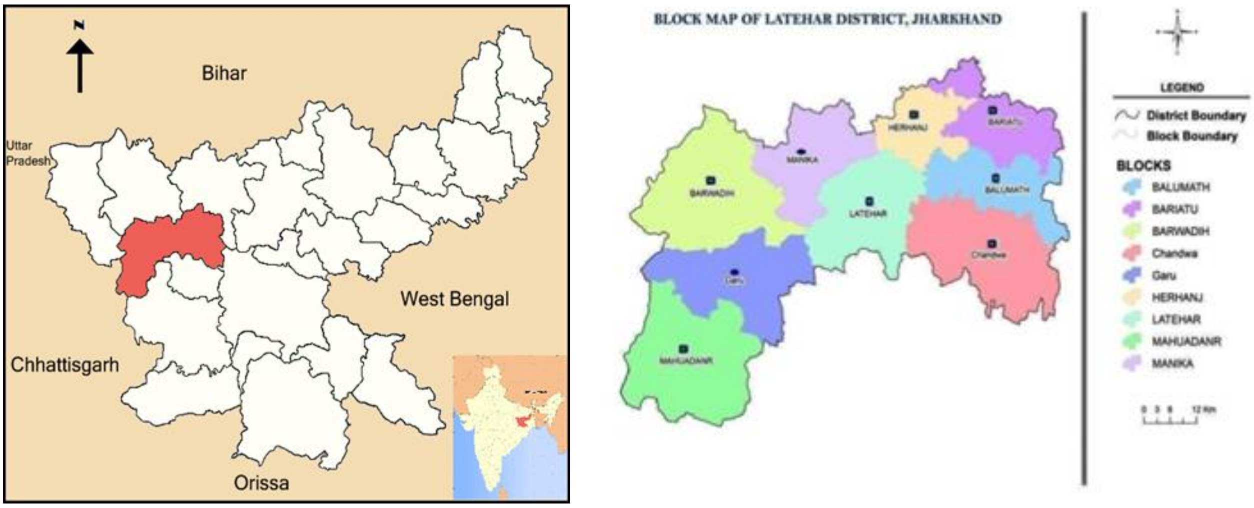

Fig 1 : Location Map of Study Area

It is located on the north–west corner of Jharkhand in the Palamau Commissionary. It is surrounded by Ranchi, Lohardaga, Gumla, Palamau and Chatra district apart from Chhattisgarh state. As per the census 2011 total population of Latehar is 7,26,978 and It's a predominantly tribal district with almost 40% of the population belonging to the schedule tribes and more than 66 % of total population comprises SCs and STs.[6] There are nine Community Development Blocks in the district within which distantly located villages are scattered amidst the dense forest, hilly terrains and agricultural fields. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is predominantly high here and Latehar comes under Tribal Sub Plan Area. The district of Latehar lies in the north-west part of the state of Jharkhand. It possesses a one sub-division, Latehar and there are 9 (nine) Development Blocks, namely Latehar, Chandwa, Balumath, Bariyatu, Herhanj, Manika, Barwadih, Garu and Mahuadar and one statutory town Latehar and three census towns are Chandwa, Alaudia and Barwadih. There are 769 villages in the district including 20 un-inhabited villages.[7]

Educational Status of Weaker Section in Latehar District

- ***Infrastructure and basic amenities in the district:*** The details of the infrastructure and basic amenities accessible to people are presented below in Table 1.1 The district has 773 villages which are characterized as inhabited villages. The district has nearly 1250 primary and upper primary schools, 01 degree college and one Inter College. There are 06 community health centres, 01 primary health centres and 97 sub health centers. Nearly all the villages have access to safe drinking water facilities but only 2 percent of the households have access to piped water facility. One third of the villages have electricity connection. The situation of individual household toilets is poor in the district. Nearly all the boys and the girls are in the primary age group are attending schools.(Sources Latehar District official Website)[8]

Educational Amenities	
Inhabited Villages (Revenue Villages)	773 villages
Primary and Upper primary School	1250
College	02
Primary Health Centre	01
Community Health Centre	06
Primary Health Â Sub-Centre	97
Percent girls (age 6-11) attending Schools	99.5
Percent boys (age 6-11) attending Schools	99.6
Have Access to toilet facility (%)	8.0

Table 1.1 : Educational Amenities and Infrastructure facilities

- ***Literacy among Weaker Section:*** Average literacy rate of Latehar in 2011 were 59.51 compared to 40.69 of 2001. If things are looked out at gender wise, male and female literacy were 69.97 and 48.68 respectively. For 2001 census, same figures stood at 54.13 and 26.52 in Latehar District. Total literate in Latehar District were 350,682 of which male and female were 209,706 and 140,976 respectively. In 2001, Latehar District had 179,937 in its district. The average literacy rate in Latehar for urban regions was 78.33 percent in which males were 84.77% literate while female literacy stood at 71.26%. The total literate population of Latehar was 350,682. Similarly in rural areas of Latehar, the average literacy rate was 57.99 percent. Out of which literacy rate of males and females stood at 68.74% and 46.92% respectively. Total literates in rural areas of Latehar were 316,158. Literacy rate among ST & SC in Latehar district is below average literacy rate of Latehar district that is all ready below national average. Educational status of women is very poor in all community block of this district.

Table 1.2 : Literacy among Weaker Section

Block Wise Literacy Rates in Latehar										
S.N.	Block	Total Population	Literate				Illiterate			
			Male	Female	Total	%	Male	Female	Total	%
1	Latehar	1,17,514	33,221	21,907	55,128	57.92	26,060	36,326	62,386	42.08
	Latehar NAC	26,981	10,124	7,754	17,878	77.85	4,028	5,075	9,103	22.15
2	Chandwa	1,06,653	30,119	20,443	50,562	58.47	24,049	32,042	56,091	41.53
3	Balumath	89,012	25,189	16,906	42,095	58.22	20,124	26,793	46,917	41.78
4	Manika	88,095	25,294	16,297	41,591	59.24	19,629	26,875	46,504	40.76
5	Garu	30,274	8,474	5,335	13,809	57.60	6,753	9,712	16,465	42.40
6	Barwadih	98,992	27,028	17,700	44,728	55.99	23,528	30,736	54,264	44.01
7	Mahuadanr	74,732	24,929	18,776	43,705	69.62	12,986	18,041	31,027	30.38
8	Bariyatu	60,095	15,991	10,191	26,182	54.49	14,368	19,545	33,913	45.51
9	Herhanj	34,630	9,337	5,667	15,004	54.62	8,435	11,191	19,626	45.38
	Total	7,26,978	2,09,706	1,40,976	3,50,682	59.51	1,59,960	2,16,336	3,76,296	40.49

Source: District Census Hand Book of Latehar[9]

- ***Disabled Population in Latehar District:*** In Latehar there are total 15,348 disabled persons out of which 8,438 are males and 6,910 are females. Now let us see the disabled population in Rural and Urban areas in Latehar. In Rural areas there are total 14,035 out of which 7,709 are males and 6,326 are females. Coming to Urban areas there are total 1,313 out of which 729 are males and 584 are females.[10]

Table 1.3 : Disabled Population in Latehar District

TRU	TOTAL DISABLED POPULATION	Males	Females
Total	15348	8438	6910
Rural	14035	7709	6326
Urban	1313	729	584

Educational Development Programmes and Schemes

Policies for schools are created at the local, state and central levels. Educational policies are rules that are intended to help schools teach students efficiently, fairly and safely. These rules determine how students are taught, what they are taught, and how schools manage students and school personnel. Educational policies

can also help keep students in school. For educating children in this district many central as well as state sponsored schemes are going on for ex- i) Central assisted-Sarva Siksha Abhiyan, Kasturba Gandhi Awasiya Vidyalya, State Literacy Mission Authority (SLMA) for TSP (80:20) and for OSP (60:40), Saraswati Vahini (Mid-Day Meal), Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Computer literacy and Computer aided learning (ICT), Establishment of Model School (75:25), Establishment of Girl's Hostel (90:10);ii)State assisted-Free distribution of Text-Books, Construction/ Strengthening/ Renovation/ Up gradation of Training colleges , Support to un-aided Schools, Establishment of Jharkhand Council for Educational Research and Training (JCERT), Skill Development Mission and Vocational Education in +2 Schools, Strengthening of B.Ed./College for Teacher Education (CTE) and other training institutions, Grant in Aid to Vitta Rahit Vidyalayas, Scholarship to the Students Enrolled in RIMC, Deharadun and Merit cum Means Scholarship to State Government Students, Free Cycle distribution to General and OBC girls enrolled in Class –VIII, Free Education for girls up to Intermediate level, Establishment of new District Libraries and strengthening of existing district libraries (including creation of additional reading facilities), Organization of seminar/symposium/purchase printing of materials, **Tribal sub plan for education etc.**

The objectives of ongoing programme and schemes are aimed at -Controlling the dropout in elementary education, improving the quality of education through better teacher training, Reducing in access area by means of establishing new high schools, Retention of enrolled students particularly ST/SC and other weaker sections of the society, Developing schools by providing better school building/furniture/Library/Laboratories/Common rooms/Toilets etc., Delinking of at least 50% degree colleges by means of providing more +2 level schools, Strengthening of Teachers Training Institutes, Strengthening of SCERT, Strengthening and modernization of field offices, Raising the Gross Enrolment Rate (GER) in secondary education (Classes IX and X) ,Substantial reduction in gender, social and regional gaps in GER and drop-outs, ensuring 100 percent trained teachers in all schools, Bringing down pupil-teacher ratio in secondary sector from 53:1 to 30:1,Implementing ICT scheme in all Govt. and Aided Secondary and Higher Secondary Schools, extensive use of satellite based teaching methodology to provide access to Knowledge Centres, demand-driven vocational education in partnership with private partners/ employers, mobility through education streams and multiple entry/exit options etc.

Challenges to Education and Empowerment of Weaker Section:

From detail discussion on centrally and state assisted educational policies and schemes it is clear that both central as well as state government has launched many schemes and programme for strengthening educational status of marginalized people in study area Latehar and Jharkhand. But in spite of these initiatives Latehar is still socio-economically backward district of Jharkhand like many other districts in the state is confronted with many developmental challenges, For ex-

- **Development of Infrastructural Facility and Access to Infrastructure:** Impediments and Improvements Lack of access to infrastructure can be measured in terms of: (i) under-provisioning relative to the rest of India; and (ii) high unfulfilled demand in key areas such as transportation, telecommunication, power, water supply and irrigation. A growth diagnostic for Latehar reveals that poor infrastructure and lack of institutional development are two major constraints to growth. Infrastructural investments not only accelerate growth, but have strong linkage effects with other complementary inputs.[11]

- **Facilitating Educational Amenities:** Facilitating Educational Amenities at geographically challenged tribal villages of Latehar is a big challenge to educational achievements. Latehar is surrounded by dense forest cover and hilly terrains. Many villages are located inside of forest area where transport and communication facilities are very poor.[12]
- **Poverty, Unemployment and labour Migration:** District has one of the highest levels of poverty in state, with a sharp contrast between rural and urban poverty. Due to extreme poverty and unemployment villagers along with their family seasonally migrates to neighbors states like-West Bengal, U. P, Bihar etc. in search of employment. Seasonal employment in the rural economy at a wage rate below subsistence level forces underprivileged labourers to migrate for survival. Brick kilns in India are a major destination for migrant labourers, who are tied to them for the production season after accepting advance wages from agents.[13]
- **Poor Social Indicators : T**he District key social indicators such as literacy, enrolment, infant mortality and child nutrition, are well below the all-India average. As per the latest data published by district statistical office latehar total registered birth and death in the month of Oct 2021 was respectively 1528 and 237 is still disappointing .[14]
- **Mining and Industrialization:**

Though in the mining and industrial calendar study area Latehar holds very important place in India but it is less benefiting for the state and study area as well. The high level of industrialization has not translated into high levels of income for the people, they still marginalized and even being displaced for their land and home.

Apart from above mentioned challenges there are many other problems. As part of the problems associated with the creation of a new state, Jharkhand suffers from serious administrative and management shortcomings adversely affecting implementation effectiveness in the district and the study area faces significant challenges in overcoming the weaknesses of implementation capacity. Jharkhand faces unusually high micro-risks affecting private investment, and everyday security of livelihoods of people of Jharkhand as well as Latehar. Corruption and Nepotism is biggest obstacle in the process of development of this area like everywhere in the India. Today, kinship ties and caste and parochial loyalties get precedence in a public servant's mind. The first obligation of a modern administrator is to his family members, followed by close kin, lineage, or ethnic group. Such ties are more compelling than administrative rules and procedures.

Social evils like exclusion, inequality, decimation etc. are some social challenges continually being faced by marginalized segment of society. Every day violence of human rights are reported in the district and human trafficking is emerges as biggest challenge to humanity. Growth of Human Capital human capital is an important source of long-term growth. Two features are noteworthy. First, distribution of education among different segments of population for the state as a whole and Latehar district in particular does not appear to be very different from the all-India pattern .Secondly returns to education are quite modest. At least for rural areas, the incremental income enhancing effects of attaining different grades of education up to the secondary level are quite modest.

Suggestions and Recommendations

Though the study area is predominantly a tribal district and despite of many central government and state government sponsored programs and schemes characterized by low socio-economic and a backward district.

Developing Educational Infrastructure, Empowering Tribal Women, Skills Development Training and creating Employment opportunities ,Insuring Equality of educational opportunity , Social Security, Community Participation in development process, Quality Concerns in education, Promoting Non Formal and Informal Education , Language and culture and education are the some areas of prime importance.

As the study area is characterized with complex geographical and cultural setup development of infrastructural facility such as road, railway, and communication centre, health centre, skill development related institutions especially in marginal villages will be very helpful. In respect to population numbers of higher educational and training institutions are very less. Establishment of higher educational and training institution will be big efforts in empowering of the region.

Goal of development both state and nation cannot be achieved without empowering women of this of especially a district featured with very poor socio-economic indicators of development. Skills Development Training and Creating Employment opportunities will be helpful in strengthening marginalized including women. Insuring Equality of educational opportunity in the area, Social Security, Community Participation, Quality Concerns in education must be reviewed.

Promoting Non Formal and Informal Education many education and training systems do not provide people with the basic skills needed to escape poverty and unemployment, even when they continue to receive formal education. Non formal education programmes seek to fill this gap by providing learning and skills development opportunities that are relevant to the context in which people live and seek their livelihoods. Often provided through youth and community based organizations, non-formal education facilitates the learning of life-relevant knowledge and skills, especially for disadvantaged and marginalized groups.

Geographically study area Latehar district is very rich in flora and fauna, Vast cultural diversity has huge potential for development of indigenous craft industry, naturally the region is rich in natural resources where ecotourism can be developed. The study area is need more serious attention then of mere implementation of modern model of development based on mining and Industry. The study are seeks such model where protection indigenous culture can be ensured, sustainable livelihood can be maintained and initiatives should taken with active involvement of inhabitants.

Conclusion:

Education is most inevitable means for overall progress of Country. Development of a country largely depends on the educated citizens but literacy rate in study area Latehar is below national average. Educational level among marginalized or weaker sections of society is very low therefore for the development process priority should be given to welfare schemes and programes meant for scheduled castes, scheduled tribes and Other Backward Casts including women. India is a country where every year many welfare schemes are launched but few of them become benefiting due to implementation illnesses. Without ensuring education it is not possible to empower people belonging to any section. By empowering tribal rural woman through education and employment can thus enable them to live with dignity and self reliance cutting across the barriers of customary biases and prejudices, social barrier of caste, class, gender, occupation and institutional barriers that prevent them from taking actions to improve their state both at the individual and collective level. Therefore, developing infrastructure for quality education, development of skilled human resources through training programme which can enable in individuals skills for self employment, improving communication and transport facility, monitoring human right violations ,controlling corruption and

nepotism ,ensuring social security and justice ,creating employment opportunities in mining and industrial work running in the area and free education for all with equal opportunity will help in strengthening all sphere of life of the weaker section of Latehar in particular and nation at large.

References:

1. Perkins, Douglas. (2010). Empowerment. Political and Civic Leadership: A Reference Handbook (pp.207-218) https://www.researchgate.net/publication/316451077_Empowerment, Retrieved on 10/02/2022.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Empowerment.
3. Kumar,Ramchandra (2017) Inclusive Education in India in the Context of Poverty, Inequality and Exclusion, Victorious Publishers, Delhi, Pp.128-140
4. Ibid.
5. Latehar District Government of Jharkhand official website https://latehar.nic.in/ Retrieved on 10/02/2022.
6. Census of India Data(2011) https://www.census2011.co.in/census/district/106-latehar.html
7. Latehar District Government of Jharkhand official website https://latehar.nic.in/ Retrieved on 10/02/2022.
8. District Census Handbook Latehar, Series-21, Part:XII-B, DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS JHARKHAND, http://www.census2011.co.in/district.php, Retrieved on 10/02/2022.
9. District Census Handbook Latehar, Series-21, Part:XII-B, DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS JHARKHAND, http://www.census2011.co.in/district.php, Retrieved on 10/02/2022.
10. District Census Handbook Latehar, Series-21, Part:XII-B, DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS JHARKHAND, http://www.census2011.co.in/district.php, Retrieved on 10/02/2022.
11. Kumar,Ramchandra (2017) Inclusive Education in India in the Context of Poverty, Inequality and Exclusion, Victorious Publishers, Delhi, Pp. 128-140
12. Ali, Ershad & Paul, Manas. (2019). Livelihoods and Tourism in Netarhat, Jharkhand: A Geographical Analysis. 2668-2682.
13. MAJUMDER, B. (2015). Forced Migration of Labourers to Brick Kilns in Uttar Pradesh: An Exploratory Analysis. *Economic and Political Weekly*, *50*(26/27), 19–26. http://www.jstor.org/stable/24482082, Retrieved on 10/02/2022.
14. Report on Registered Birth and Death Rate, district statistical office latehar https://latehar.nic.in/statistics/, Retrieved on 10/02/2022.

Bibliography

1. Ahmad, M Shakeel,(2004). *Five Decades of Planning and Tribal Development: Jharkhand and Uttaranchal*, New Delhi: Gyan.
2. Andre Betelle, (6-13 March 1999). 'Empowerment', Economic and Political Weekly, Pp.590.

3. Ekka, Alexius, (30 December 2000) 'Jharkhand Tribals: Are They Really a Minority' in *Economic and Political Weekly* , Pp. 4610- 4612
4. Jo Rowlands,(1997)'What is Empowerment' in Haleh Afshar and Fatima Alikhan (eds.), Empowering Women for Development: Experiences from Some Third World Countries, Booklinks Corporation, Hyderabad.
5. Manoranjan Mohanty(2001) 'On the Concept of Empowerment', in Debal K. Singha Roy (ed.), Social Development and the Empowerment of Marginalized groups: Perspectives and Strategies, Sage Publications, New Delhi, Pp.23.
6. Rana, Kumar and Samantak Das (13 March 2004). 'Primary Education in Jharkhand' in *Economic and Political Weekly* Pp. 1171-78.
7. Vasan, Sudha, (08 October 2005) 'In the Name of Law: Legality, Illegality and Practices in Jharkhand Forests' in *Economic and Political Weekly*, (08 October 2005), pp. 4447-50.
8. Kumar, R. and Chandra, M.(2019). Contemporary India: Some Reflections, Navyug Book International, Delhi Pp.172-173

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

श्रमिक नेता के रूप में डॉ अंबेडकर

डॉ.स्वदेश सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 79-84

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

सारांश - मुख्य रूप से हम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं लेकिन उससे पहले वो वॉयसरॉय की परिषद के श्रम सदस्य के रूप में काम कर चुके थे जिसे हम श्रम मंत्री भी कह सकते हैं । डॉ. अम्बेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में लगभग 5 वर्ष (1942-1946) तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया । इस सीमित कालखंड में बाबा साहेब ने दलित एवं श्रमिक वर्ग के बंधुओं के हित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया । इस अवधि में उन्होंने ब्रिटिश राज की बन्दिशों और सीमाओं के बावजूद श्रमिकों के लिए कई ऐसे कानून बनाये जो बाद में चलकर भारत के ही नहीं पूरे विश्व के श्रमिकों के लिए हितकारी साबित हुए । डॉ अंबेडकर द्वारा बनाए ये प्रावधान कई श्रमिक कानूनों के बनने में मार्गदर्शक सिद्ध हुए । उस समय डॉ. अंबेडकर ने कई मजदूर आन्दोलनों की मांगों को अपने एजेंडे में लिया । मजदूर संगठनों की कई मांगों को मानते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और बाध्यकारी कानून बनवाए । उन्होंने खुद भी मजदूर संगठनों के बीच काम किया था और उनकी समस्याओं को करीब से समझा था ।इस शोध आलेख में डॉ. अंबेडकर द्वारा बनाए गए श्रमिक कानूनों को केंद्र में रखकर उसका अध्ययन व विश्लेषण किया गया है ।

बीज शब्द : श्रम कानून, डॉ. अंबेडकर, भारतीय संविधान, श्रमिक वर्ग, मानवाधिकार ।

श्रमिक वर्ग के अधिकारों तथा उनकी समस्याओं के प्रति डॉ. अम्बेडकर ना केवल जागरूक रहे बल्कि वे इन विषयों पर सतत संघर्षशील भी रहे । यह बात अलग है कि समय-समय पर परिस्थितियों के अनुरूप उनके विचारों में परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है।

शुरुआती वर्ष- 1920 के दशक में भारत में साम्यवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ा और 1924, 1925, 1928, 1929 के वर्षों में कपड़ा उद्योग से जुड़े मजदूर संगठनों ने जब हड़तालें कीं तब डॉ. अम्बेडकर ने अपने पत्रों - बहिष्कृत भारत और जनता - के माध्यम से श्रमिक वर्गों को इन हड़तालों से दूरी बनाकर रखने को कहा । जिसके परिणामस्वरूप साम्यवादियों ने बाबा साहेब को 'श्रमिक वर्ग का शत्रु' घोषित कर आलोचना की ।[1] डॉ. अम्बेडकर का स्पष्ट मानना था कि श्रमिक वर्ग की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति काफी दयनीय है । ऐसी स्थिति में उन्हें हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए । उन्हें शीघ्र ही भुखमरी का

[1]. Narendra Jadhav, Ambedkar, Awakening India's Social Conscience Konark Publications pp. 251

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सामना करना पड़ सकता है । लेकिन कुछ ही समय बाद श्रमिकों के हड़ताल में शामिल न होने के उनके विचार में परिवर्तन होता है क्योंकि कम्पनी मालिक मजदूरों की मांगों को आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं थे । 1930 के दशक तक आते-आते उन्होंने श्रमिकों को अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल करने का समर्थन किया तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इन हड़तालों में सहयोग भी किया ।

श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने लगातार आन्दोलन किया इसी कारण सन 1934 में वे बम्बई म्युनिसिपल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चुने गए थे । 15 सितम्बर 1938 को जब बम्बई विधानसभा में मजदूरों द्वारा हड़ताल करने से रोकने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल लाया गया तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया । उन्होंने कहा कि जो लोग (मजदूर) देश के लिए अन्न तथा सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं, वे भूखे नहीं मरने चाहिए । डॉ अंबेडकर ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह नया कानून मजदूरों द्वारा की जाने वाली हड़तालों को गैरकानूनी बताकर उनपर प्रतिबंध लगा देगा । यह बिल श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा इसलिए यह असंवैधानिक है । उन्होंने उस समय के मजदूर संगठनों के साथ मिलकर इस बिल के विरोध में आन्दोलन चलाया और अपने भाषण में मजदूर संगठनों से हड़ताल पर जाने की अपील की । उसके बाद उन्हें सफलता भी मिली और यह श्रमिक विरोधी बिल रद्द हो गया ।[2]

रेलवे मजदूरों के एक सम्मेलन में 1938 में अध्यक्षीय भाषण करते हुए डॉ अंबेडकर ने कहा कि यह बात सच है कि अभी तक हम अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर ही संघर्ष कर रहे थे, किन्तु अब समय आ गया है जब हम अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर संघर्ष करें । उन्होंने अछूत मजदूरों की समस्याएं उठाते हुए कहा, 'अछूत मजदूरों को सबसे कम मजदूरी पर रखा जाता है । उनको किसी भी महत्वपूर्ण तथा अधिकार सम्पन्न स्थान पर नहीं रखा जाता । सबसे कम मजदूरी अथवा वेतन पर उसे रखा जाता है तथा अपनी सेवानिवृत्त होने तक वह वहीं रहता है । उसकी कोई प्रोन्नति नहीं होती किन्तु जैसे ही मंदी आती है सबसे पहले उसे ही निकाला जाता है और जब मांग बढ़ती है तब सबसे बाद में उसे रोजगार मिलता है ।'[3]

बाबा साहेब की श्रमिक वर्ग के अधिकारों एवं कल्याण के प्रति चिंता उन शब्दों में परिलक्षित होती है जो उन्होंने 9 सितम्बर 1943 को लेबर परिषद के उद्घाटन के समय औद्योगिकीकरण विषय पर बोलते हुए कही थी । उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दो बातें जरूर होती हैं । पहली, जो लोग काम करते हैं उन्हें गरीबी में रहना पड़ता है और दूसरी जो काम नहीं करते उनके पास अथाह दौलत जमा हो जाती है । एक ओर राजनीतिक समता और दूसरी ओर आर्थिक विषमता । जब तक मजदूरों को रोटी, कपड़ा और मकान और निरोगी जीवन नहीं मिलता एवं विशेष रूप से जब तक सम्मान के साथ अपना जीवन-यापन नहीं कर सकते, तब तक स्वाधीनता कोई मायने नहीं रखती । हर मजदूर को सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्पत्ति में सहभागी होने का आश्वासन मिलना जरूरी है ।[4]

बाबा साहेब का जोर इस बात पर हमेशा रहा कि श्रम का महत्व बढ़े, उसका मूल्य बढ़े । उन्होंने दिसम्बर, 1945 में श्रम आयुक्तों की एक विभागीय बैठक बम्बई सचिवालय में आयोजित की थी । इस बैठक में दिया गया उनका उद्घाटन भाषण अदभुत है । उन्होंने कहा कि औद्योगिक झगड़ों को निपटाने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ।[5]

1 समुचित संगठन ।
2 कानून में आवश्यक सुधार ।
3 श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण ।

---

[2]. Narendra Jadhav, Ibid, 261

[3]. Narendra Jadhav, Ibid, 252

[4]. Narendra Jadhav, ibid, 319

[5]. Narendra Jadhav, Ibid, 322

उनका स्पष्ट मानना था कि औद्योगिक शांति सत्ता के बल पर नहीं बल्कि न्याय नीति के व्यापक तत्वों पर आधारित होना चाहिए । उन्होंने श्रमिकों और मालिकों को भी उनके कर्तव्यों की याद दिलाई । साथ ही, उन्होंने सरकार से भी कहा कि श्रमिक समाज से अपने आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की लगातार कोशिश करनी चाहिए ।

कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भारत में नहीं चलेगा- डॉ अंबेडकर का साफ तौर पर मानना था कि जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने मालिक तथा मजदूर के नाम से दो वर्गों में समाज को विभाजित किया है, भारतीय परिस्थितियों में यह विभाजन नितांत गलत है । इस तरह का स्पष्ट विभाजन भारत में नहीं हो सकता । सभी मजदूरों को मिलाकर एक वर्ग समूह बन जाता है परन्तु भारत में ऐसा करना सम्भव नहीं है । भारत की सामाजिक संरचना अलग है । मजदूरों के अन्दर सामूहिक एकता लाने के लिए उन्हें यह समझना होगा कि उनके आपस की जो सामाजिक दूरियां और अशुद्ध भेदभाव हैं वे दूर होने चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि मैंने किसी भी श्रमिक नेता को इस सामाजिक भेदभाव के विरोध में बोलते हुए नहीं सुना । साम्यवादी श्रमिक संगठनों के बारे में वे कहते हैं, 'मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये एक दिग्भ्रमित लोगों का समूह है और मैं एक कदम और आगे जाकर यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने श्रमिकों का जितना अधिक सर्वनाश किया है उतना किसी ने नहीं किया।'[6]

डॉ अंबेडकर सवाल करते हैं कि क्या मजदूरों को साम्यवाद का रास्ता चुनना चाहिए । विचार करने के बाद वह कहते हैं – नहीं । उनके अनुसार वहां मजदूरों को बराबरी तो मिलेगी लेकिन स्वतंत्रता छिन जाएगी ।[7]

डॉ अंबेडकर जोर देकर कहते हैं कि कम्युनिस्ट लोग केवल असंतोष निर्माण करने का ही कार्य करते हैं, भले ही वहां कोई भी असंतोष न हो । कम्यूनिस्टों का मानना है कि जब लोगों में असंतोष होगा तब क्रांति होगी और सर्वहारा का शासन स्थापित होगा । असंतोष बढ़ाने के लिए साम्यवादी संगठन अव्यवस्था तक फैलाते हैं । डॉ अंबेडकर फिर कहते हैं कि इन साम्यवादी संगठनों ने श्रमिक संगठनों को नष्ट करने का काम ही किया है, 'ये (साम्यवादी संगठन) अंसतोष पैदा कर पाएं हों या नहीं लेकिन इन्होंने मजदूर संगठनों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है और अब ये पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं और पूंजीवादी संगठनों की मदद ले रहे हैं ।'[8]

श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति

बाबा साहेब ने बार–बार यह कहा कि श्रमिकों की राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए । उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया ताकि श्रमिकों की राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया जा सके । उन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पक्ष (इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी) की स्थापना भी की । वो यह मानते थे कि राजनीतिक शक्ति के अभाव में श्रमिक संगठनों को अपनी मांगें मनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा । वे कहते हैं, श्रमिक संघों की ताकत कानून बनाकर बढ़ाई जानी चाहिए । ऐसा तबतक नहीं हो सकता जबतक मजदूर ट्रेड यूनियन की राजनीति से आगे बढ़कर राजनीति में अपनी भूमिका निभाना शुरू नहीं करते ।[9]

जीआईपी रेलवे के अछूत कामगारों के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक संघों को अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीति में अवश्य ही प्रवेश करना चाहिए । उन्होंने कहा, 'जिसके पास शक्ति है उसके पास स्वतंत्रता है– यह एक ऐसी टिप्पणी है जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता । शक्ति एकमात्र साधन है जिसके जरिए कोई स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है और तमाम बाधाओं से खुद को मुक्त कर सकता है । राजनीतिक शक्ति में ऐसा सामर्थ्य

[6]. Narendra Jadhav, Ibid 254

[7]. Thus Spoke Ambedkar, Navyana, pp. 76

[8]. Ibid 254

[9]. Ibid 263

है कि यद्यपि यह धार्मिक या आर्थिक शक्ति की तरह महान नहीं है तब भी यह जहां तक जाती है असली एवं प्रभावी होती है ।'[10]

डॉ अंबेडकर के अनुसार साम्यवादी श्रमिक संगठनों ने श्रमिकों की राजनीतिक शक्ति को ही खत्म करने की लगातार कोशिशें की । उन्होंने खुद एक श्रमिकों के एक राजनीतिक दल का गठन किया । ' अगस्त, 1936 को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से हिस्सा लेकर प्रशासन को अपने ध्येय के अनुकूल बनाये बगैर इस देश के दलित और शोषित वर्ग के दुखों को दूर नहीं किया जा सकता । अन्य कोई अपने हित के लिए काम करेगा इस आशा से मजदूर, दलित या शोषित जीते रहेंगे तो उनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा । इस कारण स्वतंत्र मजदूर पार्टी की आवश्यकता है ।'[11]

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे –

- राज्य पोषित औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले ।
- जागीरदारी प्रथा की समाप्ति हो ।
- उद्योगों/ कारखानों में अच्छे पदों पर दलितों को भी रखा जाए ।

पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने एक नई पार्टी का गठन क्यों किया तो उनका जवाब था– प्रान्तीय असेंबलियों की कुल 175 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें ही सुरक्षित हैं। अगर दलितों की आवाज़ शक्ति से उठानी है तो ये 15 सीटें अपर्याप्त हैं । 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में चुनावों की घोषणा हुई । इसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर डॉ अंबेडकर ने 1937 में मध्य मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था । मुम्बई प्रेसिडेंसी के इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 17 में से 15 सीटें जीतीं थीं । उनका चुनाव चिन्ह 'आदमी' छाप था । मगर बाबा साहेब की इस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को साम्यवादी संगठन पचा नहीं पा रहे थे । साम्यवादी संगठनों को इस बात का भय था कि इससे मजदूरों का जाति के आधार पर विभाजन होगा । वे डॉ अंबेडकर के बारे में दुष्प्रचार करने लगे । उसके बाद उन्होंने ने भी साम्यवादी संगठनों और उनकी नीतियों की आलोचना की । सितम्बर 1936 में मैसूर में दलित समाज का एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन की अध्यक्षता बाबा साहेब ने की । अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने एक बार फिर साम्यवादी संगठनों की आलोचना की । उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, मैं साम्यवादियों से मिलूंगा, इसकी जरा भी संभावना नहीं है । अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले इन कम्युनिस्टों का मैं कट्टर दुश्मन हूं ।[12]

आगे चलकर भी मार्क्सवादियों के लिए वे कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी पर ज़िन्दा नहीं रहता । उसके पास मन है । उस मन को विचार का खाद्य चाहिए । धर्म मनुष्य के मन में आशा का संचार करता है । उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है । दलितों के उत्साह पर हिन्दू धर्म ने पानी डाला इसीलिए धर्म परिवर्तन करने की बात मुझे आवश्यक लगी और मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । दीक्षा समारोह नागपुर में बाबा साहेब ने कार्ल मार्क्स की उस अवधारणा का विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म अफीम की तरह है। बाबा साहेब कहते हैं, मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। कार्ल मार्क्स के कारण एक नया पंथ निकला। उसके अनुसार धर्म कुछ भी नहीं है। उन्होंने सुबह के अल्पाहार में पाव, मक्खन–मलाई, मुर्गे की टांग, भोजन में भरपेट अन्न के बाद अच्छी नींद मिली कि सब कुछ हो गया । यह उनका तत्व ज्ञान है । मैं उनके मत का नहीं हूं ।'[13]

---

[10]. Ibid, 252

[11]. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर, सूर्य नारायण रणसुभे, पृ. 52

[12] .दत्तोपंत ठेंगड़ी, डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा, पृ. 185

[13]. दत्तोपंत ठेंगड़ी, वही, पृ. 185

टेक्सटाइल मजदूर आन्दोलन में उनके और श्रमिक यूनियन के बीच हुए संवाद से कितनी ही नई बातें स्पष्ट हुई थी । श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने अपने पूर्व के अनुभवों को ही वैधानिक रूप में मान्यता दी । श्रम मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित हैं:

मजदूरों की सुरक्षा हेतु नीति एवं योजनाएं- डॉ. अम्बेडकर के विशेष प्रयासों के कारण ही श्रमिक, मालिक और सरकार का त्रिपक्षीय संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ ।[14] इस सम्मेलन के बाद मजदूर–श्रमिक असहाय नहीं रहे । सरकार को उनके समर्थन एवं सुरक्षा में खड़ा होना पड़ा एवं सरकार को उनके हितों के संरक्षण में कानून बनाने पड़े। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने 9 दिसम्बर, 1943 को धनबाद के कोयला खदान मजदूरों की कॉलोनी का दौरा किया । वहां उन्होंने कोयला खदान मजदूरों की दयनीय दशा को बहुत करीब से देखा था । इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप ही 7 अगस्त, 1945 को प्रथम त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने ऐतिहासिक वक्तव्य दिया । उन्होंने साफ कहा कि मजदूरों और मालिकों के उद्देश्य समान हैं । इस सम्मेलन के भी मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य हैं

– मजदूरों के लिए कानून बनाना
– औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए एक पद्धति का निर्माण करना
– पूरे भारत के मजदूर–मालिक सम्बन्धों की चर्चा करना

बाबा साहेब चाहते थे कि सरकार की श्रम नीति निश्चित होनी चाहिए और उसे बनाने में मजदूरों को बराबर का सहयोगी होना चाहिए । सरकार की श्रम नीति का व्यापक स्वरूप बनाने के लिए उनके श्रम मंत्री के कार्यकाल में कुल चार त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किए गए । इन सम्मेलनों में

A. मजदूरों के न्यूनतम वेतन की चर्चा हुई ।
B. कम्पनी अधिनियम के आधार पर काम के घण्टे तय किए गए ।
C. मजदूरों के लिए भविष्य निधि की चर्चा हुई ।
D. अधिक समय काम के बदले अलग से मेहनताना अर्थात ओवर टाइम की व्यवस्था हुई ।
E. सस्ते मूल्य के अनाज की व्यवस्था ।
F. कम्पनी के अंदर सस्ते दर के जलपान गृह एवं अस्पताल की व्यवस्था ।
G. विश्राम स्थल की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा ।

बाबा साहेब ने अपने श्रम मंत्री के कार्यकाल के दौरान श्रमिकों के हित में लगभग 25 कानूनों का निर्माण किया और उनका क्रियान्वयन करवाया । सातवें भारतीय श्रम सम्मेलन में 27 नवम्बर 1942 को डॉ. अम्बेडकर ने आठ घण्टे काम का कानून रखा था । इस कानून को बनाते समय उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं । उन्होंने कहा था कि काम के घण्टे घटाने का मतलब है रोजगार बढ़ना । इस कानून के मसौदे को रखते हुए उन्होंने जोर देकर कहा था कि कार्य अवधि 12 से 8 घण्टे किए जाते समय किसी भी स्थिति में वेतन कम नहीं किया जाना चाहिए ।

महिलाओं के प्रति डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण उस समय के कई राष्ट्रीय नेताओं से अधिक व्यापक था । श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने महिला मजदूरों के हितों को संरक्षित करने के लिए भी कानून बनाए । ये कानून ही बाद में चलकर बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन सम्बन्धी कानून का आधार बने । उन्होंने खदान मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ एवं मातृत्व अवकाश कानून के साथ–साथ कोयला खदान में महिला मजदूरों से काम न कराने सम्बन्धी कानून बनाए ।

ट्रेड यूनियन एक्ट भले ही 1926 में ही अस्तित्व में आ गया था मगर डॉ. अम्बेडकर के श्रम मंत्री बनने से पहले तक एक भी मालिक ने इसे मान्यता नहीं दी थी । मालिकों द्वारा ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान करने वाला

[14]. Narendra Jadhav, Ibid, 318

कानून डॉ. अम्बेडकर ने 1943 ई । में बनाया । ट्रेड यूनियनों और डॉ. अम्बेडकर के दबाव में इसी समय काम करते समय दुर्घटना के बीमा जिसे बाद में ईएसआई का रूप मिला, का कानून बना । इसी समय कोयला तथा माइका कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अस्तित्व में आए ।

मजदूरी के एक अन्य दूसरे पक्ष अर्थात ग्रामीण मजदूरों के सम्बन्ध में भी डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण काफी व्यापक था। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के श्रमिकों का अधिकांश हिस्सा खेतिहर मजदूर के रुप में कार्यरत है । खेतिहर मजदूरों के शोषण से वे भलीभांति परिचित थे इसलिए उन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए भी कई कानून बनाए । वे कृषि मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए भूमि सुधारों को भी जरूरी शर्त मानते थे । इस मामले में वे राजकीय समाजवाद के पक्षधर थे इसीलिए उन्होंने भूमि सुधारों और आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप का जोरदार ढंग से समर्थन किया । संविधान सभा में संविधान के बुनियादी अधिकारों में जोड़ने के लिए उन्होंने जो बिन्दु सुझाए थे उनमें अन्य बातों के अलावा जो तीन विषय शामिल थे, वे निम्नलिखित हैं–

- प्रमुख केन्द्रीय उद्योग सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित होने चाहिए ।
- बुनियादी प्रमुख उद्योग (गैर रणनीतिक) भी सरकार द्वारा या उसके द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा संचालित होने चाहिये ।
- उन्होंने कृषि को राजकीय उद्योग की मान्यता देने की बात कही । उन्होंने कहा कि कृषि उद्योग को संचालित करने के लिए सबसे पहले सरकार सारी भूमि का अधिग्रहण करे फिर समुचित आकार में उन जमीनों को गांव के लोगों के बीच बांट दे । इन जमीनों पर परिवारों के समूहों द्वारा सहकारी खेती करने का सुझाव दिया ।

निष्कर्ष - बाबा साहेब के प्रयासों के कारण ही मुख्य श्रम आयुक्त, प्रोविंशियल श्रम आयुक्त, श्रम निरीक्षक जैसे सरकारी पद सृजित किये गए । ये अधिकारी श्रमिकों के हितों के संरक्षण का काम करते थे और श्रमिक उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे । इस तरह श्रम मंत्री रहते हुए डॉ अंबेडकर ने अपनी सूझ–बूझ और अनुभव के आधार पर ऐसे कई कदम उठाए जिनके द्वारा कई श्रम कानून अस्तित्व में आए और प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन हो सका । वहीं डॉ अंबेडकर ने ऐसी कई पहले कीं जो आने वाले समय में श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में मार्गदर्शक बनीं ।

संदर्भ सूची :

1. Narendra Jadhav, Ambedkar, Awakening India's Social Conscience.Konark Publications.
2. Thus Spoke Ambedkar, Navyana Publishing Pvt Ltd, New Delhi.
3. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर, सूर्य नारायण रणसुभे, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली ।
4. दत्तोपंत ठेंगड़ी, डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ ।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

स्वराद्यव्ययसञ्ज्ञाप्रबोध:

डॉ.नवीनकुमारमिश्र:
संविदाध्यापक:,व्याकरणविभाग:,केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय:, क.जे.सोमैया.मुम्बईपरिसर:,मुम्बई ।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 85-97

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोधपत्रसार:- उद्देश्यम्-आनरपामराणां संस्कृतसुकुमारमतीनां कृतेऽअव्ययसञ्ज्ञाविषयकं विशेषप्रतिपत्तिं वारणायायं शोधपत्रं मया प्रस्तूयते । जनेषु संस्कृतप्रचारप्रसाराय संस्कृतवीराणां कृते इदं पाथेयं भवति । शोधपत्रप्रकृति: – स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रगतमव्ययानां सार्थसारणीकरणम् । अत्रानेकविधाव्ययानां भेदा:– समुल्लिखिता: सन्ति । छात्रेभ्य:अव्ययान् ज्ञातुमत्र प्रयत्न:विहित:।

शोधबिन्दव:– विभक्तिप्रतिरूपकम्– कुत:, ग्रामत:, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र । कालप्रतिरूपकम्–यदा, कदा, तदा, सर्वदा, यर्हि, कर्हि, तर्हि । प्रकारवाची– यथातथा, इत्थम्, कथम्, द्वेधा, त्रेधा, पञ्चधा, षोढा । विविधबोधकम्–अनेकश:, बहूश:, पञ्चत्व:, गणधाकृत्वा, नानाकृत्वा, बहुधाकृत्वा । शोधपत्रफलम्–अव्ययानामर्थबोधे तेषां स्वरूपप्रत्यये संस्कृतानुरागीणां जिज्ञासूनाञ्च कृते फलवदिदं शोधपत्रम् ।

नतोऽस्म्यहं त्वखिलहेतुहेतुं नारायणं पुरूषमाद्यमव्ययम् ।
यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्माऽविरासीद् यत एष लोक: ।। श्रीमद्भागवतम् 10/40/01

अव्ययपदार्थ:– एकप्रकारकं न व्येति तदव्ययम् । क्व पुनर्न व्येति ? स्त्रीपुंनपुंसकानि,सत्वगुणा:,एकत्वद्वित्वबहुत्वानि च । एतानर्थान् केचित् वियन्ति,केचिन्न वियन्ति तदव्ययम् ।।

व्यकरणमहाभाष्यम् 1.3.38

अव्ययलक्षणम्-

सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।
वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम् ।। गोपथब्राह्मणे 1.1.26
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयो: ।।
आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ।।पदमञ्जरी 6.2.37

अव्ययभेद:

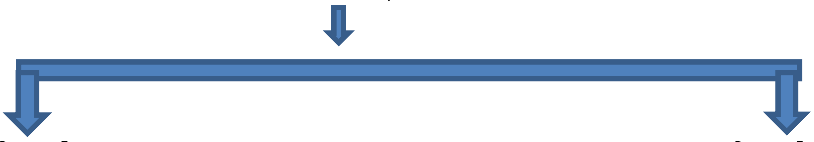

अव्युत्पन्नाव्ययपदम्(अविकारी(रूढम्) — **व्युत्पन्नाव्ययपदम्(विकारी**(यौगिकम्)
पठित्वा, पठितुम् — च वा विना पृथक्

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

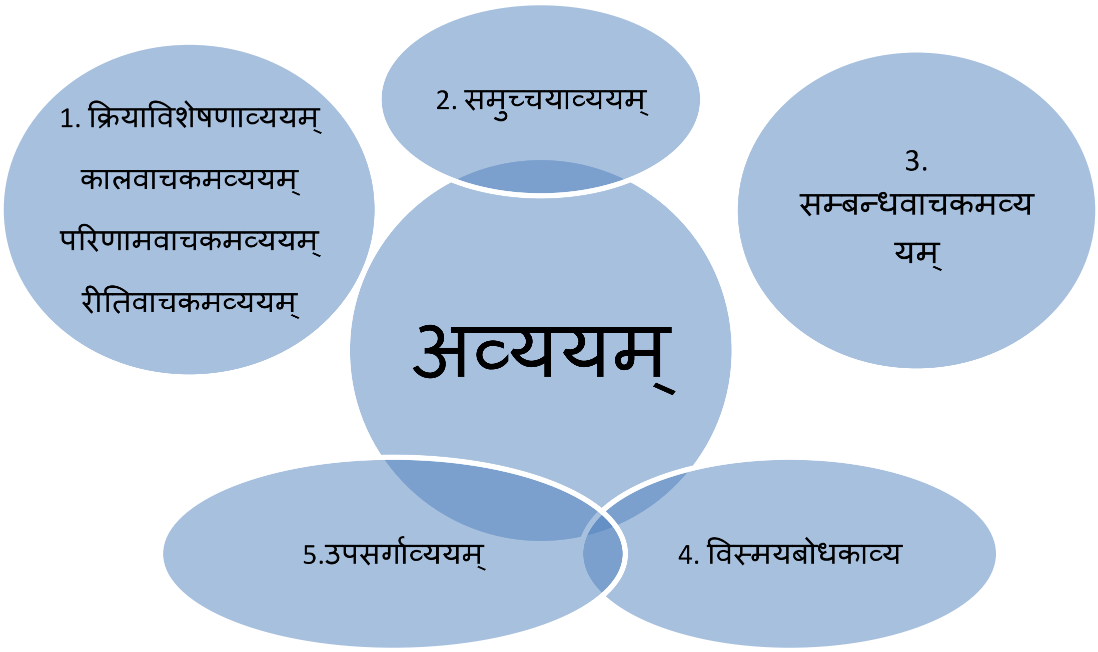

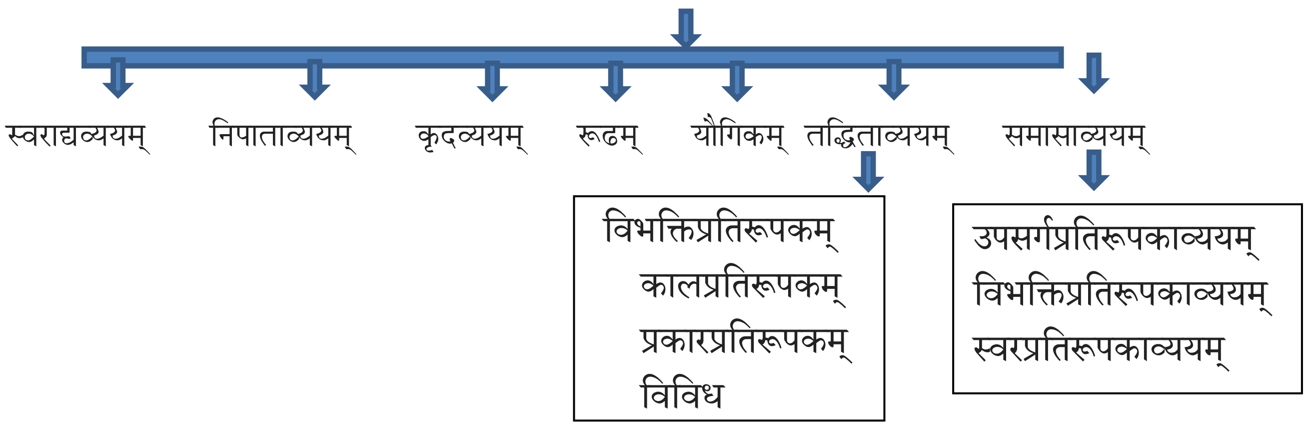

अयं स्वरादिराकृतिगणः आकृत्या गण्यते इति आकृतिगणः–इति शब्दकौस्तुभे । स्वरादीनां सत्ववाचिनाम्,असत्वाचिनां च अव्ययसंज्ञा व्यापिनी,चादीनां तु असत्ववाचिनामेव निपातसंज्ञा अव्यापिनी इति भेदः।

स्वरादिगणे केचन अन्तोदात्तविशिष्टाः–स्वर,अन्तर्,प्रातर् । पुनर् इत्याद.स्तु आद्युदात्ताः।

निश्चितः पात एषामिति निपातः। निपात्यन्ते यथाकथि्ंचत् साधु क्रियनते इति निपाताः। उत नियमेन पातयन्तिस्वार्थमन्यस्मिन् इति निपाताः– इति शेखरे ।

प्रातिपकार्थयोगात् धातुच्छन्दोनिरुक्तयुक्त्या ।

यस्मान्निपतन्ति पदे तस्मात् प्रोक्ता निपातास्तु ।।-भरतमुनिः

स्वरादिनिपातमव्ययम् 1.1.37

क्र.सं.	अव्ययपदानि	अर्थाः
1.	स्वर्	स्वर्गलोके परलोके वा
2.	अन्तर्	अन्तःमध्ये वा
3.	प्रातर्(प्रातः)	उषसि प्रत्यूषे
4.	पुनर्(पुनः)	आभीक्ष्ण्ये अप्रथमे विशेषे च
5.	सनुतर्	गोपने अदर्शने अन्तर्धाने वा
6.	उच्चैस्(उच्चैः)	उपरि महती वा
7.	नीचैस् (नीचैः)	अधः अल्पे
8.	शनैस्(शनैः)	क्रियामान्द्ये
9.	ऋधक्	सत्ये शीघ्रे सामीप्ये लाघवे वा
10.	ऋते	वर्जने अभावे
11.	युगपत्	एककाले
12.	आरात्	आन्तिके दूरे दूरसमीपयोः
13.	पृथक्	भिन्ने
14.	ह्यस्(ह्यः)	गते दिवसे अतीते अह्नि
15.	श्वस् (श्वः)	अनागते अह्नि आगामिनि अह्नि
16.	दिवा	दिवसे
17.	रात्रौ	निशि
18.	सायम्	निशामुखे
19.	चिरम् चिरेण चिराय चिररात्राय चिरात् चिरस्य	बहुकाले
20.	मनाक्	मनाक् ईषत् -अल्पे मात्रायाम्,
21.	जोषम्	सुखे
22.	तूष्णीम्	मौने
23.	बहिस् (बहिः) अवस्	बाह्ये
24.	समया निकषा	सामीप्ये निकटे मध्ये च
25.	स्वयम्	आत्मार्थे, वृथा-व्यर्थे

26.	नक्तम्	रात्रौ
27.	नञ्	सादृश्ये अभावे भेदे अल्पे अप्राशस्त्ये विरोधे निषेधे तदर्थे तदाशये
28.	हेतौ	निमित्ते कारणे
29.	हे है	सम्बोधने
30.	इद्धा	प्राकाश्ये
31.	अद्धा	स्फुटावधारणयो:
32.	सामि	अर्धे जुगुप्सिते च
33.	अधस्	नीचै:
34.	ब्राह्मणवत् क्षत्रियवत् मित्रवत् शत्रुवत्	तुल्ये,सना सनत् सनात्-नित्ये
35.	उपधा	भेदे
36.	तिरस् (तिर:)	अन्तर्धौ गोपने अदर्शने अन्तर्धाने वा
37.	अन्तरा	मध्ये विनार्थे, अन्तरेण-विना वर्जने अभावे
38.	ज्योक् योक्	कालाधिक्ये प्रश्ने शीघ्रे सम्प्रत्यर्थे च
39.	मक् कम्	वारिमूर्धनिन्दासुखेषु
40.	नक्	रात्रौ,निषेधे
41.	शम्	सुखे
42.	सहसा	आकस्मिकविमर्शयो:
43.	श्रद्धा	आत्मभावसमर्पणे
44.	विना	वर्जने अभावे राहित्ये
45.	नाना	प्रकारभेदे बहुत्वे
46.	स्वस्ति	मङ्गले कल्याणे च
47.	स्वधा	पितृयज्ञे पितृतर्पणे च
48.	अलम्	भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणनिषेधेषु
49.	वषट् श्रौषट्	देवहविर्दाने
50.	वौषट्	न्यासे
51.	अस्ति	सत्तायाम्
52.	उपांशु	अप्रकटोच्चारणहास्ययो:
53.	क्षमा	क्षान्तौ

54.	विहायसा	आकाशार्थे
55.	दोषा	रात्रौ
56.	मृषा	मिथ्या वृथा
57.	मुधा	व्यर्थे असत्ये
58.	पुरा	अविरते चिरातीते प्राक्काले
59.	मिथो मिथस् (मिथः)	सहार्थे परस्परार्थे रहसि
60.	दिष्टया	रीतौ अनुसारे परिप्रेक्ष्ये
61.	प्रायस् (प्रायः)	बाहुल्ये
62.	मुहुस् (मुहुः)	पुनरर्थे
63.	प्रबाहुकम् प्रवाहिका	समानकाले ऊर्ध्वार्थे च
64.	आर्यहलम्	बलात्कारे
65.	अभीक्ष्णम्	पौनः पुन्ये
66.	सह साकम् समम् सार्धम् सार्थम् सत्रम्	सहार्थे
67.	नमस्(नमः	नतौ नमस्कारे प्रार्थनायाम्
68.	हिरुक्	वर्जने
69.	धिक्	धिक्कारे निन्दाभर्त्सनयोः
70.	अथ	मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्र्याधिकारप्रतिज्ञासमुच्चयवितर्कविकल्पेषु
71.	प्रताम्	ग्लानौ
72.	प्रशाम् प्रशान्	समानार्थे
73.	प्रतान्	विस्तारे
74.	मा माङ्	निषेधे
75.	सदा	अनिशम् नित्यम् नित्यदा अजस्रम् सन्ततम् वा
76.	अम्	शीघ्रता,अल्पम्,
77.	श्रत्	श्रद्धा,विश्वासः,सत्यम्
78.	कामम्	स्वाच्छन्द्यानिच्छाङ्गीकारपर्याप्तिप्रकामासूयाऽनुगमनादिष्वर्थेषु
79.	प्रकामम्	अतिशये

80.	भूयस् (भूयः)	पुनरर्थे,आधिक्यार्थे,वीप्सायाम्,द्विर्वचने,प्राथम्यार्थे,अधिकार्थे
81.	परम्	नियोगक्षेपकेवलकिन्त्वर्थेषु दृश्यते
82.	साक्षात्	प्रत्यक्षतुल्यावस्यार्थौ
83.	साचि (साचि)	तिर्यगर्थे
84.	सत्यम्	प्रश्नप्रतिषेधार्धाङ्गीकाराङ्गस्येषु
85.	मङ्क्षु	शीघ्रार्थसत्यार्थभृशार्थवह्वार्थकेषु
86.	संवत्	वर्षार्थकहायनार्थकौ
87.	अवश्यम्	निश्चये,अशक्यनिराकरणार्थे
88.	सपदि	वर्तमानतत्क्षणशीघ्रार्थकेषु
89.	प्रादुस्	नामप्राकाश्ययोः
90.	आविस्	प्राकाश्ये,आविर्भावे,आविष्कारे
91.	उषा	प्रातःकालार्थे
92.	ओम्	प्रारम्भाङ्गीकारानुज्ञाऽन्तब्रह्मतूष्णीम्भावादिष्वर्थेषु
93.	भूः(भूर्)	पृथिवीवाचको महाव्याहृतिविशेषोऽयमव्ययसंज्ञकः
94.	भुवर्	अन्तरिक्षवाचके
95.	झटिति	शीघ्रार्थके
96.	तरसा	शीघ्रार्थके
97.	अञ्जसा	तत्वशीघ्रार्थयोः
98.	मिथ	परस्परम्
99.	अमुथा	प्रकारार्थे
100. 0	विद्रुवम्	साम्प्रतम्
101.	भाजक्	शीघ्रार्थके
102.	अ	सम्बोधने,अभावे,अनुकम्पायाम्,स्वल्पार्थे,प्रतिषेधे
103.	कु	पापा-कुत्सा-ईषदर्थ-निवारणेषु
104.	अन्वक्	पश्चाद्गामी,मैत्री,आनुकूल्ये
105.	अस्तम्	शैलविशेषादर्शनयोः
106.	अम्नर्	शीघ्रसाम्प्रतिकयोः
107.	अम्नस्	शीघ्रसाम्प्रतिकयोः
108.	अम्भर्	जलम्
109.	अम्भस्	जलम्
110.	अनुषट्	अनुमाने

111.	अनुषक्	अनुमाने
112.	आनुषक्	अनुमाने,बन्धुता
113.	स्थाने	औचित्य-सत्य-सादृश्य-युक्तार्थेषु
114.	वरम्	ईषत्,प्रियं,मनाग्,
115.	सुष्ठु	समीचीनम्, सुन्दरम्
116.	दुष्ठु	खलः
117.	बलात्	बलपूर्वकम्
118.	शु	प्रशंसा अक्षि प्रार्थनायाम्
119.	अर्वाक्	अधरे
120.	शुदि	शुक्लपक्षः
121.	वदि	कृष्णपक्षः,औदीच्यदेशः,उत्तरदेशः
122.	आम्	प्रतिवचनावधारणाभ्युपगमांगीकारस्मरणेषु

चादयोऽसत्वे (पा.अ. 1.4.57)

अव्ययपदानि	अर्थाः
च	समुच्चयान्वाचयेतरयोगसमाहारेषु
वा	विकल्पोमयोरिवार्थेSपि समुच्चये (विभाषा,अन्यतरस्याम्)
ह	प्रसिद्धौ
अह	अद्भुते खेदे च
एव	अवधारणे निश्चये अनवक्लृप्तौ च
एवम्	उक्तपरामर्शार्थे
नूनम्	निश्चये तर्के च
शश्वत्	पौनः पुन्ये नित्ये सहार्थे च
युगपत्	एककाले
भूयस् (भूयः)	पुनरर्थे आधिक्ये च
कूपत्	प्रश्ने प्रशंसायाञ्च
सूपत् सूपत्स कुवित्	भूर्यर्थे
नेत् ,चेत्	शंकायाम् ,यद्यर्थे,एवं न,यदि
चण्,कच्चित्	चेदर्थे, इष्टप्रश्ने,यदि,यदीत्थम्
किञ्चित्	अल्पे

यत्र	अनवक्लृप्त्यमर्षगर्हाश्चर्येषु
नह	प्रत्यारम्भे
हन्त	हर्षे विषादे अनुकम्पायां वाक्यारम्भे च
माकिः माकिम् (आकिम्) नकि:(नकिम्)	वर्जने, निषेधे
माङ्‌ नञ्‌	वर्जने, निषेधे
यावत् तावत्	शकलावधिमानधारणेषु
त्वा त्वै	विशेषवितर्कयो:
द्वै (न्वै)	वितर्के
रै	दाने अनादरे च
श्रौषट्	देवाराधनायम्
वौषट्- देवाराधनायम्	देवाराधनायम्
स्वाहा- देवाराधनायम्	देवाराधनायम्
स्वधा	पित्राराधनायम् श्राद्धे तर्पणे च
वषट्	देवाराधनायम्
किम्	प्रश्ने,ओम्-स्वीकृतिः
तु तुम्	निरादरे तुङ्कारे
खलु	निषेधे वाक्यालंकारनिश्चयेषु कथने एका शैली
किल्	कथने एका शैली एवार्थे
अथ अथो	मंगलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्यार्धिकारप्रतिज्ञासमुच्चयेषु
सुष्ठु	सुन्दरम्
स्म	भूतकाले अतीते पादपूरणे च
आदह	निन्दोपक्रमहिंसाकुत्सनेषु
सम्यक्तया	समीचीनतया
शुकम्	शीघ्रम्
यथाकथाच्	अनादरः,(लगभग)
पाट्	सम्बोधनम्
प्याट्	सम्बोधनम्
पुरा	प्राक्काले,प्राचीनकाले
किम्	प्रश्ने, जिज्ञासायाम्
तत्	सर्वनाम् सुबन्तप्रतिरूपकमव्ययम्

यत्	हेत्वर्थकः
यथा	योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादृश्येषु
तथा	तेन प्रकारेण
तथाहि	यतोहि
यम्	तथैव
सु	शोभने
सम्	सम्यक्त्वे,समन्तत्वे,श्लेषे,कूजनवर्तने
नहि, नेत्याह	निषेधार्थकः
ननु	परमताक्षेपानुज्ञापृष्टप्रतिवचनप्रश्नयविरोधोक्तिवाक्यारम्भनिश्चादयः
नोचेत्, नचेत्	अन्यथा
मुधा	निष्फलम्,प्रीतिकरणम्
अनुकामम्	यथाकामम्,सहार्थे,हेतौ,
सुकम्	अतिशये
शिकम् ,शुकम्,श्वकम्	शीघ्रता
नहिकम्	निषेधार्थे
ना	अभावे
नुकम् , सनुकम्	वितर्के
सना	अतिप्राचीनः
हिकम्	यथासम्भवम् (वैदिकः)
ताजक्	शीघ्रार्थके
तक्	हर्षार्थकः
पशु	नहिकम्, निषेधार्थे
सत्यम्	प्रश्नप्रतिषेधाङ्गीकाराऽत्रेजस्येषु
ऋतम्	सत्यार्थे
श्रत्	विश्वासार्थकः
इद्धा	प्राकाश्यसामीप्यस्मरणेषु
असि	त्वमित्यर्थे
अस्मि	अहमित्यर्थे
स्म	अतीतवाक्यपूरणे
तकत्	अल्पार्थे
अम्	शीघ्रम्,अल्पम्

अम्न:	शीघ्रे साम्प्रतिके च
अमा	रहस्समवायसंयोगसामर्थ्येषु
अहह,अहहो	अद्भुतम्,खेदार्थे
उञ्	वितर्के,अवधारणे
उकञ्	वितर्के
हो	आश्चर्यसूचकम्,सम्बोधने,प्रतिवाक्ये,वियोगे च
हंहो	आह्वाने,दर्पदम्भप्रश्नापसा
ईहा	वाञ्छा
अहो	खेदाद्भुतानुकम्पासन्तोषेषु
अरे	हीनसम्बोधने
अरेरे	अधमसम्बोधने
आहोस्वित्	अथवा, उत
आहो	वितर्के,यद्यर्थे
उताहो	परिप्रश्नविचारयो:,अथवा
धिक्	धिक्कारे,हीने,अनादरे,निन्दायाम्,भर्त्सने
नु	वितर्के,निश्चयार्थे,प्रश्ने
इह	अत्र,अस्मिँल्लोलोके,सन्दर्भे,आधारे
इति	समाप्ते
अनु	पश्चात्,अनन्तरम्
अव	क्रोधे,अवरोधे,बोधे .धैर्ये,आलम्बने,भूषणे
इव	सदृशार्थे
चण्	चेदर्थे,यदि
वट्	प्रशंसायाम्
वाट्	हविर्दाने
अञ्जसा	तत्वम्, शीघ्रम्
प्रादुस्	नाम ,प्रकाशनम्
श्रुत्	शीघ्रम्
अङ्ग	पूजा, सम्बोधने
भो:	सम्बोधने
अये	सम्बोधने
पशु	सम्यगर्थे

ह्य	हिंसाप्रातिलोम्यपादपूरणेषु
वात्	सादृश्यार्थकः(छान्दसः)
बत	दया,खेदः
बाट्	हविर्दाने
दिष्ट्या	मङ्गले,आनन्दे,हर्षे च
कीम्	द्वेषरूपार्थः
कुम्	प्रश्नार्थकः(किमर्थम्)
शीम्	द्वेषः
सीम्	सर्वतोभावः,निश्चयेन
खम्	मन्त्रबीजाक्षरम्
खुम्	मन्त्रस्तोभाक्षरम्
हुम्	अनुकरणशब्दः
द्यु	वासरार्थकः,गगनार्थकः
फट्	विघ्नप्रतिहतस्य उत्सारणम्,अनुकरणशब्दः
छम्वट्	अन्तःकरणम् ,आभिमुख्ये
अध	आनन्तर्ये
अधस्	अधोभागे,नीचैः
वै	नियोगागमविशेषसम्बोधनानुनयनिश्चयपादूरणादिषु
न	निषेधोपमानयोः
शस्	बह्वाल्पार्थमङ्गलवचने(बहुशः,अल्पशः)
सम्	सम्यक्,समन्तत्वे,श्लेष,कूजने,स्मृते,क्रोधे,ऋद्धौ, वाचिके,अनिश्चये,गुणाधाने,प्रतिज्ञायाम्,उद्योगे, नियमे,विमर्शे,स्वीकारे,प्रीतौ,क्षये,वर्जने,काले, परिचये,अल्पे,परिहारे
आस्	स्मरण-आक्षेप-कोप-सन्ताप-पीडा-खेद-सगर्ववर्जने
अन्तः	मध्ये
द्यौः	आकाशः
सुकृ	सम्यक्,समीचीनम्
दुर्नीतम्	कष्टसाध्यं नयनम्
दुर्नयः	हेयनिश्चयः,हेयसिद्धान्तः
दृन्	हिंसार्थकः,दृढार्थकः

आईम्	मृग्यः,स्तोभाक्षरमिदम्
चाटु	प्रियवाक्यप्रयेगे
ताजक्	शीघ्रम्
भाजक्	शीघ्रम्
युत्	घृणा
वेलायाम्	कालवाचकम्
मात्रायाम्	अल्पपरिमाणवाचकम्
पाम्पी	विस्तारविध्वंसमाधुर्यकरुणार्थेषु
ताली	विस्तारे,वर्णे,उत्तमे,विदूराकुलीभावे
आताली	विस्तारे,वर्णे,उत्तमार्थे,आकुलीभावे
वेताली	विदूराकूलीभ्वार्थे
धूसी	विस्तारे,कान्तौ,काङ्क्षायाम्
विषु	नानार्थे
एकपदे	अकस्मादर्थे,सहैव
युत्	कुत्सायाम्
आतः	सर्वतोभावे

उपसर्गविभक्तिप्रतिरूपकाव्ययम्-

क्र.सं.	उपसर्गविभक्तिप्रतिरूपकाव्ययपदानि	अर्थाः
1	निदत्तम्	निश्चयेन अददत्
2	सुदत्तम्	सम्यक्प्रकारेण अददत्
3	प्रदत्तम्	प्रभूतम् अददत्
4	विदत्तम्	विशेषेण अददत्
5	अनुदत्तम्	पश्चात् अददत्
6	अवदत्तम्	अददत्
7	परादत्तम्	पौनःपुन्येन अददत्
8	अहंयुः	अहंकारी
9	अस्तिक्षीरा	क्षीरयुक्ता गौः

स्वरप्रतिरूपकमव्ययम्-

क्र.सं.	स्वरप्रतिरूपकमव्ययपदानि	अर्थाः

1	अ	आकृतिः,विष्णुः, अनन्ते, सम्बोधने च
2	आ, इ,ई,उ,ऊ,ए,ओ,ऐ,औ	सम्बोधनम्

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी-भट्टोजीदीक्षितः
2. अव्ययकोशः-श्रीवत्साङ्काचार्यः
3. उणादिकोशः-पं.चारुदेवशास्त्री
4. वैयाकरणसिद्धान्तसुधानिधिः-आचार्यश्रीविश्वेश्वरसूरि
5. राजस्थानमाध्यमिकस्तरीय संस्कृतपाठ्यपुस्तकः
6. बृहद्शब्दकुसुमाकरः-पं.हरेकान्तमिश्रः
7. काशिकावृत्तिः-जयादित्यवामनौ
8. व्याकरणमहाभाष्यम्-पतञ्जलिमुनिः
9. शास्त्रार्थरत्नमाला-एन्.एस्.रामानुजताताचार्यः
10. एन.सी.ई.आर.टी.संस्कृतपुस्तकानि
11. चिरन्तनी मार्गोपदेशिका-डॉ.रमाकान्तमिश्रः
12. संस्कृतप्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना
13. बृहद् अनुवादचन्द्रिका-चक्रधरनौटियालः
14. अनुवादरत्नाकरः-डॉ.रमाकान्तः
15. संस्कृतसहचरः-डॉ.राधामोहनः
16. संस्कृत-अव्यय-कोषः- श्रीगणेशवासुदेव करंदीकरः

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

Phytochemical Analysis of Seeds of Cassia Bascilaria

Pramod Kumar Singh *Pushkar Pratap Tiwari**
Associate Professor Department of Chemistry Kamla Nehru Institute of Physical & Social Sciences Sultanpur, U.P., India

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 98-100

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

ABSTRACT- Cassia bascilaria (Family: Leguminosae) , has been used in different traditional system of medicines for various ailments since ancient times. Cassia bascilaria grows throughout in india. This article aims to provide a comprehensive review on the phytochemical aspects of Cassia bascilaria. In traditional medicine, it has been used in the treatment of diabetes, hematemesis, leucoderma, pruritis, intestinal disorder and as antipyretics, analgesic and laxative. The seeds, stem bark, and leaves of this plant contain a verity of biologically active compounds such as anthraquinones, flavonoids, flavon-3-o1 derivatives, alkaloid, glycosides, tannin, saponin, terpenoids, reducing sugar and steroids those have various medicinal properties. The seeds and stem bark extract shows various activities like antipyretic, anti-inflammatory, antioxidant, antidiabetic, hypolipidemic, hepato-protctive antimicrobial, antitumor, antiulcer etc. the article reviews the various activities of the plant.

Keywords:- Antidiabetic, Antioxidant, Antimicrobial, Cassia bascilaria, Anthraquinone glycosides

INTRODUCTION

Cassia bascilaria also known as the Multipurpose tree belongs to the family Leguminosae is widely used for its medicinal properties, its main property being that of a mild laxative suitable for children and pregnant women.

It is also a purgative due to the wax aloin and a tonic[1] and has been reported to treat many other intestinal disorders like healing ulcers[2].According to the WHO, more than 50% of the world's population must use traditional medicine to satisfy their principal health needs.

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

In developing countries 60% population are using traditional medicine in primary medical problems[3,4] . Plant drugs and herbal formulations are frequently considered to be less toxic and free from side effects than synthetic one[5] .

In traditional medicine, Cassia bascilaria is one of the most commonly used plants in Unani and Ayurvedic medicines, this plant has been described to be useful against skin diseases, liver troubles, tuberculous glands and its use in the treatment of haematemesis, pruritus, leucoderm and diabetes has been suggested[6]. Traditinally, the plant is also used as an infusion, decoction, or powder, either alone or in combination with other medicinal plants. In modern times, and in any controlled clinical trials, commercial preparations have tended to be standardized extracts of the whole plant. The plant has documented to possess analgesis[7] , antiinflammatory[8], antioxidant[9], antidiabetic[10], as well as hepatoprotective activity[11.]

Phytochemical Studies- The plant is rich in phenolic antioxidants such as anthraquinones, flavoniods and flavan-3-o1 derivatives. Cassia basiclaria the results shows positive for alkialoids, terpenoids, reducing sugars, saponins, tannins, carbonyl, phlobatanin, and steroids[12] Cassia bascilaria laxative actions come from a group of well documented compounds called anthraquinone. The seeds contain approximately 3% anthraquinones, 20% crude protein, 4.5% crude fat, 6.5% crude fiber, and 50% carbohydrates. The stem bark contains two flanol glycosides and a xanthone glycosides[13.] The leaves have been documents with 21.5% crude protein, 5% crude fat, 20% crude fiber, and 40% carbohydrates. In addition, the plant also contain fistulic acid, galactomannan, sennosides A and B, tannin, oxyanthraquinone substances, emodin, chrysophanic acid, lupeol, beta-sitosterol, and hexacosanol[14,15].

CONCLUSIONS - Before the inrtroduction of modern medicines, disease treatment was entirely managed by herbal remedies. It is estimated that about 60% of the world population residing in the vast rural areas of the developing and under developed countries still reply mainly on medicinal plants. It is quite obvious that the plant is widely used in traditional medicinal system of India and has been reported to possess hepatoprotective, anti-inflammatory, antifungal and also used to check wounds healing and antibacterial properties. It is known as a rich source of tannins, flavonoids and glycosides present in Cassia bascilaria might be medicinally important and/or nutritionally valuable. The plant is rich in carbohydrates, Linoleic, Oleic, and Stearic acid. Leaf of Cassia bascilaria mainly contains Oxalic Acids, Tannins, Oxyanthra-quinones, Anthraquinones derivatives. Cassia bascilaria seeds contains other Fistulic Acids, Sennosides A B, Anthraquinones, and Flavaniod-3ol-derivatives. Ceryl Alcohol, Kaempferol, Glycosides, Fistulin, Essential Oils, Volatile Components, Phytol (13.0%), 2-Hexadecanon(10%), Crystals, 4-Hydroxy Benzoic Acids Hydrate have been reported from the plant. The Present rview summarizes some important phytochemical investigation and isolated

principles from them, which can be investigated further to acieve lead molecules in the search of novel herbal drugs.

RERERENCES:

1. Satyavati GV, Sharma M., In Medicinal plant in India, ICMR, New Delhi, 1989.
2. Biswas K, Ghosh AB, In Bharatia Banawasadhi, Calcutta University, Advancement of learning Calcutta, 2, 1973; 336.
3. Beiley C.J and C. Day, Diabetes Care 12, 553, 1989, doi: 10.2337/diacare.12.8.553.
4. Grover J.K., Yadav S., and Vats V. Medicinal plants of India with antidiabetic potential. J. Ethnopharmacol, 2002, 81: 81-100.
5. Bailey CJ, Day C: Traditional treatments for diabetes: Diabetes Care, 1989; 12:533-564.
6. Dutta A, De B, Seasonal variation in the contnent of sennosides and rhein in leaves and pods of Cassia fistula, Indian J. Pharmacol. Sci. 1998; 60:388-390.
7. N.W. Sheikh, R.D. Patel, N.I. Upwar, N.K. Mahobia, M.V. Seth, U.R. Panchal., Analgesic study of methyl alcohol extract of Cassia Fistula Pod, J. Pharmacy Res., 2010; 3(9), 2218-2219.
8. Ilavarasan R., Mallika M. and Venkataraman S., Anti-inflammatory and antioxidant activites of Cassia fistula Linn. Bark extracts. Afr. J. trad. CAM, 2005; 2(1):70-85
9. Luximon-Ramma, A., Bahorun, T., Soobrattee, M.A. and Aruoma, O.I. Antioxidant activities of phenolic, proanthocyanidin, and flavonoid components in extracts of Cassia fistula J Agric Food Chem. 2002; 50(18)O: 5042-5047.
10. Malpani S.N. et al. Antidiabetic Activity of Cassia fistula Linn Bark in Alloxan induced Diabetic Rats. Int. J. Phar. Sci. and Res. Jan-April, 2010; 2(1):382-385.
11. Bhakta, T., Banerjee, S., Mandal, S.C., Maity, T.K., Saha, B.P. and Pal, M., Hepatoprotective activity of Cassia fistula leaf extract, Phytomedicine. 2001; 8(3): 220-224.
12. Lee Ching Kuo, LEE Ping Hung et al. The chemical Constituents from the aril Cassia fistula Linn. Journal of Chinese Chemical Society, 2001; 48: 1053-58.
13. Yueh-Hsiung Kua, Ping-Hung Lee, and Young-Shun Wein. Four New Compounds from the Seeds of Cassia fistula. J. Nat. Prod, 2002; 65: 1165 67.
14. Amitabye Luximon-Ramma, Theeshan Bahorun, Mohammed A Soobrattee. And Okezie I. Aruoma. Antioxidant Activities of Phenolic, Proanthocyanidin, and Floavonoid Components in extract of Cassia fistula Linn. Journal of Agri. Food Chemistry, 2002; 50: 5042-47.
15. Sircar P.K, Dey B, Sanyal T, Ganguly SN, and Sircar SM. Gibberllic acid in the floral parts of Cassia fistula Linn. Journal of Phytochemistry, 2001; 9: 735-36.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

महाकवि हरिनारायण दीक्षित का संस्कृत साहित्य को अवदान

ऋतुराज
शोध–छात्र, संस्कृत विभाग,
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, जमुनीपुर, कोटवाँ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 101-104
Publication Issue :
January-February-2022
Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोध आलेख सार– डॉ. हरिनारायण दीक्षित आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित एवं मुर्धन्य विद्वान् है। इनके काव्य आधुनिक समाज में व्याप्त सामाजिक, राजनैतिक बुराइयों, प्रदूषण की समस्या आदि को उजागर करने के साथ ही इन समस्याओं के निवारण में समर्थ हैं। अतएव आधुनिक संस्कृत साहित्य में इनकी काव्य कृतियाँ अन्यन्त उपयोगी होने के साथ ही समाज के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्य शब्द – महाकाव्य, रुपक, गद्यकाव्य, सन्देशकाव्य, खण्डकाव्य, शतक काव्य आदि।

13 जनवरी 1936 ई. में जालौन जिले के पड़कुला नामक गाँव में जन्मे महाकवि हरिनारायण दीक्षित बाल्यकाल से ही बहूमूल्य प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने काव्य प्रतिभा के बल पर संस्कृत साहित्य जगत में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की है। संस्कृत साहित्यानुरागी महाकवि हरिनारायण दीक्षित जी ने लगभग 86 वर्ष के अपने जीवनकाल में संस्कृत साहित्य को कुल 30 रचनाएँ प्रदान कर आधुनिक संस्कृत साहित्य के भण्डार गृह को समृद्ध करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपनी काव्य रूपी लेखनी संस्कृत साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से चलायी है। उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर आधुनिक कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों, भ्रष्टाचार, धर्मन्धता, प्रदूषण, आतंकवाद जैसे ज्वलन्त मुद्दो पर गहरा कटाक्ष किया है। इनके काव्य संस्कृत साहित्य के लिए एक अनूठी देन है। जो जन–साधारण की भावनाओं एवं समस्याओं को सहज रूप से उजागर करते हुए जन–जीवन की साक्षात् झाँकी प्रस्तुत करने में समर्थ है।

संस्कृत साहित्याकाश में महाकवि दीक्षित के साहित्यिक अवदान को भुलाया नहीं जा सकता। महाकवि हरिनारायण दीक्षित के काव्यकृतियों का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है-

महाकाव्य – भीष्मचरितम्– 20 सर्गों में प्रणीत् इस महाकाव्य में कवि ने भीष्मपितामह के जीवन की समस्त घटनाओं का साङ्गोपाङ्ग् वर्णन किया है। जिसका प्रकाशन सन् 1992 में दिल्ली से किया गया।

भारतमाता ब्रूते–प्रस्तुत महाकाव्य के बाईस सर्गों में कवि ने भारतमाता को माध्यम बनाकर वर्तमान कालीन समाज में व्याप्त दुर्गुणों, सामाजिक बुराईयों, राजनैतिक बुराईयों, हत्या, बलात्कार, पर्यावरण प्रदूषण आदि पर गहरा व्यंग्य किया है।

श्रीराधाचरितम्–प्रस्तुत महाकाव्य के बाईस सर्गों में कवि ने वृषभानु नन्दिनी श्रीराधा जी का जीवन चरित वर्णित किया है। जिनका प्रकाशन सन् 2005 में दिल्ली से किया गया।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

श्रीग्वल्लदेवचरितम्—इस महाकाव्य के 27 सर्गों में कवि ने उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिदृष्य को वर्णित करते हुए वहाँ के सुप्रसिद्ध देवता श्री ग्वलदेव के जीवन चरित का विस्तार से वर्णन किया है। जिसका प्रकाशन सन् 2008 में दिल्ली से किया है।

श्रीगुरुमहाराजचरितम्—30 सर्गों में निबद्ध इस महाकाव्य में कवि ने अपने परमपूज्य गुरुदेव श्री विद्याधर सरस्वती का जीवन चरित वर्णित किया है। जो सन् 2016 में दिल्ली से प्रकाशित हुआ।

रूपक— मेनका विश्वावित्रम्— आठ अंकों के इस दृष्यकाव्य में कवि ने मेनका तथा महर्षि विश्वामित्र के अलौकिक प्रेम तथा उनसे उत्पन्न पुत्री शकुन्तला के जन्म का वर्णन है। इस नाटक का प्रकाशन् 1984 ई. में दिल्ली से किया गया।

बाल्मीकिसम्भवम्— छः अंकों के इस नाटक में कवि ने कुसङ्गति के प्रभाव से दस्यु बने, संसार में रत्नाकर के नाम विख्यात, अग्निशर्मा तथा सप्तर्षियों की सङ्गति के परिणामस्वरूप आदि कवि वाल्मीकि बनने की कथा का वर्णन किया है।

गद्यकाव्य —

गोपालबन्धु— इस कथा काव्य में कवि ने वृन्दावन के समीप रहने वाली निर्धन असहाय एक वृद्ध स्त्री तथा उसके पुत्र राकेश का वर्णन किया है। जो भगवान् कृष्ण की भक्ति पर आस्था रखने वाली है। यह अत्यन्त रोमाञ्चकारी गद्यकाव्य है।

अप्पयदीक्षितचरितम्—यह ग्रंथ कवि की प्रथम मौलिक गद्य कृति है इसमें कवि ने दक्षिण भारत के महान् साहित्यशास्त्री श्री अप्पयदीक्षित के जीवन चरित को वर्णित किया है। जिसका प्रकाशन 1981 ई. में दिल्ली से किया गया है।

सन्देशकाव्य—

हनुमद्दूतम्—कवि द्वारा प्रणीत् यह ग्रंथ एक सन्देश काव्य विधा का ग्रंथ है। जिसमें लंकापति रावण द्वारा अपहृत माता सीता द्वारा श्रीराम के पास भेजे गये संदेश का वर्णन है।

खण्डकाव्य —

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयम्—कवि दीक्षित ने इस ग्रंथ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुराने इतिहास को बताते हुए इसके सौन्दर्य शासन—प्रशासन आदि पर प्रकाश डाला है। इस ग्रंथ में दो सौ अड़तालिस पद्य है।

पशुपक्षिविचिन्तनम्—दो खण्डों में विभक्त इस खण्ड काव्य में कवि ने वर्तमान युग में हिंसक प्रवृत्ति वालों मनुष्यों द्वारा मनुष्येतर प्राणियों पर किये जाने वाले अत्याचारों का विशद वर्णन किया है।

अजमोहभङ्गम्—इस खण्डकाव्य में कवि ने रानी इन्दुमती के आकस्मिक निधन से मोहग्रस्त होकर कर्तव्य विमुख हुए राजा अज का, अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के उपदेशामृत को आत्मसात् करने के परिणामस्वरूप मोहमुक्त होने तथा कर्त्तव्य पथ पर पुनः अग्रसर होने का प्रेरणास्पद वर्णन किया है।

मुक्तक काव्य —

मनुजाश्शृणुतगिरं में—इस मुक्तक काव्य में कवि ने एक सद् उपदेशक भाँति समाज के लिए अत्यन्त हितकारी उपदेश दिये हैं। जो सहृदयों के लिए निश्चय ही आत्मसात करने योग्य है।

शतककाव्य —

देशोऽयं कुरुते प्रोन्नतिम्—इस शतक काव्य के एक नौ पद्यों में कवि ने वर्तमान कालीन समाज में व्याप्त ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्याओं को अत्यन्त कार्य कुशलता के साथ उभारा है। इस ग्रंथ के माध्यम से कवि ने समाज को 'जियो और जीनो दो' का उपदेश दिया है।

दुर्जनाचरितम्–दो सौ इक्यावन पद्यों वाले इस शतक काव्य में कवि ने दुर्जनों की धूर्त्तता, वाचालता, दुर्जनता आदि आचरणो का साङ्गोपाङ्ग वर्णन करके सज्जनों को उनसे सावधान करने का उपदेश दिया है।

सज्जनाचरितम्–दो सौ इक्यावन पद्यों वाले इस शतक काव्य में कवि ने सुभाषित सम्पन्न वैदर्भी शैली में सज्जनों के आचरण तथा उनके विविध मनोहारी गुणों का वर्णन हुए सज्जनों के आदर–सत्कार तथा उनके सद्गुणों का अनुसरण का उपदेश दिया है।

उपदेशशती–एक सौ सत्रह पद्यों वाले इस शतक काव्य में कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से आधुनिक कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों, अन्याय, भ्राष्टाचार, अत्याचार आदि पर व्यंग्य करते हुए, सियार, भालू, शेर, कोयल, हिरन इत्यादि पशुपक्षियों के माध्यम से समाज को नीतिपरक सदुपदेश दिया है।

निबन्ध संग्रह–

संस्कृतनिबन्धरश्मि–कवि प्रणीत् यह एक निबन्ध संग्रह ग्रंथ है जिसकी रचना कवि ने इण्टरमीडिएट तथा बी.ए. के छात्रों को निबन्ध की शिक्षा देने हेतु की है।

संस्कृतनिबन्धावली–इस ग्रंथ की रचना कवि ने स्नातकोत्तर के छात्रों को निबन्ध की शिक्षा प्रदान करने हेतु लिखी है। जिसका प्रकाशन सन् 1985 ई. में ई. में किया गया।

कथाकाव्य –

निर्वेदनिर्झरिणी–इस कथा काव्य में कवि ने नायक विद्याधर के माध्यम से चौदह कथाओं का वर्णन कर उन्हें परस्पर सम्बद्ध करके निर्वेद की महती निर्झरिणी का रूप दे दिया है। इस कथाकाव्य का प्रकाशन सन् 2010में दिल्ली से किया गया।

सम्पादित, सहसम्पादित तथा अनुदित ग्रंथ–

पण्डितराजजगन्नाथकाव्यग्रन्थावली– महाकवि दीक्षित द्वारा सम्पादित इस ग्रंथ में कवि ने महान् काव्यशास्त्री तथा साहित्यकार पण्डितराज जगन्नाथ की उपलब्ध सम्पूर्ण काव्यम्पदाओं का तदनुरूप हिन्दी अनुवाद किया है।

बुन्देलखण्डीकविपण्डितराजारामिमिश्रकाव्यसंग्रह– कवि द्वारा सम्पादित इस ग्रंथ में बुन्देलखण्ड के सुप्रसिद्ध कवि पंडित राजाराम मिश्र के उपलबध सभी काव्यकृतियों का संग्रह कर तदनुरुप हिन्दी अनुवाद किया गया है।

भारतीयकाव्यशास्त्रमीमांसा– महाकवि दीक्षित द्वारा सहसम्पादित इस ग्रंथ में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गये काव्यशास्त्रीय शोधालेखों का संग्रह किया गया है।

शोधप्रबन्ध एवं अन्य ग्रंथ–

तिलकमञ्जरी एक समीक्षात्मक अध्ययन– कवि दीक्षित प्रणीत् यह एक शोध प्रबन्ध ग्रंथ है। जिसे कवि ने पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया। जो प्रसिद्ध कथाकार धनपाल कृत तिलकमञ्जरी पर लिखा गया है।

संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना– महाकवि दीक्षित प्रणीत् यह ग्रंथ राष्ट्रप्रेम की भावना से ओत–प्रोत भारतीय शूरवीरों के आत्म–बलिदानों एवं उनके वीरतापूर्ण कार्यों से युक्त है। जिसे कवि ने डी.लिट् की उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया।

शोध लेखावली– कवि दीक्षित की इस रचना में उनके द्वारा लिखित उन शोध पत्रों का संकलन है, जो प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं तथा सम्मेलनों में स्थान प्राप्त चुके हैं।

संस्कृतानुवादकालिका– यह कवि की प्रथम रचना है, जो कवि द्वारा छात्र–छात्राओं को अनुवाद की शिक्षा देने हेतु लिखी गई है।

राष्ट्रीयसूक्तिसंग्रह– कवि ने इस ग्रंथ में राष्ट्रीय भावों से परिपूर्ण लगभग 1000 से अधिक सूक्तियों का संग्रह कर हिन्दी अनुवाद किया गया है।

गद्यकाव्यसमीक्षा– कवि दीक्षित प्रणीत् इस ग्रंथ में गद्यकाव्य की विशेषताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ, लज्जा पन्त, महाकवि डॉ. हरिनारायण दीक्षित के काव्यों का सांस्कृतिक परिशीलन
2. डॉ. हरिनारायण, दीक्षित भीष्मचरितम्, ईस्टर्न बुक लिंकर्स न्यू चन्द्रावल जवाहर नगर दिल्ली, प्रथम संस्करण 1991
3. डॉ. हरिनारायण दीक्षित, भारतमाता ब्रूते, ईस्टर्न बुक लिंकर्स न्यू चन्द्रावल जवाहर नगर दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2003
4. डॉ. हरिनारायण दीक्षित, श्रीग्वल्लदेवचरितम्, ईस्टर्न बुक लिंकर्स न्यू चन्द्रावल जवाहर नगर दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2008
5. डॉ. हरिनारायण दीक्षित, श्रीराधाचरितम्, ईस्टर्न बुक लिंकर्स न्यू चन्द्रावल जवाहर नगर दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2005

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

स्वातंत्र्योत्तर जन आंदोलन और हिंदी कविता

डॉ अर्चना त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 105-110
Publication Issue :
January-February-2022
Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

सारांश- किसान आंदोलन की ऐतिहासिक एवं वैचारिक पड़ताल की आज सख़्त ज़रूरत है। आज के समाज में हो रहे सामाजिक, नव सामाजिक आंदोलनों पर लेखकों को एक बार फिर से उसी तेवर के साथ लिखने और जनता के सामने लाने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है एक बार फिर से जन में शामिल होकर जनता का आदमी बनने की क्योंकि दुनिया रोज बनती है और समय का पहिया चलता रहता है और आंदोलनों से निकले लहू से क्रांति गीत बनता है।

मुख्य शब्द- स्वातंत्र्योत्तर, जन, आंदोलन, हिंदी, कविता, ऐतिहासिक।

हर देश काल में सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विषमताओं के कारण स्थापित सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुए हैं। अन्याय के ख़िलाफ़ तरह-तरह तरीकों से प्रतिरोध व संघर्ष होते रहने का अपना इतिहास रहा है। स्थापित सत्तातंत्र में परिवर्तन लाने के लिए जनता द्वारा किए गए संघर्षों को जनसंघर्ष की संज्ञा दी जाती है। हर संघर्ष की अपनी एक राजनीतिक समझदारी होती है, जिससे प्रेरित होकर जनांदोलन शुरू होता है।

जनांदोलन विषम परिस्थितियों की कारक व्यवस्था को बदलने के लिए की गई दीर्घकालिक सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रक्रिया है। किसी आंदोलन को कई जन संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है या पड़ सकता है।

सवाल यह है कि दमन और संघर्ष के विविध रूपों सफलताओं-असफलताओं, हताशाओं को उस समय का साहित्य दर्ज करता है कि नहीं?

स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगाँठ के अवसर पर 'इंडियन लिटरेचर सिंस इंडिपेंडेंस' शीर्षक से भारत की विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक प्रगति का एक सर्वेक्षण साहित्य अकादमी ने अंग्रेज़ी में प्रकाशित कराया जिसके लिए हिंदी का सर्वेक्षण किया नामवर सिंह ने, 1973 में लिखे इस लेख में नामवर सिंह ने आज़ादी के बाद के डेढ़ दशक के साहित्य के विषय में लिखा- 'ऐसा प्रतीत होता है कि इस दौर के साहित्यकारों को राष्ट्र नेता जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए समाजवाद के आश्वासन में काफी आस्था थी और वे राष्ट्र निर्माण के प्रति आशावान थे।'[1].

नामवर सिंह ने आज़ादी के बाद के 1950 के दशक को हिंदी साहित्य की दृष्टि से नव-रोमांटिक उत्थान का दौर कहा जबकि 60 के दशक को उन्होंने मोहभंग का दौर बताया। नामवर सिंह ने लिखा " राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के पहले के दौर के समान इस नए दौर में भी आरंभिक तीन-चार वर्षों के संक्रांति-काल के बाद में देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर आई जिसका प्रभाव साहित्य में एक प्रकार के नव-रोमांटिक उत्थान के रूप में प्रकट हुआ"[2].

मैनेजर पांडेय ने आलोचना के जनवरी, मार्च 1979 अंक में 'स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएँ' शीर्षक लेख में नामवर सिंह द्वारा प्रस्तावित अवधारणा कि 'आज़ादी के शुरूआती तीन-चार वर्षों के बाद देश में

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सांस्कृतिक नवजागरण की लहर आई' का खंडन करते हुए लिखते हैं कि 'विचारणीय यह है कि इस तथाकथित सांस्कृतिक नवजागरण की पृष्ठभूमि क्या है? इस कालखंड में देश का बँटवारा हुआ अभूतपूर्व सांप्रदायिक दंगों के भीषण हत्याकांड में देश डूब गया, गाँधी की हत्या हुई, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों, रंगकर्मियों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का कठोर दमन किया गया। तेलंगाना के हज़ारों क्रांतिकारियों की निर्मम हत्या हुई, राजनीति और साहित्य में क्रांतिकारी शक्तियों का विघटन और विखंडन हुआ, शोषक वर्ग की सत्ता क्रमशः मज़बूत होती गई, सांस्कृतिक मोर्चे पर नई सत्ता से प्राप्त सुविधाओं के लोग और वर्गीय सहानुभूति के कारण नया वर्ग संतुलन स्थापित होने लगा, देश की जनता विक्षोभ की मनोदशा में जी रही थी क्या इस सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश में किसी सांस्कृतिक नवजागरण की संभावना है?'[3].

ज़ाहिर है इन उथल-पुथल भरे माहौल में साहित्य में भी वैचारिक द्वंद्व का बनना अवश्यंभावी था।

इसी उथल-पुथल और इसी समय के साथ जूझने की प्रक्रिया और छटपटाहट के बीच 'जन' आता है। जन यानी वह जनता जो हाशिए पर खड़ी है। यह जन वही मेहनतकश जनता है जिनके लिए नागार्जुन शहरी संभ्रांत लोगों से पूछते हैं 'घिन तो नहीं आती है'...। वह अंतिम आदमी जिससे समाज है, साहित्य है, जीवन है, संघर्ष है, गीत है और कविता है।

वह अंतिम आदमी : जो कंधों पर उठा लेता है समूचा ब्रह्मांड
पैरों से रौंद डालता है अंतरिक्ष
मथकर फेंक देता है समुंदर की गहराई
और वक्त के चट्टानी पहियों के आगे
अड़ा देता है अपनी बजबजाती हुई पसलियाँ।

(एक चेहरा : पच्चीस दरारें, डॉ. मनोहर अभय)

जन आंदोलन, सामाजिक या नव सामाजिक आंदोलन होने के केंद्र में शोषण निहित होता है, शोषण और शोषक वर्ग के ख़िलाफ़ जनता गोलबंद होकर इन शोषकों का असली चेहरा सामने लाती है और 'यह दुनिया बदल देनी चाहिए' की माँग करती है, किसी भी जन आंदोलन के पीछे उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार होती हैं। शोषणकारी परिस्थितियों और उनसे उपजे विद्रोह की बात करते हैं तो उन्नीसवीं सदी का ज़िक्र महत्वपूर्ण है। 'भारतीय समाजवादी आंदोलन' नामक लेख में प्रधान हरिशंकर प्रसाद लिखते हैं-

"उन्नीसवीं सदी के मध्य तक अंग्रेज़ों की राजकीय सत्ता भारत के अधिकांश भागों में कायम हो चुकी थी। भारत के उन्नत कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया गया, यहाँ के गाँवों की प्राचीन आर्थिक आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया गया फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामंतवाद पर कोई विशेष आघात नहीं पहुँचा। अंग्रेज़ी राज्यकाल के प्रारंभ में मुख्यतः छोटे किसान ही थे पर बाद में बँटाईदार और खेतिहर मज़दूर वर्ग भी महत्वपूर्ण हो गए। ये सभी वर्ग कड़ी मेहनत करने के बावजूद दाने-दाने को मोहताज हो गए, ये गाँव के धनी वर्ग के चंगुल में रहकर एक प्रकार की दासता की जिंदगी बिताते रहे। इन्हें सूद लेना पड़ता था जिन्हें ये चुका नहीं पाते थे और इनकी जमीने गिरवी रख ली जाती थी।"[4].

किसानों के जीवन और जमीन में जो उतार-चढ़ाव आए और 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होना, ज़मींदारी का अंत और ब्रिटिश कंपनियों का एकक्षत्र साम्राज्य स्थापित होना , 1780 के आस-पास संथालों का आगमन, फिर 1855-56 में संथाल विद्रोह और आगे अन्य किसान विद्रोह आदि तथा इसके साथ-साथ आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण रूप से उभरे जन आंदोलन तेलंगाना, नक्सलबाड़ी,संपूर्ण क्रांति आंदोलन और नव सामाजिक आंदोलन जिसे अस्मिता विमर्श मूलक आंदोलन भी कहा जाता है उल्लेखनीय है। तेलंगाना आंदोलन यद्यपि 1946 से ही अस्तित्व में आता है लेकिन इस आंदोलन का उफ़ान 1948-51 में ज़्यादा दिखाई देता है। शुरूआत में किसानों का आंदोलन काश्तकारी अधिकारों को कायम रखने के लिए और सामंतवादी शोषण के विरुद्ध था। यही प्रतिरोध बाद में निजाम के शासन को उखाड़ फेंकने के आंदोलन के रूप में विकसित

हुआ। एक शब्द में कहें तो तेलंगाना की ये लड़ाई ज़मींदारों के शोषण के विरुद्ध अपनी ज़मीन बचाए रखने के लिए किसानों द्वारा छेड़ा गया आन्दोलन था। तेलंगाना आंदोलन में किसानों को जेल में डाल दिया गया, उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ दी गईं। 1948 में नागार्जुन इसी संघर्ष को 'वह कौन था' में व्यक्त करते हैं-

'बूचड़ों की कैद में हैं भाइयों साथी हमारे
तोड़कर हम जेल का फाटक
उन्हें आज़ाद करने जा रहे हैं
आजकल परसों कि चौथे रोज निश्चय
पुलिस-क्वार्टर में अगर भगदड़ मचे तो
शांत रहना भाइयों, मत हड़बड़ाना
तोड़कर हम जेल का फाटक
उन्हें आज़ाद करने जा रहे हैं।'[5].

जहाँ तक 70 के दशक की बात है, नक्सलबाड़ी आंदोलन में मध्यवर्गीय महिलाओं से लेकर खेत मजदूरों व आदिवासी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेने और लड़ाइयों में शहीद हो जाने का इतिहास है।

गैरबराबरी वाले समाज से और सड़ चुकी सांस्कृतिक मान्यताओं से, लड़ती-गिरती और गिर-गिरकर लड़ने को आतुर आधी दुनिया का, जिसमें आदिवासी सबसे आगे हैं और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद भारत में जनांदोलन और उसकी भूमिका को तय करने में आदिवासी संघर्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में निवास कर रहे आदिवासियों ने अपने-अपने भू-भाग में अपने हकों, अधिकारों ओर अस्तित्व की लड़ाई के लिए विभिन्न विद्रोह किए। अंग्रेज़ों, साहूकारों, महाजनों, जमींदारों और सूदखोरों के अन्याय और अत्याचार के ख़िलाफ़ आंदोलन किए, जिनमें संथाल हुल विद्रोह, उलगुलान, बस्तर की लड़ाई। आज अधिकतर आदिवासी साहित्य के प्रेरणा स्रोत विरसा मुंडा, सिद्धों कानू, तिलका माँझी, कालिबाई, झलकारी बाई जैसे तमाम क्रांतिकारी हैं।

आदिवासी समाज पर लिखने वाले लेखकों, मानवशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों व इतिहासकारों ने आदिवासी विद्रोहों की कड़ी में विद्रोही महिलाएँ मसलन सिनगी दई, कइली दई, देवमनी जैसी स्त्री विद्रोही चरित्रों की चर्चा तक नहीं की है, उन्होंने सिद्धो, कान्हू या विरसा मुंडा की तरह उन्हें स्थापित करना तो दूर उनकी सहभागिता का उल्लेख भी नहीं किया है। 'बिरसा विद्रोह' के कदम पर कदम संघर्ष में स्त्रियों की व्यापक भागीदारी पाई गई जिसमें आदिवासी समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। विद्रोहों की इस कड़ी में 1855-56 का संथाल हूल आदिवासी संघर्ष का ऐसा उदाहरण है जिसमें आत्मगौरव और आत्मसम्मान के लिए 10 हजार से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया।

"ये वे आंदोलन हैं जिन्हें लोग किसी न किसी रूप में जानते हैं और हमारी सरकारें भी किसी न किसी रूप में इन आंदोलनों की स्मृति में अपनी उत्सवधर्मिता दिखलाती रही हैं, लेकिन दुखद यह है कि ये आंदोलन पुरुष आंदोलनकारियों के संदर्भ में ही याद किए जाते हैं। भील आदिवासी आंदोलनों में भी स्त्रियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, फूलों, झानो, माकी, थीगी, नागी, लैबू, साली, चंपी, देवमनी, सिनगी, कइली दई जैसी आदिवासी स्त्रियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिनके नाम गुमनामी में ही सही लोकगीतों, कलाओं और प्रतीकों में जिंदा हैं।"[6].

80 का दशक नक्सलबाड़ी के दमन के धक्के के बाद बड़े-बड़े जनसंघर्षों में बड़ी भागीदारी का काल रहा है। तेलुगू के कवि वरवरराव कहते हैं- जीवन की कोई भी गतिविधि जीवन को आगे बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए होती है। वरवर राव का मानना है कि लड़ाई में जब तक स्त्रियों की भूमिका को महत्व नहीं दिया जाएगा, क्रांति की बात करना बेमानी ही सिद्ध होगा-

"जब तक तुम्हारे हृदय में

क्रांति के रक्ताभ सूर्य का उदय नहीं होता

सत्य का दर्शन करना असंभव है।" [7].

इतने संघर्ष के बाद आज महिलाओं की स्थिति, उपस्थिति, उनके विचार, उनके आंदोलन इस पितृसत्तात्मक समाज में कहाँ तक टिक पाए हैं ये सिर्फ 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया बलात्कार कांड से या रोज़ हो रहे मानसिक, शारीरिक आघातों, व्याघातों से महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जया जादवानी 'तत्वमसि' (उपन्यास) में लिखती हैं-

"वह पलटती है रोटी तावे पर और

बदल जाती है पूरी की पूरी दुनिया"

वहीं आज की ही लेखिका तबस्सुम 'बेटियाँ' कविता में लिखती हैं-

"पर अल्लाह जाने क्यूँ

बेटियों को माफ नहीं किया जाता

उन्हें अपने किए की सजा

मिल के ही रहती है..."[8].

स्वातंत्र्योत्तर काल में आंदोलनों को सामान्यत: दो चरणों में विभाजित किया जाता है, पूर्व और उत्तर आपातकाल। इसी कड़ी में आगे नव सामाजिक आंदोलन पर बात की जाए तो घन श्याम सहाय द्वारा किया गया विभाजन महत्वपूर्ण है। घनश्याम सहाय ने अपनी पुस्तक 'भारत में सामाजिक आंदोलन' में इन नव सामाजिक आंदोलनों पर बात की है-

- कृषक या किसान आंदोलन
- दलित आंदोलन
- स्त्री आंदोलन
- आद्योगिक कामगार (श्रमिक) वर्ग के आंदोलन
- छात्र आंदोलन
- मध्यम वर्ग के आंदोलन
- मानवाधिकार आंदोलन
- आदिवासी आंदोलन
- पर्यावरणीय आंदोलन

इन आंदोलनों के साथ **छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन भी सामजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है।**

मानवाधिकार आंदोलन पर घनश्याम सहाय लिखते हैं – "राज्य द्वारा साम्यवादियों का दमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हेतु सन् 1948 में पश्चिमी बंगाल में नागरिक स्वतंत्रता समिति का गठन हुआ। नक्सलवादियों पर राज्य के नृशंस प्रहार के साथ 1960 के दशक के आखिर में मुख्य नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस आंदोलन में न्याय और समानता के

लिए समाज के उत्पीड़ित हिस्सों के 'लोकतांत्रिक अधिकारों' के मुद्दे को उठाया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय और राज्य आयोगों ने कई मामलों में, जो हिरासत में मृत्यु, मुठभेड़ में मृत्यु, बलात्कार प्रकरण, बाल श्रम, शरणार्थियों के साथ बुरा बर्ताव आदि से संबंधित है हस्तक्षेप किया है।" ९.

वर्तमान में यह आंदोलन जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को लेकर खड़ा है, देश भर के आदिवासी क्षेत्रों को माओवादी कहा जाने लगा है और उन्हीं को नक्सलवादी भी कहा जाता है।

मनुष्य और उसकी मनुष्यता की मुक्ति में आस्था रखने वाले को पता है कि शोषण से मुक्ति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना शोषण का। इस शोध से यह भी स्पष्ट होता है कि जनांदोलनकारी कविताएँ सिर्फ़ नारेबाजी, शुष्क और नीरसता के घेरे में नहीं बाँधी जा सकतीं। नागार्जुन, गोरख पांडेय, आलोक धन्वा, कुमार विकल, वेणु गोपाल जैसे जनांदोलनकारी कवि जीवन के अन्य सरस पहलुओं पर भी लिख रहे थे लेकिन प्रगतिवादी दृष्टि के साथ। नागार्जुन एक तरफ़ 'वह कौन था', 'भोजपुर' जैसी कविताएँ लिखते हैं वहीं दूसरी तरफ़ 'गुलाबी चूड़ियाँ' भी लिखते हैं। आलोक धन्वा एक तरफ़ 'गोली दागो पोस्टर' लिखते हैं 'वहीं भागी हुई लड़कियाँ', 'सफ़ेद रात' जैसी कविता भी लिखते हैं।

20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के जनांदोलनों का रूप पहले के आंदोलनों से कुछ मायनों में बदल चुका है। पाँचवे दशक में भूदान, ग्रामदान, अछूतोद्धार, ज़मींदारी, जागीरदारी विरोधी अभियान, जाति-प्रथा तोड़क अभियान जैसे आंदोलन हुआ करते थे और कविताएँ भी कुछ इसी तरह लिखी जाती थीं। बाद में तेलंगाना, नक्सलबाड़ी, संपूर्ण क्रांति जैसे बड़े आंदोलन हुए जहाँ सशस्त्र संघर्ष को अनदेखा नहीं किया जा सका और ओज से पूर्ण कविताएँ सामने आईं।

गोरख लिखते हैं-

'शोषण और दमन की
विश्वव्यापी मशीन के ख़िलाफ़
अविराम युद्ध ही है
मेरे देश का
सही परिचय'[10].

किसान आंदोलन की ऐतिहासिक एवं वैचारिक पड़ताल की आज सख़्त ज़रूरत है। आज के समाज में हो रहे सामाजिक, नव सामाजिक आंदोलनों पर लेखकों को एक बार फिर से उसी तेवर के साथ लिखने और जनता के सामने लाने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है एक बार फिर से जन में शामिल होकर जनता का आदमी बनने की क्योंकि दुनिया रोज बनती है और समय का पहिया चलता रहता है और आंदोलनों से निकले लहू से क्रांति गीत बनता है।

ज़रूरत है फिर से नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल, गोरख पांडेय, पाश, वरवरराव, चेराबंडा राजु, कुमार विकल, वेणु गोपाल, आलोक धन्वा की, तभी कोई लिख सकता है- 'गोली दागो पोस्टर' या 'फिर कारागृह में कैद दोस्तों मत हड़बड़ाना, मत फड़फड़ाना हम तुम्हें छुड़ाने आ रहे हैं... ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह: नामवर 'हिंदी साहित्य के पच्चीस वर्ष, आलोचना, जनवरी-मार्च, 1974, पृ. सं.- 68
2. वही, पृ. सं.- 66
3. पांडेय मैनेजर,'स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन की समस्याएँ' शीर्षक लेख, आलोचना, जनवरी-मार्च,1979, पृ. सं. - 42, 43
4. तलवार वीर भारत, (संपादक)- नक्सलबाड़ी के दौर में, प्रधान हरिशंकर प्रसाद: भारतीय समाजवादी आंदोलन, शीर्षक लेख, प्रकाशन- अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, संस्करण-2007, पृ.सं.- 183-84

5. नागार्जुन चयनित कविताएँ, संपादक: मैनेजर पांडेय, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, पहला संस्करण–:2010, पृ.सं.–13
6. राय रामजी (प्रधान संपादक) जनमत, वर्ष–25,अंक, 2 मई 2006,पृ.सं.–44
7. राव वरवर, साहस गाथा, संपादन एवं अनुवाद– शशि नारायण स्वाधीन, नुसरत मोहियोद्दीन,प्रकाशन–वाणी, संस्करण–प्रथम:2005, पृ.सं.–107
8. निहां हुस्न तबस्सुम, चाँद–ब चाँद, बोधि प्रकाशन, प्रथम संस्करण: सितंबर, 2013, पृ.सं.–94
9. सहाय घनश्याम,भारत में सामाजिक आंदोलन,अनुवादक– हरिकृष्ण रावत, प्रकाशन–रावत, पृ.सं.– 233, 238
10. पांडेय गोरख, जागते रहो सोने वालों, प्रकाशन–राधाकृष्ण, प्रथम संस्करण:1983 – पृ.सं.– 105

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

साम्प्रदायिकता के संदर्भ में 'तमस' का पुनर्विश्लेषण

श्रवण सरोज
शोधार्थी (पी-एच.डी.)
हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इसलामिया, नई दिल्ली, भारत ।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 111-116

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोध-सार :- सिनेमा को मनोरंजन का एक साधनमात्र माना जाता है लेकिन सिनेमा मनोरंजन का साधनमात्र ही नहीं हैं बल्कि इसे एक ऐसे दस्तावेज़ के रूप में देखा जा सकता है जो किसी देश की सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों को हम तक सुगमता से पहुंचाती है। सिनेमा के दो वर्ग हैं- मुख्यधारा की सिनेमा और समानांनतर सिनेमा जिसे यथार्थवादी सिनेमा भी कहते है। मुख्यधारा की सिनेमा दर्शकों को मनोरंजन परोसती हैं वही समानांनतर सिनेमा अपने दर्शकों को समाज के यथार्थों से रू-ब-रू कराती हैं और इनके दर्शक एक खास वर्ग के बुध्दिजीवी वर्ग होते हैं। गोविंद निहालानी इन्हीं यथार्थवादी फिल्मों के एक लोकप्रिय निर्माता है। इनकी फिल्मों की खासियत यह है कि इन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज के हिंसात्मक पहलुओं को बारीकी से दर्शाया है। उन्होंने बचपन में भारत विभाजन के दौरान हुये साम्प्रदायिक हिंसा को अपनी आँखों से देखा था और वे सब हिंसात्मक चित्र उनके मन-मस्तिष्क पर छाया हुआ था। यही कारण है उन्होंने भीष्म साहनी के उपन्यास 'तमस' पर फिल्म बनाने में रूचि दिखाई। फिल्म में उपन्यास की मूल संवेदना से कोई छेड़खानी नहीं की गई हैं। 'तमस' (1987) साम्प्रदायिकता पर आधारित फिल्म है। प्रस्तुत फिल्म में भारत विभाजन से पाँच दिन पूर्व से लेकर विभाजन के दिन तक की घटनाओं का चित्रण किया गया हैं। पंजाब के एक गांव की पृष्ठभूमि में घटनेवाली घटनाओं के जरिये सम्पूर्ण भारत में उस दौरान घटनेवाली घटनाओं का चित्र साकार हो उठा हैं। ब्रिटिशों और विविध राजनीतिज्ञों के षडयंत्रों के कारण भारतभूमि में साम्प्रदायिकता की भावनाओं का प्रसार हुआ था। उस साम्प्रदायिकता की आग ने लाखों गरीब लोगों के प्राण ले लिये, असंख्य लोग बेघर होकर शरणार्थी बने, देश का बंटवारा हो गया जिससे साम्प्रदायिकता की भावना हमेशा हमेशा के लिये लोगों के मन-मस्तिष्क में छा गई। मुसलमान नेताओं ने उस स्थिति का भरपूर फायदा उठाकर पाकिस्तान का निर्माण करने में सफल हुये और हिन्दू संगठन ने भारत को एक हिन्दूवादी राष्ट्र बनाने की शपथ ग्रहण कर ली। वही सिक्ख भी अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के लिये अलगाववाद को अपना लिया था। सन् 1947 में भारत विभाजन के दौरान साम्प्रदायिकता की भावना ने किस तरह से विविध धर्मों के लोगों को आपस में एक-दूसरे के विरूध्द करके उनमें आपसी

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

भय, संदेह, अविश्वास और हिंसा की भावनाओं को जन्म दिया हैं। इन्हीं सभी घटनाओं का यथार्थ चित्रण गोविंद निहालानी ने प्रस्तुत फिल्म में किया हैं।

बीज शब्द : सांप्रदायिकता, तमस, भारतीय समाज, सिनेमा, पुनर्पाठ ।

सिनेमा को प्राय: हल्के-फुल्के मनोरंजन का माध्यम माना जाता है। लेकिन जबरीमल्ल पारख उसे सर्जक कला मानते है, जिसमें सामाजिक यथार्थ को सृजनशील ढंग से चित्रित किया जाता हैं।[1] सिनेमा की मुख्यधारा का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना यही कारण है कि इस धारा के फिल्मकारों ने मनोरंजन के पुट को अपने फिल्मों में अधिक से अधिक प्रयोग किया है। वही दूसरी ओर समानांनतर सिनेमा का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज की सड़ी गली व्यवस्थाओं के प्रति विरोध प्रकट करना हैं यही कारण है इन फिल्मों के लिये जो विषय चुने गये हैं, वे ज़मीनी यर्थाथ से जुड़ी हुई हैं। समानांनतर फिल्म के फिल्मकारों ने अपने फिल्मों में सामाजिक तथा राजनीतिक यथार्थ को पूरी सच्चाई के साथ दिखाने की हिम्मत की हैं। समानांनतर सिनेमा के फिल्मकार, "एक कहानी विकसित करता है। वह विषय-वस्तु को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करता हैं। वह किसी संभावना का आश्रय नहीं लेता वरन जो जिन्दगी में घटित हो रहा है उस पर पूरा विश्वास करता है। इसलिये कला फिल्मों में कोई जादुई आकर्षण नही होता वरन कुछ होता भी है तो विकास की प्रक्रिया में वह छिन्न-भिन्न हो जाती हैं।"[2] जहां तक मुख्यधारा के फिल्मों की बात है तो हम पाते है कि फिल्मों की भाषा, शैली और प्रवृत्तियाँ समय-समय पर बदलती आयी हैं लेकिन समानांनतर फिल्मों के विषयों को देखे तो हम पायेंगे कि इन फिल्मों में मानव जीवन के मूलभूत यथार्थ का चित्रण किया गया हैं। गोविंद निहालानी इन्हीं यथार्थवादी फिल्मकारों में शामिल है और 'तमस' (1987) फिल्म के निर्माता हैं। समानांनतर सिनेमा के दर्शकों के मध्य गोविंद जी काफी लोकप्रिय हैं। उनको जो लोकप्रियता हासिल हुई हैं उसका मूल कारण यह है कि उनके फिल्मों में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खलापन हैं। यही कारण है कि गोविंद जी अपने पहली फिल्म 'आक्रोश' (1980) से ही दर्शकों में लोकप्रिय बन गये थे। गोविंद निहालानी का जन्म ऐसे दौर में हुआ था जब ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासकों की कूटनीतियों के कारण हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग आपस में लड़ रहे थे। स्वाधीनता आंदोलन में चलाये जाने वाले सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों में होने वाले हिंसाओं, मारकाट, भयानक आतंक और खौफ का वास्तविक अनुभव उन्होंने बचपन में ही कर लिया था। यही कारण है कि फिल्म 'तमस' (1987) में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों के बीच होनेवाले दंगें-फसादों का जीवंत चित्रण करने में सफल हुये हैं।

'तमस'(1987) फिल्म हिन्दी के प्रसिध्द साहित्यकार भीष्म साहनी की मूल उपन्यास 'तमस' पर आधारित हैं। इस उपन्यास में भारत विभाजन के दौरान घटनेवाली घटनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। गोविंद जी ने अपनी फिल्म में उपन्यास की मूल संवेदना को पूरी तरह से सुरक्षित रखा हैं। चूंकि यह फिल्म 'तमस' उपन्यास का पुर्नपाठ करके बनाई गई हैं इसके बावजूद इसकी मूल भावना से कोई छेड़खानी नहीं की गई हैं। 'तमस'(1987) फिल्म की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन के दौरान घटनेवाली घटनाओं का मार्मिक चित्रण हैं। यह फिल्म साम्प्रदायिकता पर आधारित है। साम्प्रदायिकता का अर्थ हैं "एक विचार या विचारधारा जो अपने विशिष्ट सम्प्रदाय के लोगों के अनुयायियों के प्रति नफरत के भाव विकसित करती है। कभी कभी इसे किसी धर्म या धार्मिक कठमुल्लेपन, अनुदारवाद से निकटता के अर्थों में भी प्रयुक्त किया जाता हैं।''[3] बिपनचंन्द्र ने साम्प्रदायिकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुये लिखा है, "साम्प्रदायिकता मौलिक रूप से और सबसे उपर एक विचारधारा है जिसके साम्प्रदायिक दंगें और अन्य रूपों में साम्प्रदायिक हिंसा परिणाम है। साम्प्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के अस्तित्व बनाये रख सकती है परंतु साम्प्रदायिक हिंसा बिना साम्प्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती।''[4] प्रत्येक सम्प्रदाय के लोगों में बचपन से ही अपने सम्प्रदाय के प्रति विशेष लगाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे-जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे- वैसे उसमें अपने सम्प्रदाय के प्रति साम्प्रदायिक भावना प्रगाढ़ होता रहता है। कभी-कभी यह भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि यह कट्टरता का रूप धारण कर लेती है। यह कट्टरपंथी लोग ही कौम के नाम पर अपने सम्प्रदाय के

लोगों को दूसरे सम्प्रदाय के विरूध्द भड़काने का काम करते हैं, जिसके परिणाम दंगे-फ़साद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। भारतीय संर्दभ में "साम्प्रदायिकता से आशय मुख्य रूप से हिदुओं और मुसलमानों के बीच संदेह, भय और प्रतिस्पर्ध्दा, कटुता और हिंसा से हैं।''[5] यह समस्या भारत में दो गुटों की आपसी अविश्वास और अधिकारों तथा हितों की वास्तविकता काल्पनिक संर्घष के कारण जन्मी हैं। यह अपनी प्रकृति से ही बताती हैं कि हर समुदाय की अलग सामूहिक चेतना और साथ में अलग सामूहिक साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों की उपस्तिथि होती हैं जो एक इकाई के रूप में एक-दूसरे के खिलाफ क्रिया और प्रतिक्रिया कर सकती हैं।[6] जहां तक भारतीय समाज में साम्प्रदायिकता की भावना तथा साम्प्रदायिक दंगे की उत्पत्ति का सवाल हैं, तो हम पाते हैं कि साम्प्रदायिक तनाव छोटे-छोटे कारणों से प्रारंभ हो जाते हैं। मुसलमानों द्वारा गाय के वध के कारण, मस्जिद के सामने मरा हुआ सुअर फेंकने पर, मंदिर और मस्जिद आदि का अपमान करने पर दंगें शुरू हो जाते हैं। गोविंद निहालानी ने अपने फिल्म 'तमस' (1987) में ऐसी ही एक घटना को दर्शाया है, जिस कारण दंगा फैलता है। ब्रिटिश अधिकारी डिप्टी कमीश्नर रिचर्ड के षडयंत्र के अनुसार नाथु (ओम पुरी) जो पेशे से एक चमार है, के द्वारा एक सुअर को मारकर मस्जिद के सामने फेंका जाता है। यह घटना मुसलमानों की भावना को ठेस पहुँचाती है और इस घटना के लिये हिन्दुओं को जिम्मेदार मान लिया जाता है और बदले में मुसलमानों द्वारा एक गाय को काटकर मंदिर की सीढ़ियों पर फेंका जाता है। चूंकि साम्प्रदायिकता की भावना लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है यही कारण है कि जब इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो दूसरे सम्प्रदाय के प्रति द्वेश की भावना प्रबल हो जाती है जिसका परिणाम दंगे फसाद होते हैं। प्रस्तुत फिल्म में इसी स्थिति को भलीभांति समझाने की कोशिश की गई हैं। जब नाथु (ओम पुरी) को यह पता चलता है कि उसके द्वारा मारे गये सुअर को मस्ज़िद के सामने फेंकने के कारण गांव में तनाव फैलता हैं और विपरीत धर्मों के लोगों द्वारा बदले की भावना से गांव की मंडी और बाज़ारों को लूटकर जला दिया जाता हैं, तो इस तनाव का ज़िम्मेदार नाथू अपने आप को मानता है और परेशान होकर गली मुहल्ले का ज़ायजा लेता रहता है, इसी सिलसिले में जब वह एक चाय की दुकान के बाहर बैठकर चाय पी रहा होता है, तब उसे दुकान के अंदर बैठे दो मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा कही जाने वाली निम्न बातें सुनाई पड़ती है-

व्यक्ति 1- खंज़ीर और मस्ज़िद के सामने बड़ी नापाक हरकत है।
व्यक्ति 2- और वह गाय मंदिर की सीढ़ियों पर काटकर फेंकी हैं किसी ने वह भी तो नापाक हरकत है।
व्यक्ति 1- अरे रहने दो मियाँ।
व्यक्ति 2- भाई मंदिर हो या मस्ज़िद ऐसी हरकत नापाक है।
व्यक्ति 1- अरे चुप रहो मियाँ उनकी (काफ़िरों की) इतनी भी तरफ़दारी मत करो।[7]

प्रस्तुत संवाद से स्पष्ट है कि हिन्दू हो या मुसलमान जब इनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान होता हैं और इनको अपमानित करनेवाला सच में हिन्दू या मुसलमान ना भी हो तब भी इनके लिये एक दूसरे को दोषी मान लिया जाता हैं जबकि फिल्म में चित्रित इस घटना के पीछे ब्रिटिशों की गहरी चाल थी ताकि हिन्दू और मुसलमानों में भेदभाव उत्पन्न करके भारत में वे अपने शासन को मज़बूत बना सके।

साम्प्रदायिकता का संबंध धर्म से भी जोड़ा जाता है लेकिन, " किसी धर्म और व्यवस्था के प्रति प्रतिबध्दता स्वंयम में साम्प्रदायिकता नहीं होती, वह तभी साम्प्रदायिकता का रूप ग्रहण करती हैं, जब उसका दुर्रपयोग निहित या संकीर्ण स्वार्थों के लिये किया जाता है और जब उसे अन्य धार्मिक सम्प्रदाय या राष्ट्र के विरूध्द प्रयोग में लाया जाता हैं। साम्प्रदायिकता धर्म का अनुचित शोषण हैं।''[8] प्रस्तुत फिल्म में ब्रिटिश अधिकारी डिप्टी कमीश्नर रिचर्ड के जिरये यही बात स्पष्ट करने की कोशिश की गई हैं। जब रिचर्ड की पत्नी लिज़ा उससे कहती हैं कि वह हिन्दू-मुसलमानों के बीच हो रहे दंगें को रोककर दोनों सम्प्रदायों के बीच में शांति स्थापित क्यों नहीं कर देते तब रिचर्ड जबाव में अपनी पत्नी से कहता हैं, "डार्लिंग , हुकूमत करनेवाले यह नही देखते कि प्रजा में कौन-कौन सी समानतायें पायी जाती हैं, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती हैं कि वे किन-किन बातों में एक-दूसरे से अलग हैं।"[9] रिचर्ड की बातों से स्पष्ट होता है कि जो शासक वर्ग होते हैं वे अपनी

शासन व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये आम जनता को आपस में लड़ाते रहते हैं ताकि प्रजा का ध्यान अपने शासक वर्ग से हटा रहें जिससे शासक वर्ग आम जनता पर मनमाने तौर पर शासन कर पाये।

साम्प्रदायिक हिंसा का अर्थ एक ऐसी हिंसा हैं जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को धार्मिक पहचान के आधार पर चिन्हित करके हिंसा का शिकार बनाया जाता हैं।[10] प्रस्तुत फिल्म में देखा जाय तो ऐसे अनेक घटनाओं का चित्रण किया गया हैं जिसमें धार्मिक पहचान के आधार पर एक-दूसरे को हिंसा का शिकार बनाया गया हैं। हिन्दू संगठन का युवा सदस्य रणबीर एक बेकसूर इतर-फुलेल वाले वृध्द को छुरी मारकर उसकी हत्या कर देता है क्योंकि वह इतर-फुलेल बेचनेवाला एक मुसलमान था। सिक्ख दंगाईयों द्वारा मास्टर करीमदीन पर जानलेवा हमला इसलिये किया जाता है क्योंकि वह मुस्लिम धर्म का था। शहनवाज़ लाला के नौकर ननकू (जो कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमज़ोर भी था) को इसलिये मार देता है क्योंकि दंगें में मारे गये मुसलमानों की लाशों को देखकर उसके भीतर कहीं न कहीं हिन्दुओं के प्रति रोष और बदले की भावना जगती है और उसी बदले की भावना से वह ननकू जैसे निहत्थे इंसान की प्राण सिर्फ इसलिये ले लेता है क्योंकि ननकू हिन्दू धर्म का था । बुर्ज़ुग हरनाम सिंह (भीष्म साहनी) और उनकी पत्नी बंतो उस मुस्लिम बहुल गांव में दो ऐसे प्राणी थे जो सिक्ख धर्म के अनुयायी थे। ये दोनों नेकदिल इंसान एक चाय की दुकान चलाकर अपना गुजारा करते थे। इस मुस्लिम बहुल गांव में हरनाम सिंह जन्में थे और करीम खाँन जैसे मुस्लिम दोस्तों संग खेल बड़े हुये थे । लेकिन भारत विभाजन के दंगों के दौरान धार्मिक पहचान के आधार पर बाहर से मुस्लिम बलबाईयों द्वारा हरनाम सिंह की दुकान को लूटकर दुकान और घर को आग लगा दिया जाता हैं।

सन् 1947 के भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में भारत विभाजन के पाँच दिन पूर्व से लेकर विभाजन के दिन तक घटनेवाली वाली घटनाओं का चित्रण किया गया है। राजनीतिकों के राजनीति के कारण फैले तनाव से सभी धर्म के लोग अपने-अपने सम्प्रदाय की सुरक्षा के लिये एकजुट होकर रणनीति तैयार करते हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान का निर्माण करना चाहता थे, मास्टर देवव्रत जैसे राष्ट्रवादी लोग भारत में म्लेच्छविहीन हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे इसके लिये हिंदू-संगठन रणवीर जैसे युवकों के माध्यम से अपने युवा समाज को हथियार चलाने की प्रशिक्षण देते हैं ताकि प्रयोजन पड़ने पर यह युवा समाज अपने हिंदू धर्म की रक्षा कर सके। सिक्ख सम्प्रदाय अपनी सुरक्षा के लिये गुरूद्वारे में इकट्ठा होकर असला इकट्ठा करते हैं। वामपंथी कार्यकर्ता कामरेड मीरदाद और उस दल के अन्य सदस्य अपने अपने सम्प्रदाय के लोगों के बीच जाकर अंग्रेज़ों की षडयंत्रों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म को अपनाकर धर्मनिरपेक्षता की बातें करता हैं और देश के बंटवारे के खिलाफ अभियान चलाता है। वहीं अंग्रेज़ों के नुमाइंदा डिप्टी कमीश्नर रिर्चड इस तनाव को भारतीयों की मज़हबी मामला कहकर संवेदनहीन बना रहता हैं जबकि वह चाहता तो दंगें को रोक सकता था। प्रस्तुत फिल्म में देखें तो ज्ञात होता है कि इस तरह की साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार अमीर लोगों की तुलना में गरीब लोग अधिक होते हैं। नाथु बेघर होकर अपनी जान गंवाता हैं। हरनाम सिंह बेघर होते हैं। ननकू अपना प्राण गंवाता है, बेकसूर इतर-फुलेल वाले की प्राण ले ली जाती है , खालसा स्कूल के चपरासी पंडित की बेटी को मुसलमान अपने घर पर बैठा लेता है , गरीबों का घर-दुकान जला दिया जाता है, असंख्य शरर्णाथी भूख-प्यास के कारण अपना प्राण त्याग देते हैं, बेकसूर सिक्खणियाँ कुएँ में डूबकर अपनी आबरू बचाती हैं। इन सभी घटनायों का चित्रण गोविंद जी ने अपनी फिल्म में बारीकी से किया हैं।

साम्प्रदायिकता लोगों में संवेदनहीनता उत्पन्न करती हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक दृश्य में इसी संवेदनहीनता को देखा जा सकता है। रिलीफ कैम्प में जानमाल का आंकड़ा लिखनेवाला बाबू और हरनाम सिंह के बीच हुये संवाद दृष्टव्य हैं -

नाम ?

हरनाम सिंह

वल्दियत?

सरदार गुरदयाल सिंह

मौज़ा?

ढोक इलाहीबख़्श

तहसील?

नुरपूर

कितने घर हिंदुओं, सिक्खों के थे?

केवल एक घर, मेरा घर जी

तुम बचकर कैसे आ गये?[11]

फिल्म की इस दृश्य में आंकड़ा लिखनेवाले बाबू की बातों और हावभाव से उसकी संवेदनहीनता की भावना झलकती है। उसे इस बात की हैरानी होती है कि एक वृध्द जो सिक्ख धर्म का अनुयायी है वह उस मुस्लिम क्षेत्र से जीवित कैसे आ जाता है। संवेदनहीनता के उस दौर में ऐसा नहीं है कि लोगों ने लोगों की मदद न की हो। विभाजन की त्रासदी के दौरान भी लोगों ने आपसी सौहार्द की मिसालें पेश की थी। एक सिक्ख स्त्री एक मुस्लिम मास्टर करीमदीन को सिक्ख दंगाईयों से बचाती है, करीम खाँन हरनाम सिंह को आगाह कर देता है ताकि हरनाम सिहं अपनी पत्नि को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाये, एक मुस्लिम स्त्री लाजो (सुरेखा सिकरी) विपत्ति की उस घड़ी में हरनाम सिंह और उनकी पत्नि बंतों की मदद करती है, उन दोनों के प्राण बचाती है, उनके लूटे हुये जेवर वापस लौटाकर मानवता और भाईचारे की मिसाल पेश करती है। वही यह वृध्द दम्पत्ति नाथू (ओम पुरी) और उसकी पत्नि करमो (दीपा साही) के बुरे वक्त में साथ देते हैं और उस असहाय दलित दम्पत्ति को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं।

इस प्रकार 'तमस'(1987) फिल्म के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत विभाजन का दौर भारतीय इतिहास की अत्यंत दुखद और त्रासदीपूर्ण समय रहा है। उस समय भारत के सभी जगहों में लगभग एक जैसी ही स्थिति थी। ब्रिटिशों की साजिशों के तहत साम्प्रदायिकता का प्रसार हुआ। लोगों में विपरीत धर्मों के प्रति भय, संदेह और हिंसा की भावना पैदा होने लगी थी। मुस्लिम लीग के राजनीतिकों द्वारा इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर पाकिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण कर लिया जाता हैं वही दूसरी ओर हिंदू संगठन द्वारा भारत को म्लेच्छ विहीन हिन्दू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते दिखाया गया हैं। उस दौरान सब लोगों की भावनायें तमसमय हो गई थी। बुध्दिजीवी वर्ग भी नासमझी की बातें करने लगे थे और अपने-अपने सम्प्रदाय के हितों और सुरक्षा की कोशिश में जुटे थे। हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख आदि सभी धर्म के अनुयायी विपरीत धर्म के लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगे थे जिससे हिंसा फैलती है और उस हिंसा का शिकार असंख्य बेकसूर गरीब लोग हुये थे। गोविंद जी ने भारत विभाजन की त्रासदी को इस फिल्म में बखूबी से फिल्माया है। गोविंद जी ने बचपन में भारत विभाजन के दौरान होनेवाली हिंसा और मारकाट को अपनी आँखों से देखा और अनुभव किया था। उनके बालमन पर उस साम्प्रदायिक हिंसा का गहरा प्रभाव पड़ा था। जिसकी छवियाँ गोविंद जी की निर्देशन में 'तमस'(1987) फिल्म में नज़र आती हैं। फिल्म की पटकथा, संवाद, संगीत, परिवेश , साजसज्जा, अभिनय सभी बातें ज़मीनी यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। यह फिल्म भारत विभाजन के दौरान हुये साम्प्रदायिक दंगों की सूक्ष्म विश्लेषण करता है और उन मनोवृत्तियों से हमें रू-ब-रू कराता है जो अपनी विकृतियों का फल गरीब, दलित, शोषित तथा कमज़ोर वर्ग को भोगने के लिये मज़बूर करते हैं। साथ ही साम्प्रदायिक भावनाओं के पीछे छुपे हुये मनसूबों और उसके कारण फैलनेवाले दंगों के परिणामों को दर्शाकर दर्शकों को साम्प्रदायिक भावनाओं में न बहने की अपील भी प्रस्तुत फिल्म मेंदेखी जा सकती हैं।

संदर्भ सूची :

1. कथन, भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय सिनेमा, वर्ष-33, अंक-1, जनवरी-मार्च 2012, संपादक-संज्ञा उपाध्याय, शब्द संधान प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ-संख्या-92.
2. भारतीय नया सिनेमा, सुरेंद्रनाथ तिवारी, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रकाशन, संस्करण-1996, दिल्ली.
3. भारत में सामाजिक समस्याएँ, प्रकाश नारायण नाटाणी, प्रज्ञा शर्मा, पृष्ठ संख्या-278.

4. भारत में सामाजिक विघटन, डॉ संजीव महाजन, पृष्ठ–संख्या–308.
5. साम्प्रदायिक दंगें और भारतीय पुलिस, विभूतिनारायण राय, पृष्ठ–संख्या–18.
6. साम्प्रदायिक समस्या, कानपुर दंगा जाँच समिति की रिपोर्ट, अनुवादक–दिवाकर, पृष्ठ–भूमिका.
7. फिल्म तमस से संवाद (1987), निर्माता–गोविंद निहालानी.
8. भारत में सामाजिक समस्याएँ, प्रकाश नारायण नटाणी,प्रज्ञा शर्मा, पृष्ठ–संख्या–278.
9. फिल्म तमस से संवाद (1987), निर्माता–गिवंद निहालानी.
10. साम्प्रदायिक दंगें और भारतीय पुलिस, विभूतिनारायण राय, पृष्ठ–संख्या–12
11. फिल्म तमस से संवाद, निर्माता–निर्देशक– गोविंद निहालानी।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

महाकाव्य महाभारत में महारानी द्रौपदी

प्रिया सिंह
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय,
प्रयागराज,उत्तर प्रदेश

डॉ.देवनारायण पाठक
संस्कृत–विभागाध्यक्ष
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय,
प्रयागराज,उत्तर प्रदेश

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 117-122

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

सारांश—महाभारत में महारानी द्रौपदी यज्ञ कुण्ड में शची देवी के अंश के रूप में जन्म लेती हैं। धर्मज्ञा, धर्मदर्शिनी आदि विशेषण उनके पांडित्य को व्यक्त करते हैं। द्रौपदी अप्रितम सुन्दरी थी। बुद्धिमत्ता, ज्ञान और चारित्रिक बल में भी उसकी जोड़ की युवती मिलनी कठिन है। महाभारतकालीन नारियाँ यद्यपि कि अपने पूर्वकालीन नारियों की अपेक्षा ज्यादा स्वतंत्र थीं, परन्तु द्रौपदी का चरित्र महाभारत में अत्यधिक निर्भीक नारी के रूप में भी चित्रित है। दौपदी के जन्म से लेकर अन्त तक के प्रमुख सन्दर्भों को क्रमवार प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द—धर्मदर्शिनी, याज्ञसेनी, पौराणिक, ब्रह्मतुल्य, द्वैतवन, अभ्यर्थना, सैरन्ध्री, प्रतिविन्ध्य।

पांचाल प्रदेश के अधिपति महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुण्ड में शची देवी के अंश से द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि – इस कन्या का नाम कृष्णा है; यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुन्दरी है। क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह यथासमय देवताओं का कार्यसिद्ध करेगी और इसके द्वारा कौरवों को महान् क्षय प्राप्त होगा। द्रौपदी ने एक गृहशिक्षक से बृहस्पति राजनीति की शिक्षा ली थी। पंडिता, पतिव्रता, धर्मज्ञा, धर्मदर्शिनी आदि विशेषणों से उनके पांडित्य का अंदाज लगाया जा सकता है।[1] द्वैतवन में युधिष्ठिर के साथ हुए उनके कथोपकथन से पता चलता है कि वे अनेक पौराणिक उपाख्यानों एवं राजधर्म को भली–भाँति जानती थीं। कृष्ण के दूतरूप में कुरु सभा में जाने से पहले उन्होंने जो कुछ कहा था उससे भी उनके राजनीतिक ज्ञान का परिचय मिलता है। सत्यभामा के साथ विश्रम्भालाप के समय भी उनके पातिव्रत्य धर्म की अभिज्ञता देखकर दांतों तले उँगली दबानी पड़ती है। अतिथि की अभ्यर्थना किस तरह करनी चाहिए यह भी वह अच्छी तरह जानती थीं। अपने दैनिक कार्यों के संबंध में अपने मुख से उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे पता चलता है कि रोज हजारों आदमियों के खाने–पीने का तत्वावधान उन्हीं को करना पड़ता था। सैकड़ों दास दासियों के कामकाज पर नजर रखना, समय पर उन्हें वेतन देना, उनके अभावादि पर लक्ष्य रखना आदि अन्तःपुर के हर कार्य का भार उन्हीं के कंधों पर था। राजकोष के आय व्यय के हिसाब रखने का दायित्व भी उन्हीं पर था। वह अकेली ही सब हिसाब रखती थी।[2] इतनी क्षमता तथा पांडित्य महाभारत में दूसरी किसी भी गृहिणी में दिखाई नहीं पड़ती।

महाभारत के उद्योगपर्व में द्रौपदी श्रीकृष्ण से कहती है कि मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ। यज्ञवेदी के मध्यभाग से मेरा जन्म हुआ है। मैं वीर धृष्टद्युम्न की बहिन और आपकी प्रिय सखी हूँ। मैं परम प्रतिष्ठित अजमीढकुल में व्याह कर आयी हूं। महात्मा राजा पाण्डु की पुत्रवधू तथा पाँच इन्द्रों के समान तेजस्वी

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

पाण्डुपुत्रों की पटरानी हूँ। पाँच वीर पतियों से मैंने पाँच महारथी पुत्रों को जन्म दिया है। श्रीकृष्ण! जैसे अभिमन्यु आपका भान्जा हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भानजे ही हैं। केशव! इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मैं पाण्डवों के देखते–देखते और आपके जीते–जी केश पकड़कर सभा में लायी गयी और मेरा बारंबार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया। पाण्डवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते–जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में सभा के बीच में मुझे उपस्थित होना पड़ा।[3]

द्रौपदी सत्यभामा से कहती है कि कुन्तीदेवी के पाँचों पुत्र ही मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चन्द्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले, महारथी, दृष्टिमात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल–पराक्रम एवं प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवक, बड़ी सजधजवाला धनवान् अथवा परम सुन्दर कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पाण्डवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराये बिना मैं कभी भोजन नहीं करती, उन्हें नहलाये बिना कभी नहाती नहीं हूँ तथा पतिदेव जब तक शयन न करें, तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ। खेत से, वन से, अथवा गाँव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं, उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनन्दन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत–सत्कार में लग जाती हूँ। मैं घर के बर्तनों को माँज–धोकर साफ रखती हूँ। शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको उचित समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इन्द्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्तरूप से अनाज का संचय रखती हूँ। और घर को झाड़–बुहार, लीप–पोतकर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाये रखती हूँ। मैं कोई ऐसी बात मुँह से नहीं निकालती, जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के सम्पर्क से सदा दूर रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के किये हुए परिहास के सिवा अन्य समय में नहीं हँसा करती, दरवाजे पर बार–बार नहीं खड़ी होती, जहाँ कूड़े–करकट फेंके जाते हों, ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती और बगीचों में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती हूँ। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में असंतोष को स्थान नहीं देती और परायी चर्चा से दूर रहती हूँ। न अधिक हँसती हूँ और न अधिक क्रोध करती हूँ। क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती। सदा सत्य बोलती और पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुम्ब के कार्य से कभी परदेश चले जाते हैं, उन दिनों में फूलों का श्रृंगार नहीं धारण करती, अंगराग नहीं लगाती और निरन्तर ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करती हूँ। मेरे पतिदेव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ।[4]

प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को लोग याज्ञसेनी तथा कृष्ण वर्ण की होने के कारण कृष्णा नाम से जानते हैं। द्रौपदी अप्रितम सुन्दरी थी। बुद्धिमत्ता, ज्ञान और चारित्रिक बल में भी उसकी जोड़ की युवती मिलनी कठिन है। द्रौपदी की शिक्षा–दीक्षा राजा द्रुपद के दरबार में बड़े सुव्यवस्थित ढंग से हुयी थी। द्रौपदी ने एक गृह शिक्षक से बृहस्पति तथा राजनीति की शिक्षा ली थी। 'पण्डिता' पतिव्रता, धर्मज्ञा, धर्मदर्शिनी आदि महाभारत में प्रयुक्त उनके लिए जो विशेषण उनसे उसके पाण्डित्य का अनुमान लगाया जा सकता है।[5] युधिष्ठिर के साथ हुए उनके कथोपकथन से पता चलता है कि वे अनेकों पौराणिक उपाख्यानों एवं राजधर्म को भली प्रकार से जानती थी। कृष्ण के दूत रूप में सभा में जाने से पहले उन्होंने जो कुछ कहा था उससे भी उनके राजनैतिक ज्ञान का परिचय मिलता है।[6]

सत्यभामा के साथ विश्रम्भालाप के समय भी उनके पातिव्रत्य धर्म की अभिज्ञता देखकर दाँतों तले उँगली दबानी पड़ती है। अतिथि की अभ्यर्थना किस तरह करनी चाहिए, यह भी वह अच्छी तरह जानती थीं।[7] अपने दैनिक कार्यों के सम्बन्ध में अपने मुख से उन्होंने जो कुछ कहा है उससे पता चलता है कि प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों के खाने–पीने की व्यवस्था उन्हें ही करनी पड़ती थी। सैकड़ों दास–दासियों के

काम का ध्यान रखना, समय से वेतन देना, उनके अभावादि पर लक्ष्य रखना आदि। अन्तःपुर के हर कार्य का भार उन्हीं के कंधों पर था। राजकोश के आय–व्यय का हिसाब रखने का दायित्व भी उन्हीं पर था। द्रौपदी के समान जितनी क्षमता तथा पाण्डित्य महाभारत में किसी भी दूसरी गृहणी में दिखायी नहीं पड़ती।

महाभारतकालीन नारियाँ यद्यपि कि अपने पूर्वकालीन नारियों की अपेक्षा ज्यादा स्वतंत्र थीं, परन्तु द्रौपदी का चरित्र महाभारत में अत्यधिक निर्भीक नारी के रूप में भी चित्रित है। उनके निर्भीकतापूर्ण कथनों के अनेक उदाहरण महाभारत में भरे पड़े हैं। जैसे उन्होंने अपने स्वयंवर सभा में ही चिल्ला कर कहा था – 'नाऽहं वारयामि सूतम्' अर्थात् मैं सूतपुत्र का वरण नहीं करूँगी। यद्यपि स्वयंवर का तो अर्थ ही होता है कि मनोवांछित वर के गले में माला डालना, परंतु द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं था, जो भी पुरुष उनके स्वयंवर की शर्त पूरी करता उन्हें उसके गले में माला डालनी पड़ती, परंतु द्रौपदी से पूर्व अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका की स्वयंवर सभा में भी ऐसी ही परिस्थिति उपस्थित हुई थी जबकि अम्बा ने अपने स्वयंवर के पूर्व ही अपने वर का वरण कर लिया था, परंतु भीष्म जब इन कन्याओं को उठा कर ले जाने लगे तो अम्बा ने कहीं भी यह नहीं कहा कि मैंने अपने वर का वरण कर लिया है। यद्यपि कि बाद में उन्होंने बहुत निर्भीकता दिखलायी, परंतु द्रौपदी जैसी निर्भीकता का उनमें भी अभाव था।

'द्रौपदी' का नाम आते ही इनके पाँच पतियों का स्मरण स्वतः हो जाता है। साधारणतया भारतीय नारियों के एक पति होते हैं, कुछ समृद्ध परिवारों तथा राजघरानों में एक पति की अनेक पत्नियाँ भी होती थीं; किन्तु द्रौपदी एकमात्र ऐसी नारी है, जिनके पाँच पति हैं। भारत के उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में बहुपतीक विवाह की प्रथा प्रचलित थी; किन्तु कौरव अर्थात् कुरूवंश उत्तर–भारत के हस्तिनापुर नामक स्थान पर परिवर्द्धित हुआ। भारत के किसी अन्य क्षेत्र में बहुपतीक विवाह का उल्लेख नहीं है। द्रौपदी का विवाह स्वयं में अनुपम है। द्रौपदी यद्यपि पाँच पतियों की पत्नी थी, किन्तु द्रौपदी की गिनती पतिव्रता नारियों में ही होती है। यह द्रौपदी में आदर्श स्त्री का ही गुण है कि सास कुन्ती के मुख से अनजाने में निकली हुई बात की उन्होंने प्रतिष्ठा रखी और पाँच पतियों को स्वीकार किया। यद्यपि वह वहाँ इस बात का विरोध भी कर सकती थीं और सिर्फ अर्जुन को स्वीकार करने की बात कह सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

वनपर्व में युधिष्ठिर के साथ हुए उनके वार्तालाप में क्षत्रिय नारी सुलभ महाशक्ति का परिचय मिलता है।[8] जुए में युधिष्ठिर द्वारा दाव पर लगाये जाने तथा हार जाने पर दुःशासन के हाथों अपमानित होकर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र की सभा में आकर असहाय द्रौपदी ने सर्वप्रथम राजा धृतराष्ट्र की ओर देखा। फिर उसने भीष्म, द्रोण, विदुर और उन्हीं जैसे अन्य सुधीसज्जनों की ओर आशाभरी दृष्टि से देखा। सभी के झुके हुए चेहरों से विवशता टपक रही थी। द्रौपदी को लगा वे तो उससे भी अधिक दुर्बल और असहाय हैं। वह तड़प उठी – 'धिक्कार है भरतवंश के क्षत्रियों को! क्या यही धर्मनिष्ठ सम्राटों की परंपरा है? पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और महात्मा विदुर के सामने यह अनिष्ट हो रहा है और वे चुप हैं उनका आत्मबल कहाँ चला गया? मैं धर्मज्ञ सभासदों से पूछती हूँ कि इन छली पापात्माओं ने धर्मराज को जुआ खेलने के लिए मीठी–मीठी बातें बनाकर और छल करके उन्हें और उनके सर्वस्व को जीत लिया।

धर्मराज ने पहले अपने भाइयों को, तब अपने को हारकर मुझे दांव पर लगाया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि अपने को हार जाने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें था या नहीं? मैं आप लोगों से पूछती हूँ। द्रौपदी को प्रश्न मानों एक नयी चुनौती के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया। द्रौपदी ने सभा में अपने पतियों को भी खूब धिक्कारा। उन्होंने कहा कि भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गाण्डीव को धिक्कार है जो उन नराधमों द्वारा मुझे अपमानित होता देखकर भी सहन करते रहे। सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाया गया यह सनातन धर्म है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। द्रौपदी के ऐसे वक्तव्य से यह पता चलता है कि समय आने पर वह अपने पतियों को भी अच्छे–बुरे का

अनुभव कराती थी। जुए में पतियों द्वारा हारी गयी अपमानित द्रौपदी का पति युधिष्ठिर के लिए दो चार कटु वाक्यों का प्रयोग करना उस समय उनके लिए स्वाभाविक था, लेकिन पातिव्रत्य के अलावा और किस प्रवृत्ति ने उनकी इस स्वाभाविक इच्छा का दमन किया, यह कहा नहीं जा सकता। इस तरह के चित्तविक्षेप के समय भी वे विकल नहीं हुई। वनवासकाल में अम्लानवदना द्रौपदी ने सब तरह के दुःख कष्ट सहे। उनके चरित्र सदृश मृदु–कठोर नारीचरित्र महाभारत में एक भी नहीं है।

प्रकृति ने नारी में कुछ ऐसी सुविधाओं को दिया कि वह ब्रह्मतुल्य हो गयी, वह सुविधा है गर्भधारण करना, संतानोत्पत्ति तथा संतान का भरण–पोषण करने की क्षमता ये सुविधाएं पुरुषों को प्राप्त नहीं। मातृत्व ग्रहण करना किसी भी स्त्री के लिए सर्वोच्च गौरव है। माता के रूप में नारी सभी वर्ग के लोगों में आदरणीया बन जाती है। नारी का गौरव और भी ज्यादा बढ गया जब उसकी संतान अपने पुण्य कर्मों के द्वारा समाज में आदरणीय बन जाता है। कुपुत्रों की माताएँ हेय दृष्टि से देखी जाती हैं तथा सत्पुत्रों की माताएँ देश, काल से ऊपर उठकर अमर हो जाती हैं। पत्नी के लिए पति सेवा सर्वोच्च धर्म है। पति पूर्ण आस्था के साथ स्वयं को सूक्ष्म रूप में पत्नी के गर्भ में उपस्थित करता है तथा पत्नी पूर्ण मनोयोग से उसका भरण–पोषण सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करके भी करती है। इस महान् कार्य के कारण वह पति तथा संतान दोनों के बीच सेतु का कार्य तो करती ही है, दोनों के लिए आदरणीया बन जाती है तथा दोनों के द्वारा रक्षित भी होती है।

द्रौपदी एक आदर्श कन्या, आदर्श पत्नी के साथ–साथ आदर्श माता भी थी। द्रौपदी के पाँच पतियों से पाँच पुत्र थे। युधिष्ठिर से प्रतिविन्ध्य नामक पुत्र हुआ। ब्राह्मणों ने प्रतिविन्ध्य नामकरण इसलिए किया, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि युधिष्ठिर का पुत्र प्रहार वेदना के ज्ञान में विन्ध्य के समान अटल हो।[9] भीमसेन से सुतसोम नामक पुत्र हुआ, यह सोम एवं सूर्य के समान तेजस्वी था। वह महान् धनुर्धर था।[10] अर्जुन से महान् एवं विख्यात कर्म करने वाला श्रुतकर्मा हुआ।[11] नकुल से कीर्तिवर्धक पुत्र शतानीक हुआ[12] तथा सहदेव से श्रुतसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।[13] द्रौपदी ने अपने पुत्रों में एकता का सूत्र पिरोकर उन्हें एक दूसरे का हितैषी बना दिया।[14] द्रौपदी एक ममतामयी माँ है और उसी के अनुरूप अपने पुत्रों के लिए सदा कल्याण की कामना करती है। उन्होंने शैशवावस्था में अपने पुत्रों को पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए धौम्य मुनि के आश्रम में वेदाध्ययन के लिए भेजा। तदुपरान्त इन्द्रप्रस्थ वापस आकर वे अर्जुन से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने लगे।[15] जब तक सम्भव हुआ द्रौपदी अपने पुत्रों के प्रति सचेष्ट रहीं। द्यूत–प्रसंग के पश्चात् सर्वस्व हार कर जब वे पाण्डवों के संग वन को चली तब धृष्टद्युम्न के साथ अपने पाँचों पुत्रों को पिता के घर भेज देती हैं।[16] जिससे उनकी समुचित शिक्षा–दीक्षा हो सके। उसे अपने पुत्रों की वीरता का बड़ा गर्व है, जो स्वाभाविक भी है।

अश्वत्थामा द्वारा पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर वह दुःख से विह्वल हो उठती है एवं अन्न आदि से विमुख होकर प्राण त्याग करने का निश्चय करती है।[17] इसी प्रकार 'स्त्रीपर्व' में वह पुत्रवियोग से दुःखी होकर रोते हुए कुन्ती से कहती है कि अपने पुत्रों से हीन होकर अब इस राज्य से हमें क्या कार्य है? [18] इन सभी विशेषताओं के साथ द्रौपदी में नारीसुलभ चपलता, भय, उत्कंठा आदि गुण भी दृष्टिगत होते हैं। इन्द्रप्रस्थ के अलौकिक सभा भवन में दुर्योधन के जल में गिर जाने पर वह खिलखिला कर हँस पड़ती है।[19] इसी प्रकार घोषयात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गंधर्व द्वारा किये गये अपमान बंधन से वह प्रसन्न हो उठती है।[20] वन में भयंकर आकृति वाले किर्मीर राक्षस को देखकर वह भयभीत होकर दोनों नेत्र बन्द कर लेती है और मूर्च्छित हो जाती है।[21] गन्धमादन पर्वत पर विलक्षण सौगन्धिक पुष्प को देखकर वैसे ही अन्य पुष्पों को पाने हेतु वह उत्कंठित हो उठती है।[22] द्रौपदी यद्यपि राजपुत्री एवं राजभार्या है, तथापि उसे अनेक कलाओं में निपुणता प्राप्त है। गृहकलाओं एवं केश–प्रसाधन कला में वह प्रवीण है।[23] सैरन्ध्री के रूप में जब वह रानी

सुदेष्णा के श्रृंगारार्थ नियुक्त की जाती हैं, अपनी श्रृंगार कला और सेवा भावना में शनी का हृदय जीत लेती है। भारतीय समाज में यह एक आम धारणा है कि द्रौपदी पतिव्रता, साध्वी, धैर्यशील एवं दूरदर्शी महिला थी। परन्तु इस आम धारणा के विरुद्ध द्रौपदी के जीवन से संबंधित निम्न ऐतिहासिक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैः

- द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद द्वारा कराये गये एक यज्ञ में यज नामक ब्राह्मण द्वारा द्रुपद की पत्नी से संभोग करने के बाद हुआ था। इस प्रकार राजा द्रुपद की पत्नी द्रौपदी नियोग प्रथा द्वारा पैदा हुई थी।
- द्रौपदी को अर्जुन स्वयंवर में जीत कर लाये थे, इसलिए उसको अर्जुन की पत्नी के रूप में ही रहना चाहिए थी। उस समय की व्यवस्थाओं को तोड़कर द्रौपदी द्वारा पांच पतियों की पत्नी बनकर रहना एक अधर्म का कार्य किया था।
- युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को जुएं में हार जाने के बाद दुशासन द्वारा कौरव सभा में सभी कौरव–पाण्डव योद्धाओं के सामने द्रौपदी का घोर अपमान किया गया था और इस कारण द्रौपदी ने अपने इस अपमान का बदला लेने की इच्छा से पाण्डवों एवं श्रीकृष्ण को बार–बार ताना देते हुए कौरवों से युद्ध करने हेतु उकसाकर युद्ध की पृष्ठभूमि बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। निःसंदेह द्रौपदी का अपमान हुआ था और ऐसी दशा में हर व्यक्ति में बदला लेने की भावनाएं विकसित हो ही जाती हैं।[24]

सन्दर्भ–सूची

1. प्रिया च दर्शनीया च पंडिता च पतिव्रता। –महाभारत, वनपर्व, 27.2.
2. वही, वनपर्व, अध्याय 232.
3. महाभारत, उद्योगपर्व, भगवद्यानपर्व, 132.21–25.
4. महाभारत, वनपर्व, द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्व, 233.22–31, पृ. 760–761.
5. महाभारत, वनपर्व
6. महाभारत, उद्योगपर्व
7. महाभारत, वनपर्व
8. महाभारत, वनपर्व, 28.12–36.
9. महाभारत, आदिपर्व, 220.81.
10. महाभारत, आदिपर्व, 220.82.
11. महाभारत, आदिपर्व, 220.83.
12. महाभारत, आदिपर्व, 220.84.
13. महाभारत, आदिपर्व, 220.85.
14. महाभारत, आदिपव ि, 220.86.
15. महाभारत, आदिपव ि, 220.88.
16. महाभारत, वनपर्व, 24.46.
17. महाभारत, सौप्तिकपर्व, 11.6–16.
18. महाभारत, स्त्रीपर्व, 15.13.
19. अमरचन्द सूरी, बालभारत, 2.4.84.
20. चप्पूभारत, स्तवक 5, पृ. 65.

21. महाभारत, वनपर्व, 12.16.56.
22. महाभारत, वनपर्व, 146.8—11.
23. महाभारत, विराटपर्व, 3.17.11.
24. सन्त, के.एन., महाभारत के महापात्र, बहुजन चेतना मण्डल प्रकाशन, लखनऊ, 2011—12, पृ.. 14.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

18वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में शाहवली उल्ला का योगदान

प्रो0 हेरम्ब चतुर्वेदी
प्रोफेसर, शोध निर्देशक,
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

मोहम्मद शकीम
शोधार्थी,
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 123-127

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोध सारांश— सूफीवाद के प्रति शाहवली उल्लाह का व्यवहार सार्वभौमिक था। हालांकि उन्होंने नक्शबन्दी सम्प्रदाय की दीक्षा प्राप्त की थी किन्तु उन्होंने अपने समय के चारो प्रमुख सूफी सम्प्रदायों से प्रेरणा प्राप्त की। वास्तव में नवदीक्षितो को अपनी शिष्य मण्डली में शामिल करते समय वह चारो मतों के प्रमुख शेखो का नाम लेते थे ताकि नवदीक्षितों को उनकी आध्यात्मिक कृपा प्राप्त हो सके। गोर परस्ती (संतो की कब्र की पूजा) के प्रति उनका दृष्टिकोण उसी प्रकार न्याय संगत था उन्होंने मृत संतों से आर्थिक मदद माँगने की प्रथा की निन्दा की किन्तु उनके मकबरे पर जाने पर रोक नहीं लगाई। उनका विश्वास था कि मदीना में पैगम्बर मुहम्मद के मकबरे पर जाने से आत्मिक शान्ति मिलती है।

मुख्य शब्द— मुस्लिम, समाज, शाहवली उल्ला, सार्वभौमिक, शान्ति, सम्प्रदाय, सांस्कृतिक।

1707ई0 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भारत की राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन आया और मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ।[1] लेकिन एक बात यहाँ ये ध्यान देने योग्य है हम ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का एकाएक पतन हो गया बल्कि ये कहना सही रहेगा कि पतन की प्रक्रिया आरम्भ हुई। मुग़लों की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा बनायी गयी इमारतें जो आज भी भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को अपनी नजरों से चकाचौंध कर रही हैं।[2]

जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है इस्लाम के उदय से ही पैगम्बर मोहम्मद साहब ने शिक्षा की ओर जोर दिया गारे हिरा में ज्ञान प्राप्ति के बाद जिस ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया वह थी इल्म (शिक्षा)। यहाँ तक कि पैगम्बर मुहम्मद साहब ने शिक्षा की महत्ता को समझा और कहा कि ''एक शहीद के खून से भी पवित्र तालिब इल्म (जो शिक्षा ग्रहण करता है) के कलम की स्याही है।'' एक बात यहाँ स्पष्ट है कि इस्लाम में शिक्षा की बड़ी महत्ता है इसी के अन्तर्गत

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सुल्तनत काल में सुल्तानों ने तथा मुग़लकाल में बादशाहों ने इस ओर ध्यान दिया और समय–समय पर मकतब एवं मदरसों की व्यवस्था की जिसमें बच्चे इल्म (शिक्षा) हासिल कर सकें।[3] इसी प्रक्रिया में जब 18वीं शताब्दी में जहाँ भारत में मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था वहीं दूसरी ओर उस्मानिया साम्राज्य या आटोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था इनके पतन के कारणों में से एक कारण ये भी माना गया कि जो शासक थे नीतियाँ बनाते समय कुरॉन व हदीस की बातों की अवहेलना कर रहे थे या यूँ कहें कि जो शासन व्यवस्था थी कुरॉन व हदीस के अनुसार नहीं थी जिससे स्थिति बद से बदतर हो गई। ये जो स्थिति बद से बदतर हो गई थी उसको सुधारने का बीड़ा उठाया शाहवली उल्ला मुहद्दिस देहल्वी ने।[4]

यदि हम शाहवली उल्ला की बात करें तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है 18वीं शताब्दी में जिस तेजी से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ उसमें फैली अराजकता, निराशा और अन्धकार में पूरी मुस्लिम कौम डूबी हुई थी उसके पास मुक्ति का कोई रास्ता नहीं था ऐसे दौर में एक नई रोशनी और नयी आवाज के साथ शाहवली उल्लाह का उदय हुआ उनकी अपील किसी मुक्ति से कम नहीं थी सम्भवता उस दौर को रोशन करने वाले, एक विश्वास और उम्मीद जगाने वाले वे अकेले नायक थे जिनकी वकत किसी फरिश्ते से कम नहीं थी[5] इसलिए शाहवली उल्लाह को मुस्लिम नवजागरण का जनक कहा जाय या पहला महानायक माना जाय तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वे न केवल धार्मिक सुधारक के तौर पर उभरते हैं बल्कि तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों में भी हस्तक्षेप करते दिखायी पड़ते हैं वे न केवल तत्कालीन मुग़ल बादशाहों की फिजूल खर्ची की आलोचना करते हैं अपितु बादशाहों द्वारा राज्य के प्रति जिम्मेदारियों के उल्लंघन की भी कठोर निन्दा करते हैं ऐसी स्थिति में वे स्वयं को एक समाज सुधारक एवं धार्मिक सुधारक के तौर पर पेश करते हैं[6]

शाहवली उल्ला का जन्म 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फुलत गाँव जो कि अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 1114 हिजरी है 1703ई0 में हुआ।[7] महज सात साल की उम्र में कुरॉन को हिफ्ज (याद) कर लिया। इसके तुरन्त बाद उन्होंने अरबी और फारसी अक्षरो में महारत हासिल की। सोलह वर्ष की उम्र तक उन्होंने हनफी कानून, धर्मशास्त्र, ज्यामिति, अंकगणित और तर्कशास्त्र के मानक पाठ्यक्रम को भी पूरा कर लिया। इनके पिता शाह अब्दुर्रहीम जो कि दिल्ली के मदरसा–ए–रहीमिया के संस्थापक थे[8] वह कानून की संहिता (फतवा–ए–आलमगीरी) के संकलन के लिए औरंगजेब द्वारा नियुक्त समिति पर थे। शाहवली उल्ला ने अपने पिता द्वारा स्थापित मदरसे में ही शिक्षा ग्रहण की। महज 17 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहान्त हो गया। 1730ई0 में शाहवली उल्लाह हज करने गये 14 महीने तक वहाँ रहे और वहाँ पर धर्म से सम्बन्धित शिक्षा ग्रहण की तदुपरान्त 1732ई0 में वह पुनः दिल्ली लौट आये और अपने पिता द्वारा स्थापित मदरसे में ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया। धीरे–धीरे इनके विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गयी तो मदरसे में जगह कम पड़ गयी। उस समय बादशाह मोहम्मद शाह ने दिल्ली में ही एक हवेली इनकी खिदमत में पेश की शाहवली उल्लाह ने इस हवेली को भी मदरसे से जोड़ दिया।[9]

शाहवली उल्ला के पिता की मृत्यु के बाद उनके मना करने के बावजूद मदरसे के तमाम नामी मोलवियों ने दबाव बनाकर उनको ही मदरसे का प्रधान बना दिया। अध्ययन और साधना की निरन्तरता ने उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक आकाश को लगातार विस्तार दिया। अब वे दर्शन और धर्म के साथ–साथ सामाजिक और राजनीतिक विषयों का भी अध्ययन करने लगे। इसका एक असर ये हुआ कि वे अपने समय–सरोकारों के प्रति भी सचेत होते गये। उनके विचारों में समकालीनता शामिल हो गयी। उनको महसूस हुआ कि व्यक्ति की निजी उन्नति से बड़ी बात सामाजिक उन्नति है और वह पूरी तरह राजनीतिक स्थिति पर ही निर्भर करती है।[10]

शिवशंकर मेनन ने शेख अहमद सरहिन्दी से शाहवली उल्ला को हिगारते हुए बताया है कि नक्शबंदी परम्परा में कुछ लोग ऐसे थे जो अकबर की धार्मिक नीतियों और वुजूदी विचारों के

विरोध को उचित नहीं मानते थे इस तरह उसकी दो शाखाएँ बन गयी। एक वुजूदी विचारों का समर्थन करने वाली और दूसरी वहदत–उश–शुहूद स्थिति में शाहवली उल्ल स्वयं को एक समाज सुधारक एवं धार्मिक सुधारक के तौर पे पेश करते हैं[11] इन्होंने तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक पतन के कारणों की जाँच करने की कोशिश की। इनका मानना था कि मुसलमानों के पतन का मुख्य कारण इस्लामिक शिक्षाओं से विमुख होना तथा विभिन्न प्रकार की बुराइयों का मुस्लिम समाज में प्रवेश हो जाना था जैसे– फिजूल खर्ची, कुरॉन हदीस की मान्यताओं को न मानना इत्यादि।[12]

शाहवली का मानना था कि, उनकी शिक्षाओं पर मुस्लिम वर्ग अमल करते हैं तो मुसलमान पुनः उसी प्रतिष्ठा एवं पद को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं शाहवली उल्लाह को उचित रूप में भारत के मध्यकालीन और आधुनिक इस्लाम के बीच का सेतु कहा जाता है उन्होंने हिन्दुस्तान में मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति का तेजी से पतन होते हुए और साथी मुसलमानों और हिन्दुओं के जीवन और सम्पत्ति का मराठो, जाटो और सिखो के हाथों विनाश होते देखा। उन्होंने भारत में अभिजात्य मुसलमानों को पत्र लिखकर उनसे आपसी कटुता भुलाकर भारत में मुस्लिम राजनीतिक शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया।[13] उन्हें अपने समय के मुसलमान समाज के धार्मिक और नैतिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार एवं लापरवाही की प्रवृत्ति की जानकारी थी जिससे वह दुःखी रहते थे उनके समय में अभिजात्य मुसलमानों के धार्मिक और बौद्धिक वर्ग में फैली नैतिक भ्रष्टता का उनकी आत्मा पर गहरा दबाव था जिसे शायद आम मुसलमान महसूस नहीं करता था[14] सब कुछ चुपचाप घटते देखता रहता था और जिसे अपनी आत्मा को टटोलने या ऐतिहासिक तर्क उठाने में कोई रुचि नहीं थी वह छोटे–मोटे सामाजिक लाभ मे लिप्त रहने के कारण मुस्लिम समाज में पनप रही सड़ांध के लिए स्वयं उन्हीं को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें खेद था कि मुसलमानों ने ईश्वर के आदेशों और पैगम्बर मोहम्मद की शिक्षाओं को भुला दिया था इसलिए अब उन पर ईश्वर की कृपा नहीं थी[15] और इसलिए उनकी राजनीतिक सत्ता का विघटन होना अपरिहार्य था उन्हें विश्वास था कि मुसलमानों को पथभ्रष्ट करने वाली नई धार्मिक कुरीतियों (बिदअत) और नैतिक पतन से बचाने का केवल यही एक तरीका था कि उन्हें कुरॉन और हदीस (पैगम्बरी परम्पराएँ) का सच्चा अर्थ बताया जाय केवल इसे ही ध्यान में रखकर उन्होंने कुरॉन का फारसी अनुवाद किया था (1737–38ई0 में) भारत के मुसलमान बुद्धिजीवियों को ईश्वर के सन्देश का जनता की भाषा में अनुवाद पसन्द नहीं आया।[16] इसके लिए शाहवली उल्लाह पर अपशब्दों की बौछार की गई और उनके अनुवाद फतह–उल–रहमान जो आधुनिक विद्वानों की राय में एक ऐसा ग्रन्थ है जो इस्लाम के इतिहास में उन्हें निश्चित रूप से एक उच्च्य स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है को खतरनाक धार्मिक कुरीति कहकर उसकी भर्त्सना की गई। उलेमा की निन्दा की परवाह न करते हुए शाहवली उल्लाह फतह–उल–रहमान को अपने मदरसे के पाठ्यक्रम में शामिल किया और कुरॉन का अनुवाद करने में आने वाली कठिनाइयों पर एक शोध ग्रन्थ तथा तफ्सीर (कुरॉन की व्याख्या) की तकनीकि पर एक पुस्तक लिखी। उसके बाद उन्होंने कुरॉन पर दो शोध निबन्ध लिखें।[17]

हदीस की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के शाहवली उल्लाह के प्रयास उनके द्वारा कुरॉन को सामान्य, पढ़े–लिखे लोगों तक पहुँचाने के लिए किए गए प्रयासों से कम महत्वपूर्ण और कम सराहनीय नहीं थे। इन्होंने इमाम मालिक की परम्पराओं के प्रसिद्ध संकलन, अलमुअत्ता पर फारसी और अरबी दोनों भाषाओं में पाण्डित्यपूर्ण भाष्य लिखे उनके दो लोकप्रिय भाष्य चिहल हदीस और अन नवादिर मिन अल हदीस सम्भवता इन भाष्यों से भी अधिक लोकप्रिय और प्रशंसनीय थे।[18] उनके अति महत्वपूर्ण ग्रन्थ हुज्जत अल्लाह अल बालिगा को भी हदीस विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है इस पुस्तक की रचना से यह सिद्ध करना था कि एक मुसलमान का आदर्श जीवन केवल कुरॉन और हदीस की शिक्षाओं के अनुरूप ही जिया जा सकता है। क्योंकि ''शरीयत के प्रत्येक आदेश के पीछे न केवल एक विशेष प्रयोजन है बल्कि उसको तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है।'' पैगम्बरी परम्पराओं और कुरॉन के पदो से लिए गए संकेतो

और उद्धरणों से परिपूर्ण है इस पुस्तक में पैगम्बरी परम्पराओं पर मौजूद ग्रन्थों का शरीयत के अध्ययन में उनके महत्व के अनुसार चार श्रेणियों में तथ्यात्मक वर्गीकरण किया गया है।[19]

शाहवली उल्लाह जीवन भर मुसलमानों के सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहे। अपनी अन्तिम वसीयत में अपने साथी मुसलमानों का ध्यान समाज में फैली सामाजिक बुराइयों की ओर दिलाया उनका कहना था कि विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक लगाना विवाह और मृत्यु के साथ जुड़ी खर्चीली रस्मे निभाना, जिनका खर्च उठा पाने में अधिकांश मुसलमान असमर्थ थे और महर में बहुत अधिक रकम तय करना इत्यादि जैसी प्रचलित परम्परायें अरब देश में मौजूद नहीं थी यह रीति रिवाज गैर मुसलमान रीति रिवाजों से जुड़े हुए थे और इन्हें छोड़ने की जरूरत थी।[20]

सर मुहम्मद इकबाल के अनुसार शाहवली उल्लाह पहले भारतीय मुसलमान थे ''जिन्होंने स्वयं में एक नये जोश की भावना महसूस की।'' वास्तव में अपने समय के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक विवादों पर उनके खुले शान्त और सहिष्णु विचारों ने अनेक क्षेत्रों में एक नई विचारधारा को प्रेरित किया। जिसकी भारतीय इस्लाम के इतिहास में कोई बराबरी नहीं थी। अधिकांश भारतीय मुसलमानों के समान वह धर्मशास्त्र के हनफी मत के अनुयायी थे। किन्तु अन्य तीनों मतो का भी वह उतना ही सम्मान करते थे शिया सुन्नी विवाद के हल के लिए उन्होंने सन्तुलित और समझदारीपूर्ण रुख अपनाया। हालांकि उन्होंने प्रथम तीन खलीफाओं पर शियाओं के अली की श्रेष्ठता के दावे को स्वीकार नहीं किया, किन्तु उन्होंने यह कहकर अली के प्रति अपने स्नेह को दर्शाया कि ''यदि मुझे मेरी सोच और प्रवृत्ति पर छोड़ दिया जाता तो मैं अली को श्रेष्ठ कहता।'' उन्होंने शियाओं को धर्म विरोधी घोषित करने से इंकार कर दिया और मुस्लिम एकता के लिए शिया–सुन्नी मतभेदों को कम करने का कठोर प्रयास किया।[21]

इस प्रकार सूफीवाद के प्रति शाहवली उल्लाह का व्यवहार सार्वभौमिक था। हालांकि उन्होंने नक्शबन्दी सम्प्रदाय की दीक्षा प्राप्त की थी किन्तु उन्होंने अपने समय के चारो प्रमुख सूफी सम्प्रदायों से प्रेरणा प्राप्त की। वास्तव में नवदीक्षितो को अपनी शिष्य मण्डली में शामिल करते समय वह चारो मतों के प्रमुख शेखो का नाम लेते थे ताकि नवदीक्षितों को उनकी आध्यात्मिक कृपा प्राप्त हो सके। गोर परस्ती (संतो की कब्र की पूजा) के प्रति उनका दृष्टिकोण उसी प्रकार न्याय संगत था उन्होंने मृत संतों से आर्थिक मदद माँगने की प्रथा की निन्दा की किन्तु उनके मकबरे पर जाने पर रोक नहीं लगाई। उनका विश्वास था कि मदीना में पैगम्बर मुहम्मद के मकबरे पर जाने से आत्मिक शान्ति मिलती है। उन्होंने लोगो को मृत संतो से आध्यात्मिक शान्ति या सहायता माँगने से नहीं रोका। आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं भी मदद की गुहार करने अपने पिता की कब्र पर जाते थे। उन्होंने वहदतुल वजूद और वहदत–उश–शुहूद के सिद्धान्तों के बीच सामन्जस्य स्थापित करने का भी प्रयास किया। अपने शोध ग्रन्थ रिसाला–ए–वहदत अल वजूद व अल शहूद में उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों सिद्धान्त दो मार्गों को दर्शाते हैं जो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं।[22]

1763ई0 में शाहवली उल्लाह की मृत्यु हो गई[23] किन्तु उनकी मृत्यु से आशा और जीवन की वह ज्योति बुझ नहीं पाई जिसे उनके विचारों ने भारतीय मुसलमान समुदाय के क्षीण होते ढाँचे में सुलगाया था उनके पुत्र और उत्तराधिकारी शाह अब्दुल अजीज (1746–1824) ने अपने साथी मुसलमानों का नेतृत्व करना जारी रखा।[24] शाह अब्दुल अजीज की विद्वता, धर्मपरायणता और समुदाय की दैनिक समस्याओं के प्रति उनके निष्पक्ष रुख ने, उन्हें अत्यन्त महत्वपूर्ण और शक्ति एवं सच्चाई का दूत बना दिया। ज्ञान और सत्यता की खोज करने वाले देश के कोने–कोने से और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग दिल्ली में उनके मदरसे में आने लगे। एक आधुनिक विद्वान ने लिखा है कि देश में शायद ही ऐसा कोई आलिम होगा, ''जिसने अपनी आध्यात्मिक या शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शाह अब्दुल अजीज के प्रति निष्ठा न दर्शाई हो।''[25] तथापि 19वीं शताब्दी के आरम्भ में उत्तर भारत के मुसलमानों का नेतृत्व कथित रूप से शाह के समर्थन और प्रोत्साहन से बुद्धिजीवियों और सुधारकों की नई पीढ़ी के हाथों

में चला गया जिन्होंने शाह अब्दुल अजीज या उनके पिता की तुलना में अधिक आक्रामक रुख अपनाया और अधिक कठोर उपायों का सहारा लिया।[26]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चन्द्र सतीश मध्यकालीन भारत सल्तनतकाल से मुग़लकाल तक (1726–1761) जवाहर पब्लिसर्श एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली 2011, पृष्ठ 354.
2. अहमद लईक, मुग़लकालीन भारत, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2005, पृष्ठ 1–207.
3. अहमद लईक, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2009, पृष्ठ 49–153.
4. डॉ0 मुहम्मद गतरीफ शहजाद नदवी, आलमे इस्लाम के चन्द मशाकिर, रकबर बुक सर्विस, नई दिल्ली 2014, पृष्ठ 36–37.
5. वही, पृष्ठ 36–38.
6. वही, पृष्ठ 37.
7. शिशिर कर्मेन्दु, भारतीय मुसलमान इतिहास का सन्दर्भ भाग–1 भारतीय ज्ञानपीठ 2017, पृष्ठ 375.
8. वही, पृष्ठ 376.
9. वही, पृष्ठ 375–377.
10. कलाम ताबिर, रिलीजियस ट्रेडिशन एण्ड कल्चर इन एट्टीन्थ सेंचुरी नार्थ इंडिया, प्राइमस बुक, दिल्ली, पृष्ठ 31, 32.
11. पूर्वोक्त, भारतीय मुसलमान इतिहास का सन्दर्भ भाग–1, पृष्ठ 376.
12. वही, पृष्ठ 376.
13. फारूकी, एन0आर0 सूफीवाद कुछ महत्वपूर्ण लेख ओरियंट ब्लैकस्वान, हैदराबाद, पृष्ठ 149.
14. वही, पृष्ठ 149.
15. वही, पृष्ठ 149, 150.
16. पूर्वोक्त, रिलीजियस ट्रेडिशन एण्ड कल्चर इन एट्टीन्थ सेंचुरी, नार्थ इंडिया, पृष्ठ 23–26.
17. वही, पृष्ठ 23–28.
18. वही, पृष्ठ 28.
19. पूर्वोक्त, सूफीवाद कुछ महत्वपूर्ण लेख, पृष्ठ 150.
20. सैय्यद अहमद खान आसारस्सन्स नाहिद एन0डी0 भाग–4 असलम सिद्दीकी द्वारा उद्धृत : सैय्यद अहमद शाहिद इस्लामिक कल्चर खण्ड 29, 1945, पृष्ठ 2, 125.
21. पूर्वोक्त, सूफीवाद कुछ महत्वपूर्ण लेख पृष्ठ 150, 151.
22. वही, पृष्ठ 151.
23. वही, पृष्ठ 151.
24. वही, पृष्ठ 152.
25. पूर्वोक्त, भारतीय मुसलमान इतिहास का सन्दर्भ भाग–1, पृष्ठ 381, 385.
26- वही, पृष्ठ 381–386.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

शिक्षा के अधिकारः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

सुषमा रानी
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, एन.एम.एस.एन.दास पी.जी.कॉलेज, वदायूँ, उ.प्र.
धर्म वीर सिंह
प्राचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, रामपुर, उ.प्र.

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 186-200

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोधसारांश – प्राचीन काल से आज तक विभिन्न माध्यमों से भारत में शिक्षा व्यवस्था को विकसित किए जाने का प्रयास अनवरत जारी रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी, निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था में मुस्लिम धर्म का बाहुल्य था। मुगल काल के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव पड़ी। धीरे–धीरे शिक्षा जातिवाद के भेदभाव से हटकर सभी के लिए सुलभ हो गई। इस पेपर में हम प्राचीन काल से अब तक शिक्षा में हुए परिवर्तनों का एक अध्ययन करेंगे।

विशिष्ट शब्दः प्राचीन शिक्षा पद्यति, मुगल शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, शिक्षा आयोग आदि।

प्राचीन भारत में शिक्षा. प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली को मानवता के ज्ञान, विश्वासों और कर्मकांडों का आधार माना जाता था। ऋग्वेद काल के दौरान, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी विकास दोनों पर विकसित और केंद्रित थी। सीखने और संज्ञानात्मक विकास शैक्षिक प्रणाली पर केंद्रित थे। प्राचीन भारत में, शिक्षा प्रणाली औपचारिक और अनौपचारिक दोनों थी। घर पर स्वदेशी स्कूली शिक्षा प्रदान की गई है। शिक्षा के आवासीय केंद्र गुरुकुल थे, जिन्हें अक्सर आश्रम के रूप में संदर्भित किया जाता है। वैदिक महिलाओं की भी शिक्षा तक पहुंच थी। इस अवधि में ज्ञान को पवित्रा माना जाता था और कोई दंड नहीं लगाया जाता था।

वैदिक युग से भारतीय शिक्षा की मुख्य अवधारणा यह थी कि यह हमें प्रकाश के स्रोत के रूप में जीवन के विभिन्न पहलुओं में एक उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करती है। भारत शुरू से ही सीखने और शिक्षा में समृद्ध है, लेकिन भारत में शिक्षा सामाजिक समावेश की कमी के लिए प्रसिद्ध थी। इसे मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी तक जाति या वर्ग व्यवस्था के शीर्ष छोर पर लोगों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार माना जाता था। इतिहास जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव के उदाहरणों से भरपूर है। पुरोहित जातियों (ब्राह्मणों) ने स्कूली शिक्षा का सर्वोच्च लाभ, मुख्यतः शैक्षिक सामग्री के धार्मिक आधार के कारण, सीखने के

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अभिजात्य तरीके के साथ संयुक्त, जो ज्ञान प्रदान करने के समान था। गुरुकुल या आश्रम सभी के लिए खुले नहीं थे। निचली जातियों के व्यक्तियों को, विशिष्ट 'शूद्रों' को, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी।

वैदिक युग के बाद, शक्तिशाली राजाओं के साथ विशाल राज्य बनाए गए, जिन्हें विकसित होने के लिए अपने समुदायों के उन्नत जीवन की आवश्यकता थी। उन्होंने प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के लिए समृद्ध उपहार और भूमि की पेशकश करके माध्यमिक शिक्षा का अधिकार बनाने में बहुत रुचि ली और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन राजाओं ने भारत की शिक्षा प्रणाली को परिभाषित करने और पुनर्निर्माण के लिए नीतियों को अपनाया। नालंदा और तक्षशिला प्राचीन भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में अपनी छात्रावृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे।

आठवीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म उलट गए, स्कूली शिक्षा को पारम्परिक वैदिक संस्कृति की सर्वोच्चता की सीमाओं से परे ले आए। बाद में, प्रमुख शहरों में जहां उन्होंने अपना संरक्षण प्राप्त किया, कई शिक्षित ब्राह्मणों ने पाठशाला (स्कूल) शुरू की। 400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, दुनिया की व्याख्या में लोकप्रियता हासिल करने के लिए बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच एक लंबी लड़ाई रही है। जबकि बौद्ध धर्म अधिक मानव–केंद्रित था, ब्राह्मणवाद संरचनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। बौद्ध स्कूली शिक्षा काफी हद तक अलग थी जो ब्राह्मण वैदिक अध्ययन और शिक्षकों पर केंद्रित नहीं थे। बौद्ध धर्म की शैक्षिक पहल अधिक प्रगतिशील और गुणवत्ता आधारित थी, जिसने सभी जातियों के अनुभव के दरवाजे खोल दिए।

प्राचीन भारत में एक गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा की देहाती प्रणाली कुलीनों की स्कूली शिक्षा का एक पसंदीदा रूप था। इन निर्देशों की समझ अक्सर समाज के एक निश्चित वर्ग द्वारा किए गए कार्यों से जुड़ी होती थी। एक पुजारी वर्ग (ब्राह्मण), जो धार्मिक ज्ञान, विचारधारा और अन्य सहायक वर्गों को प्रसारित करता था, युद्ध के विभिन्न पहलुओं, लड़ाकू वर्ग (क्षत्रियों) में शिक्षित था। व्यापारी वर्ग (वैश्य) को अपना पेशा और सबसे छोटा वर्ग सिखाया जाता था (शूद्रों) को सामान्यतः शैक्षिक लाभों से वंचित रखा जाता था। इस अवधि के महत्वपूर्ण नाटकों में से एक नियम की पुस्तक, मनुस्मृति और राज्य कला, अर्थशास्त्रा का मोनोग्राफ था, जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता था।

मठों के आदेशों को छोड़कर, उच्च शिक्षा संगठन और कॉलेज भारत में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से पहले मौजूद थे और सामान्य समय में शिक्षित करने के लिए आगे बढ़े। मठों के अलावा, औपचारिक बौद्ध संरचनाओं का उदय हुआ। उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा दी, उदाहरण के लिए चिकित्सा शिक्षा। 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा के बीच, कई शहरी शिक्षा केंद्र अधिक स्पष्ट हो गए हैं। तक्षशिला और नालंदा अध्ययन के प्रमुख शहरी केंद्रों में से थे। इस तरह के प्रतिष्ठानों ने तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, तत्वमीमांसा, कला और शिल्प के अनुसंधान में व्यवस्थित रूप से समझ का संचार किया। वे कई अंतरराष्ट्रीय छात्राों के लिए आकर्षण थे।

मध्यकालीन भारत में शिक्षा

भारतीय मध्ययुगीन काल में, शिक्षा प्रणाली की स्थापना 10वीं शताब्दी ई. में हुई थी। उस काल में प्रचलित पद्धति मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी। मुगल काल के दौरान, सरकार ने शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने के लिए बड़े प्रयास नहीं किए, लेकिन भारत में इस्लामी शिक्षा के विस्तार का प्रयास किया, और इस प्रकार शिक्षा का कार्य 'उलेमा' नामक साक्षर धर्मशास्त्रियों को सौंप दिया गया।

भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति और धर्म के प्रति लगाव पैदा करना, व्यक्ति को इस्लामी जीवन जीने की अनुमति देना, छात्राों को अगली दुनिया के लिए तैयार करना, छात्राों को उनके व्यवसाय के लिए तैयार करना, उन्हें प्रबंधन के लिए तैयार करना, लोगों को शीर्ष पदों के लिए तैयार करना और विशेष रूप से इस्लामी कानून को समझने के लिए तैयार करना था। जबकि उस समय के शीर्श नेताओं ने ज्ञान, शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने में मदद की, लेकिन पूरी शिक्षा प्रणाली धार्मिक आदर्शों से भर गई, जिन्होंने लक्ष्य, शोध की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के दैनिक जीवन को भी आकार दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रा धार्मिक रूप से जिम्मेदार हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षा मंदिरों से जुड़े संस्थानों या मस्जिदों से अलग ''मकतबों'' द्वारा प्रदान की जाती थी। कुछ स्थानों पर दोनों शहीदों के खानकाहों ने शैक्षिक केंद्रों के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया। अधिकतर पढ़े–लिखे लोगों ने अपने घरों में ही छात्राों को पढ़ाया है। ''मकतब'' पढ़ाए गए ''मौलवी'' की देखरेख में चलाए जाते थे। मदरसों में मध्य और उच्च विद्यालयों की शिक्षा दी जाती थी। मस्जिदों को अक्सर इन मदरसों से जोड़ा जाता था। यद्यपि स्कूली शिक्षा ज्यादातर विश्वास पर केंद्रित थी, अन्य शैक्षणिक प्रथाओं जैसे बीजगणित, भौतिकी, व्याकरण, इतिहास और समाज का अध्ययन किया गया था। कविता और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रावधान भी तैयार किए गए थे।

''मकतब'' और ''मदरसा'' पहले मुसलमानों तक ही सीमित थे, बाद में हिंदू ''मकतब'' और ''मदरसा'' के विद्यार्थियों को भी स्वीकार किया गया। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे की शब्दावली का अध्ययन करने लगे। मुसलमानों के हिंदुओं के साथ विलय के परिणामस्वरूप उर्दू नामक एक नई भाषा का उदय हुआ। उत्तरी भारत में यह चर्चा की एक आम भाषा बन गई थी।

इसलिए प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा को पूजा के साथ जोड़ दिया गया था। पूर्व–ब्रिटिश भारत में, हिंदू और मुस्लिम दोनों शिक्षण संस्थानों को अन्य मुद्दों की तुलना में धार्मिक विश्वास पर अधिक ध्यान दिया जाता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म था। शिक्षा को मुफ्त बनाने और विभिन्न वर्गों के लोगों को शामिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। विशेष रूप से, कई समूहों ने कई शताब्दियों तक शिक्षा पर एकाधिकार किया है। ''जाति'' और ''लिंग'' ने स्कूली शिक्षा तक पहुंच और उपयोग दोनों को निर्धारित किया है।

ब्रिटिश भारत में शिक्षा

1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप की स्कूली शिक्षा की दिशा को आकार दिया। हालांकि कई शिक्षाविदों ने नई साक्षरता को लागू करने की यूके की रणनीति की सराहना की। पूरे भारत में एक शैक्षिक नीति की स्थापना में पश्चिमी शिक्षा के कार्यान्वयन एक महान ऐतिहासिक महत्व था। वास्तव में, पश्चिमी शिक्षा के विकास से पहले रोजगार के संसाधन समुदाय के बहुत छोटे अनुपात तक सीमित थे। जो लोग सामाजिक संरचना से बाहर थे वे जातियाँ और समूह के पास शिक्षा की कमी और रोजगार की कमी थी। मिशनरियों ने ब्रिटेन में स्कूली शिक्षा के क्षेत्रा में अभूतपूर्व कार्य किया।

उन्होंने शिक्षा का प्रचार करने की कोशिश की लेकिन उनकी शिक्षा अक्सर भारतीयों के बीच ईसाई धर्म फैलाने की इच्छा से प्रेरित थी। मिशनरियों के निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम ब्रिटेन और भारत दोनों के प्रशासनों को कानून के तहत व्यक्तियों को निर्देश देने के लिए कुछ भी करने की अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित करना था।

ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ प्रशिक्षण में परिवर्तन का अनुभव हुआ। जैसा कि यह 1854 से 1947 तक विकसित हुआ, इस पद्धति को अनिवार्य रूप से चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ''1854–1902, 1902–21,1921–37, 1937–47।''

1) प्राथमिक शिक्षा

1854–1902 की अवधि में स्कूली शिक्षा में उन्नति धीमी थी। इसके आम तौर पर तीन कारक होते हैं: स्कूली शिक्षा का गैर–प्रारंभ, स्थानीय अधिकारियों को प्रारंभिक शिक्षा का स्थानांतरण, और आदिवासी शिक्षा की कमी। फिर भी इस युग को कुछ प्राथमिक विद्यालयों में संरचनात्मक सुधारों, लड़कियों और नीचे तबके के विद्यार्थियों के नामांकन, मुद्रित पुस्तकों के उपयोग, उन्नत शिक्षा और सीखने के तरीकों, और शिक्षक शिक्षा और योग्यता के विकास द्वारा चिह्नित किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा में विस्तार की लॉर्ड कर्जन रणनीति के परिणामस्वरूप 1905 और 1912 के बीच स्कूली शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1906 में गायकवाड़ बड़ौदा ने अपने राज्य में अनिवार्य रूप से सीखने/शिक्षा की शुरूआत की। जिसने भारत में देशभक्ति की भावना को राज्य से अनिवार्य शिक्षा के लिए उकसाया। 1910 और 1913 के आसपास, गोपालकृष्ण गोखले ने राज्य के लिए स्कूली शिक्षा के विचार को प्रमुख बनाया। 17 मार्च 1912 को, मार्च 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किए गए बिल ''गोखले'' पर बहस हुई, लेकिन 13 के मुकाबले 38 मतों से हार गए। 1905 और 1912 के आसपास स्कूली शिक्षा के परिणामस्वरूप बुनियादी शिक्षा के अवसरों में वृद्धि के लिए लॉर्ड कर्जन योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गायकवार बड़ौदा ने 1906 में अपने साम्राज्य में अनिवार्य स्कूली शिक्षा शुरू की। इसने भारत में राष्ट्रीय भावना को अनिवार्य राज्य शिक्षा के लिए उकसाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 और 1913 के बीच सार्वजनिक शिक्षा के विचार को प्रमुखता से उठाया। 17 मार्च 1912 को, गोखले बिल पर चर्चा हुई और 38 मतों से 13 को खारिज कर दिया गया, जिसे मार्च 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया था।

अधिकांश ब्रिटिश भारत प्रांतों में, अनिवार्य बुनियादी शिक्षा कानून पारित किए गए। ये कानून स्थानीय सरकारों और प्रांतीय के महान अधिकार को सरकार को हस्तांतरित करते हैं और प्राथमिक शिक्षा को विनियमित करते हैं, स्थानीय स्व–प्रशासन संस्थानों के कानून को उदार बनाते हैं और उन्हें अतिरिक्त कर शक्तियां प्रदान करते हैं। 1922–27 में स्कूली शिक्षा काफी तेजी से बढ़ी। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पहले से गिर गई, 1929 में, हार्टोग कमेटी ने इस कमी को दमर करने की रणनीति का प्रस्ताव रखा। 1927 और 1937 के आसपास की अवधि में, वैश्विक मंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक परेशानियों के बाद की यह नीति अपेक्षाकृत कम प्रगति के लिए जवाबदेह थी। उस समय, बुनियादी शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार या वृद्धि नहीं हुई थी।

जब सात प्रांतों के संसदीय मंत्रियों ने पद ग्रहण किया तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया गया। कई जगह ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा कल्पना की गई बुनियादी शिक्षा प्रणाली इस युग का युगांतरकारी विकास थी। भारत में शिक्षा के युद्ध के बाद की प्रगति को शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार समिति द्वारा बुनियादी शिक्षा के लिए कई तरह के सुधारों के साथ पेश किया गया था, जिसे आमतौर पर सार्जेंट नीति (1944) के रूप में जाना जाता है।

2) माध्यमिक शिक्षा

1855–56 में सार्वजनिक नीति प्रभागों के गठन ने 1854 में शुरूआत के परिणामस्वरूप माध्यमिक विद्यालयों की तेजी से बढ़त को चिह्नित किया। 1854 के डिस्पैच ने सहायता कार्यक्रम पर जोर दिया जिसने भारतीयों को हाई स्कूल स्थापित करने की अनुमति दी। अंग्रेजी शिक्षा वरीयता में जल्द ही सुधार हुआ। ''भारतीय शिक्षा आयोग (1882)'' ने प्रस्तावित किया कि हाई स्कूल, जहां उपयुक्त हो, एक सहायता प्राप्त ढांचे पर दिया जाए और यह भी कि राज्य हाई स्कूल के स्थानीय प्रबंधन को जल्द से जल्द समाप्त कर दे। 1882 और 1902 के आसपास के बीस वर्षों में छात्रों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई।

1902 से 1921 तक के युग में निजी भारतीय कंपनियों के माध्यम से उच्च शिक्षा का असाधारण विस्तार देखा गया। इस विस्तार ने इस क्षेत्रा में सामाजिक–राजनीतिक क्रांति को भी जन्म दिया। 1921–22 के दौरान, उच्च विद्यालयों की संख्या 5,124 के सापेक्ष बढ़कर 7,530 हो गई और 5,90,129 के सापेक्ष 11,06,803 छात्रा हो गए। व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के प्रयास अक्सर विवादास्पद थे। हाई स्कूल स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग भाषा के रूप में किया जाता था।

1921–22 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 7,530 से बढ़कर 13,056 हो गई, जो 1921–37 में 1,06,803 हो गई थी। बड़े पैमाने पर मार्गदर्शन के साधन के रूप में आधुनिक भारतीय संस्कृतियों को अपनाया गया। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन और सेवा की शर्तों ने ध्यान आकर्षित किया। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का मुद्दा बहुत आवश्यक और जटिल हो गया।

जैसा कि हमने पहले 1937–1947 के वर्षों में देखा, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार नहीं किया गया था। मातृभाषा में पढाई माध्यमिक विद्यालय की मीडिया बन गई। व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रगति सुस्त रही है। छात्रों के साथ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि हुई थी।

3) विश्वविद्यालय शिक्षा

1857 में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना शिक्षा अधिनियमों में की गई थी। 1860 में, भारतीय विश्वविद्यालयों का अधिनियम (डिग्री) विश्वविद्यालयों को भारतीय विश्वविद्यालयों के नियमों या कानूनों द्वारा अधिकृत योग्यता या डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। 1884 के अधिनियम ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के तीन विश्वविद्यालयों को से मानद उपाधि प्रदान करने की अनुमति दी। एल.एल.डी. पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की स्थापना 1882 और 1887 में हुई थी। भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा में बहुत कम सुधार हुआ। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902) को ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की नई संरचना और कार्यप्रणाली को देखने और अनुमोदित करने के लिए नामित किया। आयोग ने 1898 के अधिनियम द्वारा संशोधित लंदन विश्वविद्यालय मॉडल को स्वीकार किया। ''1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम'' में उन कॉलेजों में बड़े बदलाव शामिल थे जो विशेष रूप से भारतीयों की तरह नहीं थे।

21 फरवरी 1913 के सरकारी शैक्षणिक नीति समझौता ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्रा में एक कॉलेज होगा। वास्तव में, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917–1919) ने संघ सामान्य शिक्षा के साथ–साथ कलकत्ता उच्च समिति (1917–1919) के संबंध में बहुत दूरगामी सुझाव दिए। स्कूलों की संख्या 1916 में पांच से बढ़कर 1921–22 में बारह हो गई। विश्वविद्यालयों को सरकारी फंडिंग से कंपाउंड किया जाता है। 1901–02 और 1921–22, के बीच 20 वर्षों में भारतीय महाविद्यालयों में कला और विज्ञान पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई।यह संख्या वृद्धि देश के निर्माण और कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए लगभग पूरी तरह से अनुपयोगी थी।

1924 में शिमला भारतीय विश्वविद्यालयों में पहली अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ, 1925 में भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग के लिए इंटर–यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1822 से 1936–1937 तक, एजेंसियों और संबद्ध कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई, और छात्रों की संख्या 66,258 छात्रों के मुकाबले 1,26,228 तक बढ़ गई थी।

1937–1947 में कई नए विश्वविद्यालय खोले गए। चार नए संस्थानों की स्थापना की गई और समय के दौरान लाइसेंस प्राप्त और चलाने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा का महान विस्तार मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हुआ था। चूंकि चिकित्सा, तकनीकी, कृषि या व्यवसाय में योग्य कर्मचारियों की आवाजाही और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे और देश उच्च शिक्षा के तीव्र विकास का अधिकतम उपयोग नहीं कर सका था।

4) तकनीकी शिक्षा

सामान्य रूप से शिक्षा के विस्तार को तकनीकी शिक्षा के रूप में देखा गया। 1886 में भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा पर ज्ञापन में, सभी स्कूली शिक्षा और सभी शिक्षा उद्योग में चित्राकला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसे आम तौर पर सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने और अवलोकन और सोच के संकाय को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यूरोप से शिक्षकों को लाया गया, जिन्होंने मिलों और गोदामों में निरक्षर भारतीय कामगारों की निगरानी की और उन्हें सहायता प्रदान की, भारत में उत्तर–औद्योगिक या यांत्रिक योग्यता में शिक्षा के लिए सही परिस्थितियों के अभाव को पूरा किया। हालाँकि, 1856 और 1858 के बीच, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य सरकारी एजेंसियों की जरूरतों के परिणामस्वरूप रुड़की, पुणे, मद्रास और कलकत्ता में चार इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए थे। 1887 में, बड़े पैमाने पर निजी हितों द्वारा बॉम्बे में तकनीकी संस्थान, विक्टोरिया जुबली की स्थापना की गई थी। 1904 में, 123 औद्योगिक स्कूलों ने देश में 8,405 विद्यार्थियों को 48 ट्रेड पढ़ाए।

भारत सरकार के शैक्षिक नीति संकल्प के माध्यम से राज्य में 104 चुने हुए छात्रों को एक बर्सरी के रूप में मदद करेगा ताकि वे यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने तकनीकी प्रशिक्षण की बढावा दे सकें। 1905 से 1917 के बीच, विदेशी तकनीकी शिक्षा के लिए आवेदकों ने 150 पाउंड के प्रत्येक वर्ष के 113 अनुदान अर्जित किए। विदेशों में जाने की आवश्यकता से बचने के लिए भारतीयों के बीच भारत में तकनीकी प्रतिष्ठानों के विकास की मांग बढ़ गई थी। जैसे कई शैक्षणिक संस्थान इंडियन माइनिंग कॉलेज, धनबाद, हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर और बॉम्बे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी वस्तुओं का विकास कर रहे थे। लेकिन यह भारत की जरूरतों से कम था। बड़ी संख्या में भारतीय विदेश जाते रहे। 1944 में सार्जेंट की रिपोर्ट ने सभी चरणों में तकनीकी प्रशिक्षण की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना बहुत जरूरी समझा। भारत में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का निर्माण भारतीय तकनीकी शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था।

5) महिला शिक्षा

1854 के शिपमेंट के साथ राज्य ने वित्तीय सहायता और यहां तक कि राजनीतिक कार्रवाई का वादा किया। 1857 की अव्यवस्था और धार्मिक और सामाजिक संप्रभुता की रणनीति के बयान ने वास्तविक प्रयास को दुखद रूप से कम कर दिया। परिषदों की स्थापना और स्कूली शिक्षा के लिए सामान्य कोष ने 1870 और 1882 में लड़कियों के लिए एक असाधारण प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने में मदद की। महान अंग्रेजी

समाज सुधारक मिस मैरी कारपेंटर के लिए भारत की चार यात्राााएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। उसने सोचा कि महिला शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करना महत्वपूर्ण है। देश के सर्वोच्च अधिकारी तक सीधी पहुंच ने उनके प्रस्ताव और 1870 तक महिलाओं के लिए पहले प्राथमिक शिक्षक कोचिंग स्कूलों को तुरंत लागू करने की अनुमति दी। 1882 तक, 2,600 प्राथमिक विद्यालय, 81 स्कुल, 15 प्रशिक्षण केंद्र, और महिलाओं और लड़कियों के लिए एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1883 में विश्वविद्यालय कलकत्ता से स्नातक होने वाली पहली लड़कियां थीं, जिन्होंने अपनी कमाई अर्जित की।

महिला शिक्षा पर भारतीय शिक्षा समिति के (1882–83) प्रस्तावों में सार्वजनिक प्रायोजित बालिका महाविद्यालयों का वित्त पोषण, उदार ऋण का आवंटन, मुफ्त नावों और बांडों का वितरण, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा की उन्नति, आदि दुर्भाग्य से, आयोग के निष्कर्षों के बाद वित्तीय सख्ती के कारण, सरकार इस कारण पर्याप्त सब्सिडी वितरित नहीं कर सकी, इसलिए महिला शिक्षा की उन्नति ज्यादातर निजी उद्यमों पर निर्भर थी। 1901 और 1902 के आसपास, 12 महिला महाविद्यालयों में से 11 आवासीय, 422 प्राथमिक विद्यालयों में 356, 5,305 प्राथमिक विद्यालयों के 3,982 और 45 में से 32 महिला प्रशिक्षण केंद्र थे। उस समय महिला चिकित्सा में एक पेशे का उदय एक महत्वपूर्ण विकास था। 1901–02 में छिहत्तर महिलाएं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में थीं और 66 महिलाएं मेडिकल स्कूलों में थीं। लेडी डफरिन फाउंडेशन की स्थापना महिलाओं के चिकित्सा प्रशिक्षण में सुधार के लिए की गई है।

जनहित में एक बड़े पुनरुत्थान और प्रथम विश्व युद्ध के कारण, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के निर्माण और 1921 में शिक्षा के भारतीय अधिकार क्षेत्रा में संक्रमण के बीच के समय के दौरान अधिक विकास हुआ था। 1921 और 1922 के आसपास महिला विद्यालयों की संख्या 19 थी, पुरुष उच्च विद्यालयों की संख्या 675 थी और लड़कियों की संख्या 21,956 थी। शादी की उम्र में पर्याप्त वृद्धि इस समय में एक प्रमुख विकास था। इसने अनिवार्य रूप से लड़कियों को पढ़ने और कॉलेजों और स्कूलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षित महिलाओं की इच्छा से महिलाओं की शिक्षा को और बढ़ावा मिला। ैण्छण्क्ण्ज्ए भारतीय महिला विश्वविद्यालय महर्षि डी.के. कर्वे 1916 तक, की स्थापना उस समय की एक और महत्वपूर्ण घटना थी। 1921–1922 में 197 महिलाओं ने चिकित्सा और 334 ने स्वास्थ्य विद्यालयों में, 67 शिक्षण महाविद्यालयों में और 3,903 शिक्षण विद्यालयों में महिलाओं ने भाग लिया। ज्यादातर महिलाओं ने कॉर्पोरेट और पेशेवर पेशा अपना लिया था।

विवाह की उम्र में आगे विकास, महात्मा गांधी की शिक्षाएं, भारतीय नारीत्व का अभूतपूर्व उदय और 1937 में क्षेत्रीय स्वायत्तता का आगमन इस युग के दौरान महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में लाभकारी प्रभाव थे। यह निश्चित रूप से राजनीतिक और वित्तीय कठोरता का दौर रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1946–57 में कला और विज्ञान के 59 महिला कॉलेज, 2,370 महिला माध्यमिक विद्यालय, 21,479 बालिका प्राथमिक विद्यालय और महिलाओं के लिए 4,288 व्यावसायिक, तकनीकी और विशेष शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित किए गए। राष्ट्रीय सरकारों और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा प्रकट किए गए बड़े कार्यक्रम ने 28,196 महिला संस्थाओं में से 16,979 महिला संगठनों की सेवा करने वाले निजी प्रयासों की जिम्मेदारी को काफी कम कर दिया। इस युग ने सह–शिक्षा परिघटना में सुधार को भी दर्शाया। 1947 में, सहशिक्षा स्कूलों में महिलाओं की संख्या आधे से थोड़ा अधिक पाई गई।

6) व्यस्क साक्षरता

वयस्क साक्षरता के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं अपनाए गए थे। मुख्य रूप से कामकाजी व्यस्कों/वालकों के अंशकालिक प्रशिक्षण के लिए और जो भी लोग भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए केवल कुछ ही प्राथमिक विद्यालय रात में चलाए जाते थे। भारतीय शिक्षा समिति (1882–83) की सिफारिश के बावजूद, जहां भी संभव हो, रात्रि अकादमियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम किया गया है। 1902 और 1917 के बीच रात की कक्षाओं की संख्या में काफी कमी आई। 1917 और 1922 के बीच वयस्क शिक्षा का मुद्दा सार्वजनिक चिंता का विषय बन गया क्योंकि मताधिकार पर बहस और भारत सरकार अधिनियम, 1919 को अपनाया गया, जिसने इसमें रुचि जगाई।

1921 में स्कूली शिक्षा को भारतीय मंत्रियों में स्थानांतरित करने के बाद, इसमें काफी उन्नति हुई। 1927 में 11,158 पुरुष और 47 महिला संगठन अस्तित्व में थे। दुख की बात है कि 1927 के बाद से आर्थिक मंदी ने इस मुद्दे पर चिंता कम कर दी थी। 1937 में केवल 2,016 पुरुष और 11 महिला नाइट–स्कूल थे, जो इतने कम हो गए। 1921–37 का काल फिर भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह एक ऐसा युग था जिसमें वयस्क शिक्षा के भविष्य के विकास के लिए उपयोगी कार्य किया गया था, जहाँ शिक्षार्थियों और स्थानीय संस्थानों ने प्रस्ताव को व्यापक बनाने के लिए प्रदाता के सार को तैनात किया था और जहाँ सहकारी समितियां सक्रिय रूप से काम में शामिल थीं।

1937 में, जब कांग्रेस के मंत्रालयों ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने वयस्कों में निरक्षरता को मिटाने के लिए बड़े शिविरों की स्थापना की। (1) एक अनपढ़ व्यक्ति को रुपये से परिचित कराना और (2) उन्हें ऐसी जानकारी देना जो उनके काम के जीवन से निकटता से जुड़ी हो, और उन्हें राष्ट्रीयता का आधार प्रदान करना। साक्षरता को अपर्याप्त रूप से देखा गया, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को स्कूली शिक्षा के व्यापक पहलुओं के बिना अधिक व्यापक और बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार नहीं कर सकती थी। राज्यों और प्रांतों में इस कार्य को बड़े उत्साह के साथ किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से, 1940 के दौरान विधायी मंत्रियों के त्याग के साथ, इसमें भी कमी आई। 1946 में प्रधान मंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद इसको फिर से शुरू किया गया था, और आगामी अवधि में इस मुद्दे पर काफी प्रगति हुई थी।

जब ब्रिटिश राज भारत में बस गया, तो एक शिक्षित समुदाय अंग्रेजी द्वारा विकसित पश्चिमी शिक्षा प्रणाली में पारंगत हो गया। औपनिवेशिक युग के दौरान कई प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा सुविधाओं के विकास से भारत में कार्यक्रम में जल्द ही सुधार हुआ। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की ब्रिटिश जनसंख्या 1867 में लगभग 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1941 में लगभग 3.5 प्रतिशत हो गई। फिर भी, यह जर्मनी की तुलना में बहुत कम थी, जहां 8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत जनसंख्या में बृद्धि हुई। इसके अलावा, 1901 में, साक्षरता में सुधार हुआ और भारत में यह दर केवल लगभग 5 प्रतिशत थी, हालाँकि स्वतंत्राता के समय यह लगभग 20 प्रतिशत थी।

1920 के दशक के अंत तक, भारत में वयस्क शिक्षा के क्षेत्रा में बहुत कम विकास हुआ था। भारत में रात्रिकालीन विद्यालयों और कृषि पुस्तकालयों में, बड़ौदा, त्रावणकोर और मैसूर की राजकुमारी के विद्वान प्रतिनिधियों ने 19वीं शताब्दी में या उसके आसपास वित्तीय सहायता का विस्तार करना शुरू किया। स्वतंत्राता संग्राम का नेतृत्व करने वाले सदस्यों ने बाद में जन शिक्षा के मुद्दे से संघर्ष किया, जिसे मुक्ति के एजेंडे का एक अनिवार्य हिस्सा भी माना जाता था। 1937 के लिए कुछ क्षेत्रों में, कांग्रेस सरकारों के सत्ता में आने के बाद, नई सरकार ने वयस्क साक्षरता और स्कूली शिक्षा प्रदान की। भारत में, 1947 में

स्वतंत्राता के बाद ही वयस्क शिक्षा एक घरेलू क्षेत्रा बन गई और इसके लिए आपसी समर्थन, व्यापक परिवर्तन और सार्थक परिवर्तन की आवश्यकता थी।

भारत में, साक्षरता 1947 तक काफी धीरे–धीरे विकसित हुई है। ब्रिटेन के दौर में शिक्षा में प्रगति काफी देर से हुई है। लगभग ''1881–82 और 1946–47 तक 82,916 से 134,866 प्राथमिक विद्यालयों में और 2,061,541 से 10,525,943 तक, छात्राों में वृद्धि हुई।'' ब्रिटिश भारत में, ''साक्षरता दर 1881 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 1931 में 7.2 प्रतिशत और 1947 में 12.2 प्रतिशत हो गई। 1944 में, ब्रिटिश भारत सरकार ने भारत में साक्षरता 40 वर्षों की अवधि के भीतर, यानी 1984 तक 100 प्रतिशत प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ भारत के सार्जेंट पुनर्निर्माण के लिए एक रणनीति का प्रस्ताव रखा। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश राज के दौरान, भारत के लोगों को हमारे महान समाज सुधारकों द्वारा प्रबुद्ध किया गया था, जिनमें ''महर्षि दयान और सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिराव फुले, , बालगंगाधर तिलक और कई अन्य'' शामिल थे।

शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल

1) 1698 का चार्टर

इसने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि यह धर्म के अंग्रेजी पुजारियों का दायित्व था कि वे सुसमाचार के प्रसार के अपने आवश्यक दायित्व के साथ निर्देश दें। फिर भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह समझ में आ गया था कि धार्मिक तटस्थता की रणनीति की राजनीतिक केंद्रीयता के फलस्वरूप 1698 के अनुबंध के असर को ध्यान में रखना बंद हो जाता है, इसके बावजूद, संगठन ने उदार पुरस्कारों के साथ स्कूलों का निर्माण करके शिक्षाप्रद कार्रवाई को सक्रिय किया। इस तरह 1715 में मद्रास में सेंट मैरी स्कूल की स्थापना की गई और उसके बाद 1717 में डेनिश मिशनरियों द्वारा दो ग्रेटर कॉस स्कूलों की स्थापना की गई। 1718 में बंबई में एक फाउंडेशन स्कूल और 1731 में कलकत्ता में दूसरा स्कूल खोला गया। 1787 में मद्रास में स्वतंत्रा रूप से युवकों और युवतियों के लिए दो कारण स्कूल बनाए गए थे, फिर भी उनका शैक्षिक कार्यक्रम आम तौर पर 3त (पढ़ना, लिखना और अंकगणित) और ईसाई शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित था। 1781 में सर ''वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल'' ने अरबी और फारसी जांच के विकास के लिए कलकत्ता, मद्रास का निर्माण किया और इसके अलावा संस्कृत में पारंपरिक परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इन नींवों को स्थापित करने की अचूक विचार प्रक्रियाओं में से एक भारतीय सहायकों को अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए तैयार करना था, ताकि हिंदू और मुस्लिम कानूनों के मानकों को स्पष्ट किया जा सके।

ईसाई मिशनरियों ने अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय जनता को प्रशिक्षण देना शुरू किया, फिर भी उन्हें ''1813 के चार्टर अधिनियम'' के प्रवेश के बाद ही भारत में व्याख्यान और निर्देश देने की अनुमति दी गई, जिसने वास्तव में ईसाई मिशनरियों को अनुमति देने के लिए ''ईस्ट इंडिया कंपनी'' को समर्पित किया। संगठन पहले तो उन भारतीयों द्वारा स्थापित विरोध के कारण इंजीलवादियों को उनके शिक्षाप्रद अभ्यासों को जारी रखने की अनुमति देने में संकोच कर रहा था, जिन्हें धर्मांतरण की चिंता थी। इसके बाद, इंग्लैंड में प्रचारकों और उनके समर्थकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मिशनरी विरोधी दृष्टिकोणों से लड़ने के अंतिम लक्ष्य के साथ एक सेंक शुरू किया। यह काफी समय में पहली बार चलाया गया था कि राष्ट्र में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के समन्वय के लिए एक उचित शिक्षा रणनीति स्थापित की गई थी।

2) 1813 का चार्टर अधिनियम

चूंकि अधिनियम के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया गया था, फिर भी भारतीयों के प्रशिक्षण की प्रगति के साथ पहचान करने वाले प्रावधान ने क्लासिकिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच निष्कर्षों के भेद को प्रेरित किया। जबकि क्लासिकिस्ट संस्कृत, फारसी और अरबी के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित थे, एंग्लिसिस्टों की आवश्यकता थी कि अंग्रेजी प्रशिक्षण दिया जाए। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस विवाद में शिक्षा के तरीके के रूप में पहली भाषा की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया गया था और यहां तक कि वर्तमान समय तक भारतीय शिक्षा में इस कदम का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। भारतीय परिवर्तन, उदाहरण के लिए, राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों ने एक अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की और उनका विचार था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रस्तुति राष्ट्र को पुनर्जागरण के समय की ओर ले जाएगी।

3) सार्वजनिक निर्देश समिति 1823

यह सरकार के नए शिक्षाप्रद दृष्टिकोण को आकार देने और इसके निष्पादन के लिए उद्यम शुरू करने के लिए स्थापित किया गया था। न्यासी मंडल को दो महत्वपूर्ण मानकों द्वारा निर्देशित किया गया था (ए) ''सूचित और प्रेरक वर्गों'' की निश्चितता जीतना, सीखने और लिखने को सशक्त बनाना, (बी) प्रतिबंधित सब्सिडी का उपयोग करना जो कि उन्नत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सुलभ थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक देवदूत और प्राच्यवादी विवाद ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। प्राच्यवादी जिन्हें प्राच्य संस्कृति के लिए एक प्रमाणित प्रेम था, उन्हें पारंपरिक भाषा, उदाहरण के लिए, संस्कृत, अरबी या फारसी की सहायता से प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता थी। वास्तव में, उन्होंने सोचा कि शिक्षा अंग्रेजी की मदद से दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि अत्याधुनिक जानकारी, जो भारतीय चाहते थे, अंग्रेजी में ही दी जा सकती है। यह चर्चा सन् 1834 के अंत तक विलम्बित रही, वास्तव में इस काल में कोई शिक्षा नीति नहीं बन सकी। इस समय लॉर्ड टी.बी. मैकाले लोक शिक्षण के पैनल के अध्यक्ष के रूप में भारत आए। वह एंग्लिसिस्ट के पक्षधर थे और कक्षाओं के निर्देश को बरकरार रखते थे। उन्होंने अंग्रेजी की बदौलत पश्चिमी प्रशिक्षण के प्रसार के लिए एक जबरदस्त अनुरोध किया।

4) मैकाले का मिनट 1835

मास्टर मैकाले ने अपने कार्यवृत्त में व्यक्त किया कि दिशा–निर्देशों के एक तंत्रा के रूप में अंग्रेजी के विनियोग द्वारा विज्ञान पर सूचना को आगे बढ़ाने के बिंदु को विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने मूल भाषा के मामलों को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया कि भारतीय बोलियों को इस सूचना प्रसारण के माध्यम के रूप में भरने के लिए सुसज्जित नहीं किया गया था। उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ अरबी और संस्कृत के मामलों को खारिज कर दिया। पारंपरिक भारतीय बोलियों का मैकाले का शर्मनाक विश्लेषण मुख्य रूप से उनकी गुमनामी में इन बोलियों के धन को स्थापित करता है और प्रशंसकों के साथ–साथ उन लोगों के बीच असीम तिरस्कार में खींच लिया जाता है जो इन भाषा की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। किसी भी मामले में, मैकाले ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी प्रशिक्षण भारतीय व्यक्तित्वों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और इसके उपयोग को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया।

अंग्रेजी भाषा के लिए मैकाले के तर्क निम्नलिखित थे:

– अंग्रेजी एक अत्याधुनिक भाषा है और अरबी या संस्कृत की तुलना में अधिक सहायक है।

– पश्चिमी अंग्रेजी की बोलियों में एक पूर्व–प्रचलित स्थिति शामिल है। भारत में यह निर्णय वर्गों की भाषा है। इसके अलावा, इसके पूर्व के महासागरों के माध्यम से व्यापार की भाषा में बदलने की संभावनाएं असाधारण रूप से शानदार हैं।

– जैसे ग्रीक या लैटिन ने यूरोप में पुनर्जागरण को महसूस किया, वैसे ही अंग्रेजी भारत में भी करेगी।

– स्थानीय भारतीय अंग्रेजी में निर्देश पाकर खुश हैं और संस्कृत या अरबी सीखने के लिए उत्सुक नहीं हैं।

– भारत के स्थानीय लोगों को अंग्रेजी में महान शोधकर्ता बनाना संभव है।

यह अंग्रेजी प्रशिक्षण के माध्यम से '' भारतीय के खून में लोगों के एक वर्ग को लाने के लिए और स्वाद, भावनाओं, नैतिकता और चतुरता में अंग्रेजी'' लाने के लिए कल्पना की जा रही थी, और अंग्रेजी शिक्षा जनता से वर्गों को अलग करके एक चौनल डाउन प्रभाव लाती है। 1835 में इस कार्यवृत्त को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स, बेंटिक द्वारा समर्थित किया गया था। इस गतिविधि का परिणाम यह हुआ कि भविष्य में सरकारी नियंत्राण वाले हाई स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा अंग्रेजी में होगी। इस विकल्प का भारत में शैक्षिक दृष्टिकोण पर सीधे नीचे से अभी तक प्रभाव पड़ा। उन दिनों के नेताओं ने अनुमान लगाया था कि पश्चिमी शिक्षा की प्रस्तुति भारतीयों को सरकार और वोट आधारित प्रणाली के पश्चिमी विचारों के साथ निकट संपर्क में ले जाएगी और भारतीय देशभक्ति के उत्थान की ओर ले जाएगी।

ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को घड़ी की कल की तरह फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। जैसा आवश्यक हो, 1833 में चार्टर को पुनः स्थापित करते समय ब्रिटिश संसद ने भारत में प्रशिक्षण के कारण को आगे बढ़ाने के लिए नकद की कुल राशि को एक लाख से बढ़ाकर 1,000,000 वार्षिक कर दिया। चूंकि भारत में विभिन्न शिक्षाप्रद मुद्दे थे और इसे 1853 में मंजूरी की बहाली के समय दिया गया था, इसलिए इसे एक उचित प्रशिक्षण रणनीति की योजना बनाने के लिए चुना गया था जो भारत में एक बहुत व्यापक प्रशिक्षण ढांचा बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा।

5) वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, 1854

चार्टर 1853 के समय में स्वीकार किए गए मुद्दों ने एक उचित शिक्षाप्रद रणनीति की योजना बनाई, जो भारत में एक बहुत व्यापक प्रशिक्षण ढांचा बनाने के लिए एक बढ़त का काम करेगी, जिसके परिणामस्वरूप भारत में शैक्षिक परिवर्तनों की प्रस्तुति के प्रस्तावों की पेशकश करने के लिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक पैनल की स्थापना की गई थी।

इस पैनल ने जिस संग्रह को व्यवस्थित किया है उसे प्रमुख रूप से वुड्स एजुकेशन डिस्पैच के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र में एक शैक्षिक ढांचे की उन्नति के लिए इसके व्यापक प्रभाव थे। इसे अतिरिक्त रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मेग्ना कार्टा के रूप में चित्रित किया गया है। इसने शिक्षा की एक ऐसी योजना को सामने रखा, जो इस समय तक अनुशंसित किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और अधिक विस्तृत थी। इसने भारत में शिक्षा के बिंदु को कला, विज्ञान, दर्शनशास्त्रा और यूरोप के लेखन के प्रसार के रूप में व्यक्त किया।

इस प्रकार भारतीय भाषा में अंग्रेजी का उपयोग यूरोपीय सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाना था। वुड के प्रेषण का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा भारत में विश्वविद्यालयों के निर्माण का विकल्प था। वर्तमान

भारत का प्राथमिक कॉलेज 1857 में कलकत्ता में बनाया गया था, जल्द ही बॉम्बे और मद्रास में अन्य कॉलेज भी बस गए।

नई प्रशिक्षण रणनीति ने हर जगह नेटवर्क द्वारा शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी अप्रत्याशित परिणाम सामान्य नहीं हो सकता है, विशेष रूप से अकेले प्रशासन पर निर्भरता से।

6) भारत सरकार का संकल्प 1913

भारत में अनिवार्य आवश्यक प्रशिक्षण देने की जवाबदेही को स्वीकार करने के लिए, भारतीय सार्वजनिक अग्रणी भारत सरकार को निचोड़ रहे थे और प्रशासन ने 21 फरवरी 1913 के लक्ष्य से अपने दृष्टिकोण की घोषणा की। इसने अनिवार्य आवश्यक प्रशिक्षण की जवाबदेही को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय, इसने भारत में अज्ञानता को दूर करने के लिए एक दृष्टिकोण के पालन को स्वीकार किया और आम सरकारों से इस शीर्षक के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा। इसने इस मार्ग की ओर निजी जानबूझकर किए गए प्रयासों का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने माध्यमिक विद्यालय के सुधार को भी रेखांकित किया और कॉलेजों द्वारा निर्देश देने की जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया।

7) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917—19)

1917 में डॉ. एम. ई. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग को प्रत्यायोजित किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय का मुद्दा इसकी आवश्यक चिंता था, फिर भी स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक शिक्षा के पूरे क्षेत्रा में देखा गया। इसके महत्वपूर्ण प्रस्तावों का एक अंश निम्नलिखित थाः—

8) द हार्टोग कमेटी, 1929

पैनल की मूलभूत खोज यह थी कि आवश्यक प्रशिक्षण के लिए अधिक विचार की आवश्यकता थी लेकिन इसे अनिवार्य बनाना महत्वपूर्ण नहीं था। केवल योग्य छात्रों को माध्यमिक विद्यालय और मध्य शिक्षा में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए और आठवीं कक्षा के बाद सामान्य छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।

9) बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना

मौलिक शिक्षा की योजना को संघ द्वारा राज्य सरकार के रूप में स्वायत्तता के बाद बुनियादी स्तर पर सार्वजनिक प्रशिक्षण के एक उदाहरण के रूप में स्वीकार किया गया था और पूरे देश में आवश्यक निर्देश की थोड़ी सामान्य व्यवस्था के निर्माण के लिए चुना गया था। योजना के उपयोग और जारी रखने के लिए आवश्यक है शिक्षकों की सही तैयारी के लिए पूरी व्यवस्था, कार्य अधिकारियों का निर्माण आदि।

10) सार्जेंट आयोग

इसके बाद ब्रिटिश समय सीमा में कोई महत्वपूर्ण कमीशन या रिपोर्ट नहीं थी। वास्तव में, सार्जेंट आयोगों की रिपोर्ट में भी दिन का उजाला नहीं हुआ। ''केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई)'' ने दो आयोगों का गठन करने का फैसला किया, एक कॉलेज निर्देश का प्रबंधन करने के लिए और दूसरा सहायक प्रशिक्षण का प्रबंधन करने के लिए जिस तरह से स्वायत्त भारत की पूर्वापेक्षा अद्वितीय होगी। यह प्रमुख हो गया कि भारत में निर्देश ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह विकल्प उस समय आया जब अवसर की

लड़ाई के दौरान शिक्षा के क्षेत्रा में व्यक्तियों को दी गई गारंटियों को क्रियान्वित किया जाना था। संविधान सभा में 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, और इन चर्चाओं ने अंततः ''भारत के संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों'' में अभिव्यक्ति की खोज की। राष्ट्र की शिक्षाप्रद रणनीति का उद्देश्य 1960 तक सामान्य प्रारंभिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तैयार करना था। इसी तरह राष्ट्र की महसूस की गई जरूरतों के संबंध में सहायक और उन्नत शिक्षा की व्यवस्था में भी मौलिक परिवर्तन प्रभावित हुए।

प्रशिक्षण रणनीति का एक और हिस्सा भारत के मुक्त होने के साथ शुरू हुआ। भारतीय संस्कृति के निराले मिश्रित चरित्रा के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न मुद्दे और कठिनाइयाँ सामने आई थीं। विधायिका ने प्रशिक्षण आयोगों की स्थापना की ताकि इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके और शिक्षाप्रद मुद्दों के लिए पूर्ण व्यवस्था का सुझाव दिया जा सके और इसके अलावा भारत में प्रशिक्षण ढांचे में सुधार किया जा सके।

स्वतंत्राता के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति ब्रिटिश शासन से स्वतंत्राता 15 अगस्त, 1947 को भारत में आई। इसने देश के लोगों को पहली बार देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समय में अपनी नीतियां बनाने की पेशकश की। लेकिन यह मौका पूरी शिक्षा प्रणाली को पुनर्निर्देशित करने के लिए भारी बोझ से मुक्त नहीं था, जो आने वाली पीढ़ियों को एक आधुनिक भारत को फिर से स्थापित करने के लिए अपने राष्ट्रीय संकायों में सुधार करने में सक्षम बना सके। राष्ट्र को बड़ी संख्या में तकनीशियनों, वास्तुकारों की आवश्यकता थी, चिकित्सकों, विद्वानों और अन्य योग्य कर्मियों ने विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को ढालने के लिए, जो लगभग दो शताब्दियों के उपनिवेशवाद के लिए कमजोर था।

राष्ट्रीय सरकार से पहले, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मुद्दा अनिवार्य सामूहिक प्रारंभिक शिक्षा सेवाओं का विस्तार, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की उन्नति, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, और स्कूल प्रबंधन की प्रणाली की स्वीकृति भी रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजनाओं में एक विशिष्ट आकार लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारत के पहले शिक्षा मंत्राी मौलाना आजाद ने एक मजबूत, समान शिक्षा प्रणाली, पूरे देश में शिक्षा पर केंद्र सरकार के नियंत्राण की परिकल्पना की थी। लेकिन, भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए, राष्ट्रीय सरकार के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उच्च शिक्षा पर कानूनी अधिकार है। सरकार के पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति रणनीतियां तैयार करने की क्षमता भी थी और वह पूरे भारत में शिक्षा के विशिष्ट पहलुओं को नियंत्रित कर सकती थी।

आजादी के बाद भारतीय शिक्षा में उन्नति के लिए निम्नलिखित अनुसार समय—समय पर निम्नलिखित कार्य किए गए—

1948—1949 : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन

1951 : खड़गपुर में प्रथम आईआईटी की स्थापना

1952—193 : माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन

1956 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना

1958 : दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई में स्थापित

1959 : कानपुर एवं चेन्नई में क्रमशः तीसरा एवं चौथा आईआईटी स्थापित।

1961 : एनसीईआरटी की स्थापना

एवं प्रथम दो भारतीय प्रबन्धन संस्थान अहमदाबाद एवं कोलकाता में स्थापित किए गए।

1963: पाँचवां आईआईटी दिल्ली में स्थापित किया गया।

एवं तीसरा I.I.M. बंगलौर में स्थापित।

1964—1966 : कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना, रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1968 : कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई।

1975 : छह वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारम्भ।

1976 : शिक्षा को 'राज्य' विषय से ''समवर्ती'' विषय में परिवर्तन करने हेतु संविधान संशोधन।

1984 : लखनऊ में चौथा IIM स्थापित।

1985 : संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना।

1986 : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया।

1987—1988 : संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) स्थापित।

एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ।

1992 : आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन

1993 : संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद स्थापित।

1994 : उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना। (बंगलौर में मुख्यालय)।

एवं गुवाहाटी में छठे IIT की स्थापना।

1995 : प्राथमिक स्कूलों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की गई।

1996 : पाँचवाँ IIM कोझीकोड में स्थापित

1998 : छठा IIM इंदौर में स्थापित

2001 : जनगणना में साक्षरता दर 65.4 % (समग्र), 53.7 % (महिला)

एवं पूरे देश में गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ।

एवं रूड़की विश्वविद्यालय सातवें IIT में परिवर्तित।

2002 : मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन।

2003 : 17 क्षेत्रिय इंजीनियरिंग कालेज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिवर्तित।

2004 : शिक्षा को समर्पित उपग्रह ''एडूसैट'' (EduSat) छोड़ा गया।

2005 : संसद अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग गठित।

एवं एनसीईआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 स्वीकृत।

2006 : कोलकाता और पुणे में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित।

2007 : सातवां IIM शिलांग में स्थापित किया गया।

एवं मोहाली में एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया।

एवं राष्ट्रीय संस्कृत परिषद गठित।

एवं केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम अधिसूचित।

2009 : भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) पारित।

20 मार्च 2018 : 62 विश्वविद्यालयों और 8 महाविद्यालयों (जिनमें जेएनयू, बीएचयू और एचसीयू सहित पाँच केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं) को स्वायत्तता देने की घोषणा।

29 जुलाई, 2020 : नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू ।

निष्कर्ष. इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन काल से अब तक भारतीयों की शिक्षा में आमूलचूक परिवर्तन समय के साथ आते गए। इन परिवर्तनों में बृद्धि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान देखी गई। परन्तु इन नीतियों के वावजूद भी हमारा देश 100 प्रतिशत साक्षरता दर से काफी पीछे है। आजकल जो शिक्षा व्यवस्था है वह ज्यादातर अंग्रजों के द्वारा बनाई गई पद्यति पर आधारित है, परन्तु नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। आशा की जाती है किइस शिक्षा नीति के सुखद परिणाम हमें देखने को मिलेंगे और भारतीय संस्कृति का सर्वत्रा बोलवाला होगा।

संदर्भ

1. Ancient Education System In India, available at: https://ncert.nic.in>pdf
2. JP Naik, Equality, Quality and Quantity, The Elusive Triangle in Indian Education 1-2 (Allied Publishers New Delhi, 1975)

3. B C Rai, History of Indian Education 39, (Prakashan Kendra, Lucknow, 1977)
4. Prabhu, Joseph (2006), educational institutions and philosophies, traditional and modern, encyclopedia of India vol. 2 edited by Stanley Wolpert, 23-28, Thomson Gale.
5. SM Edwardes and HLO Garett, Mughal Rule in India, 221(Asia Publication Services, New Delhi 1979)
6. J.C Agarwal "Development of Education System in India", Shipra Publications, Delhi, 2007, pg. no. 69
7. S Nurullah and JP Naik, A History of Education in India, 9 (Machmillan Press, Bombay, 1943)
8. S N Mukerji, History of Education in India: Modern Period,16 (Archarya Book Depot, Baroda, 1966)
9. Biswas, S.P. Agarwal, "Development of Education in India, A Historical Survey of Educational Documents before anf after Independence", Concept Publishing Company, New Delhi, 1994, pg no.835.
10. First Indian Education Commision popularly knowm as Hunter Commission, appointed in 1882, by Loed Ripon the then Governor- General of India.
11. Jayant Pandurang Nayaka, Syed Nurullah (1974): a Students history of education in India (1800- 1973), Macmillan Press limited.
12. Education- The post independence period in India/ Britannica, available at:
13- http://www.britannica.com/topic/education/ The-Postindependence-period-in-India (Visited on August 26, 2020) https://hi.wikipedia.org

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

प्लेजरिज़्म एवं इसको रोकने के उपाय

अमिता कुशवाहा
शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय, रसूलपुर, विकास क्षेत्र– मीरगंज, बरेली (उ०प्र०)

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 127-148

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोधसारांश – शोध अध्ययन–मनन एवं लेखन का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। उच्च शिक्षा के मुख्यतः तीन स्तम्भ होते हैं– शिक्षण (Teaching), शोध (Research), एवं प्रसार (Extension)। इन तीनों स्तम्भों में काफी लम्बे समय से गड़बड़ी चल रही है। गुणात्मक शोध हेतु यूजीसी निरन्तर प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है आवश्यकता है कि हम मौलिक शोध करें, चिंतन करें तथा उसका ही प्रचार–प्रसार करें ताकि समाज का भला हो सकें।

मुख्य शब्द – प्लेजरिज्म, शोध, यूजीसी, अध्ययन, मनन, मौलिक, सृजनात्मक,कल्पनाशक्ति।

शोध तथ्यों का उद्घाटन तथा सिद्वान्तों की व्याख्या नए रूप व नई दृष्टि से करने का कार्य करती है । इससे शोधार्थी की समालोचनात्मक दृष्टि और मूल्यांकन की क्षमता प्रकट होती है। मौलिक शोध के द्वारा ही कल्पनाशक्ति, सृजनात्मक शक्ति, अन्तदृष्टि/अन्तः प्रज्ञा, आलोचनात्मक चिंतन, तर्कशक्ति एवं परावर्ती शक्ति (Reflective Thinking) का विकास होता है, समाज का भला होता है।

शोध (Research) शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, Re- बार–बार, Search–खोजना अर्थात सब दिशाओं में जाना (To go arround) या खोज करना (To Explore)। इसका उद्देश्य खोज की पुनरावृत्ति या अन्वेषण (Enquiry) होता है शोधकर्ता किसी अज्ञात विषय या तथ्य को बार–बार देखकर उससे सम्बन्धित आंकड़ों (Data) को एकत्र (Collect) करता है तथा उनके आधार पर परिणाम (Result) निकालता है।

शोध अध्ययन–मनन एवं लेखन का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। जिसमें कि चोर, उचक्के, सामान्य बुद्धि अल्प ज्ञान वाले लोग हाथ आजमाएं। जो लोग अंतदृष्टि से शून्य होकर मात्र बाह्य वैज्ञानिक तकनीक का पालन कर लेने को शोध मानते हैं, वह वास्तव में शोध के अर्थ से अनभिज्ञ ही कहे जाएंगे। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इस सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि–''.........यदि कोई यह समझे कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा नियम या नियमों का समूह है जिसका अनुसरण करते हुए एक साधारण बुद्धि मानव यथा–इच्छा प्रकृति के क्षेत्र में शोध कर सकता है तो हमें मानना होगा कि वैज्ञानिक पद्धति होती ही नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक शोध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात एक ऐसे सिद्धान्त की परिकल्पना है जो परीक्षा में पूर्ण उत्तर दे सके। इसे (परिकल्पना को) नियमबद्ध नहीं किया जा सकता है।'' (बैजनाथ सिंहल, 2008)

उच्च शिक्षा के मुख्यतः तीन स्तम्भ होते हैं– शिक्षण (Teaching), शोध (Research), एवं प्रसार (Extension)। इन तीनों स्तम्भों में काफी लम्बे समय से गड़बड़ी चल रही है। शिक्षण का स्तर जैसा चल रहा है उससे तो हम सभी परिचित ही हैं। प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों को छोड़ दें तो बाकी संस्थानों में तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ पूरे वर्ष सांस्कृतिक गतिविधियों, कार्यक्रमों व छात्रवृत्ति मेला एवं सरकारी योजनाओं का ही प्रचार–प्रसार होता रहता

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

है। शिक्षण दिवस (180 दिन) नाम मात्र के लिए निर्धारित तो किए जाते हैं परन्तु कक्षा में छात्र–छात्राएं एवं शिक्षक यदा–कदा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों एवं शैक्षिक उदासीनता के कारण शिक्षण–अधिगम का स्तर दिन–प्रतिदिन गिरता जा रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है। आज के समय में कुछ लोग मौलिक चिंतन के स्थान पर रेडीमेड, डिब्बाबंद पी–एच॰डी॰ डिग्री, शोध पत्रों, पुस्तकों आदि के माध्यम से उस मुकाम को प्राप्त कर ले रहें जिसके वह काबिल भी नहीं हैं। युवा वर्ग नौकरी एवं शिक्षक वर्ग प्रमोशन प्राप्त करने के लिए जैसे भी अनैतिक हथकण्डे अपना सकता है अपना रहा है ऐसे कृत्यों से शोध का स्तर एवं गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुए हैं। आज के समय में शैक्षणिक शोध सबसे फलता–फूलता व्यवसाय बन गया है। सेमीनार, कान्फ्रेंस, पत्रिकाओं द्वारा ऐसे शोध कार्यों का प्रचार–प्रसार (Extension) हो रहा है जो कि स्तरहीन है, कॉपी–पेस्ट है, चोरी की है, यदि ऐसा कहें कि 'नई बोतल में पुरानी शराब है' तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। मीडिया के युग में ऐसे लोग भी लेखक हो गए जो एक प्रार्थना–पत्र लिखने में भी बगलें झाकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ई–बुक, ई–जर्नल एवं मानकीय सरकारी खुले ई–प्लेटफार्म एवं स्तरहीन साइट आदि का सर्फिंग कर विषय–वस्तु का कॉपी–पेस्ट कर, नए–नए लेखकों, शोधकर्ताओं एवं प्रकाशकों का आए दिन उदय हो रहा है। इस संदर्भ में 'अमेरिकन एजूकेशनल रिसर्च एसोसिएशन की वार्षिक सभा में प्रस्तुत हजारों आलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि 'शैक्षणिक अनुसंधान एक फलता–फूलता व्यवसाय है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इतना काम पहले कभी नहीं हुआ, जितना इन दिनों हो रहा है।' –(पॉल स्मेयर्स, 2006)

पहले न तो ई–जर्नल्स व ई–पुस्तकें, यूजीसी अनुमोदित जर्नल्स होते थे और न ही उनके आइएसएसएन नम्बर व आईएसबीएन नम्बर, लेकिन फिर भी शोध का स्तर काफी हद तक संतोषजनक था, पवित्र मंशा थी व सृजनात्मक चिंतन व लेखन था। आज यह सब कुछ होते हुए भी हमारी आँखे मौलिक शोध कार्य को तलाशती हैं। ऐसा नहीं है कि शोध की गुणवत्ता मे एकाएक कमी आ गई हो। इस कमी के लिए राजनैतिक व्यवस्था सरकारी नीतियाँ एवं आदेश भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। यूजीसी ने समय–समय पर यथा–वर्ष 1991 वर्ष 2002 फिर पुनः सशर्त वर्ष 2009 तक पंजीकृत पी–एच॰डी॰ डिग्री को नेट के समकक्ष मान्यता प्रदान की, जिससे इन वर्षों में पी–एच॰डी॰ डिग्री धारकों की बाढ़ सी आ गई। ठेके पर थीसिस लिखने एवं शोध कार्यों को रातोंरात कॉपी–पेस्ट कर विश्वविद्यालयों में जमा करने की खबरें यदा–कदा समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। छठे वेतन आयोग में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति एवं प्रमोशन के लिए यूजीसी ने अकादमिक उपलब्धि सूचक (API, 2010) लागू किया, इससे लोगों में शोध पत्र, पुस्तकें, सम्पादित पुस्तकें छपवाने की होड़ सी मच गई। ऐसे शोध का प्रचार–प्रसार तो हुआ, लेकिन मात्र तीन लोगों तक ही– शोधार्थी, सुपरवाइजर एवं टाईपिस्ट। सरकार के ढुलमुल रवैये एवं आंशिक दण्डात्मक व्यवस्था ने भी विश्व स्तर पर भारतीय शोध की खूब फजीहत कराई। वर्ष 2002 में कुमायुँ विश्वविद्यालय नैनीताल के तत्कालीन कुलपति एवं उनके शोध छात्र ने एक जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रैनेटा कैलोस के शोध पत्र को चोरी कर अपने नाम से छपवा लिया। उस समय दुनिया के 10 नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि आखिर आपके देश में ऐसा व्यक्ति कुलपति कैसे रह सकता है, जो शोध पत्र चोरी का आरोपी हो। तब सरकार ने बाध्य होकर कुलपति से त्यागपत्र लिया।

वर्ष 2018 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डा॰ सत्यपाल सिंह ने स्वीकारा कि साहित्यक चोरी (Plagiarism) से सम्बन्धित तीन मामले यूजीसी को मिले हैं। जिनमें पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति, वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एसोसिएट प्रोफेसर एवं लखनऊ के ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम शामिल हैं।

समाचार पत्रों में शोध की चोरी या चोरी की शोध जैसी विभिन्न खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को प्लेजरिज्म के कारण स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया तथा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को प्लेजरिज़्म के कारण चुनौती दी गई –(मधुसंधु, 2018), लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर किसी अन्य शोध की चोरी करने का आरोप लगा –(अमर उजाला, 2019) । आई॰वी॰आर॰आई बरेली के वैज्ञानिक की शोध सामग्री चोरी की खबर समाचार पत्र में

प्रकाशित हुई– (अमर उजाला, 2013) । गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की क्लर्क अविन्दर कौर की थीसिस में चोरी की सामग्री पाई जाने पर उसकी नौकरी एवं डिग्री रद्द कर दी गई–(मधु संधु, 2010) । सीडीआरआई के बाद बीबीयू में साहित्यक चोरी (नवभारत टाइम्स, 2019)

साहित्यक चोरी/अपराध (Plagiarism Theft/Betrayal/Dishonesty)

प्लेजरिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द– Plagiarismor Kidnapper से बना है जिसका अर्थ है– शब्द चुराना एक व्यक्ति जिसने शब्द चुरा लिए (A person who stole the word)

'किसी दूसरी की भाषा, विचार, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करना प्लेजरिज़्म कहलाता है।'

'Plagiarism is the wrongful appropriation and stealing & publication of another author's language, thoughts idea or expression and the representation of them as one's own original work'.- (Wikipedia Plagiarism)

अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में प्लेजरिज़्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि– 'किसी अन्य लेखक के विचारों तथा भाषा का अनाधिकृत उपयोग या नकल करके उसको अपनी मूल कृति के रूप में प्रस्तुत करना है।' –(मधु संधु, 2018)

Emily Listman लिखते हैं कि 'प्लेजरिज़्म किसी दूसरे के शब्दों को कॉपी करके सीधे संदर्भ (Reference) करने से लेकर या किसी दूसरे के काम विचारों या विश्लेषण को, उन्हें श्रेय (Credit) दिए बिना प्रयोग तक की रेंज में हो सकती है। अगर आप किसी के काम का संदर्भ तो देते हैं; लेकिन उन्हें श्रेय देना भूल जाते हैं तो भी आप से अनजाने में प्लेजरिज़्म हो सकती है।' (wikiHow)

आज बौद्धिक जगत में प्लेजरिज़्म की समस्या बढ़ती जा रही है किसी व्यक्ति की मौलिक रचना खोज, चिंतन एवं विचारों अर्थात बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property) की चोरी गुपचुप तरीके से की जा रही है। अब तक माना जाता था कि यथा–

न चोराहार्यम् न च राजहार्यम्, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ।।

(अर्थात जिसे न चोर चुरा सकते हैं न राजा हरण कर सकता है, न भाई बँटा सकते हैं, जो न भार स्वरूप ही है, जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है) लेकिन इसके उल्टे अब अल्प ज्ञानी कौए हंसो की सभा में बुद्धिजीवी होने का दावा ठोक रहे हैं, हींग लग रही है न फिटकरी फिर भी रंग चोखा हो रहा है। ऐसी स्थिति में वास्तविक शोध व शोधकर्ताओं को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं।

प्लेजरिज़्म रोकने हेतु सरकारी प्रयास एवं व्यवस्था–

भारत सरकार ने कॉपी राइट अधिकारों की रक्षा के लिए कॉपी राइट एक्ट 1957, यथा संशोधन 1983, 1984, 1992, 1994, 2010, एवं 2012 पारित किया, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देना नहीं बल्कि लेखकों, प्रकाशकों तथा उपभोक्ताओं सभी के हितों में उचित संतुलन स्थापित करना था। कम्प्यूटर, इण्टरनेट आदि तकनीकी साधनों के इस दौर में लेखकों और प्रकाशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसमें यथा समय संशोधन भी किए हैं।

यूजीसी भी कहती है कि '...........प्लेजरिज़्म के दुष्परिणामों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर लेखन, शोध और अनुसंधान में ईमानदारी और जागरुकता लाई जाए। इस विषय पर सेमीनार वर्कशॉप, भाषण करवाएं जाएं। प्लेजरिज़्म का पता लगाने और रोकने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान केन्द्रों में अलग तंत्र स्थापित करने, आधुनिक तकनीकी टूल्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की बात भी कही गई है।' (मधु संधु, 2018)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक और साहित्य चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम–2018 को मंजूरी दी है जिसके अन्तर्गत दण्ड का भी प्रावधान है यथा–

छात्रों पर कार्यवाही–:

- लेवल 0 : 10 फसदी तक समानता पाये जाने पर, किसी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं है।
- लेवल 1 : 10 से 40 प्रतिशत प्लेजरिज़्म– इस मामले में छात्र को किसी भी प्रकार से कोई अंक या क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाएगा। साध ही छह महीने के अंदर दोबारा साहित्यिक चोर से मुक्त शोध सामग्री जमा कराने का मौका दिया जाएगा।
- लेवल 2 : 40 से 60 प्रतिशत प्लेजरिज़्म– ऐसे मामले में संबंधित छात्र को कोई अंक या क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही शोध पुनः जमा करने के लिए अधिकतम 18 महीने का समय दिया जाएगा।
- लेवल 3 : 60 प्रतिशत से अधिक की प्लेजरिज़्म– ऐसे प्रकरण में संबंधित छात्र को कमेटी द्वारा कोई अंक या क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

प्रोफेसर्स पर कार्यवाही–

- लेवल 0 : 10 फीसदी तक समानता या मामूली समानता पाए जाने पर किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं।
- लेवल 1 : 10 से 40 प्रतिशन प्लेजरिज़्म के मामले में मैनूस्क्रिप्ट (हस्तलिपि) वापस लेने को कहा जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के प्रकाशन पर एक वर्ष का प्रतिबंध।
- लेवल 2 : 40 से 60 प्रतिशत प्लेजरिज़्म के मामले में मैनूस्क्रिप्ट वापस लेने को कहा जाएगा। किसी भी प्रकार के प्रकाशन पर दो वर्ष के प्रतिबंध के साथ ही एमफिल या पीएचडी स्कॉलर के गाइड के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध।
- लेवल 3 : 60 से अधिक की प्लेजरिज़्म के मामले में अगले दो साल तक वेतनमान में वृद्धि पर रोक। प्रकाशन के लिए दी गई मैनूस्किप्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। तीन वर्ष तक प्रकाशन पर प्रतिबन्ध व एमफिल या पीएचडी स्कॉलर के गाइड के रूप में कार्य करने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध। बार–बार गलती करने पर सेवा समाप्त करने का प्रावधान।

छात्रों को निर्देश –:

शोध पर थीसिस डिजर्टेशन या अन्य कोई दस्तावेज जमा करने से पूर्व छात्र को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसका शोध कार्य मौलिक है, प्लेजरिज़्म सॉफ्टवेयर से इसकी जाँच कर ली गई है। सुपरवाइजर भी खुद शपथ पत्र देगा कि शोधार्थी का शोधकार्य चोरी मुक्त है।

प्लेजरिज़्म को दूर करने के उपाय –:

प्लेजरिज़्म को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, यथा –

1– उचित साइटेशन प्रणाली का प्रयोग करें (Using a Citation System)

- अपने विषय अनुसार उपयुक्त मानकीय संदर्भ प्रणाली का चयन करें, यथा –
  -MLA (Modern Language Association)- साहित्य, भाषाओं, एवं कला से जुड़े विषयों में उपयोगी।
  -APA (American Psychological Association)- सामाजिक विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान अर्थात सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञान में उपयोगी।
  -Chicago (शिकागो)– ऐतिहासिक लेखन में उपयोगी।
  -CSE (Council of Science Editors)- विज्ञान आधारित लेखन में उपयोगी।
- सोर्सेज को सही तरीके से स्पष्ट करने के लिए, अपनी Citation style के आधुनिक संस्करण का प्रयोग करें। इसमें पुस्तकें, पुस्तक के कुछ विशेष अध्ययन, जर्नल्स लेख, बेबसाइट, इंस्ट्रक्टर के लेक्चर्स, ई–पुस्तकें ऐतिहासिक अभिलेख, फिल्मस इत्यादि शामिल सकते हैं।

- अपने लेख के अन्त में संदर्भ (Reference) दें।

2– सोर्स की हुई विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक प्रस्तुत करें (Featuring Sourced content Properly)

- साइटेशन के बाद सीधे संदर्भ और कोटेशन का पालन करें–लेखन का नाम और इसे रिफर करने के बाद ब्रेकेट्स में कोट की हुई विषय वस्तु का पेज नम्बर, और उसके शोध कार्य की प्रकाशन तिथि लिखें।
- विवरण (Paraphrasing) देते समय वाक्य रचना, भाषा, और विषय वस्तु की लेखन शैली को परिवर्तित कर सकते हैं।
- सोर्स विषय–वस्तु (Material) के लिए कोटेशन मार्क्स का प्रयोग करें।
- किसी भी विषय–वस्तु/अवतरण को अच्छे तरह से पढ़ें ताकि आप उसको प्रयोग करने से पूर्व उसे अच्छी तरह समझ सकें।
- गोल्डन रूल का पालन करें अर्थात जिस मूल लेखक/शोधकर्ता की शोध सामग्री का उपयोग आपने अपने शोध अध्ययन में किया है उसे श्रेय (Credit) अवश्य दें ।

3– मौलिक लेख तैयार करना (Creating Original Content)

- अपना शोध पत्र/असाइनमेंट स्वयं लिखें।
- स्वयं के द्वारा लिखी गई पुस्तक/शोध पत्र का पुनः प्रयोग करने हेतु प्रकाशक से अनुमति लें।
- नया शोध पत्र लिखने से पूर्व मूल लेखक एवं प्रकाशक की अनुमति लें।
- दूसरे की विषयवस्तु को अपनी स्वयं की विषय–वस्तु की तरह प्रयोग न करें।
- शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को समय दें या शोध पत्र निर्धारित तिथि में प्रकाशन हेतु भेजने से काफी समय पहले ही शोध पत्र लेखन का कार्य प्रारम्भ दें।
- पूर्णतया प्लेजरिज़्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर न रहें।
- अपने लिखे हुए लेख/शोध पत्र की कम से कम तीन–चार बार समीक्षा करें अर्थात तीन–चार बार पुनः लिखें।

4– ओपन एजुकेशनल रिसोर्सिस (OER) प्लेट्सफॉर्म/साइट्स का प्रयोग करें–

- फ्लिकर (flickr)
- पिक्साबे (Pixabay)
- क्रिएटिव कॉमन (Creative Common)
- स्वयं (Swayam) आदि

यूजीसी ने प्लेजरिज़्म को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की दण्डात्मक व्यवस्था के साथ तकनीकी टूल्स के प्रयोग एवं उसके उचित प्रशिक्षण की भी संस्तुति की है। परिणामस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालय/ जर्नल्स प्रकाशक सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में भी लिखे शोध पत्र/ थीसिस को चैक करा रहे है । प्लेजरिज़्म की शिकायत मिलने पर Institutional/Departmental Academic Integrity Penal (DAIP/IAIP) का गठन किया गया है। प्लेजरिज़्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर–

- शोध शुद्धि
- टरनिटिन
- URKUND
- EDUBIRDIE
- BibMe

- Quetext
- Plag Scan
- Zotero
- VIPER
- etc.

यूजीसी ने शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने/बढ़ाने के लिए 2 जून 2017 को एक 32,659 यूजीसी अनुमोदित शोध पत्रों की सूची प्रकाशित की, इस सूची मे बाद में और शोध पत्रों को भी जोड़ा गया। पुनः 14 जून 2019 को 'केयर रेफ्रेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल' नामक एक सूची जारी की, जिसमें कि विज्ञान शाखा के 333, सामाजिक विज्ञान के 266, कला एवं मानविकी के 287, भारतीय भाषाओं के 171 एवं बहुशाखीय 35, शोध जर्नल्स सम्मिलित हैं। हालाँकि यूजीसी केयर सूची में नए–नए जर्नल्स जुड़ते रहते हैं तथा जो जर्नल्स अधोमानक होते है वह सूची से बाहर कर दिए जाते हैं अर्थात् यह सूची निरंतर अपडेट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुणात्मक शोध हेतु यूजीसी निरन्तर प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है आवश्यकता है कि हम मौलिक शोध करें, चिंतन करें तथा उसका ही प्रचार–प्रसार करें ताकि समाज का भला हो सकें।

संदर्भ

1. सीडीआरआई के बाद बीबीयू में भी साहित्यक चोरी, शीर्षक समाचार ,अमर उजाला (नगर सं) लखनऊ , 23 -09- 2019 ।
2. आई वी आर आई वैज्ञानिक की शोध सामग्री चोरी, शीर्षक समाचार ,अमर उजाला (नगर सं), बरेली , 25-09-2013 ।
3. मधु संधु,(2018), ठसवह–उंकीन–ेक19/लीवव.बव.पद
4. राय, पी०एन०(2002), अनुसंधान परिचय, आगरा ; लक्ष्मी नारायण पब्लिशर्स ।
5. सिंघल,बी०(2008), शोध स्वरुप एवं मानक व्यवहारिक कार्य विधि ; नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन ।
6. शर्मा, आर०ए०(2009), भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास : मेरठ, लाल बुक डिपो ।
7. शोध में चोरी करने पर जा सकती है शिक्षकों की नौकरी, रद्द होगा छात्रों–छात्राओं का रजिस्ट्रेशन, द वायर,04-08-2018 ।
8. स्मेयर्स,पी०2006), व्यर्थ शोध,निरर्थक सिद्धांत और जोखिम में शिक्षा शिक्षा विमर्श, जुलाई–अगस्त 2008] प्रष्ठ 24–37] संदर्भ दृ भारतीय आधुनिक शिक्षा,नई दिल्ली ; एनसीआरटी, वर्ष–32]अंक–1] 2011] पृ० –97 ।
9. https://hi.wikipedia.org/wiki
10. https://hindi.webdunia.com/my-blog/saahity-kee-choree-se-sastee-lokapriyata-118080200062_1.html
11. https://hi.wikihow.com
12. https://www.rachanakar.org/2018/05/blog-post_665.html
13. http://thewirehindi.com/53120/ugc-brings-new-anti-plagiarism-policy-higher-education/
14. https://navbharattimes.indiatimes.com/education/education-news/plagiarism-to-cost-teachers-jobs-students-registration/articleshow/65267790.cms
15. https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/other-news/plagiarism-in-bbau-after-cdri/articleshow/71248271.cms
16. https://www.ugc.ac.in

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

Dietary Habits of Adolescent Girls Residing in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya of Chandauli District, Uttar Pradesh

Nandita Bharti
Research Scholar, Department of Home science (Food and Nutrition), MMV, BHU, Varanasi
Archana Chakravarty
Retired Professor& Ex-head, Department of Home science (Food and Nutrition), MMV

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 149-155

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

Abstract : Nutritious diet is essential for all stage of life. It determines the growth and development and also prevent from some diseases. Adolescent is a significant period, Nutrient intake during this period is most important because exceptionally rapid rate of growth and development. So, the health and nutrition of adolescent can affect by their dietary habits. In the present study has been assess the dietary habits of the students of residential school of Chandauli district because school meal provides an opportunity to enhance dietary intake and nutritional status of adolescent girls in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) residential school. this is a cross-sectional study with 277 sample size of nine KGBV, age group 11-17 years. It is observed that 31.8% and 22.6% of respondents skipping some time dinner and breakfast respectively. Only 2.1% were avoiding to take lunch in a day some time. The present study has been concluded that 70.4% of girls were in habits skip their food item for some time and 98.0% & 97.0% of girls were consuming iron and calcium less than respective RDA which certainly affect the nutritional status of the girls.

Key words : Dietary habits, skip meal, nutritional status, adolescence.

Introduction:- Present study was carried out to study the dietary habits and food consumption pattern of adolescent girls residing in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV). UNICEF works across India to establish and implement policies and nutritional status of children both in and out of school. School meal offer an opportunity to enhance dietary intake and nutritional status of adolescent girls. WHO defines 'adolescent as person in the age group of 10 to 19 years. Around 1.2 billion people, one in six of the world's population, are adolescent age. India is home to 253 million adolescent and almost half of whom are girls (120 million) and we stand with them at a crossroad between losing out on the potential of a generation or nurturing them to transform society. Adolescence is a nutritionally vulnerable time when rapid physical growth and development increase nutrients demand (UNICEF). According to various studies revealed that most of the adolescent girls suffer from under nutrition due to lack of awareness and knowledge about their nutritional needs and requirement, specially girls in rural areas are inadequate both in terms of quality and quantity.

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Nutrients that we obtain through food have vital effects on physical growth and development, maintenance of normal body function, physical activities and health. Dietary habits are defined as 'the habitual decisions of individuals or a group of people regarding what food they eat'.

Materials and methods

Study area –

The present study was conducted of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya of Chandauli district, Uttar Pradesh.

Study design and sample size- cross-sectional study with purposive random sampling was used to collect the data 277 girls for interviewed.

Assessment of Dietary habit

In this study assessment of dietary habit was done through self-structured questionnaire. The respondents have been asked about their dietary habit to assess the prevalence of vegetarian and non- vegetarian between total study subject.

Assessment of skipping meals

Meal skipping is the omission of one or more of the traditional main meals (breakfast, lunch and dinner) throughout a day. Subjects have been asked questions related to skipping meals and which meal is skipped the most.

Statistical analysis

Data were entered in an excel sheet and Mean, SD and percentage was calculated from SPSS version 16.0 by using suitable tools and techniques.

Results and discussion :

Table No.1

Distribution of Food habits of Respondents According to their religion, caste, family type -

Religion	**Food Habits**					
	Vegetarian		**Non-Vegetarian**		**Total**	
	No.	**%**	**No.**	**%**	**No.**	**%**
Hindu	54	22.4	187	77.6	241	100.0
Muslim	2	5.6	34	99.4	36	100.0
Total	**56**	**20.2**	**221**	**79.8**	**277**	**100.0**

$x^2 = 5.52$, df = 1, $P < 0.05$

Caste						
GEN	07	70.0	3	30.0	10	100.0
OBC	22	19.6	90	80.4	112	100.0
SC/ST	27	17.4	128	82.6	155	100.0

$x^2 = 16.14$, df = 2, $P < 0.001$

Family Type						
Joint	23	20.0	92	80.0	115	100.0
Nuclear	33	20.4	129	79.6	162	100.0

$x^2 = 0.01$, df = 1, $P > 0.05$

The above table gives the details of respondent food habits on the basis of their religion, caste and family type which show that majority 94.4% of muslim respondents and 77.6 % of Hindu related respondents

were non vegetarian and this different in proportion is found to be statistically significance out of total OBC and SC/ST respondent majority 80.4 % and 82.6 % were in habit of non-vegetarian where as 30.0% of general cast respondent were non-vegetarian and this different is statistically highly significance and family type wise distribution shows that 80.0% and little less 79.6% to joint and nuclear type of family respectively were non-vegetarian but this difference is not significant.

Table no. 2

Distribution of respondents According to on the basis of meal skipping status

Skipping Status	No.	%
Yes (Always	13	4.7
Sometimes	195	70.4
Never	69	24.9
total	277	100.0

The above table indicates that maximum 70.4 % of respondent were skipping their meals some time which about one fourth of the respondent reported never skip their meals. only 4.7 respondent reported to skip always for any time of the meal.

Table No. 3

Distribution between skipping status and type of skipped food

Sr. No.	Type of meal	Skipping Status					
		Yes (Always)		Some times		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%
1.	Breakfast	-	-	44	22.6	44	21.2
2.	Lunch	-	-	4	2.1	4	1.9
3.	Evening tea	13	100.0	85	43.5	98	47.1
4.	Dinner	-	-	62	31.8	62	29.8
	Total	**13**	**100.0**	**195**	**100.0**	**208**	**100.0**

`Distribution between skipping status and time of skipped meal of the respondent is analyzed in the above table. which sketches the fact that those respondents who were skipping their food some time out of which maximum 43.5% were skipping their evening tea followed by 31.8% dinner and 22.6% of respondent were skipping some time their breakfast only 2.1% were avoiding to take their lunch in a day some time.Shukla et al. (2017) reported that four-fifth of the cases (near about80%) of girls the consumption of deep-fried snacks/ namkeens/ potato chips. About one- fourth of the girls stated that they never take breakfast before coming to school (22.6%) and daily intake of breakfast was found in 16.9% of the study subject while 43.0% of the girls stated about frequent missing of meals. The study finding highlight the need to bring out behavioural change in eating habits among school going adolescent girls through appropriate and timely intervention so as to prevent them from diet related health problem.

Table no. 4

Religion wise distribution of Respondents According to like the meal Provided by the school Administration

Sr. No.	Like of Food Materials	Religion					
		Hindu		Muslim		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%
1.	All type of Food	49	20.3	6	16.7	55	19.9
2.	Dislike Some food	192	79.7	30	83.3	222	80.1
	Total	**241**	**100.0**	**36**	**100.0**	**277**	**100.0**

$X^2 = 0.27$, df = 1, $P > 0.05$

The above table indicates that majority 80.1% of respondents reported to dislike some food items while remaining 19.9% were reported to take all type of food items. no significant association exist between religion and like of different type of food materials in the present study.

Table no. 5

Distribution of Respondents According to dislike of different food substances given by school Administration

Sr. No.	Food Materials	No.	%
1.	Dalia	80	36.0
2.	Rajma	45	20.3
3.	Mix dal	23	10.4
4.	Poha	16	7.2
5.	Chana masala	04	1.7
6.	Kari	03	1.4
7.	Khichadi	16	7.2
8.	Palak	07	3.2
9.	Dalia & Rajma	15	6.7
10.	Dalia & Mix dal	07	3.2
11.	Rajma & Mix dal	06	2.7
	Total	**222**	**100.0**

The further information is also collected from those respondent who disliked the different type of food materials out of those respondent who reported to dislike some food items out of which maximum 36.0% disliked to Dalia, 20.3% to Rajma, 10.4% to Mixdal while 7.2% each 6.7% and 3.2% to poha, khichadi & Rajma both and Palak respectively.

Table no. 6

Distribution of Respondents According to their food Consumption Pattern

Sr. No.	Food Items	Frequency of food Consumption (weekly)					
		Daily	5-6 Times in a week	3-4 Time in a week	1-2 times in a	Some time	Never

					week		
		No.	%	No.	%	No.	%
1.	Rice	277 (100.0)	-	-	-	-	-
2.	Wheat	277 (100.0)					
3.	Pulse	277 (100.0)					
4.	GLV	174 (62.8)	08 (2.9)	83 (30.0)	5 (1.8)	7 (2.5)	
5.	Other Veg	264 (95.3)	02 (0.7)	11 (4.0)	-	-	
6.	Roots	277 (100.0)	-	-	-	-	-
7.	Fruits	242 (87.4)	07 (2.5)	23 (8.3)	02 (0.7)	03 (1.1)	
8.	Milk & Milk Products	277 (100.0)	-	-	-	-	-
9.	Fat & Oils	277 (100.0)	-				
10.	Sugar & Gaggery	277 (100.0)	-				

It is depicted from the above table that cent percent of respondents were in practice to consume rice, wheat, pulse, roots milk & milk products, fat and oil, sugar and jaggary daily while 87.4% were taking fruits, 62.8%of respondent were taking green leafy vegetable (GLV) daily in their meal those respondents who were taking GLV& fruits in any frequency in a week or some time they are noted to be in 37.2% and 12.6% respectively. kotecha et al.(2013) reported that nearly 80% of adolescent had consumed regular food, like dal, rice, chapati and vegetable including green leafy vegetable and near about 50% of them had consumed chocolates and about one- third consumed fast food..Kansagara et al. (2018) concluded that the majority of the adolescent had regular enough number of meals and snacks, but intake of nutritious food such as milk, protein rich food, green leafy vegetable and fruits was not enough according to ICMR standards.

Table no 7

Distribution of Respondents on the basis of the Status of Nutrient Adequacy Ratio (NAR)

NUTRIENTS	≤ 50		50.1-75.0		75.1-99.9		≥100		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Calorie	01	0.4	81	29.2	150	54.2	45	16.2	277	100.0
Protein	-	-	42	15.2	15.1	54.5	84	30.3	277	100.0
Fat	11	4.0	107	38.6	117	42.2	42	15.2	277	100.0
Carbohydrate	01	0.4	19	6.9	120	43.2	137	49.5	277	100.0
Calcium	102	36.8	151	54.5	17	6.2	7	2.5	277	100.0
Phosphorous	-	-	12	4.3	64	23.1	201	72.6	277	100.0
Iron	131	47.3	136	49.1	04	1.4	6	2.2	277	100.0
Vitamin C	59	21.3	55	19.9	38	13.7	125	45.1	277	100.0

The above table throws like upon the fact that majority about 98.0% and 97.0% of school girl children were taking iron and calcium less than of RDA respectively. Similarly, minimum about 27.0%, 50.0%, 55.0% and 70.0% of students were consuming phosphorus, carbohydrate, vitamin C and protein less than respectively RDA. It is also seen that 16.2% and 15.2% of students were taking calories and fat in more than RDA in the present study area.

Conclusion :

The present study was conducted with the objective of to assess the dietary habits of student of residential school of Chandauli district which is observed that 70.4% of girls were in habit to skip their food items for some times which certainly affect the nutritional status of girls and also may cause of vitamin and other nutrients deficiency even through proper food items have been provided by the school administration according to the menu of the government. It is also observed that cent percent of girls were consuming rice, wheat, pulse, milk and milk product, fat and oils, sugar and jaggary while only 62.8% and 87.4% of girls were in habit to take Green leafy vegetable and fruits daily in their diet because dislike some fruits and vegetable provided by the Vidyalaya administration. This study showed that about 98.0% and 97.0% of girls were consuming iron and calcium less than respective RDA because of dislike of GLV, rajma, milk and other type of pulses and 73.0%, 50.0%, 45.1% and 30.3% of girls were taking phosphorus, carbohydrate, vitamin C and protein more than RDA respectively.

Abbreviations:

GLV	green leafy vegetable
ICMR	Indian Council of Medical Research
KGBV	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
NAR	nutrients adequacy ratio
RDA	recommended dietary allowances
UNICEF	united nations children's fund
WHO	world health organization

Acknowledgement:

The authors would like to thank all the school's authority that have been cooperated in this study.

References

1. Mukherjee R, Chaturvedi S. A study of the dietary habits of school children in pune city, Maharashtra, India. International Journal of community medicine and public health. 2017; 4: 593-7
2. Kotecha PV, Patel SV, Baxi RK, Mazumdar VS, shobha M, Mehta KG, Mansi D, Ekta M. Dietary Pattern of School going adolescent in urban Baroda, India. Journal of health population and Nutrition. 2013; 31 (4): 490-6
3. Shukla NK, Shukla M, Ahmad S, Shukla RA. preliminary study on eating habits among school going adolescent Girls in Barabanki District Uttar Pradesh. Scholars Journal of Applied medical sciences (SJAMS). 2017; 5 (1c) : 184-187

4. Das K, Salam S N, Adhikari S. Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya (KGBV) Scheme as a facilitation to Academic motivation of the female learners. International journal of innovative research in science engineering and Technology. 2013; 2 (12) : 7179-83
5. Yadav VS, Mehta D. Contribution of Kasturba Gandhi Balika Vidhyalayas in education of deprived Girls of Mirzapur District shaikshik parisamvad (An International Journal of education (SPIJE) 2017; 7 (1) : 51-56
6. Kumar K A. Ramakrishnan S k. hemalatha N. Nutritinal Status Eating habit and dietary health perceptions among school going adolescents in mumbai, India. International Journals of multidisciplinary research Academy. 2013 ; 3 (7) : 205-221 (google Scholar).
7. Felicity J. Pendergast, Katherine M. Living Stone, Anthony Worsley and Sarah A Mchaughton. Correlates of meals skipping in young adults : a Systematic review. Int J Behav Nutr. Phys Act. 2016; 13 : 125
8. https : // www. unicef. org / rosa / what – we do / nutrition / adolescent and womens nutrition
9. https : www. who int / health topics / adolescent health.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

वैदिकवाङ्मये वायुतत्त्वविमर्शः

आचार्य (डॉ.) बृहस्पतिमिश्रः

सहाचार्यः, संस्कृतपालिप्राकृतविभागः हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयः, धर्मशाला,काङ्गड़ा (हि.प्र.)

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 156-161

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोधालेखस्य सारः -एतत् तथ्यम् अस्ति यत् वयं प्रतिदिनम् प्रायः 22000 वारं श्वासान् स्वीकुर्मः एतदर्थं च 16 षोडश किलोमितं वायुः आवश्यको भवति।स्पष्टमस्ति यत् एकेन जनेनोपभुक्तवायोः प्रमाणमेतत्तस्य भोजनस्य जलस्य च कुलमात्रायाः बहुरधिकं वर्तते। लौकिकव्यवहारेऽपि वयमेतदनुभवामो यत् भोजनं विना सप्ताहं विना जीवितुं शक्यते जलं विनापि कतिचित् दिनानि यापयितुं शक्यन्ते परन्तु वायुं विना तु होरापर्यन्तमपि जीवनस्य कल्पनया एव रोमाञ्चो भवति। प्राचीनवैदिकसाहित्ये वायोरतिशयमहनीयतां स्वीकुर्वन् प्राणत्वेन सम्बोधितोस्ति। वैदिकवाङ्मयेषु वायुतत्त्वस्य विशदं विवेचनं प्राप्यते।सृष्टिप्रक्रियाक्रमे वायुः आकाशादुत्पन्नः मन्यते। आकाशादनन्तरं प्रादुर्भूतोऽयं वायुः अग्निजलपृथ्विगुणान् रूपरसगन्धान् धारयन् एव स्पर्शवान् भवति।

मुख्याः शब्दाः-वायुः, प्राणः, सृष्टिप्रक्रियाक्रमः,पञ्चमहाभूतानि,वैदिककोषनिघण्टुः, निरुक्तम्, वैदिकवाङ्मयम्, व्यष्टिरूपम्, समष्टिरूपम्।।

सृष्टेराधारभूतेषु पञ्चमहाभूतेषु वायोस्स्थानम् अन्यतमम्।शतपथकारः वायुं जैविकसृष्टेः मूलम् इति स्वीकरोति।**'यो वै प्राणः स वातः'**[1] लौकिकव्यवहारेऽपि वयमेतदनुभवामो यत् भोजनं विना सप्ताहं विना जीवितुं शक्यते जलं विनापि कतिचित् दिनानि यापयितुं शक्यन्ते परन्तु वायुं विना तु होरापर्यन्तमपि जीवनस्य कल्पनया एव रोमाञ्चो भवति। एतत् तथ्यम् अस्ति यत् वयं प्रतिदिनम् प्रायः 22000 वारं श्वासान् स्वीकुर्मः एतदर्थं च 16 षोडश किलोमितं वायुः आवश्यको भवति।[2]स्पष्टमस्ति यत् एकेन जनेनोपभुक्तवायोः प्रमाणमेतत्तस्य भोजनस्य जलस्य च कुलमात्रायाः बहुरधिकं वर्तते।

वायोर्महत्त्वम्-प्राचीनवैदिकसाहित्ये वायोरतिशयमहनीयतां स्वीकुर्वन् प्राणत्वेन सम्बोधितोस्ति। अथर्ववेदः **'वातो ह प्राण उच्यते'**[3] तथा मैत्रायणी संहिता **'अयं वाव यः 'वायुः' पवन एष प्राणः'**[4] एभिः वचनैः वायोः महत्त्वं वदति।

1.शतपथब्राह्मणम्म् 8 । 7 । 12, 5 । 2 । 4। 9

2.पर्यावरण तथा प्रदूषण, पृ0 164

3.अथर्ववेदः 11 । 4। 15

4.मैत्रायणीसंहिता 1 । 3 । 5

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

ऋग्वेदीय-ब्राह्मणकारैरपि वायुः प्राणरूपेण[5] एव स्वीकृतोऽस्ति ऋषिभिरपि एतत् समर्थितमेव।[6] वैदिकवाङ्मयेषु वायुतत्त्वस्य विशदं विवेचनं प्राप्यते। ऋग्वेदस्य सृष्टिनिर्माणप्रक्रियाप्रदर्शकसूक्ते वायुः पुरूषप्राणादुत्पन्नः कथ्यते।[7]

वायोः निरुक्तिः - वैदिककोषनिघण्टौ अन्तरिक्षस्थानदेवतानां पर्यायनाम्नां परिगणनं कुर्वता अष्टषष्ट्याम् पदेषु अष्टाविंशतिः पदानि वायोः पर्यायेषु परिगणितानि सन्ति।[8] कार्यभेददृष्ट्या भिन्नं-भिन्नं प्रतीयमाणोऽपि समष्टिरूपेण एकमेवास्ति यस्य विशदं विवेचनं निरूक्ते अस्ति।निरुक्तकारेण यास्केन वायुरिन्द्रश्च अन्तरिक्षस्थानदेवतासु परिगणितः **'वायुर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थानः'**[9]। वायुशब्दं विवेचयता यास्केन अस्योत्पत्तिः वी धातोः वाधातोर्वा स्वीकृता अस्ति **'वायुर्वातेर्वेतेर्वा स्यात् गतिकर्मणः'**[10] अस्य अभिप्रायः अस्ति यः स्वयं गतिशीलः अस्ति अन्यान् च गतिशीलं करोति। अन्यस्मिन् स्थले च यास्केन वायोरर्थः आयुरिति **'अयुश्च वायुरयनः'**[11] स्वीकृतः।

नैरूक्तस्थौलाष्ठीविमतेन गत्यर्थक-इण् धातोः उण्-प्रत्यये कृते आयुशब्दो निष्पद्यते ततश्च वकारागमविधानात् वायुशब्दो निष्पद्यते।[12] पाणिनीयव्याकरणानुसारं वायुशब्दः गतिगन्धनार्थक 'वा' धातोः उणप्रत्यये कृते युगागमे सति निष्पद्यते।[13] यदनुरूपम् अस्य धात्वर्थकनिरूक्तिः **"वाति गच्छति स्थानादास्थानान्तरं प्राप्नोति इति वायुः"** तथा **"गन्धयते, हिनस्ति, विनाशयति इति वायुः"**। अर्थात् यः एकस्मात् स्थानात् चलित्वा अपरं स्थानं प्राप्नुयात् सः वायुः।

वायोरुत्पत्तिः – वैदिकवाङ्मये सृष्टिप्रक्रियाक्रमे वायुः आकाशादुत्पन्नः मन्यते।[14] आकाशादनन्तरं प्रादुर्भूतोऽयं वायुः अग्निजलपृथ्विगुणान् रूपरसगन्धान् धारयन् एव[15] स्पर्शवान् भवति[16]।

वायोर्वर्णनम् – वैदिकसाहित्येषु वायुः अनेकरूपेण वर्णितः अस्ति। अथर्ववेदे एषः सर्वाधार इति कथितः।[17] ऋग्वेदे त्वेषः रससंचारकरूपेण[18], वर्षाकारकरूपेण[19] भैषज्यरूपेण[20] च वर्णितः अस्ति। शब्दोच्चारणे शब्दश्रवणे च वायुरेव प्रधानत्वेन स्वीक्रियते।[21] वैदिकसाहित्येषु उपलब्धवर्णनेषु वायोः भेदद्वयं दृश्यते यो हि तटस्थलक्षणरूपेण स्वरूपलक्षणरूपेण च व्याख्यातुं

5.ऐतरेयब्राह्मणम् 2 । 38

6.ताण्ड्यमहाब्राह्मणम् 4। 6 । 8, गोपथब्राह्मणम् 2 । 1 । 26

7.प्राणाद् वायुरजायत । ऋ0 10 । 90 । 13

8.निघण्टु8 5 । 4 वेदार्थदीपक- निरुक्तम्भाष्यम् (पं0 चन्द्रमणि विद्यालंकार) पृ 307 से 667

9.निरुक्तम् 7 । 2 । 1

10.निरुक्तम् 10 । 1 । 1

11.निरुक्तम् 10 । 1 । 2

12.निरुक्तम् 10 । 1 । 1 (एतेरिति स्थौलाष्ठीविः अनर्थको वकारः)

13.पाणिनीयउणादिकोषः 1 । 1 अष्टाध्यायीसूत्रपाठः—आतो युक् 6 । 3 । 33

14.तैत्तिरीयोपनिषद् 2 । 1 । 1

15.वेदान्तसारः—पञ्चीकरणसिद्धान्तः

16.स्पर्शवान् वायुः- वैशेषिकदर्शनसूत्रम् 2 । 1 । 4

17.अथर्व0 11 । 4। 1, 10, 12

18.ऋ0 1 । 28 । 6, 4। 26 । 7

19.ऋ0 1 । 34। 5, 1 । 85 । 5, 1 । 122 । 3, 5 । 55 । 5, 7 । 40 । 6

20.ऋ0 1 । 19 । 1, 1 । 85 । 3, 1 । 164। 5, 1 । 89 । 4, 10 । 137 । 3, 10 । 186 । 1

21.वेदार्थदीपक-निरुक्तभाष्यम्म्-(भाष्यम्कारः - श्री चन्द्रमणिविद्यालंकारः) पृ0 607 (कमत्यं मध्यादेवम् वक्ष्यत् ।)

शक्यते। तटस्थलक्षणे वायोः तानि रूपाणि वर्ण्यन्ते यानि वायोः बाह्यरचनां दर्शयन्ति तथा चाधुनिकविज्ञानस्य चिन्तनमपि दर्शितमस्ति यथा प्राणमयवायुः वाष्पमयवायुः इत्यादि। स्वरूपलक्षणे वायोरान्तरिक भेदाः सूक्ष्मतः स्पष्टीकरिष्यन्ते।

तटस्थलक्षणम्- प्राणमयवायुः- यजुर्वेदेवायोः प्राणरूपस्य वर्णनं प्राप्यते **'सं ते प्राणो वातेन गच्छताम्'**[22]। अर्थात् प्राणाः पवित्रवायुना सह उत्तमरीत्या रमणं कुर्युः। अन्यत्र च **'सं प्राणः प्राणेन गच्छताम्।'**[23]उक्त्वा विश्वव्यापकप्राणरूपेण सह एकरूपता दर्शितास्ति। अथर्ववेदे वायोः प्राणप्राप्तेः अनेकशः कामनाः[24] कृतास्सन्ति **'पुनातु वातः प्राणेनेषिरो नभोभिः'**[25]।अर्थात् वायुः प्राणैः मेघैः चास्मान् पवित्रं कुर्यात्। अन्यत्र चैकात्र वेदो वदति **'वातात्ते प्राणम् अविदम्'**[26] अर्थात् वायोरेव तव प्राणस्थितिः। अन्यास्मिन् स्थलेष्वपि वायोः प्राणाः याचितास्सन्ति – **'वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान् दधातु मे'**[27]। उपनिषत्कारेण वायोः प्राणरूपः अपि स्पष्टं व्याख्यातः अस्ति।**'वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्'**[28] अर्थात् वायुः प्राणरूपेण नासिकां प्राविशत्।

वाष्पमयो वायुः - वायोः आधुनिकविज्ञानसम्मतस्वरूपचिन्तनावसरे तथ्यमेतत् दृग्गोचरर्यभवत् यत् वायौ वाष्पकणाः मिलिताः भवन्ति इति। अत्र वायोरस्य स्वरूपस्य वैदिकसाहित्ये चोपलब्धवर्णनमेव वाष्पमयवायुरिति उदीरितः। अथर्ववेदे वायुः जलस्य अधिपतिरूपेण कथितः तथा तस्मात् रक्षायाः कामना कृतास्ति, **'वरुणो अपाम् अधिपतिः स मामवतु'**[29]। अत्र वरुण इति शब्देन तापर्यम् तस्मात् वायोरस्ति यो हि जलाधिपः।वरुणस्य वायुरूपं स्पष्टीकुर्वन् निरुक्तस्य भाष्यकारो लिखति **'सूक्ष्म जलयुक्तो वायुः वृष्टिं यःप्रेरयति आकाशं गत्वा च तिष्ठति सःवरुणः'**[30]। अर्थात् यत् सूक्ष्मजलेन युक्तमाकाशम् आवेष्टितं कृत्वा उत्प्रेरको भवति सः वायुः वरुणनाम्नाप्यभिधीयते।

स्वरूपलक्षणम्- वैदिकसाहित्ये वायोः समष्टिस्वरूपस्य नाम मरूद्गणोऽस्ति। एषः यज्ञस्ययोग्यं तथा धेनोः समं जीवनशक्तिदायिनी इति कथितः।[31]एतेषां मरुद्गणानां संख्या वैदिकमन्त्रैः त्रिषष्टिरिति स्वीकृता[32]परन्तु मन्त्राणां भाष्येषु त्रिषष्टिमरुतां नाम्नां कार्यस्य वा सम्यग् विवेचनं न प्राप्यते। सायनाचार्येण अन्यत्रैकत्र मरुतां संख्या नवचत्वारिंशत्[33] इति कथितमस्ति। परम्परानुसारं यदि एते नवचत्वारिंशत् इति मरुद्गणाः दश-प्राणापानादिवायुपुरोवातैः पश्चाद्वातैः[34] तथा मित्रावरुणैः सह युज्येत तदा एषा संख्या त्रिषष्टिः भवति।

22.यजुर्वेदः 6 । 10,

23.यजुर्वेदः 6 । 18

24.अथर्ववेदः 19 । 27 । 2, 19 । 43 । 2, 19 । 44। 4

25.अथर्ववेदः 6 । 62 । 1

26.अथर्ववेदः 8 । 2 । 3

27.अथर्ववेदः 19 । 43 । 2

28.ऐतरेयब्राह्मणम् 1 । 2 । 4

29.अथर्व0 5 । 24। 4

30.निरुक्तम् सम्मर्शः (स्वामी ब्रह्ममुनिः) पृ0 713

31.निरुक्तम् सम्मर्शः (स्वामी ब्रह्ममुनिः) पृ0 713

32.ऋ0 8 । 96 । 8

33.ऋ0 1 । 137 । 4, 8 । 89 । 2 सायणभाष्यम्म्

34.ऋ0 10 । 137 । 2 सायणभाष्यम्

वायोः व्यष्टिरूपम्– समष्टिवायोरिव वायोः व्यष्टिस्वरूपस्य अर्थात् शरीरगतस्य वायोः संख्याविषयेऽपि शास्त्रेषु आचार्येषु च मतैक्यं न दृश्यते। ऋग्वेदः केवलं प्राणवायुमेव स्वीकरोति।[35] अथर्ववेदे प्राणवायुना सह अपानवायोः व्यानवायोश्च वर्णनं प्राप्यते।[36]

काठकसंहितापि वायोः संख्यात्रयम् एव समर्थयति **'त्रयः प्राणाः प्राणो व्यानोऽपानः'**[37]। ऐतरेयारण्यकानुसारं प्राणानां संख्या द्वादश। तदनुसारं एतेषु द्वादशप्राणेषु सप्त शिरसु द्वौ स्तनयोः तथा त्रयः शरीरस्याधो भागे विद्यमानाः सन्ति।[38] परन्तु गोपथब्राह्मणः तु पुरुषेषु विद्यमानप्राणानां संख्यां त्रयोदशमेव स्वीकरोति।[39] आयुर्वेदाद्यनेकग्रन्थाधारेण शरीरगतवायुः स्थान–नाम–कार्य–दृष्ट्या दशविधाः स्वीकृतः।

1. **प्राणावयुः**–प्राणोऽत्र मूर्धगः[40] अर्थात् प्राणावायुः मूर्ध्निस्थितः।

2. **उदानः** – उदानो हृदये[41] उदानस्तु हृदये प्रतिष्ठितः।

3. **व्यानः** – अथ य प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः[42] व्यानवायुः प्राणापानयोः सन्धिस्थाने स्थितः।

4. **समानः** – निरूक्तानिरुक्त इव ह्यसमानः[43] समानवायुः छद्मरूपावलिः वर्तते।

5. **अपानः** – अपानेन वै प्राणो धृतः[44] अपानद्वारा एव प्राणशरीरस्य स्थितिः। नाभ्याम् अपाननिरभिद्यत्। अपानस्य नाभ्यां स्थितिः।

6. **नागः** – नाग उद्गिरणकरः[45] नागवायुः उद्गारक्रियां सम्पादयति।

7. **कूर्म्मः** – कूर्म्म निमीलनकरः[46] कूर्म्मवायुः नेत्रोन्मीलनकार्यं करोति।

8. **कृकलः**– कृकलः क्षुधाकरःकृकलवायुः बुभुक्षां वर्धयति।

9. **देवदत्तः** – देवदत्तः जृम्भणकरः– देवदत्तवायुः जृम्भणकार्यं व्यवस्थापयति।

10. **धनञ्जयः** – धनञ्जयः पोषणकरः– धनञ्जयवायुः पोषणं प्रददाति।

ऋग्वेदे चान्यत्र अन्यौ द्वौ वायू वर्णितौ ययोः नामकरणं सायणेन पुरोवातः पश्चाद्वात इति कृतः। एतौ द्वौ वायू आसमुद्रात् देशपर्यन्तं प्रवहतः। एतयोः एकः बलप्रदानं करोति अन्यः पापमपाकरोति।[47] वैदिकसाहित्ये प्राणवायुः मित्रत्वेन अपानवायुः वरुणत्वेन च कथितः।

35.ऋ0 1 । 66 । 1
36.अथर्व0 5 । 4। 7
37.काठक संहिता 19 । 11
38.ऐतरेयारण्यकम् 1 । 5 । 1
39.गोपथब्राह्मणम् 1 । 5 । 5
40.अष्टाङ्गहृदये (वाग्भट्टः) सूत्रस्थान–दोषभेदीयाध्यायः–12 । 4
41.शाङ्खायनारण्यकम् 11 । 6
42.छान्दोग्योपनिषद् 1 । 3 । 3
43.षड्विंशब्राह्मणम् 1 । 2
44.मैत्रायणीसंहिता 4। 5 । 6
45.ऐतरेयारण्यकम् 2 । 4। 1
46.शब्दकल्पद्रुमः पृ0 305
47.ऋ0 10 । 137 । 2

वायोः पर्यायाणां पदगणना- अमरकोषे वायोः विंशतिः नामानि आगतानि सन्ति[48] – श्वसनम्, स्पर्शनम्, वायुः, मातरिश्वा, पृषदाश्वः, गन्धवहः, अनिलः, आशुगः, समीरः, मरुतः, मारुतः, जगत्प्राणः, समीरणः, नभस्वदः, वातः, पवनः, पवनामः, प्रभञ्जनः, प्रकम्पनः च।

वायुस्वरूपं विवेचयता आचार्यकमलनारायणेन वायोः सार्धैकशतस्य नाम्नां परिगणनं कृतमस्ति।[49] एतेषु सप्त नामानि तु निघण्टौ पठितानि विंशतिः चामरकोषे पठितानि द्वात्रिंशद् नामानि शब्दकल्पद्रुमे पठितानि शब्दरत्नावल्या जटाधरेण चोल्लिखितानि।[50] अन्यानि चावशिष्टानि नामानि बृहत्पर्यायवाचिकोषादुद्धृतानि।[51] वेदे यज्ञीयत्रिषष्टिप्राणशक्तिरूपे मरुतामुल्लेखः।[52] आचार्यः सायणः रुद्रस्य पुत्ररूपे नवचत्वारिंशत् मरुतां नाम्नाम्उल्लेखं करोति।[53] आचार्यकमलनारायणः निघण्टौ सप्त नामानि स्वीकरोति परन्तु निरुक्तस्य दशमे एकादशे चाध्याये सम्यक् पर्यालोचनेन अष्टाविंशतिः पर्यायनामानि प्राप्यन्ते।[54] इत्थं सार्द्धैकशतं तथा नवचत्वारिंशत् मरुतः,[55] तथा चान्यद् मरुतद्वयं[56] तथा एकविंशतिः निरुक्तनामानि यदि एतानि वयं योजयेम तर्हि आहत्य द्वाविंशत्याधिकशतं नामानि समष्टिवायोः पर्यायत्वेनोपलभ्यन्ते। यदि एतेषां नाम्नां साहित्यप्रयोगाधारेण सूक्ष्मतया विशेषमध्ययनं क्रियेत तर्हि वायुमण्डलस्थितानां सर्वेषां वायूनां तथा चैताषां गतीनां विषये विशिष्टतया ज्ञातुं शक्यते इति आचार्याः वदन्ति।[57]

विशेषानुशीलितग्रन्थसूची –

1. *यजुर्वेदसंहिता, परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0*
2. *ऋग्वेदसंहिता , परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0*
3. *सामवेदसंहिता, परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0*
4. ऋग्वेदः (ऋषि अग्नि विरचित), डॉ0कुवँर चन्द्रप्रकाश सिंह (अनु.)1992, भुवनवाणी ट्रस्ट,सीतापुर रोड, लखनऊ ,20 , उ. प्र.,भारत
5. अथर्ववेदः (ऋषि अथर्वा विरचित),डॉ0कुवँर चन्द्रप्रकाश सिंह (अनु.)1992, भुवनवाणी ट्रस्ट,सीतापुर रोड, लखनऊ ,20 , उ. प्र.,भारत
6. ईशादि नौ उपनिषद्- गीताप्रेस, गोरखपुर
7. उपनिषद्प्रकाशः,राजपालसिंहशास्त्री, मधुरप्रकाशनम्, दिल्ली-110006
8. प्रश्नोपनिषद्- शौनकसुधाप्रकाशनसमिति, चिनहट, लखनऊ-227105
9. उपनिषद्संग्रहः- (स.) प.जगदीशः शास्त्री, 1984, मोतीलाल बनारसीदास,

---

48.अमरकोषः 1 । 1, 31- 63

49.वैदिक वाङ्गमय में पर्यावरण एवं प्रदूषण पृ0 242

50.शब्दकल्पद्रुमकोशः-चतुर्थभागः, पृ0 341

51.वृहत्पर्यावाचीकोशः (क) 313 पृ0 26

52.ऋ0 8 । 96 । 8

53.ऋ0 1 । 39 । 4, 1 । 107 । 2, 8 । 8 । 2 सायणभाष्यम्

54.शब्दकल्पद्रुमः भाग 4, पृ0 305

55.यतो हि 150 नामसुदशानां शरीरगतवायुरूपाणां परिगणनं जातमस्ति।

56.पुरोवातः पश्चाद्वातश्च

57.वैदिक सम्पत्ति– पं0 रघुनन्दन शर्मा पृ0 299

बंग्लो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली ,भारत

10. मनुस्मृतिः(मनु विरचित), (स.)श्रीगोपालशास्त्री नेने, -2039वि0,
चौखम्बा संस्कृत संस्थान,गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी, उ. प्र.,भारत

11. निरुक्तम्(ऋषियास्क विरचित), (टी.), प.छज्जूरामशास्त्री विद्यासागरः,पु. मु.1987,
मोहनचन्द लक्ष्मणदास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,भारत

12. . निरुक्तभाष्यम्, (ऋषियास्क विरचित), (व्या.)भगवद्दत्तः विद्यालङ्कारः,, 1981
रामलालकपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, सोनीपत , हरियाणा,भारत

13. महाभारतम्, 2045वि0,गीताप्रेस, गोरखपुर, उ. प्र.,भारत

14. ऐतरेय ब्राह्मण-सायण-भाष्य सहित, सं सुधाकर मालवीय,
तारा प्रिंटिंग वर्क्स, वाराणसी, 1989

15. शतपथ ब्राह्मणम्-सायण-भाष्य सहित, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली 1989 ई0

16. निरुक्तम्(ऋषियास्क विरचित), (टी.), प.छज्जूरामशास्त्री विद्यासागरः, पु. मु.1987,
मोहनचन्द लक्ष्मणदास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,भारत

17. निरुक्तभाष्यम् (ऋषियास्क विरचित), (व्या.)भगवद्दत्तः विद्यालङ्कारः,, 1981
रामलालकपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, सोनीपत , हरियाणा,भारत

18. निरुक्त-वेदार्थदीपक-भाष्य, श्री चन्द्रमणि विद्यालंकारकृत ,
आर्यप्रकाशन, झज्जर, हरियाणा, 1985

19. संस्कृत-हिन्दी-कोष- श्रीवामनशिवराम-आप्टे,
मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा.लि. दिल्ली, सन् 1989

20. अमरकोशः,चौखम्बा संस्कृत संस्थान ,वाराणसी

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

Historical, Cultural and Socio - Legal Analysis of LGBTs in India

Sonam Narayan
Assistant Professor, M.J.P.Rohilkhand University, Bareilly

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 162-185

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

Abstract - One of the most diverse, multi-coloreds, hierarchical, rigid, and equally forward-looking civilizations with a scientific mindset is Indian society. In literature like the Kamasutra, ancient artifacts and eloquently written descriptions of the LGBT community's contributions to Indian history can be found. In contrast to the present world, ancient Indian socio-legal views on LGBT people were flexible and reasoned. For a long time, academics have maintained that same-sex partnerships were not illegal nor viewed as immoral or wicked in pre-colonial Indian society. Homosexuality has historically been viewed in Hinduism, the largest and third-most practiced religion in the world, as natural and joyous. Many characters in the Mahabharata alter their gender, including Shikhandi, who is born female but later marries a woman and identifies as male. Fatwa-e-Alamgiri was declared in many of the ancient Mughal empires for Zina (illegal intercourse), in which there was a provision of punishments such as death by stoning for Muslims, 100 whips or 50 whips etc. However, for elite, at least, this requirement was widely disregarded in practise. In the 16th and 17th centuries, transgender people held influential positions in the courts of the Mughal emperors. Homo-eroticism was fairly prevalent in Mughal court life. In his autobiography, Babur, the Mughal Emperor, spoke of his crush on a boy. In contrast, homosexual behaviour was frowned upon by the average Mughal. Under section 377 of the IPC, the British made oral & anal sex illegal for both homosexuals & heterosexuals. This chapter will examine how homosexuality, which is often addressed in ancient writings, became prohibited throughout the Mughal dynasty (1526–1857) and was eventually codified by the British as an "unnatural sin." The chapter analyses the origin of s. 377 in the colonial history of India after going over the thoroughly documented history of LGBT people in ancient Indian writings across all of the main religions practised in ancient, mediaeval, and modern India. It tries to explain the fight for the decriminalisation of gay behaviour and the

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

acknowledgment of transgender rights in independent India in the latter portion.

Keywords: LGBT, Ancient India, Hidduism, Veds, Puranas, Ramayana, Mahabharats, Hijra

Hinduism- Hinduism is the world's oldest religion, and over 95% of all Hindus live in India. The Hindu religion does not adhere to any one dogma, worship any one God, hold to any one philosophic idea, practise any one set of religious rites or performances, and does not appear to meet the strict traditional requirements of any religion or creed, in contrast to other religions around the world. It is merely a way of life, to put it simply.

The five primary sacred texts of Hinduism are the Vedas, written in Sanskrit between 1500 and 900 B.C., the Upanishads, written between 800 and 600 B.C., the Laws of Manu, written around 250 B.C., the Ramayana, and the Mahabharata, written between 200 B.C. and 200 A.D.

The Shruti (what is heard) and Smriti (what is remembered) sections of the sacred writings of Hinduism. While the Mahabharata (which includes the Bhagavad Gita) and the Ramayana are thought to be Smriti, drawn from great sages, the Vedas and Upanishads are considered to be Shruti, divinely inspired. Sage Vyasa was the first to write the Ramayana, and Sage Vyasa was the first to write the Mahabharata.

It is important to note that the Hindu God Shiva is frequently depicted as "Ardhanarishvara," having a dual male and female nature, while discussing the status of homosexuals and transgender people in Hinduism. One of the proofs is a sculpture from the Elephanta Caves, which are close to Mumbai. The great god Shiva is depicted in his Ardhanareshwar (half man, half woman) form with the secondary sexual features of both sexes, which represents the minimization of disparities between male and female figures. The Ardhanareshwar is the cultural ideal that encourages Hindus to invoke a deity together rather than individually.

There are stories of both gods and humans experiencing gender change in the Hindu narrative tradition. Gay and transgender Hindus often worship several Hindu deities associated with gender diversity, such as Ardhanarishvara (the bisexual form of Shiva); Aravan (a hero whom Krishna married after taking the form of a woman); Ayyappa (Deity born from a deity) union of Shiva and Mohini; Bahuchara-Devi (a goddess associated with transsexuality). The Manusmriti, one of the earliest standards of conduct for Hindus, makes reference to homosexual behaviour. Although it is addressed in relation to sexual acts, homosexuality wasn't always viewed favourably.

Such behaviour is sanctioned with penalties. For instance, it is illegal for an older woman to have sex with a virgin woman. "A woman who pollutes a damsel (virgin) shall instantly have her head shaved or two fingers cut off, and be made to ride (around the town) on a donkey," Chapter 8 verse 370 of Manusmriti states. "A damsel who pollutes (another) damel must be penalised with 200 panas, pay the double of her nuptial fee, and get 10 (lashes with a) rod, according to Chapter 8 verse 369, which refers to sexual contact between two virgins."

When taken out of context, these regulations appear to be against solely homosexual relationships, but a careful examination of them reveals that they are actually concerned with a young woman's loss of

virginity, which disqualifies her from marriage. To further illustrate, chapter 8 verse 367 of the Qur'an states that "...if any man through impertinence forcibly pollutes a young lady, two of his fingers shall be immediately cut off, as well as he shall pay a fine of six hundred (panas)".

Given that the Manusmriti is the same text that places women even below a man's property, his livestock, and other assets, the disparity in treatment may have been caused by gender discrimination. According to chapter 11 verse 68, "causing damage to a priest, smelling wine or things that are not to be scented, being crooked, and sexual union with a man are historically considered to bring loss of caste494" for Brahmans and men who were born twice. The ceremonial bath is the atonement for twice-born men, according to verse 175 of the same chapter: "A twice-born man shall bathe, clothed in his clothing, after having intercourse with a male, or with a female, in a cart driven by oxen, in water, or in the daytime."

Again, it is very evident that only Brahmans and males who have been born twice are subject to these restrictions.

There is an interesting story of two queens in some versions of the famous Bengali epic Kritivas Ramayana on the pastimes of Lord Ramachandra. The gods were worried that Maharaja Dilip, the famous king of the Surya dynasty, had no children. Therefore, Lord Shiva appeared to the king's two bereaved queens, he blessed them to be loved and with their blessings a loving son would be born. After that one of them became pregnant. Unfortunately, the infant was born without bones, but with the help of a sage named Ashtavakra, the child was made perfect and the dynasty was run. Ashtavakra named the infant "Bhagiratha". In the Mahabharata, Arjuna had to become Brihannala. Similarly, Shikhandi was also a eunuch in Mahabharata.

KAMA SUTRA- Around the fourth century, the philosopher Vatsyana composed the Kama Sutra, a work of antiquity that discusses "Kama" (desire). It describes a variety of gender and homosexual practices in many places. It describes the methods used by both men and women of the third gender (Tritiya-prakriti) to practice fellatio. In the ninth chapter of the Kamasutra, two types of men are described as masculine- and feminine-types of homosexuals; Previously, in Victorian British translations, they were simply called "hijra". Such gay men also used to marry. People of the third gender who married together in the Kamasutra had very poor relations. In the Kamasutra, homosexual acts are despised, especially by Brahmins. The Kamasutra also mentions svairini, or autonomous or emancipated women, who do not marry and engage in sexual activities in their own homes or other households. Other religious writings include the Narada Smriti, which was composed around 400 AD and forbids the union of gay men and women. They are described as Mukhebhaga or males who engage in oral intercourse with other males. It said, “these four [Irsyaka, Sevyaka, Varateta and Mukhebhaga] should be disqualified for marriage, even for a woman who is raped.”

The Sushruta Samhita is a Hindu scripture that dates back to at least 600 BCE and discusses two different sorts of gay men as well as transgender persons (Kumbhika, who participate in anal intercourse, and Asek, who engages in sexual intercourse with other men). consume semen, sandha (men with female qualities, behaviour and speech). It is significant to remember that male or female behaviour is predetermined at the time of conception in the womb, whether it be in men or women. This suggests that both genders are equally likely to be present. Such a birth is indeed mentioned in the South Indian epic Krittivas Ramayana. Other literature mention various categories of males who lack sexual excitement (known in Sanskrit as sandha, kaliba, neuter and panda).

Twenty categories are included in the "Sabada Kalpadrum" Sanskrit dictionary, the Kamatantra, and the Smriti-ratnavali of Vakaspati (14th century). The Narada Smriti contains similar lists of fourteen different categories. There are three different categories of gay men, intersex people (Nisarga), trans people (Sandha), and (Mukhebhaga, Kumbhaka, and Asekya).

These texts suggest that third-gender terminologies such as sandha and napumasaka are actually "related to a variety of people who are eunuchs with women."

Views of historians- The status of homosexuality in Hindu literature is briefly described by historian Devdutt Patnaik as follows: "Homosexual behavior was not a mainstream issue in Hinduism; its presence was acknowledged but not accepted." In his book "Tritiya Prakriti: People of the Third Gender", a Vaishnava monk shows that early forms of Hinduism accommodated homosexual and transgender people much more favorably than in India today. Other historians claim that while homosexuality was allowed in other castes, it was not acceptable to Brahmins or Dwijs. The researchers claimed that "early Vedic teachings promoted responsible family life and asceticism, but also accepted different styles of sexuality within normal society."

Homosexuality & Muslims

The people of Lot, also known as the inhabitants of Sodom and Gomorrah, were destroyed by the wrath of Allah because they indulged in "erotic" physical practices among men according to the Qur'an. The biblical term "people of plunder", which refers to the inhabitants of Sodom and Gomorrah, is used seven times in the Qur'an, and their destruction by Allah is clearly linked to their sexual behavior.

Abdullah Yusuf Ali translation of the Quran is used for the portions that follow. We also despatched Lut, who asked his people: Do you engage in sexual behaviour as no one before you has ever done in reaction? You are an unstable individual because you indulge your lust for males rather than females. And his followers had just this response: "They are men who do desire to be more pristine and clean, so expel them from your city." (Quran 7:80–82) "Will you approach males among all the creatures in the world and reject the partners Allah has given you? No, you are a person that crosses all boundaries! It was said: "If you don't stop, Lut! "You will undoubtedly get expelled! " "I do dislike your actions," he remarked. "No, Lord! Save my family and I from the evils they do! " We therefore delivered him and his family, with the exception of an elderly woman who stuck around. But we completely demolished the rest. We showered down a deluge of brimstone on them, and the people who disregarded our warnings suffered the consequences! Undoubtedly, this is a sign, but the majority of people reject it. And undoubtedly, he is your Lord, the Exalted in Power and Most Merciful. " (Quran 26:165.175)

"Would you really pursue men instead of women to satisfy your desires?" No, you are a grossly illiterate person! But his supporters only provided the following response: "Drive out the Lut followers from your city; these are guys who do genuinely seek to be clean and pure," they commanded. Except for his wife, who was destined to be among those who fell behind, we saved him and his family. They received a shower of brimstone from us, and those who disregarded our warnings suffered the consequences. (Qur'an 27:55- 58)

And keep in mind what Lut declared to his people: "You commit lewdness like no one in Creation (ever) has before you. Do you really approach men and block off the road? -and engage in evil deeds even in your councils? " But his followers only had one response: "Bring us Allah's wrath if thou tellest the truth." (Quran, 29:28–29). However, there is only one verse or chapter in the Quran that can be taken to mean that

gay behaviour is prohibited.

Additional LGBT-RELATED Islamic Laws- Homosexuality is viewed by many experts of Shariat, or Islamic law, as both a sin and a criminal offence. Islam does not specify any particular punishment; instead, local authorities are free to impose whatever they see fit. Additionally, it is unreported that the Prophet Mohammed has sentenced anyone to death for practising homosexuality. Hadith scholars like Abu Bukhari and others have questioned the veracity of any authentic hadith in which the Prophet is said to have prescribed a penalty for homosexuals.

Homosexuality and Sikhism- Sikhism, like Hinduism, does not have any explicit teachings regarding homosexuality. Even though the Guru Granth Sahib Ji, the Sikhs' holy book, praises marriage many times, it doesn't say anything about being gay.

The Guru Granth Sahib, the Sikh holy text, outlines the conduct expected of all Sikhs. Even though it talks a lot about marriage, it seems to say nothing about homosexuality. Sikhs today hold a variety of opinions about homosexuality.

Buddhism and homosexuality- Buddhists have a very diverse range of views on homosexuality. The fundamental ideas of Buddhism, however, assert that sexual pleasure in particular and sensual happiness and desire in general are obstacles to enlightenment and lower forms of enjoyment. Buddhism is a religion that is inferred by its religious philosophy to be against homosexual intercourse and is neutralist in its scripture. Buddhist followers and the leader of the religion have both said that they support "tolerance, compassion, and equal rights for all, regardless of sexual orientation." However, they have stuck to their position that any sexual act or physical indulgence that goes against the natural order of things must be condemned.

The Criminalisation of Homosexuality is a Colonial Imposition- "Indian Law Commission" was created in 1833, during the rule of the "East India Company" in India, and Thomas Babington Macaulay was chosen to serve as its chairman. The 488-clause Draft Penal Code was presented to the Indian government in 1837 by the Indian Law Commission, which was led by Macauley. After the First Report was presented on July 23, 1846, C.H. Cameron and D. Eliott submitted the 2nd Report of Her "Majesty's Commissioners" for Revision & Consolidation of the Law on June 24, 1847.

These commissions came to the conclusion that the Draft Penal Code was sufficiently thorough and suitable for implementation with only minor changes. On May 30, 1851, the judges of the Sudder Court in Calcutta and the Supreme Court in Calcutta both received copies of the new Penal Code.

The updated version of the Code was created by "Mr. Bethune", a member of the Indian Legislative Council, taking into account the opinions of Mr. Justice Colvile, the Chief Justice, and Justice Buller, who were then serving as Justices of the Supreme Court in Calcutta. It was then sent to the East India Company in London. The London Company was eager to implement the penal law as soon as feasible. So they made Mr. Barnes Peacock the fourth member of the council.
In light of the infamous Indian War of Independence of 1857, revised Penal Code Draft, which was then sent to a Select Committee in 1857. So, soon after, Code was passed in October 1860, and it went into effect on January 1, 1862. It is important to remember that the final version of s. 377 differed significantly from Macaulay's Draft. This was the details of Macaulay's initial draught:

S. 361: Anyone who intentionally touches a person, an animal, or allows someone else to touch him

with the object of satisfying an unnatural lust is punishable by imprisonment of either kind for a duration that cannot be less than two years and can't be less than fourteen years, as well as by a fine.

Anyone who intentionally engages in sexual activity on another person without that person's free and informed permission in order to sate an unnatural lust is punishable by either sort of imprisonment for a time that may not be less than 7 years and may not extend to life, as well as by a fine. Macaulay suggested a life sentence for satisfying unnatural lust without permission and a 14-year sentence for the same crime when permission was given.

Clauses 361 & 362, he added, "relate to an abhorrent class of offences about which it is preferable that as little should be mentioned." We leave the two clauses that we have proposed for these offences to His Lordship in Council's discretion without making any further comment. We are unwilling to add anything in the text or the notations that could spark open dialogue on this revolting subject because we firmly believe that the harm that such discussion could do to society's morality and ethics would far outweigh any benefits that might be obtained from laws that is framed with utmost precision.

It is unclear when s. 377 eventually took shape during the deliberations before the numerous people and committees after 1837. What is certain is that the draught equivalent of s. 377 was sent for enactment by the Committee of Sir Barnes Peacock in the end.

So few modifications have been made to the IPC throughout its almost 150 years of existence. The 42nd Law Commission Report, which was written early in the history of this country, did not support the amendment or repeal of s. 377. The Law Commission, headed by Justice B. P. Jeevan Reddy, stated in 2000 that anal intercourse among consensual adults of any gender should not be punished, however, because modifications to the prior statutes made that obvious.

Section 377 and Other Punitive Provisions Applied to the LGBT Community:

Section 377 of the IPC, which deals with abnormal offences there, addresses homosexuality. This law against homosexuality was imported into India from the 19th-century British Penal Code.

"Whoever willfully engages in sexual intercourse with any man, woman, or animal against the order of nature shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either sort for a time which may extend to 10 years, and shall also be liable to a fine," S. 377 declares. The forbidden behaviours are referred to as "unnatural transgressions" in the marginal remark. However, this phrase is not found in the text of section 377 IPC. In contrast to "sexual intercourse," which is used in sections 375 and 497 of the IPC, "carnal intercourse" is used in section 377 of the IPC. Carnal is defined as "sensual, sexual," "of the body or flesh," and "worldly." Under Law 377 of the Indian Penal Code, consent is not a defence to an offence, and the section makes no distinction based on age.

Similar to how s. 292 of the IPC mentions obscenity, there is considerable room for homosexuality to be covered under this provision. Gay males are likewise subject to s. 294 of the IPC, which criminalises any form of "obscene behaviour in public."

It is crucial to note that in England, where this law originated, homosexuality between willing couples is no longer a crime under the Sexual Offenders Act of 1967. However, in India, consent is largely irrelevant for committing the offence as it is stated in this provision.

S. 46 of Chapter 6-Offenses of the Army Act, 1950 states that anyone subject to this Act who violates any shameful conduct of a crude, indecent, or unnatural kind may be sentenced to imprisonment for a term up to 7 years or much less punishment as this Act mentions upon conviction by court-martial. The Indian Armed Forces' (IAF) legal treatment of homosexuality is modelled after s. 377 of the IPC. As a result, s. 377 is the main section in India that defines and describes unnatural offences. This section says that homosexuality is a crime that can be proven, can't be released on bail, and can't be added to other crimes. It is punishable by life in prison or ten years in jail plus a fine.

The Criminal Tribes Act, 1871, which was a law under British control to regulate the people of the Hijra/Tg tribe, stated that everyone in the Hijra community was naturally "criminal" and "accustomed to non-bailable offences" .." Such persons may also be detained without warrant and punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. However, this act was repealed in August 1949.

Interpretations by Judges- In spite of not having a clear definition, Indian courts have interpreted "carnal inter-course against the order of nature" to encompass anal sex, oral sex, and occasionally other non-procreative sexual acts, including mutual masturbation. Despite the fact that heterosexual couples also exhibit these behaviours, homosexual sex has historically faced the brunt of the law. The "voluntary" clause in the law declares such intercourse to be unlawful, regardless of whether it is consented to.

The “European Court of Human Rights” determined in the 1980s that criminalising same-sex sexual activity violated the rights to privacy. In 1967, homosexuality was made a non-violent crime in Britain, which during the colonial era also created the IPC and s. 377. Due to the difficulty of establishing "carnal intercourse against the order of nature" in private, the legislation has rarely been invoked in court rulings in India. It is necessary to catch two people engaging in a sexual act, which is typically done in private, in order to bring about a successful conviction. Since 1930, only one person has been charged with a crime for having a sexual encounter with someone of the same sex with their permission.

The Sexual Offences Act of 1967, which was implemented in Britain in response to the Wolfenden Committee's recommendations, decriminalize acts of homosexuality and sexual abuse among consenting adults (over 21 years of age). In 1957, the Parliamentary Advisory Committee suggested repeal of laws criminalizing homosexual activities.

There were just 30 cases heard by the High Court & Supreme Court in the entire period of the Act, which ran from 1860 to 1992. 30 cases were registered, of which 18 were non-consenting, 4 were consensual, 3 of which occurred before 1940, 8 were unspecified, and 15 were assaults on juveniles.

In Fazal Rab v. State of Bihar, the Supreme Court was debating a case in which a man had gay relations with a child with the boy's consent. The Supreme Court remarked that the offence in this case is covered under Section 377 of the IPC, which denotes sexual perversity. After considering the boy's consent, the Supreme Court decreased the sentence from 3 years of hard labour to 6 months of hard labour.

Scars of the IPC's Section 377:

In August 1994, in front of the Delhi police headquarters, the non-governmental organisation AIDS Bhedbhave Virodhi Andolan (ABVA) held the first-ever protest March that openly advocated "gay rights." This protest happened after "Less than LGBT," the first book to publicly advocate gay rights in India, was

published in 1991. The first Hindi-language movie to feature a lesbian romance was released in December 1999 under the title "Fire. Even when the National Film Censor Board, which is in charge of approving feature films, gave it its seal of approval, people attacked moviegoers, destroyed theatres, and asked that the movie be pulled.

Many of the NGOs that showed up in support of LGBT people faced harassment as well. Sangama, an NGO based in Bengaluru that supports sexual minorities, was informally outlawed since the police forbade people from asking for their assistance and forbade them from holding meetings in the city. 595 Similar to this, in 2001, three activists from the "Bharosa Trust" and "Naz Foundation International," who were giving out condoms and educational literature to homosexual men in Lucknow, were arrested and accused under s. 377 of "operating a gay sex club." After 47 days of widespread protests, the state was compelled to free them.

As an illustration of the negative impact of Section 377 on AIDS prevention efforts, Geetanjali Mishra cites the year 1994, "when a group of doctors urged that condoms be delivered in a Delhi prison where there were high reported rates of homosexual sex." Because providing condoms would amount to sanctioning homosexual conduct, which is against the law according to Section 377, the prison administration refused. 600 The former Inspector General (IG) of Tihar Jail, Kiran Bedi, declined to offer protection to the inmates, arguing that doing so would amount to encouraging homosexual behaviour and, more crucially, would be an acknowledgement that such behaviour occurred.The rights of sexual minorities to health, dignity, privacy, and eventually their life and liberty have all been severely harmed by s. 377.

The Road to Homosexuality Discrimination- The first report describing the experiences of LGBT people in India was published by ABVA in November-December 1991. The startling level of blackmail, extortion, and abuse that LGBT people experience is revealed in the 70-page report titled "Less than Gay," especially at the hands of the police. The report demanded the repeal of all laws, including s. 377, that discriminate against people who identify as LGBTQ. Ironically, reporters were too ashamed to ask questions after the publication at the Press Club of India.

In "Less Than LGBT," ABVA provides a thorough account of the political climate for gay people in India in the early 1990s. A few examples listed in the article include police extortion on a daily basis, surveillance of LGBT people, and harassment of gay meetings by the police. The "Gay Manifesto" demanded the repeal of all laws that specifically criminalised same-sex actions committed by consenting adults in private, including s. 377 of the IPC and the pertinent provisions of the Army, Navy, and Air Force Acts of 1950. Recognizing the right to privacy as a fundamental right was one of the most forward-thinking and notable demands. recognise the right to privacy as a key component of the citizen's right to life and liberty, including the right to his or her sexual orientation, as stated in the third demand of its sixteen-point Charter of Demands. Only 26 years after the organisation had developed and addressed the privacy concern, the Supreme Court of India acknowledged and recognised this demand.

The NAZ Foundation V. the Government of NCT Delhi- In 2001, the second attempt to repeal s. 377 got under way. The Naz Foundation India Trust, a Delhi-based NGO whose members themselves had experienced police persecution during their HIV education campaigns among sexual minority communities, teamed up with the "Lawyers Collective," a free legal aid group that also served AIDS patients. It's interesting to note that they asked the Delhi High Court to amend section 377 so as to remove "private consenting homosexual intercourse between adults" rather than repeal it entirely. Children's rights organisations

disagreed with the repeal of Section 377 as a whole because it was the only statute that allowed for some degree of prosecution of sexual abuse of minors.

Advice of the Petitioners- The petition said that Section 377 goes against four fundamental rights in the Indian Constitution: the right to equality before the law (Article 14), which is broken by Section 377's bias against certain groups; the right to be free from sex discrimination (Article 15), which is broken by Section 377's main focus on homosexual sex; the right to fundamental liberties (Article 19); and the right to life and privacy (Article 21).

A coalition of NGOs representing various social movements working on human rights issues joined the petition to support the argument and provide testimony from people who were personally harmed by s. 377. It was established in 2003 and brought together a sizable number of NGOs fighting to advance the rights of gay, lesbian, bisexual, and transgender people, as well as child rights advocates and feminist organisations, from which a unified voice against s. 377 was formed. The coalition was able to share the accounts of those whose lives had been ruined by the discriminatory law and others' abuse of it, as well as their experiences with police blackmail and threats of prosecution. The same testimonies were eventually included in the ruling and were successful in bringing the judges' attention to the neglected lives of sexual minorities.

Comments from the respondent- Both the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Health and Family Welfare provided legal views. They claim that s. 377 fills a gap in rape legislation and strives to punish those responsible for sexually abusing children. Additionally, they asserted that Indian society does not tolerate same-sex behaviour and that the country's laws only reflect ingrained social mores.

The Decision- However, this petition was denied because the Naz Foundation lacked locus standi and was not personally harmed by s. 377. Therefore, the petitioners requested a review of the petition's dismissal by the Supreme Court of India. The SC ruled that the Delhi HC must hear the matter because the grounds for the dismissal were invalid.

Finally, the Delhi High Court ruled in 2009 that section 377 violates articles 14, 15, and 21. After examining Article 14, the Court determined that each differentiation or classification must be based on an "intelligible differentia" that has a logical connection to the desired outcome. It stated in its conclusion that "S. 377 does not distinguish between public and private acts, or between consensual and non-consensual acts, and therefore does not consider relevant factors such as age, consent, and the nature of the act or absence of harm," it stated in its conclusion. Therefore, such criminalization in the absence of evidence of harm seems arbitrary and unreasonable."
The judges ruled that the statute breached articles 14, 15, and 21 of the Constitution "so far as it criminalises voluntary sexual actions of adults in private" and that discrimination based on sexual orientation is illegal even when it is applied horizontally.

Although s. 377 also extended to juveniles, the judgement was only applicable to adults. In situations where children engage in penile non-vaginal sex, the legislation would still be applicable. The cultural attitude of LGBT people began to change between the time the petition was first submitted in 2001 and the date of the ruling. As it turns out, the first NAZ petition was about LGBT people because it was believed that focusing a case on the human rights of sexual minorities would alienate the court more than persuade it. The initial NAZ petition adopted a clear focus on the health dangers imposed by s. 377. LGBT people have been subject to harassment thanks to S. 377. When homosexuality is no longer a crime, discrimination will still

exist because "it will take time for the judgement to bed-in."

Activism Background- The “National Human Rights Commission's” (NHRC) decision to reject a gay man's claim that he had been abused by a psychiatrist because he was given aversion therapy led to the NAZ Foundation's petition to the Delhi High Court, which eventually led to homosexuality being decriminalized.

By 2009, the socio-political landscape had changed so rapidly that the main focus of the petition was to cover the human rights of sexual minorities. This change was made possible by a group of 12 progressive NGOs and other groups that had a presence in Delhi, called "Voice Against 377". NGOs including CREA, Talking About Sexual and Reproductive Health Issues (TARSHI), Nirbhaya, Nigah Media Collective and Prism were part of the alliance.

A Volte-Face- Numerous appeals were filed against the Delhi High Court's ruling in the NAZ Foundation case, which was decided in favour of decriminalising homosexuality. One appeal, Suresh Kumar Kaushal v. NAZ Foundation & Oths., was the result of the consolidation of all the appeals. When the SC voted to re-criminalize homosexuality, noting that s. 377 "does not suffer from the vice of unconstitutionality and the declaration issued by the division bench of the high court is legally unsustainable," the LGBT community suffered a significant setback.

Our Appology for the Delhi HC Judgment- S. 377 covers all voluntary acts of carnal intercourse, regardless of gender, and is gender-neutral. They argued that it did not infringe on the right to privacy and that even the right to privacy does not excuse criminal behaviour. They further asserted that the judgement had an impact on Indian society and the conventional view of marriage. Additionally, they issued a warning against the appeal of gay acts to young people. Also, the parliament should be the one to decide if a law is moral or not.

The Appellants' arguments for why s. 377 was constitutional included the following: "The High Court committed a severe error by finding that s. 377 violated articles 14, 15, and 21 of the Constitution because it disregarded the absence of any foundational facts in the respondent's writ that would be necessary for making a determination regarding the constitutionality of any statutory provision. The written evidence that was used instead did not support the conclusion that gay people were treated unfairly by the law.

Arguments in Support of the Delhi High Court's Decision- S. 377 specifically targets the sexual orientation of the LGBT community. Under article 21, sexual rights are safeguarded. As a result, Section 377 denies them moral citizenship. It criminalises all forms of homosexual sexual intercourse and forbids sexual behaviour between men, which is by definition penile and non-vaginal.It harms homosexual men at a deep level and inhibits their right to dignity, personhood, and identity. Sexual intimacy is crucial for one's psychological health, and Section 377 deprives homosexuals of it. As society and times have changed, so too should the law. According to the respondent, Articles 14 and 21 are related. S. 377 does not give the discretion to choose which specific case, out of all the ones covered by the ambiguous statute, should be investigated. Criminalization worsens discrimination and makes HIV prevention programmes more difficult to implement.

The respondent argued in support of the Delhi High Court's decision that Section 377 discriminates against the LGBT population by criminalising a natural and personal trait and by including consensual activities between adults in their homes, which violates their right to privacy. They argue that, as "sexual identity" and "sexual orientation" are parts of the right to dignity granted by article 21, criminalising homosexuality under s. 377 robs LGBT of that right.

Certain behaviours that are an expression of homosexual men's fundamental sexual personality are made illegal, which has the negative effect of undermining their ability to maintain their dignity as human beings. As s. 377 criminalises all forms of sexual activity that homosexual men can engage in, it has a profound impact on them and restricts their right to dignity, personhood, and identity, as well as their equality and right to health. This is because sexual activity between men that is, by its very nature, penile and non-vaginal is prohibited.

The experience of sexual intimacy is fundamental to the human condition and is crucial for social adjustment, psychological well-being, and mental health. Homosexual men can't have this human experience because it's illegal for them to be sexual, but it's not illegal for heterosexuals. The Court must consider the temporal appropriateness of section 377 as well as shifting values. The Constitution should continue to be adaptable in order to address problems and difficulties that arise in the future. Indian culture is changing quickly, and things that used to be considered wrong shouldn't be punished anymore.

In order for other fundamental rights to be effectively realised, both the right to equality granted by Article 14 and the right to dignity and privacy granted by Article 21 of the Constitution must be upheld. The respondent further claimed that while s. 294 recognises the distinction between obscene conduct performed in private and in public, it should not be interpreted in isolation. It should be looked at in light of Article 21 of the Constitution, which says that people have the right to live alone.

They also argued that section 377 is too ambiguous and gives police too much latitude to harass members of sexual minorities. The appellants used court documents and NGO reports to show that they had been mistreated and harassed on a regular basis. The danger of AIDS rises when homosexuality is criminalised. as well as deterring members of the same LGBT group from coming out and asking for assistance.

Turning Over the NAZ

On December 11, 2013, a bench of two SC judges overruled the Delhi High Court's verdict, admitting the appeal and describing it as "legally unsustainable." They concluded that Section 377 of the IPC is legal and does not contravene the Constitution. The Supreme Court and the High Court have the authority to rule on the legality of laws, but as Parliament is thought to speak for the people, it would not pass any legislation that would violate the Constitution.

A Dawn- Although the NAZ Foundation case marked the first time that s. 377 was ever read down by the Delhi High Court to decriminalise consensual homosexual acts between two adults, it was the landmark decision in NALSA v. Union of India that fundamentally altered the judicial discourse in the SC regarding the freedom of sexual orientation and gender identity. With its decision, the Supreme Court gave transgender people their rights and brought back hopes that homosexuality would no longer be illegal.

The court's analysis of the history and significance of transgender people in Indian culture noted that the transgender community is made up of people who identify as Hijras, Eunuchs, Kothis, Aravanis, Jogappas, Shiv-Shakthis, etc. They have a long history in our nation and are frequently mentioned in Hindu mythology as well as other religious texts. The Vedic and Puranic literatures both contain the idea of tritiya prakrti or napunsaka.

The judges provided an explanation of international jurisprudence in this regard, noting that the European Union had provided protections from employment discrimination related to "gender reassignment" in a 1996 decision of the European Court of Justice in P v. S and Cornwell County Council661. When the Sex Discrimination Regulations were passed in 1999, the UK ratified this EU ruling. Any level of work is covered by this law's provisions for transgender people who "plan to undergo gender reassignment."

In the current case, Laxmi, a transgender activist, and Poojaya Mata Nasib Kaur Ji, a registered group, submitted the petition in the current case on behalf of the Kinnar community, a transgender community, and asked for the same relief—namely, the recognition of transgenders' gender. The gender of a person is established at birth, and subsequent decisions regarding adoption, marriage, inheritance, succession, taxation, and welfare are made in accordance with that gender. However, transgender people do not fit within either the male or female gender categories, as alleged in the petition. The petitioners claimed that transgender people are not given the choice to choose their gender.

Comments of the Petitioners

The petitioner argued that every TG person should have the freedom to select their preferred sex and establish their sexual orientation. According to the petitioner's attorney, they have been treated as second-class citizens in this country since they do not fit into the binary gender categories and their status as third gender is not recognised. They added that transgender people are excluded from social and cultural life, which denies them the right to education, medical care, and access to public areas. It goes without saying that everything said above eventually violates their fundamental rights to equality, dignity, freedom, and life.

They further argued that the fundamental rights afforded to them as Indian citizens are violated by the non-recognition of the TG community's gender identification. Additionally, they demanded that transgender people get affirmative action and be recognised as socially and educationally disadvantaged individuals under the law.

15 One of the petitioners, Laxmi, shared her personal account of experiencing severe discrimination. She went on to say that she had been treated like a criminal by her own society and even her state. She also said that passing laws to protect the rights of transgender people falls under the constitutional prerogative of the state and all of its organs.

Arguments made by the Indian Union

The Union of India detailed every single action the state had taken to enhance TG conditions.

Judgment

An individual's persistent physical, romantic, and/or emotional attraction to another person is referred to as sexual orientation. In addition to homosexuals, bisexuals, heterosexuals, and asexuals, people with heavy sexual orientation also include transgender and gender-variant people, and their sexual orientation may or may not change during or after gender transmission. According to the Honourable Court, "Hijra are not men by virtue of anatomical appearance and, psychologically, they are also not women, though they are like women with no female reproduction organ and no menstruation, and they also do not have reproduction capacities as either men or women,", so they cannot be categorised into the binary of men and women and instead claim to be an institutional "third

gender." In addition, the court classified transsexuals as people who have undergone "sex reorientation surgery" to align their biological sex with their gender identity and change from being female or male.

International laws that the SC court has referred

The Court also made reference to the following international laws that have been passed in a number of other countries and have recognised the rights of transsexual people:

- In the United Kingdom, the General Recommendation Act of 2004 and the Equality Act of 2010 both recognise gender reassignment as a protected trait, make it illegal to treat people differently because of it, and protect a number of social rights, such as marriage, parenthood, inheritance, social security, and pensions.
- Australia's Sexual Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity, and Intersex Status) Act, 2013 (Act 2013), makes it illegal to discriminate based on sexual orientation, gender identity, or intersex status.
- European Union transsexual legislation forbids discrimination resulting from a person's gender transition.
- South Africa's Alteration of Sex Description and Sex Status Act of 2003 allows transgender people who have had gender reassignment surgery, people whose sexual preferences have changed over time, and intersexed people to ask for a change to the sex description on their birth record.

The law on gender identity in Argentina recognises that everyone has the right to be recognised for who they are, regardless of their gender. They also have the right to freely develop who they are in accordance with their gender identity, and they can ask to have their recorded sex changed in addition to their first name and appearance. It was passed in 2012 and was recognised as the most comprehensive law on transgenders at the time.

The new rule in Germany, which took effect on November 5, 2013, permits parents of children with intersex variation to list the children's sex as "not specified."

The Equal Treatment and Promotion of Equal Opportunities Act of the European Parliament of 2003 lists sexual orientation as one of the grounds for discrimination.

Before turning to domestic law concerning transgenders, the court emphasised various international conventions, such as the Yogyakarta principles, which place an emphasis on gender equality, human dignity, and life. It also emphasised the fact that these conventions are complied with by many other nations around the world to protect the human rights of transgender people. The court then cited Article 253 of the Indian Constitution, which gives Parliament the authority to pass laws for the entirety or a portion of India's territory to implement treaties, agreements, or conventions; and Article 51 of the Directive Principles of State Policy, which commands the state to promote adherence to international treaties and laws.

The Honourable Court also cited Dattatraya Govind Mahajan v. State of Maharashtra, which stated that "Our Constitution is a tryst with destiny, imbued with lucent solemnity in the words" justice—social, economic, and political." The Supreme Court had stated in this case that "the three great branches of the government, as creatures of the Constitution, must remember the above promise in their fundamental role as well as forget it at their peril, for to do so will be a betrayal of the chosen high values and objectives which

this nation set for itself in its objective resolution but whose elaborate summation appears in Part IV of the Paramount Parchment."

"National Human Rights Commission v. State of Arunachal Pradesh case", in which this Court stated, "We are a country ruled by the Rule of Law," provided further inspiration for the honourable judges. Every human being is given certain rights under our constitution, and citizens are given additional rights. The Court has made a thorough case for why it is crucial to acknowledge people's "sex identity gender" and to "ensure equality and non-discrimination" according to one's gender identity. Final judgement from the Honorable Court was as follows:

- - Eunuchs must be treated as a "third gender," in addition to the binary gender, in order to maintain their rights under Part III of the Constitution as well as laws enacted by Parliament and state legislatures.
- The freedom of transgender people to self-declare their gender is likewise protected, and state and federal governments are required to acknowledge their gender identification, whether it is that of a man, woman, or another gender entirely.
- In order to end all types of racial and ethnic discrimination when evaluating applicants for public employment and admittance to educational institutions, we implore the Central Government as well as the State Governments to treat them as citizens of socially & educationally underprivileged sections..
- Ordered by Center and State for setting up unique HIV cells for transgender.
- - Both the federal and state governments should take the appropriate actions to guarantee that transgender patients receive medical care in hospitals and have access to separate public restrooms and other facilities.
- Action should be taken by the state and the centre to create a variety of social welfare programmes for their improvement..
- In order for transgender to feel included in society and to avoid being considered outcasts, the Center and the state must take action to increase public understanding..

The NALSA ruling is a profoundly important and possibly game-changing judgement in this regard. The Court rejected the argument that sex discrimination in Indian constitutional law was only allowed to be based on biological sex and made it plain that it also covers prejudice based on one's gender identity. It was argued that a binary conception of gender provided the foundation for pervasive discrimination and denied hijras and transgender individuals equal legal protection. The Supreme Court has ruled that transgender people should no longer be treated with brutality, sympathy, or charity. A paradigm shift in favour of a rights-based strategy where they are acknowledged as fully human is required.

Justice Sikri in his judgment said that the eunuchs have the right to vote, right to property, right to marriage, right to claim formal identity through ration card, any kind of passport or driving licence, right to education, employment, health and Other rights will be meaningfully available.

Homosexuality and Nalsa Judgment- Although the Suresh Koushal v. Naz case, the focus of a curative petition at the time, was discussed, the Court did not take a position on it. The Koushal decision's key finding that

there was insufficient evidence of police harassment was undermined by the Justices' recognition that s. 377 was being misused to harass transgender people. They stated that the possibility that a transgender person might be having sex with a man also implies that homosexuals, men who have sex with men, or transgender people would also be subject to such harassment.

Thus, before the dawn of the Navtej Johar Case, the NALSA Case was the first beam of light in the gloomy sky of LGBT rights in India.

The Naveen Johar judgement in the New Morning- For the LGBT community, September 6, 2018 was a day unlike any other; it saw the realisation of a long-held dream. It was a significant win for the passionate and vocal LGBT movement, which had been campaigning for the repeal of IPC Section 377 for many years. The 1860 statute decriminalising the lives of LGBT people was overturned by the SC in its ruling in Navtej Singh Johar v. Union of India. The decision itself has a history of being tortured, persecuted, and harassed by the local society, so it was not made lightly. It came about as a result of widespread protest and relentless battles across the nation.

The members of this community and their relatives "owe history an apology for the delay in providing reparation for the ignominy and ostracism that they have endured throughout the centuries." On September 6, 2018, Justice Indu Malhotra read down Section 377 insofar as it criminalises adult consensual sexual acts in private.

According to Chandrachud J., "almost 68 years after we gave ourselves a liberal constitution, the offence under s. 377 of the Penal Code has persisted. Seven decades after independence, gays, lesbians, transgender people, and bisexual people are still not granted completely equal citizenship.

Chief Justice Dipak Misra referred to one of the precedents on privacy, "The rights of the LGBT community are inherent in the right to life, dwell in dignity and privacy, and they constitute the essence of freedom and liberty," and observed that punitive laws undermined the "right to choose without fear" a partner and realise "a basic right to companionship."

The law, according to Justice Rohinton Fali Nariman, was "capricious and nonsensical." According to him, decriminalising gay sex needs to be a component of a larger public education effort to "remove stigma" against LGBT people. A place of visibility and acceptance for the love and lives of the LGBT community in Indian culture has been established thanks to the fight of thousands of people across the nation over the past 25 years.

The Constitutional Bench ultimately decided to consider the following issues:

- Whether Section 377 of the IPC violates the Constitution's Article 14 right to equality Whether Section 377 violates the Constitution's Article 19, guaranteeing freedom of expression and speech
- Does Section 377 violate the Constitution's Article 21 right to a "life with dignity and in privacy"?
- Section 377 of Article 15 of the Constitution asks if discrimination based on sexual orientation is against the law.
- Is it arbitrary that Section 377 makes a consenting relationship a crime because it goes against the way things should be?

The Decision- The verdict was delivered on September 6, 2018. The court ruled that section 377, which makes private consensual activities between adults (those who are older than 18 and are capable of consenting) illegal, violates the Constitution's articles 14, 15, and 21. However, it was made clear that such permission had to be given freely, voluntarily, and without fear of reprisal or other forms of pressure. Additionally, it was declared that the application of section 377 can be relied upon in all ongoing cases even though it will not result in the reopening of any closed prosecutions. The following are the key factors taken into account in the judgement:

- The Indian Constitution seeks to transform a traditional, unequal democracy into a modern, hierarchical society. The concept of constitutional morality compels the state's institutions to preserve this diversified social fabric and to restrain any movement toward majoritarianism or popular emotion. It is unfair to associate devotion and loyalty with constitutional morality with the prevailing sentiments of the time.
- In addition to the state and the judiciary having a responsibility to uphold this fundamental right to dignity, society as a whole also has a duty to uphold the dignity of others since it is required under the Constitution. It is a manifestation of the constitutional fraternity component.
- A person's emotional behaviour can be influenced by factors other than orientation to seek intimacy with people of the same gender, which may result in two people being attracted to one another biologically. It must be viewed as a voluntary action that reflects a consensual decision.
- In light of the majority ruling, the public acceptability test was in no way a justification for ignoring rights that have been granted the sanctity of constitutional protection. The Court noted that small and isolated minorities suffer severe dangers of discrimination simply because their opinions, beliefs, or way of life are different from the "majority" in a democratic constitution founded on the Rule of Law. Their rights are nonetheless just as vital as those of other citizens, notwithstanding this.
- According to the Suresh Kaushal case, a very small percentage of persons identify as homosexual, bisexual, or transgender because doing so would violate the equality principle entrenched in Article 14 of the Constitution. Because "corporal intercourse" and "order of nature" are ambiguous, Section 377 is unlawful. This violates Article 14 of the Constitution's equality requirement.
- According to the idea of progressive realisation of rights, the state must take the appropriate actions to ensure that economic, social, and cultural rights are gradually realised.
- IPC's S. 377 ignores the reality that such activity among adults in private areas is neither detrimental to society nor contagious, and it also fails to distinguish between voluntary and non-consensual sexual actions between able-bodied adults.
- The court affirmed the determination made by the Mental Healthcare Act of 2017 that homosexuality is not a mental illness or condition. Treatment of homosexuality as a disorder has a significant negative influence on the mental health & overall welfare of LGBT persons. People's mental health suffers from "growing up in a culture that devalues and silences same-sex attraction."
- A way for a person to express their sexual desire, including the freedom to pick their partner and the choice of relationship they want.

- The right to health of transgender persons and men who have sex with males is seriously threatened. Wide-ranging impacts of this "important group" include removing them from the public health system.
- States are required by international human rights treaties and legal precedent to protect all people from abuses of their human rights, including those motivated by their sexual orientation. According to international agreements such as the UDHR, ICCPR, and ICESCR, the punishment of consensual private activities between same-sex adults is a infringement of the freedom from discrimination, the right to privacy, and the equality.

The SC Court's four rulings, handed down by its five justices, link sentimental assertions of compassion, respect, empathy, optimism, and love to expansive constitutional ideals of inclusiveness, democracy, and dignity. The ruling stated that LGBT people have the same rights to all constitutional protections as other citizens, including the freedoms guaranteed by the constitution. Additionally, LGBT people have a right to equal citizenship without any kind of discrimination as well as equal protection under the law.

The decision has also elevated the idea of transformative constitutionalism to a whole new level, opening the door for a number of reforms and revisions to the country's legal system that would bring about changes consistent with those in the rest of the world.

The decision will also play a significant role in fostering public trust that the rule of law will stand up for and defend the rights of all citizens, no matter how few or insignificant they may be. However, the decision would have had a greater impact on the ground if, in addition to recognising the LGBT community's sexual rights, it had also recommended positive steps to hasten the community's development and social and economic participation. However, the judgement has given the neighbourhood fresh vitality.

Theresa May, the former prime minister of the UK, was quoted by the honourable J. Indu Malhotra in the same ruling as saying, "They were wrong then, and they are wrong today," which is the greatest way to express the injustice of criminalising homosexuality. Even though the verdict cannot instantly make this century-old injustice right, at least it has indicated the appropriate course.

Transgender Rights Protection Act- In reaction to the landmark Supreme Court decision in NALSA v. UOI in 2014, which supported the rights of transgender individuals, the legislature passed the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, and the President assented to it on December 5, 2019. According to the Act, its objectives are to defend the rights of transgender individuals, watch out for their welfare, and deal with issues pertaining to these objectives.

A "transgender person," as defined by the Act, is a person whose gender does not correspond to the gender given to them at birth. This definition encompasses people who identify as transgender men and women (whether they have undergone sex reassignment surgery, hormone therapy, laser therapy, or any other therapy), people with intersex differences, people who are gender queer, and people who belong to socio-cultural groups like queer, Hijra, Arvani, and Jogta, among others.

Identity Recognition- A TG person has the option to apply for an identity certificate. If the transgender person later decides to transition into a female or a male, this certificate may also be changed. Even if it is stated in the law that transgender people have the right to self-perceived gender identity, more clarity

regarding the process would be preferable. One could argue that the act of seeking a certificate and adhering to a particular procedure goes against the spirit of the judgement, which identifies privacy, gender self-determination, and personal autonomy as essential rights of transgender people.

Discrimination Protection- Nowadays it is illegal to discriminate against transgender people. However, no penalties have been established for a person discriminated against by a TG person, nor is any financial reimbursement guaranteed for a TG person who experiences discrimination. It appears that the protection provided for TG people would actually be quite ineffective in the absence of any measures under the Bill. Furthermore, no specific enforcement authority has been established.

Penalties- Some of the explicitly recognised offences against TG people include forcing them to engage in bonded labour, denying them the right of passage, forcing them to leave their home or community, injuring them, or physically or sexually abusing them. These offences, which include widespread sexual abuse of transgender people, are punishable by between 6 months and 2 years in prison and a fine. These rules seem to be weaker versions of the criminal laws that are already in place. For example, similar crimes against people of different genders are punished with a minimum sentence of seven years.

National Transgender Council - According to the Act, a National Council for Transgender Persons must be established and must include at least 30 members. Only five members of the transgender community are represented out of 30. Additionally, the individuals would be chosen by the central government, which would seriously limit their autonomy. Every member who isn't a central government worker will be chosen by the Central Government. This raises serious concerns about the Council's ability to be independent and separate from the administration, and therefore to challenge the government. The NALSA decision gave the government the mandate to regard the TG community as a socially and educationally underprivileged class and to grant them preference in hiring for public positions and admittance to educational institutions. The Bill says nothing on this subject. The NALSA ruling, which compelled the state to protect transgender people's constitutional rights, including the ability to self-identify as a gender and to regard them as a socially and educationally backward class for the purposes of reservations, led to the creation of the Act. The Act is far from what the Supreme Court ordered.

Conclusion- It is evident that the LGBT community has existed for a while as a result. It is said in almost every religion. The Transgender Persons Bill 2019 in India repeals the Criminal Tribes Act, 1871, which deemed the entire community of TG people to be essentially "criminal" and "accustomed to the systematic performance of non-bailable offences." According to the Transgender (Protection of Rights) Act 2019, both contemporary Indian culture and its legal system are now devoid of criminal penalties for consenting sexual acts among two adults who are of the same gender. Although there has been significant progress in the system's reform with respect to LGBT people's rights, there is still much work to be done.

References

1 (1884) ILR 6 All 204.
2 (2018) 5 SCC 1.
3 (2018) 7 SCC 192.
4 10(1981) 1 SCC 608.
5 172nd Report of the Indian Law Commission on the Penal Code (October 14, 1837), 3990-91.

6 A. Miller, “Sexuality and Human Rights: Discussion Paper”, Geneva: International Council on Human Rights Policy (2009).

7 A.B. v. Western Australia (2011) HCA 42.

8 Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Qur’an: Complete Translation with Selected Notes (Islamic Foundation, UK, 2016).

9 ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) 2 SCC 521

10 AIDS Bhedbhav Virodhi Andolan (ABVA) New Delhi, India, “Less than Gay-A Citizen’s Report on the Status of Homosexuality in India” (Nov-Dec 1991).

11 AIDS Bhedbhav Virodhi Andolan (ABVA), an organization fighting discrimination against those affected by HIV or AIDS.

12 AIR 1966 SC 1119

13 AIR 1977 SC 915

14 AIR 1996 SC 1234

15 AIR 2018 SC 1933 : 2018 (5)

16 Alain Dhanielou, The Complete Kamasutra:: the first unabridged modern translation of the classic Indian text (Park Street Press, Rochester VT, 1994)

17 Alka Pande, Ardhanareshwara: The Adrogyne, (Rupa Press, New Delhi, 2008)

18 Alok Gupta, “S. 377 and the Dignity of Indian Homosexuals” 41(46) EPW (2006).

19 Amara Das Wilhelm, Tritiya Prakriti: People of Third Sex 131(Xlibris Corporation, Philadelphia, 2004).

20 Anuradha Parasar, “Homosexuality In India –The Invisible Conflict”, available at: http://www.delhihighcourt.nic.in/library/art.s/legal%20education/Homosexuality%20in%20India % 20-%20The%20invisible%20conflict.pdf, (last visited on Oct 20, 2018).

21 Anuvinda P and Tiruchi Siva, “A Story Of Two Bills”, The Indian Express Oct 28, 2016, available at <|https://indianexpress.com/art./opinion/columns/transgenders-persons-bill-rajya-sabha-private-member-bill-3195872/ > (last visited on June 05, 2020).

22 Argentina Gender Identity Law, 2012.

23 Army Act 1950, (Act 46 of 1950), s. 46 (Similar provisions exists in the Air force Act and Navy Act.)

24 Arvind Narrain (ed.), Right to love, Navtej Singh Johar v. Union of India: A Transformative Constitution and the Rights of LGBT Persons (Alternative Law Forum, Bangalore 2018).

25 Arvind Narrain, Queer: Despised Sexuality, Law and Social Change 49 (Books for Change, Bangalore, 2004)

26 Arvind Sharma, “Homosexuality & Hinduism” in Arlene Swidler (ed.), A Part of Homosexuality and World Religions 46-80 (Trinity Press International, Valley Forge, PA, 2003)

27 Attorney- General for the Commonwealth & “Kevin and Jennifer” & Human Rights and Equal Opportunity Commission (2003) Fam CA 94.

28 Australia Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Act, 2013.

29 Bina Fernandez (ed.), Humjinsi : A Resource Book On Lesbian, Gay, And Bisexual Rights in India 55-65(Combat Law Publications for India Centre for Human Rights and Law, Mumbai, 1st edn, 2002). 565Ruth Vanita (ed.), Queering India Same-Sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society (Routledge, Delhi, 2001).

30 Calvin Francis v. Orissa, 1992 (2) Crimes 455.

31 Civil Appeal No.952/2006, dated 03.02.2006.
32 Concise Oxford Dictionary, 9th ed. (1995).
33 Controversy erupted after Kiran Bedi, IG of the Tihar jail in Delhi, refuses to provide condoms for inmates, saying it would encourage homosexuality, besides admitting that inmates indulge in it.
34 Corbett v. Corbett (1970) 2 All ER 33.
35 Devdutt Patnnaik, The Man Who Was a Woman and Other Queer Tales from Hindu Lore (Routledge, New York, 2001).
36 Distribution of Population by Religion, available at: https://censusindia.gov.in/census_And_You/religion.aspx (last visited on Jan 31, 2021)
37 Editorial, "S. 377 Based on Law Passed by Henry VIII in 1533", The Wire Sept 08, 2018
38 Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities Act, 2003.
39 European Directive 2006/54/EC.
40 Fazal Rab Choudhary v. State of Bihar AIR 1983 Cr LJ 632 (SC).
41 Fazal Rab Choudhary v. State of Bihar, AIR 1983 SC 323.
42 From the first ever report titled "Less Than Gay" in Nov-Dec 1991 on Homosexuality in India to landmark decision of Navtej Singh Johar, the Supreme Court has finally struck down S. 377, Decriminalising Homosexuality in India.
43 Fung Kei Cheng, "Being Different with Dignity: Buddhist Inclusiveness of Homosexuality" 7(4) Social Science 51 (2018), available at: https://doi.org/10.3390/socsci7040051 (last visited on Aug 15, 2020).
44 G Agoramoorthy, M Hsu, "India's Homosexual Discrimination and Health Consequences"41(4)
45 Geetanjali Misra, "Decriminalising homosexuality in India", 17(34) Reproductive Health Matters 20–28 (2009) See also, Zeitgeist Films, Fire (1996).
46 Goodwin v. United Kingdom (1996) 22 EHRR 123.
47 Govindarajula In re., (1886) 1 Weir 382.
48 he I.P.C, 1860, s. 292. (A book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation, figure or any other object, shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect (is) such as to tend to deprave and corrupt person.)
49 Hereinafter, 2016 Bill.
50 History.com Editors, "Hinduism", A&E Television Networks, (October 6, 2017) available at: https://www.history.com/topics/religion/hinduism (last visited on May 2, 2020)
51 Hon'ble Justice G. S. Singhvi and Hon'ble Justice S. J. Mukhopadhaya.
52 I.K. Magoo, Sexual Offences & Homosexuality In India (Capital Law House, Delhi, 2009)
53 Imaad ul Hasan, "Denotified 68 Years Ago, 'Criminal' Tribes Still Fight Stigma, Poverty", Outlook, Aug 30, 2020, available at <https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-denotification- 68-years-ago-on-this-day-ex-criminal-tribes-still-fight-stigma-poverty/359558> (last visited on Dec 20, 2020).
54 Indian History Sourcebook: The Laws of Manu, c. 1500 BCE translated by G. Buhler available at: https:\\sourcebooks.fortham.edu/india/manu-full.asp (last visited on Aug 8, 2021).
55 James William Coleman, ^The new Buddhism: The western transformation of an ancient tradition 146 (Oxford University Press, Cambridge, 2002).

56 Jatin Gandhi and Smriti K Ramachandran, “RS passes Bill on transgender rights”, The Hindu, April 24, 2015, available at < https://www.thehindu.com/news/national/rajya-sabha-passes-private-bill-on-transgenders/art.7138056.ece> (last visited on June 05,2020).

57 Javaid Rehman and Eleni Polymenopoulou, “Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, Homosexuality and LGBT Rights in the Muslim World” 37(1) Fordham International Law Journal (2013).

58 Jim Wafer, “Mohammed and Male Homosexuality” in Stephan O Murray and Will Roscoe (ed.), Islamic Homosexualities: Culture, History & Literature 89 (New York University Press, 1997).

59 Julius Lipner, “Sacred texts in Hinduism” British Library, Sept 23, 2019, available on: https://www.bl.uk/sacred-texts/art.s/sacred-texts-in-hinduism# (last visited on January 28, 2020)

60 Jyoti Puri, “Concerning Kamasutras: Challenging Narratives of History and Sexuality” 27(3) Journal of Woman in Culture & Society 603-639 (2002)

61 K. Bhardwaj, “Reforming Macaulay.” The Asian Age, July 5, 2009, available at <www.asianage.com/archive/htmlfiles//OP-ED/Reforming%20Macaulay.html> (last visited on July 16, 2019)

62 Khanu v. Emperor AIR 1925 Sind 286.

63 Kharak Singh v. State of U.P. AIR 1963 SC 1295 (hereinafter Kharak Singh)

64 Law Commission of India, “14th Report on Reform of Judicial Administration” 10 (Sept, 1958).

65 Lohana Vasantlal Devchand v. State AIR 1968 Guj 252.

66 M.P. Sharma v. Satish Chandra 1954 AIR SC 300 (hereinafter MP Sharma)

67 Mable Sunny, “Legalising Marriage Rights for LGBTQ+ Community India” 1(8) White Black Legal (Jan 2020).

68 Macauley Legislative Minute of June 6th 1836, India Legislative Consultations April 3, 1837, No. 28. See also Supra note 536 at 11.

69 Manusmriti, Chapters

70 N. Tan, “Was 1992 a Turning Point for Homosexuals in Contemporary India?” 23 Sexuality & Culture 142–153 (2019) available at: https://doi.org/10.1007/s12119-018-9548-9 (last visited on August 04, 2020).

71 Narada Smriti

72 National Legal Services Authority was formed on 9th November 1995 under the authority of the Legal Services Authorities Act, 1987. Its purpose is to provide free services to eligible candidate and to organize Lok Adalat for speedy resolution of cases. The Chief Justice of India is patron in chief of NALSA while second senior most judge of Supreme Court of India is Executive Chairman.

73 Nicole Kligerman, “Homosexuality in Islam: A Difficult Paradox” 2(3) Macalester Islam Journal (2007, available at: https://digitalcommons.macalester.edu/islam/vol2/iss3/8 (last visited on Dec 31, 2020).

74 P v. S and Cornwell County Council Case C-13/94 (1996) IRLR 347.

75 P. Chatterjee, “AIDS in India: police powers and public health” 367(9513) Lancet 805–806 (2006) available at: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68319-0 (last visited on July 31, 2020)

76 P. J. Bearman, Th. Bianquis, et. al., 5 Encyclopaedia of Islam (E. J. Brill, Leiden, 1980).

77 Pathak Manoj Kumar, Rohini et.al., “Social, Medical And Human Rights Issues Related To Transgenders In India” 19 Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine And Toxicology (2019). 479Mughal Dynasty available at: https://www.britannica.com/topic/Mughal-dynasty (last visited on 1 August 2020).

78 People's Union for Civil Liberties-K, "Human rights violations against sexuality minorities in India: a PUCL-K fact-finding report about Bangalore"11-12 (Feb 24, 2018).

79 Peter Marvey, An Introduction to Buddhist: Foundation Values and Issues 416(Cambridge University Press, UK, 2000) (means people who have both male and female characteristics is such as, hermaphrodites.)

80 Priyanka Mittal, "NGO highlights lacunae in Bill for transgenders' rights protection", Mint, Aug 22, 2016, available at <https://www.livemint.com/Politics/SndnEZjKezZQVTlcCdQXGN/The-many-problems-with-the-Transgender-Persons-Bill-2016.html> (last visited on June 05, 2020).

81 Puri J., Sexualizing the State: Sodomy, Civil Liberties and the I.P.C. In: Contesting Nation: Gendered Violence in South Asia: Notes on the Postcolonial Present. Chatterji AP, Nazir Chaudhry L (eds.) (Zubaan Books/Kali for Women, New Delhi, 2009).

82 R Kapur, Erotic Justice (Permanent Black, New Delhi, 2005)

83 R v. Harris & McDuiness (1988) 17 NSWLR 158.

84 R v. Tan (1983) QB 1053, 1063, 1064.

85 R. V. Jacobs (1817) Russ & Ry 331 C.C.R..

86 R.Ramasubban, "Political inters between HIV/AIDS, sexuality and Human Rights: A History of Resistance to the Anti-sodomy Law in India." 3(2) Global Public Health 22–38 (2008).

87 Rakshat Puri and Kuldip Akhtar, "Sarmad, The Naked Faqir" 20(3) India International Centre Quarterly 65-78(1993)

88 Reference Holy Quran, 84, 11:77-83, 21:74, 22:43, 26:165-175, 27:56-59 & 29:27-33, See also Muhammad Farooq Buzdar and Nagina Kanwal, Summary of Holy Quran: An Ultimate Guide Series 24(Buzdar Insights, Malaysia, 2019)

89 Revista de Saúde Pública 657–660 (2007).

90 Richard Burton, The Kama Sutra of Vatsyayana (The Easton Press, Connecticut, 2004).

91 Ruth Vanitha (ed.), Queering India: Same-sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society 235(Routledge, New York, 2002).

92 S. Bhaskaran, Made in India: Decolonizations, Queer Sexualities, Trans/national Projects 134(Springer, New York, 2004)

93 Sanjeev Kuamar, Kalpana Devi, et. al., "Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity" 5(2) International Journal of Legal Developments and Allied Issues (March 2019).

94 Sanjeev Kumar, LGBT Community in India: A Study (Educreation Publishing, Delhi, 2019)

95 Saroj Kumar Sahu, "Depiction of Homosexuality in Ayurveda" 5(1) Indian Journal of Health, Sexuality & Culture (June 2019).

96 Schedule I, The Code of Criminal Procedure 1974

97 Scott Kugle and Stephen Hunt, "Masculinity, Homosexuality and the Defence of Islam: A Case Study of Yusuf al-Qaradawi's Media Fatwa" 2(2) Religion and Gender 254-279 (2012)

98 Secretary, Department of Social Security v. SRA (1993) 43 FCR 299.

99 Shobha Agarwal, "ABVA Writ Petition for Repeal of s. 377" in Bina Fernandez (ed.) Humjinsi : a resource book on lesbian, gay, and bisexual rights in India, 52 (Combat Law Publications for India Centre for Human Rights and Law, Mumbai, 1st edn, 2002)

100 Shobha Agarwal, Reminiscing ABVA's Struggle for Gay Rights in the Twentieth Century – A Brief History of That Time, 1/09/2018 available at: https://countercurrents.org/2018/09/reminiscing-abvas-struggle-for-gay-rights-in-the-twentieth-century-a-brief-history-of-that-time (last visited on July02, 2020)

101 Siddharth Narrain, "From Aadhaar to the Closet: Impact of Supreme Court's Privacy Judgment on S. 377 Litigation", TheWire, Aug 25, 2017, available at <https://thewire.in/gender/aadhaar-privacy-judgment-supreme-court-s.-377> (last visited on Sept 29, 2019)

102 Sikh Views on Same Sex Relationships, available at: www.sarbat.net (last visited on July 22, 2020) 528Satwinder Bains, "Interrogating Gender in Sikh Tradition and Practice" 11(1) Religions 34 (2020) available at: https://doi.org/10.3390/rel11010034 (last visited on Aug 08, 2020).

103 South Africa Alteration of Sex Description and Sex Status Act, 2003.

104 Srija Sanyal and Abhik Maiti, "A Discordant Harmony – a critical evaluation of the queer theory from an Indian perspective" 5(1) International Journal of Asian History, Culture and Tradition, 15- 31(March, 2018).

105 Stances of Faiths on LGBTQ Issues: Buddhism, available at: https://www.hrc.org/resources/stances- of-faiths-on-lgbt-issues-buddhism, (last visited on Jan 20, 2019).

106 Sudhir Kakkar, "We invoke a deity on its own but as a couple" Hindustan Times, March13, 2011.

107 Supra note 15, referring the case Queen Empress v. Khairati (1884) ILR 6 All 204 wherein a transgender was punished u/s 377 and later acquitted in appeal.

108 Supra note 547 (Explanation to S. 377 IPC -Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offences described in this s. Punishment – Imprisonment for life or imprisonment for 10 years and fine.)

109 Supra note 571, (It went on to say that "No force appears to have been used neither omissions of permissive society nor the fact that in some countries homosexuality has ceased to be an offence, has influenced our thinking").

110 Tarunabh Khaitan, "Koushal v Naz: Judges Vote to Recriminalise Homosexuality" 78(4) Modern Law Review 672–694 (2015).

111 That is the one introduced by a legislator in his personal capacity not acting on behalf of the executive. Hereinafter, Private Member Bill.

112 The Code of Criminal Procedure 1974, (Act 2 of 1974), sch. I,

113 The Constitution of India, art 15.

114 The High Court of Delhi, Writ Petition 1784 of 1994(Civil)

115 The I.P.C, 1860, s. 294 (Obscene acts and songs.—Whoever, to the annoyance of others, (a) does any obscene act in any public place, or (b) sings, recites or utters any obscene song, ballad or words, in or near any public place, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.)

116 The I.P.C, 1860, s. 377 (Act No. 45 of 1860) (Held unconstitutional by Supreme Court of India).

117 The UK General Recommendation Act, 2004.

118 Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, (Act 40 OF 2019), s. 2(k),

119 Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, Act No. 40 OF 2019 (Hereinafter, The Act)

120 V. Chandran, 'From Judgment to Practice: S. 377 and the Medical sector', 6 Indian Journal of Medical Ethics 198 (2009).

121 Vidula Chopra Rastogi, “Pride and prejudice” The Hindu, April 23, 2017.

122 Vidya Krishnam, “How the LGBTQ rights movement in India gained momentum” TheHindu, July 14, 2018 available at <https://www.thehindu.com/society/its-been-a-long-long-time-for-the-lgbtq- rights-movement-in-india/art.24408262.ece > (last visited on March 25, 2019).

123 Voices against 377 (2008) available at: www.voicesagainst377.org (last visited on Aug 15, 2019).

124 Voices Against 377’ is a coalition of 12 Non-Governmental Organisations and progressive groups based in Delhi. It is a point of inters. and dialogue between various social movements that these groups represent, where a united voice is being articulated against S. 377 of the I.P.C which criminalizes adult and consensual sexual acts deemed to be against the order of nature available at http://www.voicesagainst377.org/ (last visited on August 20, 2020).

125 Wayne R Danes (ed.), Encyclopedia of Homosexuality (Garland, New York, 1990).

126 Writ Petition (civil) no. 572 of 2016, Writ Petition (criminal) no. 88 of 2018, Writ Petition (criminal) no. 100 of 2018, Writ Petition (criminal) no. 101 of 2018, Writ Petition (criminal) no. 121 of 2018.

127 WRIT PETITION (CIVIL) NO. 572 OF 2016.

128 Writ Petition(civil) No. 604 of 2013.

129 Zeitgeist Films, Fire (1996.)

130 Ziya Us Salam, “An emperor with foibles” The Hindu, February 15, 2014.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

शिक्षा के अधिकार: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

सुषमा रानी
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, एन.एम.एस.एन.दास पी.जी.कॉलेज, वदायूँ, उ.प्र.
धर्म वीर सिंह
प्राचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, रामपुर, उ.प्र.

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 186-200

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोधसारांश – प्राचीन काल से आज तक विभिन्न माध्यमों से भारत में शिक्षा व्यवस्था को विकसित किए जाने का प्रयास अनवरत जारी रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी, निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था में मुस्लिम धर्म का बाहुल्य था। मुगल काल के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव पड़ी। धीरे–धीरे शिक्षा जातिवाद के भेदभाव से हटकर सभी के लिए सुलभ हो गई। इस पेपर में हम प्राचीन काल से अब तक शिक्षा में हुए परिवर्तनों का एक अध्ययन करेंगे।

विशिष्ट शब्दः प्राचीन शिक्षा पद्यति, मुगल शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, शिक्षा आयोग आदि।

प्राचीन भारत में शिक्षा. प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली को मानवता के ज्ञान, विश्वासों और कर्मकांडों का आधार माना जाता था। ऋग्वेद काल के दौरान, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी विकास दोनों पर विकसित और केंद्रित थी। सीखने और संज्ञानात्मक विकास शैक्षिक प्रणाली पर केंद्रित थे। प्राचीन भारत में, शिक्षा प्रणाली औपचारिक और अनौपचारिक दोनों थी। घर पर स्वदेशी स्कूली शिक्षा प्रदान की गई है। शिक्षा के आवासीय केंद्र गुरुकुल थे, जिन्हें अक्सर आश्रम के रूप में संदर्भित किया जाता है। वैदिक महिलाओं की भी शिक्षा तक पहुंच थी। इस अवधि में ज्ञान को पवित्रा माना जाता था और कोई दंड नहीं लगाया जाता था।

वैदिक युग से भारतीय शिक्षा की मुख्य अवधारणा यह थी कि यह हमें प्रकाश के स्रोत के रूप में जीवन के विभिन्न पहलुओं में एक उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करती है। भारत शुरू से ही सीखने और शिक्षा में समृद्ध है, लेकिन भारत में शिक्षा सामाजिक समावेश की कमी के लिए प्रसिद्ध थी। इसे मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी तक जाति या वर्ग व्यवस्था के शीर्ष छोर पर लोगों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार माना जाता था। इतिहास जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव के उदाहरणों से भरपूर है। पुरोहित जातियों (ब्राह्मणों) ने स्कूली शिक्षा का सर्वोच्च लाभ, मुख्यतः शैक्षिक सामग्री के धार्मिक आधार के कारण, सीखने के

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अभिजात्य तरीके के साथ संयुक्त, जो ज्ञान प्रदान करने के समान था। गुरुकुल या आश्रम सभी के लिए खुले नहीं थे। निचली जातियों के व्यक्तियों को, विशिष्ट 'शूद्रों' को, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी।

वैदिक युग के बाद, शक्तिशाली राजाओं के साथ विशाल राज्य बनाए गए, जिन्हें विकसित होने के लिए अपने समुदायों के उन्नत जीवन की आवश्यकता थी। उन्होंने प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के लिए समृद्ध उपहार और भूमि की पेशकश करके माध्यमिक शिक्षा का अधिकार बनाने में बहुत रुचि ली और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन राजाओं ने भारत की शिक्षा प्रणाली को परिभाषित करने और पुनर्निर्माण के लिए नीतियों को अपनाया। नालंदा और तक्षशिला प्राचीन भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में अपनी छात्रावृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे।

आठवीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म उलट गए, स्कूली शिक्षा को पारम्परिक वैदिक संस्कृति की सर्वोच्चता की सीमाओं से परे ले आए। बाद में, प्रमुख शहरों में जहां उन्होंने अपना संरक्षण प्राप्त किया, कई शिक्षित ब्राह्मणों ने पाठशाला (स्कूल) शुरू की। 400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, दुनिया की व्याख्या में लोकप्रियता हासिल करने के लिए बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच एक लंबी लड़ाई रही है। जबकि बौद्ध धर्म अधिक मानव–केंद्रित था, ब्राह्मणवाद संरचनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। बौद्ध स्कूली शिक्षा काफी हद तक अलग थी जो ब्राह्मण वैदिक अध्ययन और शिक्षकों पर केंद्रित नहीं थे। बौद्ध धर्म की शैक्षिक पहल अधिक प्रगतिशील और गुणवत्ता आधारित थी, जिसने सभी जातियों के अनुभव के दरवाजे खोल दिए।

प्राचीन भारत में एक गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा की देहाती प्रणाली कुलीनों की स्कूली शिक्षा का एक पसंदीदा रूप था। इन निर्देशों की समझ अक्सर समाज के एक निश्चित वर्ग द्वारा किए गए कार्यों से जुड़ी होती थी। एक पुजारी वर्ग (ब्राह्मण), जो धार्मिक ज्ञान, विचारधारा और अन्य सहायक वर्गों को प्रसारित करता था, युद्ध के विभिन्न पहलुओं, लड़ाकू वर्ग (क्षत्रियों) में शिक्षित था। व्यापारी वर्ग (वैश्य) को अपना पेशा और सबसे छोटा वर्ग सिखाया जाता था (शूद्रों) को सामान्यतः शैक्षिक लाभों से वंचित रखा जाता था। इस अवधि के महत्वपूर्ण नाटकों में से एक नियम की पुस्तक, मनुस्मृति और राज्य कला, अर्थशास्त्रा का मोनोग्राफ था, जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता था।

मठों के आदेशों को छोड़कर, उच्च शिक्षा संगठन और कॉलेज भारत में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से पहले मौजूद थे और सामान्य समय में शिक्षित करने के लिए आगे बढ़े। मठों के अलावा, औपचारिक बौद्ध संरचनाओं का उदय हुआ। उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा दी, उदाहरण के लिए चिकित्सा शिक्षा। 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा के बीच, कई शहरी शिक्षा केंद्र अधिक स्पष्ट हो गए हैं। तक्षशिला और नालंदा अध्ययन के प्रमुख शहरी केंद्रों में से थे। इस तरह के प्रतिष्ठानों ने तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, तत्वमीमांसा, कला और शिल्प के अनुसंधान में व्यवस्थित रूप से समझ का संचार किया। वे कई अंतरराष्ट्रीय छात्राों के लिए आकर्षण थे।

मध्यकालीन भारत में शिक्षा

भारतीय मध्ययुगीन काल में, शिक्षा प्रणाली की स्थापना 10वीं शताब्दी ई. में हुई थी। उस काल में प्रचलित पद्धति मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी। मुगल काल के दौरान, सरकार ने शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने के लिए बड़े प्रयास नहीं किए, लेकिन भारत में इस्लामी शिक्षा के विस्तार का प्रयास किया, और इस प्रकार शिक्षा का कार्य 'उलेमा' नामक साक्षर धर्मशास्त्रियों को सौंप दिया गया।

भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति और धर्म के प्रति लगाव पैदा करना, व्यक्ति को इस्लामी जीवन जीने की अनुमति देना, छात्राों को अगली दुनिया के लिए तैयार करना, छात्राों को उनके व्यवसाय के लिए तैयार करना, उन्हें प्रबंधन के लिए तैयार करना, लोगों को शीर्ष पदों के लिए तैयार करना और विशेष रूप से इस्लामी कानून को समझने के लिए तैयार करना था। जबकि उस समय के शीर्श नेताओं ने ज्ञान, शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने में मदद की, लेकिन पूरी शिक्षा प्रणाली धार्मिक आदर्शों से भर गई, जिन्होंने लक्ष्य, शोध की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के दैनिक जीवन को भी आकार दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रा धार्मिक रूप से जिम्मेदार हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षा मंदिरों से जुड़े संस्थानों या मस्जिदों से अलग ''मकतबों'' द्वारा प्रदान की जाती थी। कुछ स्थानों पर दोनों शहीदों के खानकाहों ने शैक्षिक केंद्रों के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया। अधिकतर पढ़े–लिखे लोगों ने अपने घरों में ही छात्राों को पढ़ाया है। ''मकतब'' पढ़ाए गए ''मौलवी'' की देखरेख में चलाए जाते थे। मदरसों में मध्य और उच्च विद्यालयों की शिक्षा दी जाती थी। मस्जिदों को अक्सर इन मदरसों से जोड़ा जाता था। यद्यपि स्कूली शिक्षा ज्यादातर विश्वास पर केंद्रित थी, अन्य शैक्षणिक प्रथाओं जैसे बीजगणित, भौतिकी, व्याकरण, इतिहास और समाज का अध्ययन किया गया था। कविता और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रावधान भी तैयार किए गए थे।

''मकतब'' और ''मदरसा'' पहले मुसलमानों तक ही सीमित थे, बाद में हिंदू ''मकतब'' और ''मदरसा'' के विद्यार्थियों को भी स्वीकार किया गया। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे की शब्दावली का अध्ययन करने लगे। मुसलमानों के हिंदुओं के साथ विलय के परिणामस्वरूप उर्दू नामक एक नई भाषा का उदय हुआ। उत्तरी भारत में यह चर्चा की एक आम भाषा बन गई थी।

इसलिए प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा को पूजा के साथ जोड़ दिया गया था। पूर्व–ब्रिटिश भारत में, हिंदू और मुस्लिम दोनों शिक्षण संस्थानों को अन्य मुद्दों की तुलना में धार्मिक विश्वास पर अधिक ध्यान दिया जाता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म था। शिक्षा को मुफ्त बनाने और विभिन्न वर्गों के लोगों को शामिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। विशेष रूप से, कई समूहों ने कई शताब्दियों तक शिक्षा पर एकाधिकार किया है। ''जाति'' और ''लिंग'' ने स्कूली शिक्षा तक पहुंच और उपयोग दोनों को निर्धारित किया है।

ब्रिटिश भारत में शिक्षा

1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप की स्कूली शिक्षा की दिशा को आकार दिया। हालांकि कई शिक्षाविदों ने नई साक्षरता को लागू करने की यूके की रणनीति की सराहना की। पूरे भारत में एक शैक्षिक नीति की स्थापना में पश्चिमी शिक्षा के कार्यान्वयन एक महान ऐतिहासिक महत्व था। वास्तव में, पश्चिमी शिक्षा के विकास से पहले रोजगार के संसाधन समुदाय के बहुत छोटे अनुपात तक सीमित थे। जो लोग सामाजिक संरचना से बाहर थे वे जातियाँ और समूह के पास शिक्षा की कमी और रोजगार की कमी थी। मिशनरियों ने ब्रिटेन में स्कूली शिक्षा के क्षेत्रा में अभूतपूर्व कार्य किया।

उन्होंने शिक्षा का प्रचार करने की कोशिश की लेकिन उनकी शिक्षा अक्सर भारतीयों के बीच ईसाई धर्म फैलाने की इच्छा से प्रेरित थी। मिशनरियों के निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम ब्रिटेन और भारत दोनों के प्रशासनों को कानून के तहत व्यक्तियों को निर्देश देने के लिए कुछ भी करने की अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित करना था।

ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ प्रशिक्षण में परिवर्तन का अनुभव हुआ। जैसा कि यह 1854 से 1947 तक विकसित हुआ, इस पद्धति को अनिवार्य रूप से चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ''1854–1902, 1902–21,1921–37, 1937–47।''

1) प्राथमिक शिक्षा

1854–1902 की अवधि में स्कूली शिक्षा में उन्नति धीमी थी। इसके आम तौर पर तीन कारक होते हैं: स्कूली शिक्षा का गैर–प्रारंभ, स्थानीय अधिकारियों को प्रारंभिक शिक्षा का स्थानांतरण, और आदिवासी शिक्षा की कमी। फिर भी इस युग को कुछ प्राथमिक विद्यालयों में संरचनात्मक सुधारों, लड़कियों और नीचे तबके के विद्यार्थियों के नामांकन, मुद्रित पुस्तकों के उपयोग, उन्नत शिक्षा और सीखने के तरीकों, और शिक्षक शिक्षा और योग्यता के विकास द्वारा चिह्नित किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा में विस्तार की लॉर्ड कर्जन रणनीति के परिणामस्वरूप 1905 और 1912 के बीच स्कूली शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1906 में गायकवाड़ बड़ौदा ने अपने राज्य में अनिवार्य रूप से सीखने/शिक्षा की शुरूआत की। जिसने भारत में देशभक्ति की भावना को राज्य से अनिवार्य शिक्षा के लिए उकसाया। 1910 और 1913 के आसपास, गोपालकृष्ण गोखले ने राज्य के लिए स्कूली शिक्षा के विचार को प्रमुख बनाया। 17 मार्च 1912 को, मार्च 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किए गए बिल ''गोखले'' पर बहस हुई, लेकिन 13 के मुकाबले 38 मतों से हार गए। 1905 और 1912 के आसपास स्कूली शिक्षा के परिणामस्वरूप बुनियादी शिक्षा के अवसरों में वृद्धि के लिए लॉर्ड कर्जन योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गायकवार बड़ौदा ने 1906 में अपने साम्राज्य में अनिवार्य स्कूली शिक्षा शुरू की। इसने भारत में राष्ट्रीय भावना को अनिवार्य राज्य शिक्षा के लिए उकसाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 और 1913 के बीच सार्वजनिक शिक्षा के विचार को प्रमुखता से उठाया। 17 मार्च 1912 को, गोखले बिल पर चर्चा हुई और 38 मतों से 13 को खारिज कर दिया गया, जिसे मार्च 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया था।

अधिकांश ब्रिटिश भारत प्रांतों में, अनिवार्य बुनियादी शिक्षा कानून पारित किए गए। ये कानून स्थानीय सरकारों और प्रांतीय के महान अधिकार को सरकार को हस्तांतरित करते हैं और प्राथमिक शिक्षा को विनियमित करते हैं, स्थानीय स्व–प्रशासन संस्थानों के कानून को उदार बनाते हैं और उन्हें अतिरिक्त कर शक्तियां प्रदान करते हैं। 1922–27 में स्कूली शिक्षा काफी तेजी से बढ़ी। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पहले से गिर गई, 1929 में, हार्टोग कमेटी ने इस कमी को दमर करने की रणनीति का प्रस्ताव रखा। 1927 और 1937 के आसपास की अवधि में, वैश्विक मंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक परेशानियों के बाद की यह नीति अपेक्षाकृत कम प्रगति के लिए जवाबदेह थी। उस समय, बुनियादी शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार या वृद्धि नहीं हुई थी।

जब सात प्रांतों के संसदीय मंत्रियों ने पद ग्रहण किया तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया गया। कई जगह ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा कल्पना की गई बुनियादी शिक्षा प्रणाली इस युग का युगांतरकारी विकास थी। भारत में शिक्षा के युद्ध के बाद की प्रगति को शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार समिति द्वारा बुनियादी शिक्षा के लिए कई तरह के सुधारों के साथ पेश किया गया था, जिसे आमतौर पर सार्जेंट नीति (1944) के रूप में जाना जाता है।

2) माध्यमिक शिक्षा

1855–56 में सार्वजनिक नीति प्रभागों के गठन ने 1854 में शुरूआत के परिणामस्वरूप माध्यमिक विद्यालयों की तेजी से बढ़त को चिह्नित किया। 1854 के डिस्पैच ने सहायता कार्यक्रम पर जोर दिया जिसने भारतीयों को हाई स्कूल स्थापित करने की अनुमति दी। अंग्रेजी शिक्षा वरीयता में जल्द ही सुधार हुआ। ''भारतीय शिक्षा आयोग (1882)'' ने प्रस्तावित किया कि हाई स्कूल, जहां उपयुक्त हो, एक सहायता प्राप्त ढांचे पर दिया जाए और यह भी कि राज्य हाई स्कूल के स्थानीय प्रबंधन को जल्द से जल्द समाप्त कर दे। 1882 और 1902 के आसपास के बीस वर्षों में छात्राों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई।

1902 से 1921 तक के युग में निजी भारतीय कंपनियों के माध्यम से उच्च शिक्षा का असाधारण विस्तार देखा गया। इस विस्तार ने इस क्षेत्रा में सामाजिक–राजनीतिक क्रांति को भी जन्म दिया। 1921–22 के दौरान, उच्च विद्यालयों की संख्या 5,124 के सापेक्ष बढ़कर 7,530 हो गई और 5,90,129 के सापेक्ष 11,06,803 छात्रा हो गए। व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के प्रयास अक्सर विवादास्पद थे। हाई स्कूल स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग भाषा के रूप में किया जाता था।

1921–22 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 7,530 से बढ़कर 13,056 हो गई, जो 1921–37 में 1,06,803 हो गई थी। बड़े पैमाने पर मार्गदर्शन के साधन के रूप में आधुनिक भारतीय संस्कृतियों को अपनाया गया। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन और सेवा की शर्तों ने ध्यान आकर्षित किया। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का मुद्दा बहुत आवश्यक और जटिल हो गया।

जैसा कि हमने पहले 1937–1947 के वर्षों में देखा, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार नहीं किया गया था। मातृभाषा में पढाई माध्यमिक विद्यालय की मीडिया बन गई। व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रगति सुस्त रही है। छात्राों के साथ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि हुई थी।

3) विश्वविद्यालय शिक्षा

1857 में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना शिक्षा अधिनियमों में की गई थी। 1860 में, भारतीय विश्वविद्यालयों का अधिनियम (डिग्री) विश्वविद्यालयों को भारतीय विश्वविद्यालयों के नियमों या कानूनों द्वारा अधिकृत योग्यता या डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। 1884 के अधिनियम ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के तीन विश्वविद्यालयों को से मानद उपाधि प्रदान करने की अनुमति दी। एल.एल.डी. पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की स्थापना 1882 और 1887 में हुई थी। भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा में बहुत कम सुधार हुआ। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902) को ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की नई संरचना और कार्यप्रणाली को देखने और अनुमोदित करने के लिए नामित किया। आयोग ने 1898 के अधिनियम द्वारा संशोधित लंदन विश्वविद्यालय मॉडल को स्वीकार किया। ''1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम'' में उन कॉलेजों में बड़े बदलाव शामिल थे जो विशेष रूप से भारतीयों की तरह नहीं थे।

21 फरवरी 1913 के सरकारी शैक्षणिक नीति समझौता ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्रा में एक कॉलेज होगा। वास्तव में, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917–1919) ने संघ सामान्य शिक्षा के साथ–साथ कलकत्ता उच्च समिति (1917–1919) के संबंध में बहुत दूरगामी सुझाव दिए। स्कूलों की संख्या 1916 में पांच से बढ़कर 1921–22 में बारह हो गई। विश्वविद्यालयों को सरकारी फंडिंग से कंपाउंड किया जाता है। 1901–02 और 1921–22, के बीच 20 वर्षों में भारतीय महाविद्यालयों में कला और विज्ञान पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई।यह संख्या वृद्धि देश के निर्माण और कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए लगभग पूरी तरह से अनुपयोगी थी।

1924 में शिमला भारतीय विश्वविद्यालयों में पहली अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ, 1925 में भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग के लिए इंटर–यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1822 से 1936–1937 तक, एजेंसियों और संबद्ध कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई, और छात्रों की संख्या 66,258 छात्रों के मुकाबले 1,26,228 तक बढ़ गई थी।

1937–1947 में कई नए विश्वविद्यालय खोले गए। चार नए संस्थानों की स्थापना की गई और समय के दौरान लाइसेंस प्राप्त और चलाने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा का महान विस्तार मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हुआ था। चूंकि चिकित्सा, तकनीकी, कृषि या व्यवसाय में योग्य कर्मचारियों की आवाजाही और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे और देश उच्च शिक्षा के तीव्र विकास का अधिकतम उपयोग नहीं कर सका था।

4) तकनीकी शिक्षा

सामान्य रूप से शिक्षा के विस्तार को तकनीकी शिक्षा के रूप में देखा गया। 1886 में भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा पर ज्ञापन में, सभी स्कूली शिक्षा और सभी शिक्षा उद्योग में चित्राकला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसे आम तौर पर सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने और अवलोकन और सोच के संकाय को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यूरोप से शिक्षकों को लाया गया, जिन्होंने मिलों और गोदामों में निरक्षर भारतीय कामगारों की निगरानी की और उन्हें सहायता प्रदान की, भारत में उत्तर–औद्योगिक या यांत्रिक योग्यता में शिक्षा के लिए सही परिस्थितियों के अभाव को पूरा किया। हालाँकि, 1856 और 1858 के बीच, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य सरकारी एजेंसियों की जरूरतों के परिणामस्वरूप रुड़की, पुणे, मद्रास और कलकत्ता में चार इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए थे। 1887 में, बड़े पैमाने पर निजी हितों द्वारा बॉम्बे में तकनीकी संस्थान, विक्टोरिया जुबली की स्थापना की गई थी। 1904 में, 123 औद्योगिक स्कूलों ने देश में 8,405 विद्यार्थियों को 48 ट्रेड पढ़ाए।

भारत सरकार के शैक्षिक नीति संकल्प के माध्यम से राज्य में 104 चुने हुए छात्रों को एक बर्सरी के रूप में मदद करेगा ताकि वे यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने तकनीकी प्रशिक्षण की बढावा दे सकें। 1905 से 1917 के बीच, विदेशी तकनीकी शिक्षा के लिए आवेदकों ने 150 पाउंड के प्रत्येक वर्ष के 113 अनुदान अर्जित किए। विदेशों में जाने की आवश्यकता से बचने के लिए भारतीयों के बीच भारत में तकनीकी प्रतिष्ठानों के विकास की मांग बढ़ गई थी। जैसे कई शैक्षणिक संस्थान इंडियन माइनिंग कॉलेज, धनबाद, हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर और बॉम्बे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी वस्तुओं का विकास कर रहे थे। लेकिन यह भारत की जरूरतों से कम था। बड़ी संख्या में भारतीय विदेश जाते रहे। 1944 में सार्जेंट की रिपोर्ट ने सभी चरणों में तकनीकी प्रशिक्षण की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना बहुत जरूरी समझा। भारत में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का निर्माण भारतीय तकनीकी शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था।

5) महिला शिक्षा

1854 के शिपमेंट के साथ राज्य ने वित्तीय सहायता और यहां तक कि राजनीतिक कार्रवाई का वादा किया। 1857 की अव्यवस्था और धार्मिक और सामाजिक संप्रभुता की रणनीति के बयान ने वास्तविक प्रयास को दुखद रूप से कम कर दिया। परिषदों की स्थापना और स्कूली शिक्षा के लिए सामान्य कोष ने 1870 और 1882 में लड़कियों के लिए एक असाधारण प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने में मदद की। महान अंग्रेजी

समाज सुधारक मिस मैरी कारपेंटर के लिए भारत की चार यात्राााएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। उसने सोचा कि महिला शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करना महत्वपूर्ण है। देश के सर्वोच्च अधिकारी तक सीधी पहुंच ने उनके प्रस्ताव और 1870 तक महिलाओं के लिए पहले प्राथमिक शिक्षक कोचिंग स्कूलों को तुरंत लागू करने की अनुमति दी। 1882 तक, 2,600 प्राथमिक विद्यालय, 81 स्कुल, 15 प्रशिक्षण केंद्र, और महिलाओं और लड़कियों के लिए एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1883 में विश्वविद्यालय कलकत्ता से स्नातक होने वाली पहली लड़कियां थीं, जिन्होंने अपनी कमाई अर्जित की।

महिला शिक्षा पर भारतीय शिक्षा समिति के (1882–83) प्रस्तावों में सार्वजनिक प्रायोजित बालिका महाविद्यालयों का वित्त पोषण, उदार ऋण का आवंटन, मुफ्त नावों और बांडों का वितरण, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा की उन्नति, आदि दुर्भाग्य से, आयोग के निष्कर्षों के बाद वित्तीय सख्ती के कारण, सरकार इस कारण पर्याप्त सब्सिडी वितरित नहीं कर सकी, इसलिए महिला शिक्षा की उन्नति ज्यादातर निजी उद्यमों पर निर्भर थी। 1901 और 1902 के आसपास, 12 महिला महाविद्यालयों में से 11 आवासीय, 422 प्राथमिक विद्यालयों में 356, 5,305 प्राथमिक विद्यालयों के 3,982 और 45 में से 32 महिला प्रशिक्षण केंद्र थे। उस समय महिला चिकित्सा में एक पेशे का उदय एक महत्वपूर्ण विकास था। 1901–02 में छिहत्तर महिलाएं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में थीं और 66 महिलाएं मेडिकल स्कूलों में थीं। लेडी डफरिन फाउंडेशन की स्थापना महिलाओं के चिकित्सा प्रशिक्षण में सुधार के लिए की गई है।

जनहित में एक बड़े पुनरुत्थान और प्रथम विश्व युद्ध के कारण, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के निर्माण और 1921 में शिक्षा के भारतीय अधिकार क्षेत्रा में संक्रमण के बीच के समय के दौरान अधिक विकास हुआ था। 1921 और 1922 के आसपास महिला विद्यालयों की संख्या 19 थी, पुरुष उच्च विद्यालयों की संख्या 675 थी और लड़कियों की संख्या 21,956 थी। शादी की उम्र में पर्याप्त वृद्धि इस समय में एक प्रमुख विकास था। इसने अनिवार्य रूप से लड़कियों को पढ़ने और कॉलेजों और स्कूलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षित महिलाओं की इच्छा से महिलाओं की शिक्षा को और बढ़ावा मिला। ैण्छण्क्ण्ज्ए भारतीय महिला विश्वविद्यालय महर्षि डी.के. कर्वे 1916 तक, की स्थापना उस समय की एक और महत्वपूर्ण घटना थी। 1921–1922 में 197 महिलाओं ने चिकित्सा और 334 ने स्वास्थ्य विद्यालयों में, 67 शिक्षण महाविद्यालयों में और 3,903 शिक्षण विद्यालयों में महिलाओं ने भाग लिया। ज्यादातर महिलाओं ने कॉर्पोरेट और पेशेवर पेशा अपना लिया था।

विवाह की उम्र में आगे विकास, महात्मा गांधी की शिक्षाएं, भारतीय नारीत्व का अभूतपूर्व उदय और 1937 में क्षेत्रीय स्वायत्तता का आगमन इस युग के दौरान महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में लाभकारी प्रभाव थे। यह निश्चित रूप से राजनीतिक और वित्तीय कठोरता का दौर रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1946–57 में कला और विज्ञान के 59 महिला कॉलेज, 2,370 महिला माध्यमिक विद्यालय, 21,479 बालिका प्राथमिक विद्यालय और महिलाओं के लिए 4,288 व्यावसायिक, तकनीकी और विशेष शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित किए गए। राष्ट्रीय सरकारों और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा प्रकट किए गए बड़े कार्यक्रम ने 28,196 महिला संस्थाओं में से 16,979 महिला संगठनों की सेवा करने वाले निजी प्रयासों की जिम्मेदारी को काफी कम कर दिया। इस युग ने सह–शिक्षा परिघटना में सुधार को भी दर्शाया। 1947 में, सहशिक्षा स्कूलों में महिलाओं की संख्या आधे से थोड़ा अधिक पाई गई।

6) व्यस्क साक्षरता

वयस्क साक्षरता के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं अपनाए गए थे। मुख्य रूप से कामकाजी व्यस्कों/वालकों के अंशकालिक प्रशिक्षण के लिए और जो भी लोग भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए केवल कुछ ही प्राथमिक विद्यालय रात में चलाए जाते थे। भारतीय शिक्षा समिति (1882–83) की सिफारिश के बावजूद, जहां भी संभव हो, रात्रि अकादमियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम किया गया है। 1902 और 1917 के बीच रात की कक्षाओं की संख्या में काफी कमी आई। 1917 और 1922 के बीच वयस्क शिक्षा का मुद्दा सार्वजनिक चिंता का विषय बन गया क्योंकि मताधिकार पर बहस और भारत सरकार अधिनियम, 1919 को अपनाया गया, जिसने इसमें रुचि जगाई।

1921 में स्कूली शिक्षा को भारतीय मंत्रियों में स्थानांतरित करने के बाद, इसमें काफी उन्नति हुई। 1927 में 11,158 पुरुष और 47 महिला संगठन अस्तित्व में थे। दुख की बात है कि 1927 के बाद से आर्थिक मंदी ने इस मुद्दे पर चिंता कम कर दी थी। 1937 में केवल 2,016 पुरुष और 11 महिला नाइट–स्कूल थे, जो इतने कम हो गए। 1921–37 का काल फिर भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह एक ऐसा युग था जिसमें वयस्क शिक्षा के भविष्य के विकास के लिए उपयोगी कार्य किया गया था, जहाँ शिक्षार्थियों और स्थानीय संस्थानों ने प्रस्ताव को व्यापक बनाने के लिए प्रदाता के सार को तैनात किया था और जहाँ सहकारी समितियां सक्रिय रूप से काम में शामिल थीं।

1937 में, जब कांग्रेस के मंत्रालयों ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने वयस्कों में निरक्षरता को मिटाने के लिए बड़े शिविरों की स्थापना की। (1) एक अनपढ़ व्यक्ति को रुपये से परिचित कराना और (2) उन्हें ऐसी जानकारी देना जो उनके काम के जीवन से निकटता से जुड़ी हो, और उन्हें राष्ट्रीयता का आधार प्रदान करना। साक्षरता को अपर्याप्त रूप से देखा गया, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को स्कूली शिक्षा के व्यापक पहलुओं के बिना अधिक व्यापक और बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार नहीं कर सकती थी। राज्यों और प्रांतों में इस कार्य को बड़े उत्साह के साथ किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से, 1940 के दौरान विधायी मंत्रियों के त्याग के साथ, इसमें भी कमी आई। 1946 में प्रधान मंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद इसको फिर से शुरू किया गया था, और आगामी अवधि में इस मुद्दे पर काफी प्रगति हुई थी।

जब ब्रिटिश राज भारत में बस गया, तो एक शिक्षित समुदाय अंग्रेजी द्वारा विकसित पश्चिमी शिक्षा प्रणाली में पारंगत हो गया। औपनिवेशिक युग के दौरान कई प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा सुविधाओं के विकास से भारत में कार्यक्रम में जल्द ही सुधार हुआ। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की ब्रिटिश जनसंख्या 1867 में लगभग 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1941 में लगभग 3.5 प्रतिशत हो गई। फिर भी, यह जर्मनी की तुलना में बहुत कम थी, जहां 8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत जनसंख्या में बृद्धि हुई। इसके अलावा, 1901 में, साक्षरता में सुधार हुआ और भारत में यह दर केवल लगभग 5 प्रतिशत थी, हालाँकि स्वतंत्राता के समय यह लगभग 20 प्रतिशत थी।

1920 के दशक के अंत तक, भारत में वयस्क शिक्षा के क्षेत्रा में बहुत कम विकास हुआ था। भारत में रात्रिकालीन विद्यालयों और कृषि पुस्तकालयों में, बड़ौदा, त्रावणकोर और मैसूर की राजकुमारी के विद्वान प्रतिनिधियों ने 19वीं शताब्दी में या उसके आसपास वित्तीय सहायता का विस्तार करना शुरू किया। स्वतंत्राता संग्राम का नेतृत्व करने वाले सदस्यों ने बाद में जन शिक्षा के मुद्दे से संघर्ष किया, जिसे मुक्ति के एजेंडे का एक अनिवार्य हिस्सा भी माना जाता था। 1937 के लिए कुछ क्षेत्राों में, कांग्रेस सरकारों के सत्ता में आने के बाद, नई सरकार ने वयस्क साक्षरता और स्कूली शिक्षा प्रदान की। भारत में, 1947 में

स्वतंत्राता के बाद ही वयस्क शिक्षा एक घरेलू क्षेत्रा बन गई और इसके लिए आपसी समर्थन, व्यापक परिवर्तन और सार्थक परिवर्तन की आवश्यकता थी।

भारत में, साक्षरता 1947 तक काफी धीरे–धीरे विकसित हुई है। ब्रिटेन के दौर में शिक्षा में प्रगति काफी देर से हुई है। लगभग ''1881–82 और 1946–47 तक 82,916 से 134,866 प्राथमिक विद्यालयों में और 2,061,541 से 10,525,943 तक, छात्राों में वृद्धि हुई।'' ब्रिटिश भारत में, ''साक्षरता दर 1881 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 1931 में 7.2 प्रतिशत और 1947 में 12.2 प्रतिशत हो गई। 1944 में, ब्रिटिश भारत सरकार ने भारत में साक्षरता 40 वर्षों की अवधि के भीतर, यानी 1984 तक 100 प्रतिशत प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ भारत के सार्जेंट पुनर्निर्माण के लिए एक रणनीति का प्रस्ताव रखा। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश राज के दौरान, भारत के लोगों को हमारे महान समाज सुधारकों द्वारा प्रबुद्ध किया गया था, जिनमें ''महर्षि दयान और सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिराव फुले, , बालगंगाधर तिलक और कई अन्य'' शामिल थे।

शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल

1) 1698 का चार्टर

इसने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि यह धर्म के अंग्रेजी पुजारियों का दायित्व था कि वे सुसमाचार के प्रसार के अपने आवश्यक दायित्व के साथ निर्देश दें। फिर भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह समझ में आ गया था कि धार्मिक तटस्थता की रणनीति की राजनीतिक केंद्रीयता के फलस्वरूप 1698 के अनुबंध के असर को ध्यान में रखना बंद हो जाता है, इसके बावजूद, संगठन ने उदार पुरस्कारों के साथ स्कूलों का निर्माण करके शिक्षाप्रद कार्रवाई को सक्रिय किया। इस तरह 1715 में मद्रास में सेंट मैरी स्कूल की स्थापना की गई और उसके बाद 1717 में डेनिश मिशनरियों द्वारा दो ग्रेटर कॉस स्कूलों की स्थापना की गई। 1718 में बंबई में एक फाउंडेशन स्कूल और 1731 में कलकत्ता में दूसरा स्कूल खोला गया। 1787 में मद्रास में स्वतंत्रा रूप से युवकों और युवतियों के लिए दो कारण स्कूल बनाए गए थे, फिर भी उनका शैक्षिक कार्यक्रम आम तौर पर 3ξ (पढ़ना, लिखना और अंकगणित) और ईसाई शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित था। 1781 में सर ''वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल'' ने अरबी और फारसी जांच के विकास के लिए कलकत्ता, मद्रास का निर्माण किया और इसके अलावा संस्कृत में पारंपरिक परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इन नींवों को स्थापित करने की अचूक विचार प्रक्रियाओं में से एक भारतीय सहायकों को अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए तैयार करना था, ताकि हिंदू और मुस्लिम कानूनों के मानकों को स्पष्ट किया जा सके।

ईसाई मिशनरियों ने अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय जनता को प्रशिक्षण देना शुरू किया, फिर भी उन्हें ''1813 के चार्टर अधिनियम'' के प्रवेश के बाद ही भारत में व्याख्यान और निर्देश देने की अनुमति दी गई, जिसने वास्तव में ईसाई मिशनरियों को अनुमति देने के लिए ''ईस्ट इंडिया कंपनी'' को समर्पित किया। संगठन पहले तो उन भारतीयों द्वारा स्थापित विरोध के कारण इंजीलवादियों को उनके शिक्षाप्रद अभ्यासों को जारी रखने की अनुमति देने में संकोच कर रहा था, जिन्हें धर्मांतरण की चिंता थी। इसके बाद, इंग्लैंड में प्रचारकों और उनके समर्थकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मिशनरी विरोधी दृष्टिकोणों से लड़ने के अंतिम लक्ष्य के साथ एक सेंक शुरू किया। यह काफी समय में पहली बार चलाया गया था कि राष्ट्र में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के समन्वय के लिए एक उचित शिक्षा रणनीति स्थापित की गई थी।

2) 1813 का चार्टर अधिनियम

चूंकि अधिनियम के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया गया था, फिर भी भारतीयों के प्रशिक्षण की प्रगति के साथ पहचान करने वाले प्रावधान ने क्लासिकिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच निष्कर्षों के भेद को प्रेरित किया। जबकि क्लासिकिस्ट संस्कृत, फारसी और अरबी के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित थे, एंग्लिसिस्टों की आवश्यकता थी कि अंग्रेजी प्रशिक्षण दिया जाए। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस विवाद में शिक्षा के तरीके के रूप में पहली भाषा की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया गया था और यहां तक कि वर्तमान समय तक भारतीय शिक्षा में इस कदम का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। भारतीय परिवर्तन, उदाहरण के लिए, राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों ने एक अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की और उनका विचार था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रस्तुति राष्ट्र को पुनर्जागरण के समय की ओर ले जाएगी।

3) सार्वजनिक निर्देश समिति 1823

यह सरकार के नए शिक्षाप्रद दृष्टिकोण को आकार देने और इसके निष्पादन के लिए उद्यम शुरू करने के लिए स्थापित किया गया था। न्यासी मंडल को दो महत्वपूर्ण मानकों द्वारा निर्देशित किया गया था (ए) ''सूचित और प्रेरक वर्गों'' की निश्चितता जीतना, सीखने और लिखने को सशक्त बनाना, (बी) प्रतिबंधित सब्सिडी का उपयोग करना जो कि उन्नत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सुलभ थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक देवदूत और प्राच्यवादी विवाद ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। प्राच्यवादी जिन्हें प्राच्य संस्कृति के लिए एक प्रमाणित प्रेम था, उन्हें पारंपरिक भाषा, उदाहरण के लिए, संस्कृत, अरबी या फारसी की सहायता से प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता थी। वास्तव में, उन्होंने सोचा कि शिक्षा अंग्रेजी की मदद से दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि अत्याधुनिक जानकारी, जो भारतीय चाहते थे, अंग्रेजी में ही दी जा सकती है। यह चर्चा सन् 1834 के अंत तक विलम्बित रही, वास्तव में इस काल में कोई शिक्षा नीति नहीं बन सकी। इस समय लॉर्ड टी.बी. मैकाले लोक शिक्षण के पैनल के अध्यक्ष के रूप में भारत आए। वह एंग्लिसिस्ट के पक्षधर थे और कक्षाओं के निर्देश को बरकरार रखते थे। उन्होंने अंग्रेजी की बदौलत पश्चिमी प्रशिक्षण के प्रसार के लिए एक जबरदस्त अनुरोध किया।

4) मैकाले का मिनट 1835

मास्टर मैकाले ने अपने कार्यवृत्त में व्यक्त किया कि दिशा–निर्देशों के एक तंत्रा के रूप में अंग्रेजी के विनियोग द्वारा विज्ञान पर सूचना को आगे बढ़ाने के बिंदु को विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने मूल भाषा के मामलों को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया कि भारतीय बोलियों को इस सूचना प्रसारण के माध्यम के रूप में भरने के लिए सुसज्जित नहीं किया गया था। उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ अरबी और संस्कृत के मामलों को खारिज कर दिया। पारंपरिक भारतीय बोलियों का मैकाले का शर्मनाक विश्लेषण मुख्य रूप से उनकी गुमनामी में इन बोलियों के धन को स्थापित करता है और प्रशंसकों के साथ–साथ उन लोगों के बीच असीम तिरस्कार में खींच लिया जाता है जो इन भाषा की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। किसी भी मामले में, मैकाले ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी प्रशिक्षण भारतीय व्यक्तित्वों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और इसके उपयोग को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया।

अंग्रेजी भाषा के लिए मैकाले के तर्क निम्नलिखित थेः

– अंग्रेजी एक अत्याधुनिक भाषा है और अरबी या संस्कृत की तुलना में अधिक सहायक है।

– पश्चिमी अंग्रेजी की बोलियों में एक पूर्व–प्रचलित स्थिति शामिल है। भारत में यह निर्णय वर्गों की भाषा है। इसके अलावा, इसके पूर्व के महासागरों के माध्यम से व्यापार की भाषा में बदलने की संभावनाएं असाधारण रूप से शानदार हैं।

– जैसे ग्रीक या लैटिन ने यूरोप में पुनर्जागरण को महसूस किया, वैसे ही अंग्रेजी भारत में भी करेगी।

– स्थानीय भारतीय अंग्रेजी में निर्देश पाकर खुश हैं और संस्कृत या अरबी सीखने के लिए उत्सुक नहीं हैं।

– भारत के स्थानीय लोगों को अंग्रेजी में महान शोधकर्ता बनाना संभव है।

यह अंग्रेजी प्रशिक्षण के माध्यम से '' भारतीय के खून में लोगों के एक वर्ग को लाने के लिए और स्वाद, भावनाओं, नैतिकता और चतुरता में अंग्रेजी'' लाने के लिए कल्पना की जा रही थी, और अंग्रेजी शिक्षा जनता से वर्गों को अलग करके एक चौनल डाउन प्रभाव लाती है। 1835 में इस कार्यवृत्त को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स, बेंटिक द्वारा समर्थित किया गया था। इस गतिविधि का परिणाम यह हुआ कि भविष्य में सरकारी नियंत्राण वाले हाई स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा अंग्रेजी में होगी। इस विकल्प का भारत में शैक्षिक दृष्टिकोण पर सीधे नीचे से अभी तक प्रभाव पड़ा। उन दिनों के नेताओं ने अनुमान लगाया था कि पश्चिमी शिक्षा की प्रस्तुति भारतीयों को सरकार और वोट आधारित प्रणाली के पश्चिमी विचारों के साथ निकट संपर्क में ले जाएगी और भारतीय देशभक्ति के उत्थान की ओर ले जाएगी।

ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को घड़ी की कल की तरह फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। जैसा आवश्यक हो, 1833 में चार्टर को पुनः स्थापित करते समय ब्रिटिश संसद ने भारत में प्रशिक्षण के कारण को आगे बढ़ाने के लिए नकद की कुल राशि को एक लाख से बढ़ाकर 1,000,000 वार्षिक कर दिया। चूंकि भारत में विभिन्न शिक्षाप्रद मुद्दे थे और इसे 1853 में मंजूरी की बहाली के समय दिया गया था, इसलिए इसे एक उचित प्रशिक्षण रणनीति की योजना बनाने के लिए चुना गया था जो भारत में एक बहुत व्यापक प्रशिक्षण ढांचा बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा।

5) वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, 1854

चार्टर 1853 के समय में स्वीकार किए गए मुद्दों ने एक उचित शिक्षाप्रद रणनीति की योजना बनाई, जो भारत में एक बहुत व्यापक प्रशिक्षण ढांचा बनाने के लिए एक बढ़त का काम करेगी, जिसके परिणामस्वरूप भारत में शैक्षिक परिवर्तनों की प्रस्तुति के प्रस्तावों की पेशकश करने के लिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक पैनल की स्थापना की गई थी।

इस पैनल ने जिस संग्रह को व्यवस्थित किया है उसे प्रमुख रूप से वुड्स एजुकेशन डिस्पैच के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र में एक शैक्षिक ढांचे की उन्नति के लिए इसके व्यापक प्रभाव थे। इसे अतिरिक्त रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मेग्ना कार्टा के रूप में चित्रित किया गया है। इसने शिक्षा की एक ऐसी योजना को सामने रखा, जो इस समय तक अनुशंसित किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और अधिक विस्तृत थी। इसने भारत में शिक्षा के बिंदु को कला, विज्ञान, दर्शनशास्त्रा और यूरोप के लेखन के प्रसार के रूप में व्यक्त किया।

इस प्रकार भारतीय भाषा में अंग्रेजी का उपयोग यूरोपीय सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाना था। वुड के प्रेषण का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा भारत में विश्वविद्यालयों के निर्माण का विकल्प था। वर्तमान

भारत का प्राथमिक कॉलेज 1857 में कलकत्ता में बनाया गया था, जल्द ही बॉम्बे और मद्रास में अन्य कॉलेज भी बस गए।

नई प्रशिक्षण रणनीति ने हर जगह नेटवर्क द्वारा शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी अप्रत्याशित परिणाम सामान्य नहीं हो सकता है, विशेष रूप से अकेले प्रशासन पर निर्भरता से।

6) भारत सरकार का संकल्प 1913

भारत में अनिवार्य आवश्यक प्रशिक्षण देने की जवाबदेही को स्वीकार करने के लिए, भारतीय सार्वजनिक अग्रणी भारत सरकार को निचोड़ रहे थे और प्रशासन ने 21 फरवरी 1913 के लक्ष्य से अपने दृष्टिकोण की घोषणा की। इसने अनिवार्य आवश्यक प्रशिक्षण की जवाबदेही को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय, इसने भारत में अज्ञानता को दूर करने के लिए एक दृष्टिकोण के पालन को स्वीकार किया और आम सरकारों से इस शीर्षक के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा। इसने इस मार्ग की ओर निजी जानबूझकर किए गए प्रयासों का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने माध्यमिक विद्यालय के सुधार को भी रेखांकित किया और कॉलेजों द्वारा निर्देश देने की जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया।

7) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917—19)

1917 में डॉ. एम. ई. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग को प्रत्यायोजित किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय का मुद्दा इसकी आवश्यक चिंता था, फिर भी स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक शिक्षा के पूरे क्षेत्रा में देखा गया। इसके महत्वपूर्ण प्रस्तावों का एक अंश निम्नलिखित थाः—

8) द हार्टोग कमेटी, 1929

पैनल की मूलभूत खोज यह थी कि आवश्यक प्रशिक्षण के लिए अधिक विचार की आवश्यकता थी लेकिन इसे अनिवार्य बनाना महत्वपूर्ण नहीं था। केवल योग्य छात्रों को माध्यमिक विद्यालय और मध्य शिक्षा में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए और आठवीं कक्षा के बाद सामान्य छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।

9) बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना

मौलिक शिक्षा की योजना को संघ द्वारा राज्य सरकार के रूप में स्वायत्तता के बाद बुनियादी स्तर पर सार्वजनिक प्रशिक्षण के एक उदाहरण के रूप में स्वीकार किया गया था और पूरे देश में आवश्यक निर्देश की थोड़ी सामान्य व्यवस्था के निर्माण के लिए चुना गया था। योजना के उपयोग और जारी रखने के लिए आवश्यक है शिक्षकों की सही तैयारी के लिए पूरी व्यवस्था, कार्य अधिकारियों का निर्माण आदि।

10) सार्जेंट आयोग

इसके बाद ब्रिटिश समय सीमा में कोई महत्वपूर्ण कमीशन या रिपोर्ट नहीं थी। वास्तव में, सार्जेंट आयोगों की रिपोर्ट में भी दिन का उजाला नहीं हुआ। ''केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई)'' ने दो आयोगों का गठन करने का फैसला किया, एक कॉलेज निर्देश का प्रबंधन करने के लिए और दूसरा सहायक प्रशिक्षण का प्रबंधन करने के लिए जिस तरह से स्वायत्त भारत की पूर्वापेक्षा अद्वितीय होगी। यह प्रमुख हो गया कि भारत में निर्देश ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह विकल्प उस समय आया जब अवसर की

लड़ाई के दौरान शिक्षा के क्षेत्रा में व्यक्तियों को दी गई गारंटियों को क्रियान्वित किया जाना था। संविधान सभा में 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, और इन चर्चाओं ने अंततः ''भारत के संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों'' में अभिव्यक्ति की खोज की। राष्ट्र की शिक्षाप्रद रणनीति का उद्देश्य 1960 तक सामान्य प्रारंभिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तैयार करना था। इसी तरह राष्ट्र की महसूस की गई जरूरतों के संबंध में सहायक और उन्नत शिक्षा की व्यवस्था में भी मौलिक परिवर्तन प्रभावित हुए।

प्रशिक्षण रणनीति का एक और हिस्सा भारत के मुक्त होने के साथ शुरू हुआ। भारतीय संस्कृति के निराले मिश्रित चरित्रा के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न मुद्दे और कठिनाइयाँ सामने आई थीं। विधायिका ने प्रशिक्षण आयोगों की स्थापना की ताकि इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके और शिक्षाप्रद मुद्दों के लिए पूर्ण व्यवस्था का सुझाव दिया जा सके और इसके अलावा भारत में प्रशिक्षण ढांचे में सुधार किया जा सके।

स्वतंत्राता के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति ब्रिटिश शासन से स्वतंत्राता 15 अगस्त, 1947 को भारत में आई। इसने देश के लोगों को पहली बार देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समय में अपनी नीतियां बनाने की पेशकश की। लेकिन यह मौका पूरी शिक्षा प्रणाली को पुनर्निर्देशित करने के लिए भारी बोझ से मुक्त नहीं था, जो आने वाली पीढ़ियों को एक आधुनिक भारत को फिर से स्थापित करने के लिए अपने राष्ट्रीय संकायों में सुधार करने में सक्षम बना सके। राष्ट्र को बड़ी संख्या में तकनीशियनों, वास्तुकारों की आवश्यकता थी, चिकित्सकों, विद्वानों और अन्य योग्य कर्मियों ने विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को ढालने के लिए, जो लगभग दो शताब्दियों के उपनिवेशवाद के लिए कमजोर था।

राष्ट्रीय सरकार से पहले, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मुद्दा अनिवार्य सामूहिक प्रारंभिक शिक्षा सेवाओं का विस्तार, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की उन्नति, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, और स्कूल प्रबंधन की प्रणाली की स्वीकृति भी रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजनाओं में एक विशिष्ट आकार लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारत के पहले शिक्षा मंत्राी मौलाना आजाद ने एक मजबूत, समान शिक्षा प्रणाली, पूरे देश में शिक्षा पर केंद्र सरकार के नियंत्राण की परिकल्पना की थी। लेकिन, भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए, राष्ट्रीय सरकार के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उच्च शिक्षा पर कानूनी अधिकार है। सरकार के पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति रणनीतियां तैयार करने की क्षमता भी थी और वह पूरे भारत में शिक्षा के विशिष्ट पहलुओं को नियंत्रित कर सकती थी।

आजादी के बाद भारतीय शिक्षा में उन्नति के लिए निम्नलिखित अनुसार समय—समय पर निम्नलिखित कार्य किए गए—

1948—1949 : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन

1951 : खड़गपुर में प्रथम आईआईटी की स्थापना

1952—193 : माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन

1956 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना

1958 : दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई में स्थापित

1959 : कानपुर एवं चेन्नई में क्रमशः तीसरा एवं चौथा आईआईटी स्थापित।

1961 : एनसीईआरटी की स्थापना

एवं प्रथम दो भारतीय प्रबन्धन संस्थान अहमदाबाद एवं कोलकाता में स्थापित किए गए।

1963: पाँचवां आईआईटी दिल्ली में स्थापित किया गया।

एवं तीसरा I.I.M. बंगलौर में स्थापित।

1964—1966 : कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना, रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1968 : कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई।

1975 : छह वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारम्भ।

1976 : शिक्षा को 'राज्य' विषय से ''समवर्ती'' विषय में परिवर्तन करने हेतु संविधान संशोधन।

1984 : लखनऊ में चौथा IIM स्थापित।

1985 : संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना।

1986 : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया।

1987—1988 : संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) स्थापित।

एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ।

1992 : आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन

1993 : संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद स्थापित।

1994 : उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना। (बंगलौर में मुख्यालय)।

एवं गुवाहाटी में छठे IIT की स्थापना।

1995 : प्राथमिक स्कूलों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की गई।

1996 : पाँचवाँ IIM कोझीकोड में स्थापित

1998 : छठा IIM इंदौर में स्थापित

2001 : जनगणना में साक्षरता दर 65.4 % (समग्र), 53.7 % (महिला)

एवं पूरे देश में गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ।

एवं रूड़की विश्वविद्यालय सातवें IIT में परिवर्तित।

2002 : मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन।

2003 : 17 क्षेत्रिय इंजीनियरिंग कालेज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिवर्तित।

2004 : शिक्षा को समर्पित उपग्रह ''एडूसैट'' (EduSat) छोड़ा गया।

2005 : संसद अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग गठित।

एवं एनसीईआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 स्वीकृत।

2006 : कोलकाता और पुणे में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित।

2007 : सातवां IIM शिलांग में स्थापित किया गया।

एवं मोहाली में एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया।

एवं राष्ट्रीय संस्कृत परिषद गठित।

एवं केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम अधिसूचित।

2009 : भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) पारित।

20 मार्च 2018 : 62 विश्वविद्यालयों और 8 महाविद्यालयों (जिनमें जेएनयू, बीएचयू और एचसीयू सहित पाँच केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं) को स्वायत्तता देने की घोषणा।

29 जुलाई, 2020 : नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू ।

निष्कर्ष. इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन काल से अब तक भारतीयों की शिक्षा में आमूलचूक परिवर्तन समय के साथ आते गए। इन परिवर्तनों में बृद्धि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान देखी गई। परन्तु इन नीतियों के वावजूद भी हमारा देश 100 प्रतिशत साक्षरता दर से काफी पीछे है। आजकल जो शिक्षा व्यवस्था है वह ज्यादातर अंग्रजों के द्वारा बनाई गई पद्यति पर आधारित है, परन्तु नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। आशा की जाती है किइस शिक्षा नीति के सुखद परिणाम हमें देखने को मिलेंगे और भारतीय संस्कृति का सर्वत्रा बोलवाला होगा।

संदर्भ

1. Ancient Education System In India, available at: https://ncert.nic.in>pdf
2. JP Naik, Equality, Quality and Quantity, The Elusive Triangle in Indian Education 1-2 (Allied Publishers New Delhi, 1975)

3. B C Rai, History of Indian Education 39, (Prakashan Kendra, Lucknow, 1977)
4. Prabhu, Joseph (2006), educational institutions and philosophies, traditional and modern, encyclopedia of India vol. 2 edited by Stanley Wolpert, 23-28, Thomson Gale.
5. SM Edwardes and HLO Garett, Mughal Rule in India, 221(Asia Publication Services, New Delhi 1979)
6. J.C Agarwal "Development of Education System in India", Shipra Publications, Delhi, 2007, pg. no. 69
7. S Nurullah and JP Naik, A History of Education in India, 9 (Machmillan Press, Bombay, 1943)
8. S N Mukerji, History of Education in India: Modern Period,16 (Archarya Book Depot, Baroda, 1966)
9. Biswas, S.P. Agarwal, "Development of Education in India, A Historical Survey of Educational Documents before anf after Independence", Concept Publishing Company, New Delhi, 1994, pg no.835.
10. First Indian Education Commision popularly knowm as Hunter Commission, appointed in 1882, by Loed Ripon the then Governor- General of India.
11. Jayant Pandurang Nayaka, Syed Nurullah (1974): a Students history of education in India (1800- 1973), Macmillan Press limited.
12. Education- The post independence period in India/ Britannica, available at:
13- http://www.britannica.com/topic/education/ The-Postindependence-period-in-India (Visited on August 26, 2020) https://hi.wikipedia.org

ज्ञानशौर्यम्

Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : www.technoscienceacademy.com

Email : editor@gisrrj.com Website : http://gisrrj.com